

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1966)

**THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE
SOCIETIES ACT, 1965**
(U.P. Act No. XI of 1966)

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES
ACT, 1965¹

(U. P. Act No. XI of 1966)

Amended by

U. P. Act No. 1 of 1972
U. P. Act No. 12 of 1976
U. P. Act No. 40 of 1976
U. P. Act No. 17 of 1977
U. P. Act No. 26 of 1978
U. P. Act No. 5 of 1983
U. P. Act No. 19 of 1983
U. P. Act No. 17 of 1984
U. P. Act No. 8 of 1985
U. P. Act No. 2 of 1986
U. P. Act No. 17 of 1986
U. P. Act No. 5 of 1987
U. P. Act No. 8 of 1987
U. P. Act No. 3 of 1988
U. P. Act No. 13 of 1988
U. P. Act No. 4 of 1989
U. P. Act No. 19 of 1989
U. P. Act No. 2 of 1990
U. P. Act No. 12 of 1990
U. P. Act No. 14 of 1991
U. P. Act No. 23 of 1991
U. P. Act No. 7 of 1994
U. P. Act No. 17 of 1994
U. P. Act No. 25 of 1994
U. P. Act No. 17 of 1995
U. P. Act No. 1 of 1997
U. P. Act No. 2 of 1998
U. P. Act No. 18 of 1998
U. P. Act No. 19 of 1998
U. P. Act No. 6 of 1999
U. P. Act No. 14 of 2000
U. P. Act No. 30 of 2000
U. P. Act No. 12 of 2002
U. P. Act No. 8 of 2003
U. P. Act No. 10 of 2003
U. P. Act No. 30 of 2006

1. For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette, (Extraordinary)*, dated August 21, 1964 (Hindi) dated August 25, 1964 (English).

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965¹

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1966)

- उ० प्र० अधिनियम सं० 1, 1972
- उ० प्र० अधिनियम सं० 12, 1976
- उ० प्र० अधिनियम सं० 40, 1976
- उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 1977
- उ० प्र० अधिनियम सं० 26, 1978
- उ० प्र० अधिनियम सं० 5, 1983
- उ० प्र० अधिनियम सं० 19, 1983
- उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 1984
- उ० प्र० अधिनियम सं० 8, 1985
- उ० प्र० अधिनियम सं० 2, 1986
- उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 1986
- उ० प्र० अधिनियम सं० 5, 1987
- उ० प्र० अधिनियम सं० 8, 1987
- उ० प्र० अधिनियम सं० 3, 1988
- उ० प्र० अधिनियम सं० 13, 1988
- उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 1989
- उ० प्र० अधिनियम सं० 19, 1989
- उ० प्र० अधिनियम सं० 2, 1990
- उ० प्र० अधिनियम सं० 12, 1990
- उ० प्र० अधिनियम सं० 14, 1991
- उ० प्र० अधिनियम सं० 23, 1991
- उ० प्र० अधिनियम सं० 7, 1994
- उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 1994
- उ० प्र० अधिनियम सं० 25, 1994
- उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 1995
- उ० प्र० अधिनियम सं० 1, 1997
- उ० प्र० अधिनियम सं० 2, 1998
- उ० प्र० अधिनियम सं० 18, 1998
- उ० प्र० अधिनियम सं० 19, 1998
- उ० प्र० अधिनियम सं० 6, 1999
- उ० प्र० अधिनियम सं० 14, 2000
- उ० प्र० अधिनियम सं० 30, 2000
- उ० प्र० अधिनियम सं० 12, 2002
- उ० प्र० अधिनियम सं० 8, 2003
- उ० प्र० अधिनियम सं० 10, 2003
- उ० प्र० अधिनियम सं० 30, 2006

1. उद्देश्य व कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 21 अगस्त, 1964 (हिन्दी) तथा 25 अगस्त, 1964 (अंग्रेजी) का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।

U. P. Act No. 29 of 2007
U. P. Act No. 46 of 2007
U. P. Act No. 47 of 2007
U. P. Act No. 3 of 2008
U. P. Act No. 1 of 2010
U. P. Act No. 9 of 2011
U. P. Act No. 21 of 2011
U. P. Act No. 13 of 2013
U. P. Act No. 20 of 2018

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on September 1, 1965 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on September 10, 1965.]

Received the assent of the President on March 24 1966, under Article 201 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette. Extraordinary*, dated, April 5, 1966.]

AN

ACT

to consolidate and amend the law relating to co-operative societies in Uttar Pradesh

IT IS HEREBY enacted in the Sixteenth Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER-I

PRELIMINARY

**Short title
extent and
commencement**

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965.

(2) It extends to the whole of the State of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force from such date as the State Government may, by notification¹ in the *Gazette*, appoint in this behalf.

Provided that while appointing such date, the State Government may declare that any provisions to be specified in the declaration shall not come into force from the date so appointed and in that case such provisions shall come into force from such date or dates as the State Government may similarly appoint in that behalf.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires—

(a) “Arbitrator” means a person appointed under this Act to decide disputes referred to him by the Registrar ;

² [(a-1) ‘agricultural credit society’ means a credit society majority of the ordinary members whereof are primarily engaged in agricultural occupation ;

1. The Act came in to force on January 26, 1968 vide notification no. 9171C/12CA-1098/62 dated December 30, 1967.

2. *Ins. by sec. 2 (i) of U. P. Act 12, of 1976.*

उ० प्र० अधिनियम सं० 29, 2007
 उ० प्र० अधिनियम सं० 46, 2007
 उ० प्र० अधिनियम सं० 47, 2007
 उ० प्र० अधिनियम सं० 3, 2008
 उ० प्र० अधिनियम सं० 1, 2010
 उ० प्र० अधिनियम सं० 9, 2011
 उ० प्र० अधिनियम सं० 21, 2011
 उ० प्र० अधिनियम सं० 13, 2013
 उ० प्र० अधिनियम सं० 20, 2018

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 1 सितम्बर, 1965 ई, तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 10 सितम्बर, 1965 ई, की बैठक में स्वीकृत किया।

भारत का संविधान के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 24 मार्च, 1966 ई, को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 5 अप्रैल, 1966 ई, को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों से सम्बद्ध विधि को संहत और संशोधित करने के लिए

अधिनियम

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम, बनाया जाता है—

अध्याय—1

प्रारम्भिक

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965, कहलायेगा।

संक्षिप्त शीर्ष नाम,
प्रसार तथा प्रारम्भ

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति¹ द्वारा तदर्थ निश्चित करे ;

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा दिनांक निश्चित करते समय राज्य सरकार यह घोषणा कर सकती है कि घोषणा में निर्दिष्ट किये जाने वाले कोई अपबन्ध इस प्रकार निश्चित दिनांक से प्रचलित न होंगे और उस दशा में ऐसे उपबन्ध उस दिनांक या उन दिनांको से प्रचलित होंगे जो राज्य सरकार उसी प्रकार तदर्थ निश्चित करे।

2—जब तक किसी प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

परिभाषाएँ

(क) "मध्यस्थ" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो निबन्धक द्वारा उसको अभिविष्ट विवादों का निर्णय करने के लिये इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया हो ;

²[(क-1) "कृषि ऋण समिति" का तात्पर्य उस ऋण समिति से है जिसके साधारण सदस्यों का बहुमत मुख्यतया कृषि कार्य करना हो ;

1. विज्ञप्ति सं० 9171 सी/12 सी ए-1098/62, दिनांक 30 दिसम्बर 1967 द्वारा यह अधिनियम दिनांक 26 जनवरी 1968 से लागू हुआ।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 12, 1976 की धारा 2 (1) द्वारा बढ़ाया गया।

¹[(a-2) 'agricultural occupation' shall include—

- (i) production, processing or marketing of agricultural crops;
- (ii) horticulture, sericulture or animal husbandry which includes piggery, pisciculture, poultry farming and dairying ;

(a-3) 'agricultural society' means a co-operative society the majority of the ordinary members whereof are primarily engaged in agricultural occupation.

(a-4) 'apex society', 'apex level society' or 'state level co-operative society' means—

(1) U. P. State Co-operative Land Development Bank Ltd, Lucknow ;

(2) U. P. Co-operative Bank Ltd, Lucknow ;

(3) U. P. Co-operative Federation Ltd, Lucknow ;

(4) Pradeshik Co-operative Dairy Federation Ltd, Lucknow ;

(5) U. P. Co-operative Union Ltd, Lucknow ;

(6) U. P. Upbhokta Sahkari Sangh Ltd, Lucknow ;

(7) U. P. Co-operative Sugar Factories Federation Ltd ;

(8) U. P. Cane Union Federation Ltd, Lucknow ;

(9) U. P. Industrial Co-operative Association Ltd, Kanpur ; or

(10) any other central co-operative society fulfilling the following conditions :—

(i) it includes in its membership at least one other central co-operative society in the same line of business or trade ; and

(ii) its area of operation covers the whole of Uttar Pradesh ; and

(iii) its primary object is to facilitate the operation of the co-operative societies affiliated to it as ordinary members :]¹

(b) "Board of Arbitrators" means a body appointed under this Act to decide disputes referred to it by the Registrar ;

(c) "Bye-laws" means the registered bye-laws of a co-operative society for the time being in force ;

(d) "Central Government" means the Government of the Indian Union ;

²[(d-1) "Central Society" or "central co-operative society" means a co-operative society, which has any other co-operative society as its ordinary member and is not a primary co-operative society ;]

(e) "Committee of management" means the committee of a co-operative society, by whatever name called, to which the management of the affairs of the society is entrusted under section 29 ;

1. *Ins. by sec. 2(1) of U.P. Act no. 12 of 1976.*

2. *Ins. by sec. 2 (ii) ibid.*

1[(क-2) "कृषि कार्य" के अन्तर्गत निम्नलिखित होगा :-

(i) कृषि फसलो का उत्पादन, प्रसंस्करण या क्रय-विक्रय

(ii) उद्यानकरण, रेशम के कीड़े पालना या पशुपालन जिसके अन्तर्गत शूकर पालन, मत्स्य संवर्द्धन, कुक्कुट पालन और दुग्ध व्यवसाय भी है ;

(क-3) "कृषि समिति" का तात्पर्य उस सहकारी समिति से है जिसके साधारण सदस्यों का बहुमत मुख्यतया कृषि कार्य करता हो ;

(क-4) "शीर्ष समिति" "शीर्ष स्तर समिति" या "राज्य स्तर सहकारी समिति" का तात्पर्य निम्नलिखित से है :—

(1) उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, लखनऊ ;

(2) उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ ;

(3) उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ ;

(4) उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ ;

(5) उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, लखनऊ ;

(6) उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ ;

(7) उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव शूगर फैक्टरीज फेडरेशन लिमिटेड ;

(8) उत्तर प्रदेश केन यूनियन्स फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ ;

(9) उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसियेशन लिमिटेड, कानपुर ;

या

(10) अन्य केन्द्रीय सहकारी समिति जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है:—

(i) उसकी सदस्यता में कम से कम एक ऐसी अन्य केन्द्रीय सहकारी समिति हो जिसका कारोबार या व्यापार उसी प्रकार का हों, और

(ii) उसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में हो, और

(iii) उसका मुख्य उद्देश्य साधारण सदस्यों के रूप में अपने से सम्बद्ध सहकारी समितियों का कार्य करने में सुविधा देना हो ;¹

(ख) "मध्यस्थ मंडल" का तात्पर्य उस निकाय से है जो निबंधक द्वारा उसको अभिदिष्ट विवादों का निर्णय करने के लिये इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया हो ;

(ग) "उपविधि" का तात्पर्य किसी सहकारी समिति की तत्समय प्रचलित निबंधित (रजिस्ट्रीकृत) उपविधि से है ;

(घ) "केन्द्रीय सरकार" का तात्पर्य भारतीय संघ की सरकार से है ;

2[(घ-1) "केन्द्रीय समिति" या "केन्द्रीय सहकारी समिति" का तात्पर्य उस सहकारी समिति से है जिसका साधारण सदस्य कोई अन्य सहकारी समिति हो और जो प्रारम्भिक सहकारी समिति न हो ;]

(ङ) "प्रबंध कमेटी" का तात्पर्य किसी सहकारी समिति की ऐसी कमेटी से है चाहे वह किसी भी नाम से पुकारी जाय, जिसको धारा 29 के अधीन समिति के कार्यों का प्रबन्ध सौंपा गया हो ;

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 12, 1976 की धारा 2 (1) द्वारा बढ़ाया गया।

2. उपरोक्त की धारा 2 (ii) द्वारा बढ़ाया गया।

(f) “Co-operative Society” means a society registered for deemed to be registered under this Act ;

(g) “Co-operative Society with limited liability” means a co-operative society in which the liability of its members for the debts of the society in the event of its being wound up, is limited by its bye-laws ;

(i) to the amount, if any, unpaid on the shares respectively held by them ; or

(ii) to such amount, they may respectively undertake to contribute to the assets of the society ;

(h) “Co-operative Society with unlimited liability” means a co-operative society the members of which are, in the event of its being wound up, jointly and severally liable for and in respect of all its obligations and to contribute to any deficit in the assets of the society ;

(i) “Co-operative Year” means the year commencing on the first day of ¹[April] and ending on the ¹[thirty-first] day of ¹[March] next following year ;

²[(i-1) “credit society” means a society which has as its primary object the raising of funds to be lent to its members ;]

(j) “Dividend ” means the interest paid (to a member) on the shares held by the member in the share capital of a co-operative society out of its profits and includes bonus, provided it is paid on the share capital ;

[(j-1) “Federal Structure” means a group of apex, central and primary co-operative societies of similar nature and pursuing similar business and work;

(j-2) “Federal tier” means any one of the three levels of societies of a particular federal structure i.e. apex or central or primary.] ³

⁴[(jj) “Election Commission” means the Uttar Pradesh State Co-operative Societies Election Commission constituted by the State Government ;]

(k) “Financing Bank” or “Central Bank” means a co-operative society the man object of which is to lend money to co-operative societies which are its ordinary members ;

(l) “Liquidator” means a person appointed by the Registrar under this Act to wind up the affairs of a co-operative society ;

(m) “maximum liability” means the maximum amount that can be borrowed by a co-operative society. It does not include share capital ;

(n) “Member” means a person who joined in the application for registration of a society or person admitted to membership after such registration in accordance with the provisions of this Act, the rules and the bye-laws for the time being in force but a reference to ‘members’

1. Subs. by sec. 2 of U.P. Act no. 4 of 1989.

2. Ins. by sec. 2 (iii) of U. P. Act no. 12 of 1976.

3. Ins. by sec. 2 (a) of U. P. Act no. 47 of 2007.

4. Ins. by sec. 2 of U. P. Act no. 13 of 2013.

(च) "सहकारी समिति" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निबंधित समझी जाने वाली किसी समिति से है ;

(छ) "सीमित दायित्व वाली सहकारी समिति" का तात्पर्य ऐसी सहकारी समिति से है जिसके समापित होने (wound up) की दशा में, उसके ऋणों के लिये उसके प्रत्येक सदस्य का दायित्व उस समिति की उपविधियों द्वारा निम्नांकित तक सीमित हो ;

(1) सदस्यों द्वारा धारित अंशों की शेष धनराशी, यदि कोई हो ; अथवा

(2) वह धनराशी, जिसका समिति की परिसम्पत्तियों (assets) में अंशदान देने का दायित्व उन सदस्यों ने लिया हो ;

(ज) "असीमित दायित्व वाली सहकारी समिति" का तात्पर्य ऐसी सहकारी समिति से है जिसके सदस्य, उनके समापित होने की दशा में उसके समस्त आभारों के लिए तथा समिति की परिसम्पत्तियों में न्यूनता पाये जाने पर उनमें अंशदान देने के लिये संयुक्त रूप तथा पृथक-पृथक उत्तरदायी हों ;

(झ) "सहकारी वर्ष" का तात्पर्य [अप्रैल]¹ के पहले दिन से प्रारम्भ होकर अगले [मार्च]¹ के [इक्कीसवें]¹ दिन को समाप्त होने वाले वर्ष से है ;

²[(झ-1) "ऋण समिति" का तात्पर्य उस समिति से है जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को उधार देने से लिये निधि एकत्र करना हो;]

(ञ) "लाभांश" का तात्पर्य किसी सहकारी समिति की अंश पूंजी में सदस्यों द्वारा धारित अंशों पर, उस (पूंजी) के लाभ से दिये जाने वाले ब्याज से है, और अंश पूंजी पर दिया जाने वाला बोनस भी उसके अन्तर्गत है ;

³[(ञ-1) "परिसंघीय संरचना" का तात्पर्य ऐसी शीर्ष केन्द्रीय एवं प्रारम्भिक सहकारी समितियों के समूह से है जो समान प्रकृति का हो और समान व्यवसाय या कार्य करता हो ;

(ज-2) "परिसंघीय श्रेणी" का तात्पर्य किसी विशिष्ट परिसंघीय संरचना की त्रिस्तरीय में से किसी एक श्रेणी अर्थात् शीर्ष या केन्द्रीय या प्रारम्भिक सहकारी समितियों से है ।]

[(ज-3) "निर्वाचन आयोग" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग से है ;]⁴

(ट) "वित्त पोषण बैंक (Financing Bank)" या "केन्द्रीय बैंक" का तात्पर्य उस सहकारी समिति से है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन सहकारी समितियों को रुपये उधार देना है जो उसके साधारण सदस्य हैं ;

(ठ) "परिसमापक" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निबन्धक द्वारा किसी सहकारी समिति के कार्यों को समापित करने के लिये नियुक्त व्यक्ति से है ;

(ड) "अधिकतम दायित्व" का तात्पर्य उस अधिकतम धनराशि से है जो किसी सहकारी समिति द्वारा उधार ली जा सकती हो। इसके अन्तर्गत अंश पूंजी नहीं है ;

(ढ) "सदस्य" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी समिति के निबन्धन के लिये दिये गये प्रार्थना-पत्र में सम्मिलित हुआ हो अथवा ऐसे व्यक्ति से है जिसे तत्समय प्रचलित अधिनियम, नियम तथा उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार ऐसे

1. उ०प्र० अधिनियम सं० 4, 1989 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 12, 1976 की धारा 2 (iii) द्वारा बढ़ाया गया।

3. उ० प्र० अधिनियम सं० 47, 2007 की धारा 2(क) द्वारा बढ़ाया गया।

4. उ० प्र० अधिनियम सं० 13, 2013 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

anywhere in this Act in connection with the possession or exercise of any right or power or the existence or discharge of any liability or duty shall not include reference to any class of members who by reason of the provisions of this Act do not possess such right or power or have no such liability or duty ;

¹[(n-1) “National Bank” means the National Bank for Agriculture and Rural Development established under the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1961.]

(o) “Officer of a co-operative society” means the president, vice-president, chairman, vice-chairman, secretary, member of committee of management, treasurer, liquidator, administrator or any other person employed by a co-operative society whether with or without remuneration to carry on the business of the society or to supervise its affairs;

(p) “Ordinary member” means a member of a co-operative society other than a sympathizer-member having a right to vote in the affairs of the society in accordance with the provisions of this Act, the rules and the bye-laws ;

(q) “Prescribed” means prescribed by rules ;

² [(q-1) “primary society” means a co-operative society ordinary membership whereof is not open to any other co-operative society ;

Provided that—

(i) a co-operative marketing society , the area of operation whereof is only a part of a district or part of more than one district shall be deemed to be a primary society whether or not any other co-operative society is its ordinary members ;

(ii) a primary co-operative society any share whereof has been purchased under Chapter VI, by a central or apex society shall continue to be a primary society notwithstanding the purchase of such shares ;

(iii) a co-operative society, the area of operation whereof is only a part of a district and the primary object whereof is to arrange for the storage and distribution of seeds, fertilizers, pesticides, agricultural appliances of consumers goods to its ordinary members and the membership whereof includes any other co-operative society as its ordinary member, shall be deemed to be primary society notwithstanding the membership of other co-operative society in it.]

³[(q-2) “Reserve Bank” means the Reserve Bank of India established under section 3 of the Reserve Bank of India Act, 1934.]

(r) “Registrar” means the person for the time being appointed as Registrar of Co-operative Societies under sub-section (1) of section 3 and includes any person appointed under sub-section (2) of that section when exercising all or any of the powers of the Registrar ;

[1. Ins. by sec. 2 \(b\) of U. P. Act no. 47 of 2007.](#)
[2. Ins. by sec. 2 \(iv\) of U. P. Act no. 12 of 1976.](#)
[3. Ins. by sec. 2 \(c\) of U. P. Act no. 47 of 2007.](#)

निबन्धन के पश्चात सदस्य बनाया गया हो, किन्तु इस अधिनियम में कहीं पर भी किसी अधिकार के रखने या उसके प्रयोग करने अथवा किसी दायित्व या कर्तव्य के विद्यमान होने या निर्वहन करने के सम्बंध में "सदस्य" के निर्देश के अन्तर्गत सदस्यों के किसी ऐसे वर्ग का निर्देश न होगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों के कारण ऐसा अधिकार नहीं रखता या जिसका ऐसा कोई दायित्व या कर्तव्य न हो;

¹[(ढ-1) "राष्ट्रीय बैंक" का तात्पर्य राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के अधिनियम, 1981 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से है।]

(ण) "सहकारी समिति का अधिकारी" का तात्पर्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उप-सभापति, सचिव, प्रबन्ध कमेटी के सदस्य, कोषाध्यक्ष, परिसमापक, प्रशासक अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से है जो पारिश्रमिक पर अथवा बिना पारिश्रमिक के समिति का कार्य करने अथवा उसके कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिये सहकारी समिति द्वारा नियोजित हो ;

(त) "साधारण सदस्य" का तात्पर्य सहानुभूतिकर सदस्य से भिन्न सहकारी समिति के ऐसे सदस्य से है जिसका इस अधिनियम, नियम तथा उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार समिति के कार्यों में मत देने का अधिकार हो ;

(थ) "नियत" का तात्पर्य नियमों द्वारा नियत से है ;

²[(थ-1) प्रारम्भिक समिति का तात्पर्य उस सहकारी समिति से है, जिसकी साधारण सदस्यता किसी अन्य सहकारी समिति के लिये सुलभ न हो ; प्रतिबन्ध यह है कि—

(i) किसी सहकारी क्रय-विक्रय समिति को जिसका कार्य-क्षेत्र किसी जिले के एक भाग में या एक से अधिक जिले के भाग में हों, प्रारम्भिक समिति समझा जायेगा चाहे उसका साधारण सदस्य कोई अन्य समिति हो या नहीं ;

(ii) कोई प्रारम्भिक सहकारी समिति जिसका कोई अंश किसी केन्द्रीय या शीर्ष समिति ने अध्याय 6 के अधीन क्रय किया है, ऐसा अंश क्रय किये जाने पर भी पूर्ववत् प्रारम्भिक समिति ही रहेगी ;

(iii) किसी सहकारी समिति को, जिसका कार्यक्षेत्र किसी जिले का केवल एक भाग हो और जिसका मुख्य उद्देश्य बीज, रासायनिक खाद, कीट नाशक दवा, कृषि उपकरण या उपभोक्ता माल को संग्रह और अपने साधारण सदस्यों में वितरण करना हो और जिसकी सदस्यता में उसके साधारण सदस्य के रूप में कोई अन्य सहकारी समिति हो, प्रारम्भिक समिति समझा जायेगा, भले ही उसके सदस्य अन्य सहकारी समिति हो।]

³[(थ-2) "रिजर्व बैंक" का तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक से हैं।]

(द) "निबन्धक" का तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन सहकारी समितियों के निबन्धक (रजिस्ट्रार) के रूप में तत्समय नियुक्त व्यक्ति से है तथा इसके अन्तर्गत उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त ऐसा व्यक्ति भी है जो निबन्धक के सभी या किन्हीं अधिकारों का प्रयोग करें ;

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 47, 2007 की धारा 2 (ख) द्वारा बढ़ाया गया ।
 2. उ० प्र० अधिनियम सं० 12, 1976 की धारा 2 (iv) द्वारा बढ़ाया गया ।
 3. उ० प्र० अधिनियम सं० 47, 2007 की धारा 2 (ग) द्वारा बढ़ाया गया ।

(s) “Rules” means rules made under this Act ;

(t) “State Government” means the Government of Uttar Pradesh ;

(u) “Tribunal” means a co-operative tribunal constituted under this Act ;

(v) “Land Development Bank” means a bank defined in sub-clause (c) of section 2 of the Uttar Pradesh Co-operative Land Development Banks Act, 1964.

CHAPTER-II

Registration of Co-operative Societies

Registrar

3. (1) The State Government may appoint a person to be the Registrar of Co-operative Societies for the State.

(2) The State Government may, for the purposes of this Act, also appoint other persons to assist the Registrar and by general or special order, confer on any such person all or any of the powers of the Registrar.

¹[(3) Where any order has been made under sub-section (2) conferring on any person all or any of the powers of the Registrar under any provision of this Act, such order shall be deemed to confer on him all the powers under that provision as may be amended from time to time.]

Societies which may be registered

4. Subject to the provisions of this Act, a society which has as its object the promotion of the economic interest of its members in accordance with co-operative principles or a society established with the object of facilitating the operations of such a society may be registered under this Act.

Explanation— Co-operative principles shall include—

(a) advancement of economic interest of the members in accordance with public morals, decency and the relevant directive principles of State Policy enunciated in the Constitution of India ;

(b) regulation and restriction on profit motive ;

(c) promotion of thrift, mutual aid and self-help ;

(d) voluntary membership ; and

(e) democratic constitution of the society.

Registration with limited or unlimited liability

5. (1) A society may be registered as a co-operative society with limited or unlimited liability ;

Provided that a society having another co-operative society as its ordinary member shall be registered only with limited liability.

(2) The word सीमित or its equivalent in English “Limited” shall be the last word in the name of a society registered under this Act with limited liability.

1. Ins. by sec. 3 of U.P. Act no. 12 of 1976.

- (ध) "नियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों से है ;
- (न) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ;
- (प) "न्यायाधिकरण" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन संघटित सहकारी न्यायाधिकरण से है ;
- (फ) "भूमि विकास बैंक" से तात्पर्य ऐसे बैंक से है, जो उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 2 की उपधारा (ग) में परिभाषित है।

अध्याय-2

सहकारी समितियों का निबन्धन

3—(1) राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को राज्य के लिये सहकारी समितियों का निबन्धक नियुक्त कर सकती है ।

(2) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ निबन्धक को सहायता देने के लिए अन्य व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकती है और सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसे किसी भी व्यक्ति को निबन्धक के सभी अथवा कोई अधिकार प्रदान कर सकती है।

1[(3) जहां इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन निबन्धक के सभी या कोई अधिकार किसी व्यक्ति को प्रदान करने के लिए उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश दिया गया हो, वहां ऐसे आदेश द्वारा उस व्यक्ति को समय-समय पर यथा संशोधित उस उपबन्ध के अधीन सभी अधिकार प्रदत्त समझा जायगा।

4—इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुये, कोई समिति जिसका उद्देश्य सहकारी सिद्धान्तों के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों की उन्नति करना हो अथवा कोई समिति जो उक्त समिति के कार्य-संचालन को सुकर बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गयी हो, इस अधिनियम के अधिन निबन्धित की जा सकती है।

समितियां जो निबन्धित की जा सकती है

स्पष्टीकरण—सहकारी सिद्धान्तों के अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे—

- (क) लोक सदाचार, शिष्टता तथा भारत के संविधान में प्रतिपादित राज्य की नीति के सुगत निदेशक तत्वों के अनुसार सदस्यों के आर्थिक हित की उन्नति,
- (ख) लाभ की भावना को विनियमित तथा निबन्धित करना ;
- (ग) मितव्ययिता, पारस्परिक सहायता तथा स्वावलम्बन को बढ़ाना ;
- (घ) स्वेच्छिक सदस्यता ; और
- (ङ) समिति का लोकतांत्रिक संघटन।

5—(1) कोई समिति, सीमित अथवा असीमित दायित्व वाली सहकारी समिति के रूप में निबन्धित की जा सकती है ;

सीमित अथवा असीमित दायित्वपूर्ण निबन्धन

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समिति का निबन्धन जिसका कोई साधारण सदस्य दूसरी सहकारी समिति हो, सीमित दायित्व वाली समिति के रूप में होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन निबन्धित सीमित दायित्व वाली समिति के नाम का अन्तिम शब्द "सीमित" अथवा उसका अंग्रेजी पार्याय "(Limited)" होगा।

1. उ०प्र० अधिनियम सं० 12, 1976 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।

**Application
for
registration**

6. (1) An application for the registration of a society shall be made in the manner prescribed to the Registrar in such form as the Registrar may from time to time specify; and the applicants shall furnish to him all such information about the society as he may require.

(2) Every such application shall conform to the following requirements, namely—

(a) that it is accompanied by three copies of the proposed bye-laws of the society ;

(b) that the applicants are eligible for membership under section 17 ;

(c) that the application is duly signed by every applicant himself, if he is an individual, and by a duly authorized person if the applicant is any of the persons mentioned in any of the clauses (b) to (f) of section 17;

(d) that the number of applicants, who are to be ordinary members of the society, is not less than ten, if all the applicants are individuals, and is not less than five in all other cases ;

(e) that where the objects of the society include the creation of funds to be lent to its members, all the applicants who are to be the ordinary members of the society, if individuals reside in the same town or village or a group of contiguous villages, or belong to the same class.

Explanation—For the purposes of this clause, any two or more persons shall be deemed to belong to the same class, if they pursue the same occupation or are under a common employer.

Registration

7. (1) If the Registrar is satisfied—

(a) That the application complies with the provisions of this Act and the rules;

(b) That the objects of the proposed society are in accordance with section 4;

(c) That the proposed bye-laws are not inconsistent with the provisions of this Act and the rules; and

(d) That the proposed society complies with the requirements of rules in regard to the existence of any conditions in general or for the class of societies to which the particular society belongs and with the requirements of sound business and has reasonable chances of success;

the Registrar shall register the society and its bye-law :

Provided that where the bye-laws accompanying the application for registration are such as have, after the enforcement of this Act, already been approved by the Registrar or the type or class of co-operative societies to which the proposed society belongs, the Registrar shall pass final orders thereon either registering the society or refusing its registration within three months from the date of the receipt of the application by him and if he fails to do so the applicants may make a representation to the authority competent to hear under section 98 appeals against Registrar's order of refusal to register a society and if such authority, after calling for a report from the Registrar, passes an order for registration of society, the society, shall be deemed to have been duly registered from the date of communication of such order to the Registrar.

6-(1) समिति के निबंधन के लिये प्रार्थना-पत्र निबंधक को नियत रीति से ऐसे प्रपत्र में दिया जायगा जो निबंधक समय-समय पर निर्दिष्ट करें, तथा प्रार्थी समिति के संबंध में उसे ऐसी समस्त सूचना देंगे जिसकी वह अपेक्षा करे।

निबन्धन के लिये
प्रार्थना-पत्र

(2) ऐसे प्रत्येक प्रार्थना-पत्र में निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति की जायेगी, अर्थात्—

(क) इसके साथ समिति की प्रस्तावित उपविधियों की तीन प्रतियां होंगी ;

(ख) प्रार्थी धारा 17 के अधीन सदस्यता का पात्र हो ;

(ग) प्रार्थना-पत्र पर प्रत्येक ऐसे प्रार्थी के, यदि वह व्यक्ति विशेष हों, और किसी यथाविधि प्राधिकृत व्यक्ति के, यदि प्रार्थी धारा 17 के खंड (ख) से (च) तक किन्ही भी खंडों में उल्लिखित कोई भी व्यक्ति हो, यथाविधि हस्ताक्षर होंगे;

(घ) ऐसे प्रार्थियों की संख्या, जिन्हें समिति का साधारण सदस्य होना हो, यदि प्रार्थी व्यक्ति विशेष हों, तो दस से कम न होंगी, और अन्य दशाओं में, पांच से कम न होगी ;

(ङ) यदि समिति के उद्देश्यों के अन्तर्गत उसके सदस्यों को ऋण देने के लिये, निधियों का सृजन करना भी हो तो समस्त प्रार्थी जिन्हें समिति का साधारण सदस्य होना हो, यदि वे व्यक्ति विशेष हों तो एक ही गांव अथवा नगर में अथवा आसन्नवर्ती (Contiguous) गांवों के समूह में रहते हो अथवा एक ही वर्ग के हों।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये किन्हीं दो या अधिक व्यक्तियों को एक ही वर्ग का माना जाएगा, यदि वे एक व्यवसाय करते हों, अथवा एक ही सेवायोजक के आधीन हो।

7-(1) यदि निबंधक का समाधान हो जाय कि—

निबन्धन

(क) प्रार्थना-पत्र अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार है ;

(ख) प्रस्तावित समिति के उद्देश्य धारा 4 के अनुसार है;

(ग) प्रस्तावित उपविधियां इस अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों से असंगत नहीं हैं; तथा

(घ) प्रस्तावित समिति सामान्यतया, अथवा समितियों के उस वर्ग के लिये जिस वर्ग की वह विशेष समिति हो, किन्हीं शर्तों के विद्यमान होने के संबंध में नियमों की अपेक्षाओं की तथा सुस्थित कारोबार (sound business) की अपेक्षाओं की पूर्ति करती है और उसकी सफलता प्राप्त करने की समुचित संभावनायें हैं;

तो निबन्धक समिति तथा उसकी उपविधियों को निबन्धित करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि निबंधन के लिये प्रार्थना-पत्र के साथ उपविधियां ऐसी हो तो इस अधिनियम के प्रचलित होने के पश्चात् सहकारी समितियों के उस प्रकार तथा वर्ग के लिये, जिस प्रकार तथा वर्ग की वह प्रस्तावित समिति हो, नियंत्रक द्वारा पहले से ही अनुमोदित कर ली गई हो, तो निबंधक प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के दिनांक से तीन महीने के भीतर उस पर या तो समिति को निबद्ध करने अथवा उसका निबंधन करने से इन्कार करने का अन्तिम आदेश देगा और यदि वह ऐसा न करे तो प्रार्थी उस प्राधिकारी को प्रत्यावेदन दे सकता है जो किसी समिति का निबंधन करने से इन्कार करने के निबंधक के आदेशों के विरुद्ध धारा 98 के अधीन अपील सुनने के लिये सक्षम हो, और यदि ऐसा प्राधिकारी, निबंधक से रिपोर्ट मांगने के पश्चात् समिति का निबंधन करने के लिये आदेश दे तो समिति निबंधक को ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से यथाविधि निबद्ध की गई समझी जायगी।

(2) Where the Registrar refuses to register a society, he shall communicate the order of refusal together with the reasons therefor to such applicant as has been named in the application for this purpose and in default of such naming to any one of the applicants.

**Registration
certificate**

8. (1) Where society is registered under this Act or deemed to be registered under the proviso to sub-section (1) of section 7, the Registrar shall issue a certificate of registration signed by him which, unless the registration is proved to have been cancelled, shall be conclusive evidence that the society therein mentioned is a co-operative society duly registered under this Act.

(2) No person or society shall commence business in the name of or professing to be, a co-operative society unless a certificate of registration has been obtained under sub-section (1) for such society and every person or member of society carrying on business in contravention of this sub-section, shall be personally liable for all liabilities incurred in such business.

**Co-operative
societies to
be bodies
corporate**

9. The registration of a society, shall render it a body corporate by the name under which it is registered, having perpetual succession and a common seal, and with power to hold property, enter into contracts, institute and defend suits and other legal proceedings and to do all things necessary for the purpose for which it was constituted.

**Change of
name of
co-operative
society**

10. (1) A co-operative society may, by amending its bye-laws, change its name.

(2) Where a co-operative society changes its name the Registrar shall enter the new name on the register of co-operative societies in place of the former name and shall amend the certificate of registration accordingly.

(3) The change of name of a co-operative society shall not affect any rights or obligations of the society or of any of its members, past members, officers, past officers, or the heirs of any of them, if deceased, or render defective any legal proceeding by or against the co-operative society, and any legal proceedings which might have been continued or commenced by or against the society by its former name, may be continued or commenced by its new name.

**Change of
liabilities**

11. (1) Subject to the provisions of this Act and the rules, a co-operative society, may by an amendment of its bye-laws, change the form or extent of its liability.

(2) When a co-operative society has passed a resolution to change the form or extent of its liability, it shall give notice thereof in writing to all its members and creditors and notwithstanding any bye-law or contract to the contrary, any member or creditor shall, during a period of three months from the date of service of the notice upon him, have the option of withdrawing, subject to the provisions of section 41, his shares, deposits or loans, as the case may be.

(2) यदि निबन्धक किसी समिति को निर्बन्धित करने से इन्कार करे तो वह इन्कार करने के आदेश को उसके कारणों सहित उस प्रार्थी को संसूचित करेगा जो प्रार्थना-पत्र में इस प्रयोजनार्थ नामांकित हो, तथा ऐसे नामांकन के अभाव में प्रार्थियों में से एक को संसूचित करेगा।

8—(1) यदि कोई समिति, इस अधिनियम के अधीन निर्बन्धित हो अथवा धारा 7 की उपधारा (1) के प्रतिबंधात्मक खंड के अधीन निबन्धित समझी जाय तो निबन्धक अपने हस्ताक्षरयुक्त निबन्धन प्रमाण-पत्र जारी करेगा। जब तक यह प्रमाणित न हो जाय कि निबन्धन रद्द कर दिया गया है तब तक उक्त प्रमाण-पत्र इस बात का निश्चायक प्रमाण होगा कि उसमें उल्लिखित समिति इस अधिनियम के अधीन यथाविधि निबन्धित सहकारी समिति है।

निबन्धन प्रमाण-पत्र

(2) कोई व्यक्ति या समिति किसी सहकारी समिति के नाम से या अपने को सहकारी समिति व्यक्त करते हुए तब तक कारोबार प्रारम्भ नहीं करेगी जब तक कि उस समिति के लिये उपधारा (1) के अधीन निबन्धन प्रमाण-पत्र प्राप्त न कर लिया गया हो तथा प्रत्येक व्यक्ति या समिति का सदस्य, जो इस उपधारा का उल्लंघन करके कारोबार करे, उक्त कारोबार में उपगत समस्त दायित्वों का व्यक्तिगत रूप से भागी होगा।

9—निबन्धन हो जाने से समिति उसी नाम से जिससे वह निबन्धित हुई हो, निगमित निकाय हो जायगी, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा सामान्य मुद्रा होगी। उसको सम्पत्ति धारण करने, संविदायेंक रने, वाद तथा अन्य विभिन्न कार्यवाहियों संस्थित करने तथा उनका प्रतिवाद करने और जिस प्रयोजन के लिये वह संघटित हो, उसके लिये आवश्यक सभी कार्य करने का अधिकार होगा।

**सहकारी समितियां
निगमित निकाय
होंगी**

10—(1) सहकारी समिति अपनी उपविधियों का संशोधन करके अपना नाम परिवर्तित कर सकती है।

**सहकारी समिति का
नाम परिवर्तन**

(2) यदि सहकारी समिति अपना नाम परिवर्तित करती है तो निबन्धक सहकारी समितियों के रजिस्टर में पहले नाम के स्थान पर नया नाम दर्ज करेगा तथा निबन्धन प्रमाण-पत्र में तदनुसार संबोधन करेगा।

(3) सहकारी समिति के नाम परिवर्तन से न तो समिति या उसके किन्हीं सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों, अधिकारियों, भूतपूर्व अधिकारियों अथवा यदि उनमें से कोई मत हो तो उसके दायदों के अधिकारों या दायित्वों पर प्रभाव पड़ेगा और न सहकारी समिति द्वारा या उसके विरुद्ध की गई कोई विधिक कार्यवाही त्रुटिपूर्ण हो जायगी, तथा कोई विधिक कार्यवाही जो समिति द्वारा या उसके विरुद्ध उसके पहले के नाम से जारी रखी गई होती या प्रारम्भ की गई होती, उसके नये नाम से जारी रखी या आरम्भ की जा सकती है।

11—(1) इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सहकारी समिति अपनी उपविधियों में संशोधन करके अपने दायित्वों के स्वरूप या उनकी आयति में परिवर्तन कर सकती है।

दायित्व में परिवर्तन

(2) यदि सहकारी समिति ने अपने दायित्वों के स्वरूप या उनकी आयति में परिवर्तन करने के लिये संकल्प पारित किया हो तो वह उसका लिखित नोटिस अपने सभी सदस्यों और ऋणदाताओं को, देगी तथा किसी प्रतिकूल उपविधि या संविदा के होते हुये भी, किसी सदस्य या ऋणदाता को, उस पर नोटिस तामील होने के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर, धारा 41 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, यथास्थिती, अपने अंशों, जमा की गई धनराशियों या ऋणों को वापस लेने का विकल्प प्राप्त होगा।

(3) Any member or creditor who does not exercise his option within the period specified in sub-section (2), shall be deemed to have assented to the change.

(4) An amendment of the bye-laws of a co-operative society changing the form or extent of its liability shall not be registered until, either—

(a) it has been assented to or deemed to have been assented to by all the members and creditors ; or

(b) all claims of members and creditors who exercise the option referred to in sub-section (2) within the period specified therein have been met in full.

**Amendment of
bye-laws of
co-operative
society**

12. (1) A co-operative society may, subject to the provisions of this Act and rules, amend its bye-laws in the manner prescribed ;

Provided that no such amendment shall be valid and operative unless it has been registered under this Act.

¹[(2) The proposal for an amendment of the bye-laws shall be forwarded to the Registrar and if the Registrar is satisfied that the proposed amendment—

(i) is not contrary to the objects specified in section 4 of the Act ; and

[(ii) is not contrary to the other provisions of the Act or the rules, he shall register the amendment within one month from the date of receipt of such proposal. If the Registrar does not register the amendment within one month then it will be deemed that he has refused to register the amendment and in this case it will be obligatory for the Registrar to intimate the society within next one month, the reasons for not registering the amendment.]

(3) [* * * *]²

**When amendment
of bye-laws come
into force**

13. An amendment of the bye-laws of a co-operative society shall, of it is expressed to come into operation on a particular day after registration come into force on that day, but in all other cases on the day on which it is registered.

**Power to direct
amendments in
bye-laws**

14. (1) Where the registrar is of the opinion, whether on the representation of a member of a co-operative society, or otherwise, that an amendment in the bye-laws of a co-operative society is necessary or desirable in the interests of such society, or in public interest, he may, under such circumstances as may be prescribed, by order in writing issued to the society by registered post, require the society to make the amendment within such time as he may specify in the order.

(2) If the society fails to make the amendment within the time specified, the Registrar may, after giving the society an opportunity of being heard, [x x x]³ register such amendment and issue to the

1. Subs. by sec 3(a) of U. P. Act no. 47 of 2007.

2. Omit. by sec. 3 (b) of U. P. Act No. 47 of 2007.

3. Omit. by sec. 2 of U. P. Act No. 1 of 1972.

(3) किसी ऐसे सदस्य या ऋणदाता के संबंध में, जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर विकल्प का प्रयोग न करे यह समझा जायगा कि उसने परिवर्तन के लिये सहमति दे दी है।

(4) किसी सहकारी समिति की उपविधियों का ऐसा संशोधन जिसके द्वारा उसके दायित्व के स्वरूप या उसकी आयति परिवर्तन किया गया हो उस समय तक निबन्धित नहीं किया जायगा जब तक कि—

(क) उसके लिये समस्त सदस्यों तथा ऋणदाताओं की सहमति प्राप्त न हो जाय या प्राप्त हुई न समझी जाय ; अथवा

(ख) ऐसे सदस्यों तथा ऋणदाताओं के समस्त दावों की पूर्ति, जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग उसमें उल्लिखित अवधि के भीतर करें, पूरी तौर से न कर दी गई हो।

12—(1) सहकारी समिति इस अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियत रीति से अपनी उपविधियों का संशोधन कर सकती है ;

सहकारी समिति की
उपविधियों का
संशोधन

प्रतिबंध यह है कि ऐसा कोई संशोधन जब तक वैध तथा प्रवर्ती न होगा जब तक कि वह संशोधन इस अधिनियम के अधीन निबन्धित न हो जाय।

(2) उपविधियों को संशोधित करने का प्रस्ताव निबंधक के पास भेजा जायेगा और यदि निबंधक का यह समाधान हो जाय कि, प्रस्तावित संशोधन—

(i) अधिनियम की धारा 4 में निर्दिष्ट उद्देश्यों के प्रतिकूल नहीं है, तथा

¹[(ii) अधिनियम या नियमावली के अन्य उपबन्धों के प्रतिकूल नहीं है तो वह ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर संशोधन को निबन्धित करेगा। यदि निबन्धक एक माह के भीतर संशोधन को निबन्धित नहीं करता है तो यह मान लिया जायेगा कि उसने संशोधन को निबन्धित करने से मना कर दिया है और ऐसी दशा में निबन्धक के लिये यह बाध्यकारी होगा कि वह संशोधन निबन्धित न करने के कारणों से अगले एक माह के अन्दर समिति को संसूचित करे।]

(3) [* * * *]²

13—यदि यह अभिव्यक्त हो कि सहकारी समिति की उपविधियों का कोई संशोधन निबंधन के पश्चात् किसी विशेष दिनांक से प्रवर्ती होगा तो वह उसी दिनांक से प्रचलित होगा, किन्तु अन्य सब दशाओं में उक्त दिनांक से प्रचलित होगा जब वह निबन्धित हुआ हो।

उपविधियों के
संशोधन कब
प्रचलित होंगे

14—(1) यदि सहकारी समिति के किसी सदस्य के अभ्यावेदन पर या अन्यथा निबन्धक की यह राय हो कि सहकारी समिति की उपविधियों का संशोधन उक्त समिति के हित में, अथवा सार्वजनिक हित में, आवश्यक या वांछनीय है तो वह उन परिस्थितियों के अधीन जो नियत की जाये, रजिस्ट्री डाक द्वारा समिति की लिखित आदेश जारी करके, समिति से अपेक्षा कर सकता है कि वह उक्त संशोधन ऐसे समय के भीतर करे, जिसे वह आदेश में निर्दिष्ट करे।

उपविधियों में
संशोधन करने का
निर्देश देने का
अधिकार

(2) यदि समिति निर्दिष्ट समय के भीतर संशोधन न करे तो निबन्धक समिति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ³[* * *] ऐसे संशोधन को निर्दिष्ट कर सकता है तथा

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 47, 2007 की धारा 3 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 47, 2007 की धारा 3 (ख) द्वारा हटाया गया।

3. उ० प्र० अधिनियम सं० 1, 1972 की धारा 2 द्वारा निकाला गया।

society by registered post a copy of the amendment certified by him as a copy and such copy shall be conclusive evidence that the amendment has been duly made and registered.

**Amalgamation
and merger of
co-operative
societies**

15. (1) Any two or more co-operative societies may, after duly informing the Registrar, at their respective ordinary general meetings, called for the purpose, of which at least fifteen clear days' notice shall be given to their respective members, resolve, by a majority of at least two-thirds of the members present, to amalgamate into some society or to merge into any of them. The resolution (hereinafter called preliminary resolution) shall contain all particulars of amalgamation or merger, as the case may be, including the transfer of assets and liabilities to the new society in case of amalgamation and to the continuing society in case of merger and also the bye-laws of such a society.

¹[(2) Notwithstanding any other provision of this Act or of any bye-law of any society, notices of any meeting referred to in sub-section (1) or sub-section (4) shall be given to the members of the societies concerned, and copies of the preliminary resolution shall be served on the members and creditors of such societies in any one or more of the following manners, namely :—

(a) by delivery in person under acknowledgement in writing, or

(b) except in respect of any person who has acknowledged receipt in writing under clause (a), by post under certificate of posting at the address of each such person as noted in the society's records, and also by publication in a newspaper having circulation in the area of operation of the society.]

(3) (i) Any member of any such society may, notwithstanding any bye-law to the contrary, by notice to the society of which he is a member ²[within a period of thirty days from the date of receipt of the copy of the preliminary resolution under clause (a) of sub-section (2) or, as the case may be, from the date of its publication in a newspaper under clause (b) of that sub-section]² intimate his intention not to become a member of the new society in case of amalgamation, or to be a member of the continuing society in case of merger.

(ii) Any creditor of any such society may, notwithstanding any agreement to the contrary, by notice given to the society of which he is a creditor within the said period, intimate his intention to demand a return of the amount outstanding to his credit.

(4) After the expiry of ³[the period referred to in clause (i) of sub-section (3)] a joint meeting of the members of such societies of which at least fifteen clear days' notice shall be given to them, shall be convened for considering the preliminary resolution. If, at such meeting, the

1. [*Subs. by sec. 4 \(i\) of U. P. Act No. 12 of 1976.*](#)

2. *Subs. by sec. 4 (ii) ibid.*

3. [*Subs. by sec. 4 \(iii\) of U. P. Act No. 12 of 1976.*](#)

समिति को रजिस्ट्री डाक द्वारा संशोधन की एक प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित की गयी हो, भेज सकता है तथा उक्त प्रति इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगी कि संशोधन यथाविधि किया गया है और निबंधित कर दिया गया है।

15—(1) निबंधक को यथाविधि सूचित करने के पश्चात् कोई दो या अधिक सहकारी समितियां इस प्रयोजन के लिये बुलाई गई अपनी-अपनी साधारण सामान्य बैठक में, जिसके लिये उनके सदस्यों को कम से कम पूरे पन्द्रह दिन का नोटिस दिया जायगा उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो तिहाई के बहुमत से समिति में समामेलित (amalgamate) होने का या उनमें से किसी एक में विलीन होने का संकल्प कर सकती है। ऐसे संकल्प (जिसे आगे प्रारम्भिक संकल्प कहा गया है) में यथास्थिति, समामेलन या विलयन के समस्त ब्योरे होंगे जिनके अन्तर्गत समामेलन की दशा में नयी समिति को और विलयन की दशा में चालू रहने वाली समिति को उसकी परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों का संक्रमण और ऐसी समिति की उपविधियां भी हैं।

सहकारी समिति का
समामेलन और
विलयन

¹ [(2) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के या किसी समिति की किसी उपविधि के होते हुये भी, उपधारा (1) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी बैठक की नोटिस सम्बद्ध समितियों के सदस्यों और ऋणदाताओं पर निम्नलिखित किसी एक या अधिक रीति से तामील की जायगी, अर्थात् :—

(क) लिखित अभिस्वीकृति प्राप्त करके व्यक्तिगत तामील द्वारा ; या

(ख) जिस व्यक्ति ने खंड (क) के अधीन लिखित रूप में प्राप्ति अभिस्वीकार की हो उसका अपवाद करके, प्रत्येक व्यक्ति के पते पर, जैसा समिति के अभिलेख में उल्लिखित हो, प्रेषण प्रमाण-पत्र के अधीन डाक द्वारा और किसी ऐसे समाचार-पत्र में, जिसका समिति के किसी कार्यक्षेत्र में परिचालन हो, प्रकाशन द्वारा भी।]

(3) (1) ऐसी किसी समिति का कोई सदस्य इसके प्रतिकूल कोई उपविधि होने पर भी ² [उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से या यथास्थिति उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन किसी समाचार-पत्र में उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर] नोटिस द्वारा उस समिति को जिसका वह सदस्य हों, समामेलन की दशा में नई समिति का सदस्य न बनने अथवा विलयन की दशा में चालू रहने वाली समिति का सदस्य न होने या न रहने के अपने विचार की सूचना दे सकता है।

(2) ऐसी किसी समिति का कोई ऋणदाता इसके प्रतिकूल कोई अनुबंध होते हुए भी, उस समिति को, जिसका वह ऋणदाता हो, उक्त अवधि के भीतर नोटिस देकर अपनी शेष धनराशी वापस मांगने के अपने विचार की सूचना दे सकता है।

(4) ³ [उपधारा (3) के खण्ड (i) में निर्दिष्ट अवधि] के व्यतीत होने के पश्चात् उन समितियों के सदस्यों की संयुक्त बैठक, जिसके लिये उन्हें कम से कम पूरे पन्द्रह दिन का नोटिस दिया जायगा, प्रारम्भिक संकल्प पर विचार करने के लिये बुलाई जायगी। यदि उस

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 12, 1976 की धारा 4 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 4 (ii) द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उ० प्र० अधिनियम सं० 12, 1976 की धारा 4 (iii) द्वारा प्रतिस्थापित।

preliminary resolution is confirmed by a resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members present, either without changes as in the opinion of the Registrar, which shall be final, are not material, he may—

(i) in the case of amalgamation, subject to the provisions of sub-sections (5) and (6) and section 7, register the new society and the bye-laws thereof ; and

(ii) in the case of merger, give subject to the provisions of sub-sections (5) and (6), his sanction thereto.

Explanation—For the purposes of this sub-section, the term “members” shall include any delegates of members selected for the purpose in accordance with rules, made in this behalf.

(5) While confirming the preliminary resolution under sub-section (4), provision shall be made by another resolution for—

(i) the repayment, subject to the provision of section 41, of the share capital of all the members who have given notice under clause (i) of sub-section (3), and

(ii) the satisfaction of the claims of all the creditors who have given notice under clause (ii) of sub-section (3).

(6) If within such time as the Registrar considers reasonable, the share capital of the members referred to in sub-section (5) is not repaid or the claims of the creditors referred to in that sub-section are not satisfied, the Registrar may refuse to register the new society or to sanction the merger, as the case may be.

(7) The registration of a new society or the sanction of merger under sub-section (4) shall be a sufficient conveyance to vest in the new society in the case of amalgamation and in the continuing society in the case of merger, all the assets and liabilities of the amalgamated societies or merged society or societies, as the case may be anything contained in any other law for the time being in force to the contrary notwithstanding; and on such registration of a new society or sanction of merger, as the case may be, the registration of the amalgamated societies or of the society or societies which has or have merged into another society, shall be deemed to have been cancelled.

**Division of
co-operative
society**

16. (1) Any co-operative society may, after duly informing the Registrar, at a general meeting called for the purpose of which at least fifteen clear days’ notice shall be given to its members resolve to divide itself into two or more societies. The resolution (hereinafter in this section referred to as the preliminary resolution) shall contain proposals for the division of the assets and liabilities of the society among the new societies into which it is proposed to divide it and may prescribe the area of operation of and specify the members who will constitute each of the new societies.

बैठक में प्रारम्भिक संकल्प की पुष्टि परिवर्तनों के बिना अथवा ऐसे परिवर्तनों के साथ जो निबंधक की राय में (जो अन्तिम होगी) महत्वपूर्ण न हों, उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो तिहाई के बहुमत के पारित संकल्प द्वारा कर दी जाय तो वह—

(1) समामेलन की दशा में उपधारा (5) तथा (6) और धारा 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुये, नई समिति और उसके उपविधियों को निबंधित करेगा ; तथा

(2) विलयन की दशा में उपधारा (5) तथा (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुये उस पर अपनी स्वीकृति देगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये पद “सदस्यों” के अन्तर्गत सदस्यों के ऐसे प्रतिनिधि (delegates) भी होंगे जो तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुसार इस प्रयोजन के लिये चुने गये हों।

(5) उपधारा (4) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की पुष्टि करते समय अन्य संकल्प द्वारा निम्नलिखित के लिये व्यवस्था की जायेगी :

(1) धारा 41 के उपबंधों के अधीन रहते हुये उन समस्त सदस्यों की अंश पूंजी का प्रतिदान जिन्होंने उपधारा (3) के खण्ड (1) के अधीन नोटिस दिया हो ; और

(2) उन सभी ऋणदाताओं के दावों की पूर्ति जिन्होंने उपधारा (3) के खंड (2) के अधीन नोटिस दिया हो।

(6) यदि ऐसे समय के भीतर, जिसे निबन्धक उचित समझे, उपधारा (5) में अभिदिष्ट सदस्यों की अंश पूंजी का प्रतिदान, अथवा उस उपधारा में अभिदिष्ट ऋणदाताओं के दावों की पूर्ति नहीं की जाती है, तो निबन्धक नई समिति को, यथास्थिति निबंधित करने से या विलीन करने की स्वीकृति देने से इन्कार कर सकता है।

(7) उपधारा (4) के अधीन नई समिति के निबन्धन अथवा विलयन की स्वीकृति यथास्थिति समामेलित समितियों अथवा विलीन समिति या समितियों की समस्त परिसंपत्तियों अथवा दायित्वों के सम्मेलन की दशा में नई समिति में तथा विलयन की दशा में चालू रहने वाली समिति में निहित होने के लिये पर्याप्त हस्तान्तरण होगा, भले ही तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में इसके विपरीत कोई बात हो और यथास्थिति, नई समिति के इस प्रकार निबन्धित किये जाने या विलीन करने की स्वीकृति दिये जाने पर, समामेलित समितियों या उन समिति अथवा उन समितियों का, जिसे या जिन्हें अन्य समिति में विलीन कर दिया हों, निबंधन रद्द कर दिया गया समझा जायेगा।

16—(1) कोई सहकारी समिति निबन्धक का यथाविधि सूचित करने के पश्चात किसी ऐसी सामान्य बैठक में, जो इस प्रयोजन के लिये बुलाई गई हो और जिसके लिये कम से कम पूरे पन्द्रह दिन का नोटिस उसके सदस्यों को दिया जायगा, अपने को दो या अधिक समितियों में विभाजित करने का संकल्प कर सकती है। इस संकल्प में (जिसे आगे इस धारा में “प्रारम्भिक संकल्प” कहा गया है) समिति का परिसंपत्तियों और दायित्वों के उन नई समितियों में विभाजित करने का प्रस्ताव समाविष्ट होंगे जिनमें उसे विभाजित करने का प्रस्ताव हों, और उसमें प्रत्येक नई समिति का कार्य-क्षेत्र नियत किया जा सकता हो और उसे संघटित करने वाले सदस्यों को भी निर्दिष्ट किया जा सकता है।

**सहकारी समितियों
का विभाजन**

¹[(2) Notwithstanding any other provision of this Act or of any bye-law of such society, notices of any meeting referred to in this section shall be given to the members of the society and a copy of the preliminary resolution shall be served on the members and creditors of the society in any one or more of the manners specified in sub-section (2) of section 15 which shall mutatis mutandis apply.]

(3) (i) Any member of the society may, notwithstanding any bye-law to the contrary, by notice given to the society ²[within a period of thirty days from the date of receipt of a copy of the preliminary resolution under clause (a) of sub-section (2) of section 15 as applicable by virtue of sub-section (2) of this section, or, as the case may be, from the date of its publication in a newspaper under clause (b) thereof] intimate his intention not to become a member of any of the new societies.

(ii) Any creditor of the society may, notwithstanding any agreement to the contrary, by notice given to the society within the said period, intimate his intention to demand a return of the amount outstanding to his credit.

(4) After expiry of ³[the period referred to in clause (i) of sub-section (3)] a general meeting of which at least fifteen clear days' notice shall be given to its members, shall be convened for considering the preliminary resolution. If at such meeting the preliminary resolution is confirmed by a resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members present either without changes or with such changes as in the opinion of the Registrar, which shall be final, are not material, he may, subject to the provisions of sub-section (5) and (6) and section 7, register the new societies and the bye-laws thereof. On such registration, the registration of the old society shall be deemed such registration, the registration of the old society shall be deemed to have been cancelled.

(5) While confirming the preliminary resolution under sub-section (4), provision shall be made by another resolution for—

(i) the repayment, subject to the provisions of section 41, of the share capital of all the members who have given notice under clause (i) of sub-section (3); and

(ii) the satisfaction of the claims of all the creditors who have given notice under clause (ii) of sub-section (3).

(6) If, within such time as the Registrar considers reasonable, the share capital of the members referred to in sub-section (5) is not repaid or the claims of the creditors referred to in that sub-section are not satisfied, the Registrar may refuse to register the new societies.

1. *Subs. by sec. 5 (i) of U. P. Act No. 12 of 1976.*

2. *Subs. by sec. 5 (ii) ibid.*

3. *Subs. by sec. 5 (iii) ibid.*

¹ [(2) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के या किसी समिति की किसी उपविधि के होते हुये भी, इस धारा से निर्दिष्ट किसी बैठक की नोटिस समिति के सदस्यों को दी जायेगी और प्रारम्भिक संकल्प की एक प्रति समिति के सदस्यों और ऋणदाताओं पर धारा 15 की उपधारा (2) में, जो आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक रीति से तामील की जायेगी।]

(3)–(1) समिति का कोई सदस्य इसके प्रतिकूल किसी उपविधि के होते हुये भी ²[धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन जैसा कि वह इस धारा की उपधारा (2) के आधार पर लागू किया जाय, प्रारम्भिक संकल्प की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से या यथास्थिति उसके खण्ड (ख) के अधीन कियी समाचार-पत्र में उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर] समिति को नोटिस द्वारा किसी भी नई समिति का सदस्य न बनने के लिये अपने विचार की सूचना दे सकता है।

(2) समिति का कोई ऋणदाता, इसके प्रतिकूल किसी अनुबंध के होते हुये भी उक्त अवधि के भीतर समिति को नोटिस देकर अपनी शेष धनराशी वापस मांगने के अपने विचार की सूचना दे सकता है।

(4) ³[उपधारा (3) के खंड (i) में विनिर्दिष्ट अवधि के] व्यतीत होने के पश्चात् प्रारम्भिक संकल्प पर विचार करने के लिये एक सामान्य बैठक बुलाई जायेगी, जिसके लिये उसके सदस्यों को कम से कम पूरे पन्द्रह दिन का नोटिस दिया जायगा। यदि उस बैठक में प्रारम्भिक संकल्प की पुष्टि परिवर्तनों के बिना अथवा ऐसे परिवर्तनों के साथ जो निबन्धक की राय में (जो अन्तिम होगी) महत्वपूर्ण न हों उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो तिहाई के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कर दी जाय, तो वह उपधारा (5) तथा (6) और धारा 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुये, नई समितियों और उसकी उपविधियों को निबन्धित करेंगा इस निबन्धन के पश्चात् पुरानी समिति का निबन्धन रद्द कर दिया गया समभवत् जायेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की पुष्टि करते समय दूसरे संकल्प द्वारा निम्नलिखित के लिये व्यवस्था की जायेगी—

(1) धारा 41 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, उन समस्त सदस्यों को अंशपुंजी का प्रतिदान जिन्होंने उपधारा (3) के खण्ड (1) के अधीन नोटिस दिया हो, और

(2) उन सभी ऋणदाताओं के दावों की पूर्ति जिन्होंने उपधारा (3) के खंड (2) के अधीन नोटिस दिया हो।

(6) यदि ऐसे समय के भीतर जो निबन्धक उचित समझे उपधारा (5) में अभिदिष्ट सदस्यों की अंश-पूंजी का प्रतिदान अथवा उस उपधारा में अभिदिष्ट ऋणदाताओं के दावों की पूर्ति नहीं की जाती है तो निबन्धक नयी समितियों को निबन्धित करने से इन्कार कर सकता है।

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 12, 1976 की धारा 5 (i) द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 5 (ii) द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उपर्युक्त की धारा 5 (iii) द्वारा प्रतिस्थापित।

(7) Notwithstanding anything in any other law for the time being in force, the registration of the new societies shall be a sufficient conveyance to vest the assets and liabilities of the original society in the new societies in the manner specified in the preliminary resolution as confirmed under sub-section (4).

CHAPTER –III

Members of Co-operative Societies and Their Right And Liabilities

Persons who may be members of a co-operative society

17. (1) No person shall be a member of a co-operative society except the following, namely—

(a) an individual who except as provided in sub-section (4) of section 18, section 80 and sub-section (2) of section 81, is of the age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject ;

(b) any other co-operative society ;

(c) the State Government ;

(d) the Central Government ;

(e) the State Warehousing Corporation established or deemed to be established under the Warehousing Corporations Act, 1962.

¹[(ee) a firm registered under the Indian Partnership Act, 1932.]

(f) a body corporate not covered by any other clause and approved by the Registrar, for ordinary or nominal membership of co-operative societies in general or any particular co-operative society or class of co-operative societies on the ground of its being useful in the development of such societies, society or class of societies.

²[(g) any association or body of persons whether incorporated or not ;

Provided that a student, who has not attained the age of majority according to the law to which he is subject, shall be eligible for the membership of a co-operative society formed in an educational institution to which he belongs.]

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) a joint stock company or an individual shall not be admitted as an ordinary member in such co-operative society or societies or class of co-operative society as may be prescribed.

Classes of members

18. (1) A co-operative society may, in addition to ordinary members, have the following kinds of members—

(a) sympathizer members ;

(b) nominal members ;

1. Ins. by sec. 2 of U.P. Act no. 5 of 1987.

2. Ins. by sec. 2 of U. P. Act no. 30 of 2000.

(7) तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, नयी समितियों का निबन्धन मूल समिति की समस्त परिसम्पत्तियों और दायित्वों का नयी समितियों में, उपधारा (4) के अधीन पुष्टिकृत प्रारम्भिक संकल्प में निर्दिष्ट रीति से निहित होने के लिये पर्याप्त हस्तान्तरण होगा।

अध्याय-3

सहकारी समितियों के सदस्य और उनके अधिकार तथा दायित्व

17—(1) निम्नलिखित के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य न होगा, अर्थात्—

सहकारी समिति के कौन व्यक्ति सदस्य हो सकते हैं

(क) धारा 18 की उपधारा (4), धारा 80 तथा धारा 81 की उपधारा (2) में की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये कोई व्यक्ति जो अपने पर प्रवृत्त विधि के अनुसार संविदा करने के लिये अनर्हित न हो ;

(ख) कोई अन्य सहकारी समिति ;

(ग) राज्य सरकार ;

(घ) केन्द्रीय सरकार ;

(ङ) वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, 1962 के अधीन स्थापित या स्थापित किया गया समझा जाने वाला राज्य गोदाम निगम (वेयर हाउसिंग कारपोरेशन) ;

1[(डड) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म;]

(च) कोई निगमित निकाय, जो किसी अन्य खंड के अन्तर्गत न आता हो अथवा निबन्धक ने सामान्य रूप से सहकारी समितियों की या किसी विशेष समिति अथवा समितियों के वर्ग की नाम-मात्र या साधारण सदस्यता के लिये इस आधार पर अनुमोदित किया हो कि वह ऐसी समितियों के अथवा ऐसी समिति अथवा समितियों के वर्ग के विकास के लिये उपयोग है।

2[(छ) कोई संगम या व्यक्तियों का निकाय चाहे वह निगमित हो या न हो;

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई छात्र, जिसने उस विधि के अनुसार जिसके वह मध्यधीन है, वयस्कता की आयु प्राप्त न की हो, किसी ऐसी शिक्षण संस्था, जिसका वह छात्र हो, बनाई गई किसी सहकारी समिति की सदस्यता के लिए पात्र होगा।]

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी संयुक्त स्कन्ध समवाय (Joint stock company) या व्यक्ति ऐसी सहकारी समिति या समितियों अथवा समितियों के वर्ग में, जो नियत किया जाय, साधारण सदस्य नहीं बनाया जायगा।

18—(1) सहकारी समिति में, साधारण सदस्यों के अतिरिक्त, निम्नलिखित प्रकार के सदस्यों के वर्ग सदस्य हो सकते हैं :—

(क) सहानुभूतिकर सदस्य ;

(ख) नाममात्र सदस्य ;

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 5, 1987 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 30, 2000 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

(c) associate members.

(2) (a) A person may be admitted as a sympathizer member if he is genuinely interested in the promotion of the object of the society or in the welfare of the member workers.

(b) The number of sympathizer members in a society shall at no time exceed five percent of the total number of ordinary members and the number of sympathizer members on the committee of management shall neither exceed two nor ten percent of their total membership in the society nor even one-fifth of the total number of members on the committee of management.

(3) (a) A person with whom the co-operative society has or proposes to have business dealings may be admitted as a nominal member.

(b) A nominal member shall have no right to share in the profits of the society nor shall be eligible for the membership of the committee of management.

(4) (a) Any individual including a minor who is a seasonal or temporary worker or apprentice in the business of the society or who is otherwise interested in such business may be admitted as an associate member.

(b) An associate member shall not be eligible for the membership of the committee of management nor have a right to share in the profits otherwise than as wages and bonus.

(5) Save as provided in this section or elsewhere in this Act, a nominal or associate or sympathizer member shall have such privileges and rights of a member and be subject to such liabilities of a member, as may be specified in the bye-laws of the society, or the rules.

Member not to exercise right till due payment made

19. No member of a co-operative society shall exercise the rights of a member unless he has made such payment to the society in respect of membership or has acquired such interest in the society as may be specified in the rules or the bye-laws of the society.

Vote of members

20. A member of a co-operative society shall, notwithstanding the quantum of his interest in the capital of the society, have one vote in the affairs of the society.

Provided that—

(a) no nominal or associate member shall have the right of vote ;

¹[(aa) a member shall have no right of vote if—

(i) he is defaulter and has been a defaulter for a period of not less than six months ; or

(ii) he is a delegate of a society which is such defaulter as is referred to in sub-section (i).

(iii) ²[* * * *]

1. Ins. by sec. 6 of U. P. Act no. 12 of 1976.

2. Omit. by sec. 2 (a) of U. P. Act No. 3 of 2008. [Inserted by sec. 4 of U.P. Act No. 47 of 2007]

(ग) सम्बद्ध सदस्य।

(2) (क) कोई व्यक्ति जो समिति के उद्देश्य की पूर्ति तथा सदस्य कार्य-कर्ताओं के कल्याण में वास्तविक अभिरुचि रखता हो सहानुभूतिकर सदस्य बनाया जा सकता है।

(ख) समिति में सहानुभूतिकर सदस्यों की संख्या, किसी भी समय, साधारण सदस्यों की कुल संख्या के पांच प्रतिशत से अधिक न होगी और प्रबंध कमेटी में सहानुभूतिकर सदस्यों की संख्या न तो दो से अधिक होगी और न सहकारी समिति के सहानुभूतिकर सदस्यों की संख्या के दस प्रतिशत से अधिक होगी, और न प्रबंध कमेटी के सदस्यों की कुल संख्या के पांचवें भाग से ही अधिक होगी।

(3) (क) वह व्यक्ति जिसके साथ सहकारी समिति कारोबार करती हो या कारोबार करने का विचार रखती हो, नाममात्र सदस्य बनाया जा सकता है।

(ख) नाममात्र सदस्य को समिति के लाभ में कोई हिस्सा पाने का अधिकार न होगा और न वह प्रबंध कमेटी की सदस्यता के लिये पात्र होगा।

(4) (क) कोई व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत अवयस्क भी है, जो समिति के कारोबार में मौसमी या अस्थायी कर्मचारी अथवा शिक्षित हो या उस कारोबार में अन्य रूप से हित रखता हो, सम्बद्ध सदस्य बनाया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध सदस्य प्रबंध कमेटी की सदस्यता के लिये पात्र न होगा और न मजदूरी तथा बोनस के अतिरिक्त लाभों में हिस्सा पाने का ही उसे अधिकार होगा।

(5) इस धारा में या इस अधिनियम में अन्यत्र की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये, नाम मात्र अथवा सम्बद्ध या सहानुभूतिकर सदस्य को सदस्य के ऐसे विशेषाधिकार और अधिकार प्राप्त होंगे और वह सदस्य के ऐसे दायित्वों का भागी होगा जो समिति की उपविधियों या नियमों में निर्दिष्ट किये जाये।

19-सहकारी समिति का कोई भी सदस्य, सदस्य के अधिकारों का प्रयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने सदस्यता के सम्बन्ध में समिति को उस धनराशि का भुगतान न कर दिया हो अथवा उसने समिति में ऐसा हित अर्जित न कर लिया हो जो समिति की उपविधियों में निर्दिष्ट हों।

सदस्य उस समय तक अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा जब तक कि देय का भुगतान न कर दिया जाय

20-सहकारी समिति के सदस्य को चाहे समिति की पूंजी में उसके हित की मात्रा कितनी ही क्यों न हो, समिति के प्रशासन में एक मत (वोट) प्राप्त होगा ;

सदस्यों के मत

प्रतिबन्ध यह कि :-

(क) नाममात्र अथवा सम्बद्ध सदस्य को मतदान का अधिकार न होगा ;

¹[(कक) किसी सदस्य को मतदान का अधिकार न होगा, यदि -

(i) वह बाकिदार है और कम से कम छः मास की अवधिपर्यन्त बाकिदार रहा है ; या

(ii) यह ऐसी बाकिदार समिति का, जैसा कि उप खण्ड (i) में निर्दिष्ट है, प्रतिनिधि है।

(iii) [* * * *] ²

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 12, 1976 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 3, 2008 की धारा 2 (क) द्वारा हटाया गया। (धारा 4, उ०प्र० अधिनियम संख्या 47, 2007 से बढ़ाया गया था)

Explanation ¹ I—For the purpose of this clause, the word “defaulter” means :—

- (i) a member (whether individual or body corporate) who has failed to pay any dues of the society concerned on the due date ; or
- (ii) a member co-operative society which has failed to pay not less than 75 percent of the total dues on the due date.]

²[**Explanation II**— In the case of a transaction between a society and its members where there is no document evidencing the transaction in which the due date is specified the expression due date, for the purposes of the proceeding explanation shall mean the date of expiration of six months from the date of transaction.

Explanation III— A member shall cease to be treated as defaulter if he pays the sum for non-payment of which such member became defaulter—

- (i) in the case of an election, in or before the date fixed under the rules for deciding objections against the provisional voters list ;
- (ii) in any other case, before the commencement of the meeting ;]

³[(aaa) A person who becomes member of a Primary Co-operative Credit Society for making deposit only and has not done any credit business with the society, he shall have right to vote if he has maintained a deposit of at least rupees one thousand in the society for a period of two years preceding the date fixed for publication of the provisional voter list.]

(b) where a co-operative society, the State Warehousing Corporation or a body corporate is a member of such society, each delegate of such co-operative society, State Warehousing Corporation or body corporate, appointed ⁴[in the prescribed manner] to the general body of such society shall have one vote ;

(c) where the State Government or the Central Government is a member of such society, each person nominated according to the bye-laws by the State Government or the Central Government on the committee of management or the general body of the co-operative society shall have one vote ; and

(d) the rules or the bye-laws may provide for a group of members or any class of members partaking in the affairs of the society through a delegate or delegates, each delegate having one vote.

**Manner of
exercising
vote**

21. Every individual member, every delegate and every nominee shall exercise his vote in the affairs of a co-operative society in person and no member, delegate or nominee shall be permitted to vote by proxy.

¹. Renumbered by Sec. 2 of U. P. Act No. 17 of 1977.
². Ins. by sec. 2 of U. P. Act no. 17 of 1977.
³. Ins. by sec. 2 (b) of U. P. Act no. 3 of 2008.
⁴. Subs. by sec. 2 *ibid*.

1स्पष्टीकरण—एक इस खण्ड के प्रयोजनार्थ शब्द “बाकीदार” का तात्पर्य—

(i) ऐसे सदस्य से है (चाहे वह कोई व्यक्ति हो या निगमित निकाय हो) जिसने सम्बद्ध समिति के किसी देय का भुगतान देय दिनांक को न किया हो ; या

(ii) ऐसे सदस्य सहकारी समिति से हैं जिसने देय दिनांक को कुल देयों के कम से कम 75 प्रतिशत का भुगतान न किया हो।]

2[स्पष्टीकरण—दो]—समिति और उसके सदस्य के बीच किसी संव्यवहार की स्थिति में, यदि ऐसे संव्यवहार के साक्ष्य में कोई ऐसा, दस्तावेज न हो जिसमें देय दिनांक विनिर्दिष्ट हो, तो पूर्ववर्ती स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ पद “देय दिनांक” का तात्पर्य संव्यवहार के दिनांक से छः मास की समाप्ति का दिनांक होगा ।

स्पष्टीकरण—तीन—किसी सदस्य को बाकीदार नहीं समझा जायेगा यदि वह उस धनराशि का, जिसका भुगतान न करने के कारण वह बाकीदार हुआ हो—

(एक) निर्वाचन की दशा में, अस्थायी मतदाता सूची के विरुद्ध आपत्तियों पर निर्णय देने के लिये नियमावली के अधीन निर्धारित दिनांक को या उसके पूर्व,

(दो) किसी अन्य दशा में, बैठक प्रारम्भ होने के पूर्व, भुगतान कर दे ;]

3 [(ककक) किसी व्यक्ति को, जो केवल जमा करने के लिए किसी प्रारम्भिक सहकारी ऋण समिति का सदस्य बनता है और उसने समिति से कोई ऋण व्यवसाय नहीं किया है, मतदान का अधिकार तभी होगा यदि उसने अनन्तिम मतदाता सूची के प्रकाशन के लिये नियत दिनांक से पूर्ववर्ती दो वर्षों की अवधि के लिये समिति में कम से कम एक हजार रुपये जमा धनराशी अनुरक्षित किया हो।]

(ख) यदि कोई सहकारी समिति, राज्य गोदाम निगम स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन अथवा निगमित संस्था ऐसी समिति की सदस्य हो, तो ऐसी सहकारी समिति, राज्य गोदाम निगम या निगमित संस्था के ऐसे प्रत्येक प्रतिनिधि को, जो ⁴[नियत रीति से] ऐसी समिति के सामान्य निकाय में नियुक्त किया गया हों, एक मत प्राप्त होगा ;

(ग) यदि राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार ऐसी समिति की सदस्य हो तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो उपविधियों के अनुसार राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी या सामान्य निकाय में नामनिर्दिष्ट किया गया हो, एक मत प्राप्त होगा ; और

(घ) नियमों या उपविधियों द्वारा व्यवस्था की जा सकती है कि सदस्यों का कोई समुदाय या वर्ग समिति के कार्यों में प्रतिनिधि अथवा प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग ले और प्रत्येक प्रतिनिधि को एक मत प्राप्त हो।

21—प्रत्येक व्यक्ति विशेष सदस्य, प्रत्येक प्रतिनिधि तथा प्रत्येक नाम निर्दिष्ट व्यक्ति सहकारी समिति के प्रशासन में स्वयं मतदान करेगा और किसी भी सदस्य, प्रतिनिधि अथवा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को दूसरे के माध्यम से मतदान करने की आज्ञा नहीं दी जायेगी। **मतदान की रीति**

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 1977 की धारा 2 द्वारा पुनः संख्यांकित।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 1977 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

3. उ० प्र० अधिनियम सं० 3, 2008 की धारा 2 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।

4. उपर्युक्त की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

**Restriction
on holding of
shares**

22. A member who is an individual shall —

(a) neither hold more than such portion of the total share capital of the society nor exceeding one-fifth thereof, as may be prescribed,

(b) nor have or claim any interest in the shares of the society exceeding ¹[such amount as may be prescribed] in nominal value.

**Restrictions
on transfers
of shares of
interest**

23. (1) The transfer of a share or interest of a member in the capital of a co-operative society shall be subject to such conditions and restrictions as to the maximum holding as are specified in section 22.

(2) No transfer by a member of his share or interest in the capital of a co-operative society shall be valid unless—

(a) the member has held such share or interest for not less than one year ;

(b) the transfer is made to the society or a member of the society;
or

(c) the transfer is approved by the committee of management of the society ;

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) a co-operative society may, subject to such conditions as may be prescribed permit the transfer of, acquire or retain the share or interest of any member in the capital of the society.

**Transfer of
interest on
death of
members**

24. (1) On the death of a member of a co-operative society, the society shall transfer the share or interest of the deceased member to the person or persons nominated in the manner prescribed, or if no person has been so nominated, to such person as may appear to the committee of management to be the heir or legal representative of the deceased member ;

Provided that no such transfer shall be made unless such nominee, heir or legal representative, as the case may be, is admitted as a member of the society ;

Provided further that if any dispute arises whether any person is the heir or legal representative of the deceased member, it shall be referred to the Registrar who shall thereupon refer it for arbitration under section 71 and such society shall treat for the purposes of this section the person so determined in the arbitration proceedings as the heir or legal representative of the deceased member.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), any such nominee, heir or legal representative, as the case may be, may require the society to pay to him the value of the share or interest of the member ascertained in the manner prescribed and the society deceased shall pay the amount due within three months from the expiry of the period provided in section 25 for the continuance of liability.

[1. Subs. by sec. 3 of U. P. Act No. 1 of 1972.](#)

22—व्यक्ति विशेष सदस्य—अंशधारण करने पर
निर्बन्धन

(क) न तो समिति की कुल अंश-पूँजी के ऐसे भाग से, जो उसके 1/5 से अधिक न हो और जो नियत किया जाय, अधिक धारित करेगा, और

(ख) न 1[ऐसी धनराशि से जो नियत की जाय] अधिक अंकित मूल्य के अंशों में कोई हित रखेगा और न उनमें किसी हित का दावा करेगा।

23—(1) किसी सहकारी समिति की पूँजी में किसी सदस्य के अंश या हित का अंश या हित के संक्रमण धारा 22 में निर्दिष्ट अधिकतम सीमा सम्बन्धी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन होगा।

अंश या हित के
संक्रमण पर
निर्बन्धन

(2) किसी सदस्य द्वारा किसी सहकारी समिति की पूँजी में अपने अंश या हित कर संक्रमण वैध न होगा, यदि —

(क) सदस्य ने वह अंश या हित कम से कम एक वर्ष तक धारित न किया हो ;

(ख) संक्रमण, समिति या समिति के किसी सदस्य के पक्ष में न किया गया हो; या

(ग) संक्रमण का अनुमोदन समिति की प्रबन्ध कमेटी द्वारा न किया गया हो;

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुये भी, सहकारी समिति, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जाय, समिति की पूँजी में किसी सदस्य के अंश या हित का संक्रमण, अर्जन अथवा उसे वापस करने की अनुज्ञा दे सकती है।

24—(1) सहकारी समिति के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर समिति मृत सदस्य के अंश या हित का संक्रमण उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को करेगी जो नियत रीति से नाम—निर्दिष्ट किये गये हों, अथवा यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार नाम—निर्दिष्ट न किया गया हो तो ऐसे व्यक्ति को करेगी जो प्रबंध कमेटी को मूल सदस्य का दायद अथवा विधिक प्रतिनिधि प्रतीत हो ;

किसी सदस्य की
मृत्यु होने पर हित
का संक्रमण

प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी ऐसा संक्रमण तब तक न किया जायगा जब तक कि, यथास्थिति ऐसा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, दायद अथवा विधिक प्रतिनिधि, समिति का सदस्य न बना लिया जाय ;

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि यह विवाद उठे कि कोई व्यक्ति मृत सदस्य का दायद या विधिक प्रतिनिधि है अथवा नहीं तो वह निबन्धक को अभिदिष्ट किया जायगा जो तदुपरान्त उसे धारा 71 के अधीन मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजेगा, और सहकारी समिति इस धारा के प्रयोजनों के लिये, मध्यस्थ निर्णय की कार्यवाहियों में इस प्रकार अवधारित व्यक्ति को मृत सदस्य का दायद या विधिक प्रतिनिधि मानेगी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, यथास्थिति, कोई ऐसा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति दायद अथवा विधिक प्रतिनिधि समिति से इस बात की अपेक्षा कर सकता है कि उसे मृत सदस्य के अंश या हित के मूल्य का, जो नियत रीति से निर्धारित किया गया हो, भुगतान करे और समिति दायित्व के बने रहने के लिये धारा 25 में व्यवस्थित अवधि के व्यतीत हो जाने के तीन माह के भीतर देय राशि का भुगतान कर देगी।

(3) A co-operative society shall pay all other money which may be found due to the deceased member from the society to such nominee, heir or legal representative, as the case may be.

(4) All transfers and payments made by a co-operative society in accordance with the provisions of this section shall be valid and effectual against any demand made upon the society by any other person ;

Provided that nothing herein shall affect the right of the rightful heir or legal representative to make any claim against the persons to whom any transfer or payment has been made under this section.

(5) Nothing contained in sub-section (2) and (3) shall prejudice the right of society under this Act to realize its outstanding claims against the deceased member out of the value of share or interest of, or other moneys due to, the deceased member.

Liability of past member and estate of deceased member

25. (1) Subject to the provisions of sub-section (2) the liability of a past member or of the estate of a deceased member of a co-operative society for the debts of the society as they existed—

(a) in the case of a past member, on the date on which he ceased to be a member ; and

(b) in the case of a deceased member, on the date of his death shall continue for a period of two years from such date.

(2) Where a co-operative society is ordered to be wound up under section 72 the liability of a past member or of the estate of a deceased member who ceased to be a member or died within two years immediately preceding the date of the order of winding up, shall continue until the entire winding up proceedings are completed, but such liability shall extend only to the debts of the society as they existed on the date of his ceasing to be a member or death, as the case may be.

Admission to and withdrawal from membership

26. (1) A person may be admitted as a member of co-operative society subject to the provisions of this Act, the rules and the bye-laws.

(2) Where a person may be admitted as a member of co-operative society, the decision refusing admission shall be communicated by the society to that person within seven days of the date of the decision.

(3) A member of a co-operative society, if he is not in debt to the society or is not a surety for any unpaid debt, may withdraw from the membership of the society after giving at least one month's notice to the society provided that he has put in such minimum period of membership, if any, as may be laid down in the bye-laws of the society which may also provide for a longer period of notice not exceeding six months. After the expiry of the period of notice of withdrawal he shall be deemed to have withdrawn and after the expiry of the period specified under section 25, he shall be entitled to re-payment of his dues outstanding against the society in respect of his shares as ascertained in the manner prescribed.

(3) सहकारी समिति ऐसी अन्य समस्त धनराशियों का भुगतान, जो समिति द्वारा मृत सदस्य को देय पायी जाये, यथास्थिति, नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, दाय्याद अथवा विधिक प्रतिनिधि को करेगी।

(4) इस धारा के उपबन्धों के अनुसार सहकारी समिति द्वारा किये गये सम्पूर्ण संक्रमण और भुगतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा समिति से कि गयी किसी मांग के विरुद्ध भी वैध और प्रभावशाली होंगे ;

प्रतिबन्ध यह है कि यहां की हुई किसी बात का अधिकार—सम्पन्न दाय्याद अथवा विधि के प्रतिनिधि के ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई दावा प्रस्तुत करने के अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसे इस धारा के अधीन कोई संकल्प या भुगतान किया गया हो।

(5) उपधारा (2) और (3) की किसी बात का इस अधिनियम के अधीन समिति के मृत सदस्यों के विरुद्ध अपने अवशिष्ट दावों को मृत सदस्य को देय अंश अथवा हित के मूल्य या अन्य धनराशियों से वसूल करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।

25—(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी सहकारी समिति के ऐसे किसी भूतपूर्व सदस्य का, अथवा किसी मृत की सम्प्रदा का, समिति के ऋणों के लिये दायित्व जो —

भूतपूर्व सदस्य का
और मृत सदस्य की
सम्प्रदा का दायित्व

(क) किसी भूतपूर्व सदस्य की दशा में, उस दिनांक को, जब वह सदस्य ही रह न गया हो ; और

(ख) किसी मृत सदस्य की दशा में, उसकी मृत्यु के दिनांक को, विद्यमान थे ; उस दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिये बना रहेगा।

(2) यदि धारा 72 के अधीन किसी सहकारी समिति के समापन का आदेश दिया जाये, तो ऐसे भूतपूर्व सदस्य का या ऐसे मृत सदस्य की सम्प्रदा का दायित्व जो समापन आदेश के दिनांक के पूर्व दो वर्षों के भीतर, यथास्थिति सदस्य न रह गया हो या मर गया हो, उस समय तक बना रहेगा जब तक कि समापन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही पूरी न हो जाये, किन्तु ऐसा दायित्व समिति के केवल उन ऋणों के सम्बन्ध में होगा जो, यथास्थिति, उसके सदस्य न रह जाने या मृत्यु हो जाने के दिनांक को विद्यमान थे।

26—(1) इस अधिनियम, नियम तथा उप-विधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी व्यक्ति को सहकारी समिति का सदस्य बनाया जा सकता है।

सदस्य बनाना
अथवा सदस्यता
छोड़ना

(2) यदि किसी व्यक्ति को किसी सहकारी समिति का सदस्य बनाना अस्वीकार कर दिया जाये तो अस्वीकार करने के निर्णय की संसूचना समिति द्वारा उस व्यक्ति को निर्णय के दिनांक से सात दिन के भीतर दे दी जायेगी।

(3) सहकारी समिति का कोई सदस्य, यदि वह समिति का ऋणी न हो या किसी अदत्त ऋण का प्रतिभू न हो, समिति को कम से कम एक मास का नोटिस देने के बाद समिति की सदस्यता छोड़ सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह कम से कम इतनी न्यूनतम अवधि तक, यदि कोई हो, सदस्य रहा हो जो समिति की उपविधियों में निर्धारित की जाये और जिनमें छः महीने तक की अवधि के नोटिस की भी व्यवस्था की जा सकती है, सदस्यता छोड़ देने के नोटिस की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् उसके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसने सदस्यता छोड़ दी है, और धारा 25 में निर्दिष्ट अवधि के व्यतीत हो जाने पर, वह अपने अंशों के सम्बन्ध में जो नियत रीति से सुनिश्चित किये गये हों, समिति द्वारा उसे दिये धनराशियों की वापसी का हकदार होगा।

Universal membership for primary agricultural societies

¹ **[26-A.** (1) any individual who qualified for admission to membership under the provision of this Act, the rules and the bye-laws and makes an application in the manner prescribed, for membership of a primary agricultural credit society shall be deemed to have been admitted to the membership of such society from the date of receipt of such application in the office of the society.

(2) If at any time after the date of admission of the individual under sub-section (1), it is discovered that the individual concerned is not qualified, under this Act, the rules or the bye-laws, to become a member of such society, the Registrar may, notwithstanding anything contained in this Act, either *suo-moto* or on the application of the concerned society within a period of three months from the date of such discovery give notice to such individual to show cause why he should not be removed from the membership of the society, and upon an order of the Registrar made in this behalf such individual shall, from the date of the order, cease to be member of such society.]

Removal or expulsion of member by a society or the Registrar

27. (1) A co-operative society may, by resolution, remove or expel a person from its membership in accordance with such procedure and for such causes and within such period as may be prescribed.

(2) The Registrar may also remove or expel a person from the membership of a co-operative society—

(a) if the person has ceased to fulfill the qualification required for membership, or is disqualified to be a member under this Act or the rules or the bye-laws of the society, and the co-operative society, even when required by the Registrar by order in writing, fails to remove or expel him, in accordance with the provisions of sub-section (1) within thirty days from the receipt of the order of the Registrar, or

(b) if the person was admitted to the membership of the society in contravention of the provisions of this Act, the rules or the bye-laws of the society.

(3) No resolution under sub-section (1) and no order under sub-section (2), shall be passed unless the member concerned has been afforded reasonable opportunity of being heard in respect of the grounds on which his removal or expulsion is proposed to be made.

(4) A resolution under sub-section (1), or an order under sub-section (2), shall, subject to the result of appeal, if any, against the resolution or the order, as the case may be, with effect from the date of communication of the resolution or the order, have the effect of terminating the membership of the member so removed or expelled, but without prejudice to his rights and liabilities under this Act, the rules or the bye-laws of the society as a past member.

1. Ins. by sec. 2 of U. P. Act no. 40 of 1976 and shall be deemed to have been inserted with effect from June 25, 1976.

1[26—क (1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम, नियमों तथा उप-विधियों के अधीन सदस्य बनाये जाने के लिये अर्ह है और किसी प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति की सदस्यता के लिये नियत रीति से प्रार्थना-पत्र देता है तो यह समझा जायेगा कि वह समिति के कार्यालय में ऐसे प्रार्थना-पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से ऐसी समिति का सदस्य बनाया गया है।

प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों के लिए सर्वव्यापी सदस्यता

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन उक्त व्यक्ति से सदस्य बनाये जाने के दिनांक के पश्चात किसी समय यह पता लगे कि सम्बद्ध व्यक्ति इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन ऐसी समिति का सदस्य होने के लिये अर्ह नहीं है, तो निबन्धक इस अधिनियम में दी गयी किसी बात के होते हुये भी, ऐसा पता लगने के दिनांक से तीन महीने की अवधि के भीतर या तो स्वतः या सम्बद्ध समिति के प्रार्थना-पत्र पर ऐसे व्यक्ति को कारण बताने का नोटिस दे सकता है कि उसे समिति की सदस्यता से क्यों न हटा दिया जाये, और ऐसा व्यक्ति निबन्धक के इस निमित्त दिये गये आदेश पर, आदेश के दिनांक से, ऐसी समिति का सदस्य न रह जायेगा।]

27—(1) सहकारी समिति, संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को, अपनी सदस्यता से ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे कारणों से तथा ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाये, हटा या निकाल सकती है।

सदस्य का समिति या निबन्धक द्वारा हटाया या निकाला जाना

(2) निबन्धक भी किसी व्यक्ति को सहकारी समिति की सदस्यता से हटा या निकाल सकता है—

(क) यदि वह व्यक्ति सदस्यता के लिये उपेक्षित अर्हताओं की पूर्ति न करता हो या वह इस अधिनियम या नियमों, अथवा समिति की उपविधियों के अधिन सदस्य होने के लिये अनर्हित हो जाये और सहकारी समिति उस दशा में भी जब निबन्धक द्वारा लिखित आदेश देकर अपेक्षा की जाये, उसे उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार निबन्धक के आदेश को प्राप्ति से तीस दिन के भीतर न हटाने या न निकाले, या

(ख) यदि वह व्यक्ति इस अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों के उपबन्धों का उल्लंघन करके समिति का सदस्य बनाया गया हो।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई संकल्प और उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित न किया जायेगा जब तक कि संबंधित सदस्य को उन कारणों के संबंध में जिनके आधार पर उसे हटाने या निकालने का प्रस्ताव हो, सुनवाई के लिये समुचित अवसर न दे दिया गया हो।

(4) उपधारा (1) के अधीन संकल्प, या उपधारा (2) के अधीन आदेश का यथास्थिति, संकल्प या आदेश के विरुद्ध अपील के, यदि कोई हो, परिणाम के अधीन रहते हुये, उक्त संकल्प या आदेश की प्राप्ति के दिनांक से, यह प्रभाव होगा की इस प्रकार हटाये गये या निकाले गये सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जायेगी, किन्तु इसका इस अधिनियम, तदन्तर्गत बनाये गये नियमों या समिति की उपविधियों के अधीन भूतपूर्व सदस्य के रूप में उसके अधिकारों और दायित्वों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 40, 1976 की धारा 2 द्वारा बढ़ाई गई और 25 जून, 1976 से बढ़ाई गई समझी जायेगी।

(5) No member of a co-operative society, expelled under sub-section (1) or sub-section (2), shall be eligible for readmission as a member of that society for a period of two years from the date the resolution or order of expulsion takes effect and he shall further be not eligible to hold any office under that society, or to seek election to its committee of management for a period of three years from the date of his readmission as a member.

CHAPTER-IV

Management of Societies

**Final
authority in
co-operative
society**

28. Subject to the provisions of this Act and the rules the final authority of co-operative society shall vest in the general body of its members in general meeting ;

Provided that, in such circumstances as may be prescribed, ¹[the final authority shall vest in the delegates of such members elected in the manner prescribed] and assembled in general meeting and in such case all references in this Act, the rules or the bye-laws to the general body and general meeting shall be deemed to be reference to the body consisting of such delegates of members and to the general meeting of such delegates.

**Committee of
management**

29. (1) The management of every co-operative society shall vest in a committee of management constituted in accordance with this Act, the rules and the bye-laws which shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed by this Act, the rules and the bye-laws.

²[(2) (a) The term of every Committee of Management shall be five years and the term of elected members of the Committee of Management shall be co-terminus with the term of such Committee.

(b) The provisions of clause (a) shall apply also to a Committee of Management in existence on the date of the commencement of the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2013 and to the elected members of such committee.

(3) Election to reconstitute the Committee of Management of every Co-operative Society shall be completed in the prescribed manner under the superintendence, control and direction of the election Commission at least fifteen days before the expiry of the term of the Committee of Management and the members so elected shall replace the Committee of Management whose term expires under sub-section (2) ;

Provided that where the Election Commission is satisfied that the circumstances exist which render it difficult for it to hold the election on the date fixed, it may postpone the election and all proceedings with reference to the election shall commence afresh in all respects.]

1. Subs. by sec. 3 of U.P. Act No. 17 of 1977.

2. Subs. by sec. 3 of U. P. Act no. 13 of 2013.

(5) उपधार (1) या उपधारा (2) के अधीन निकाला गया या सहकारी समिति का कोई सदस्य उस दिनांक से, जब निकाले जाने का संकल्प अथवा आदेश प्रभावी हो, दो वर्ष की अवधि तक उक्त समिति का फिर से सदस्य बनने का पात्र न होगा और वह फिर से सदस्य बनने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये उक्त समिति के अधीन कोई पद धारण करने अथवा उसकी प्रबन्ध कमेटी में निर्वाचन के लिये खड़े होने का भी पात्र नहीं होगा।

अध्याय-4

समितियों का प्रबन्ध

28- इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी सहकारी समिति का अंतिम प्राधिकार उसके सदस्यों के सामान्य निकाय की सामान्य बैठक में निहित होगा ;

सहकारी समिति में
अन्तिम अधिकार

प्रतिबन्ध यह है कि उन परिस्थितियों में जो नियत की जायें, ¹[अन्तिम प्राधिकार ऐसे सदस्यों के नियत रीति से निर्वाचित और सामान्य बैठक में समवेत प्रतिनिधियों में निहित होगा] और उस दशा में इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों में सामान्य निकाय तथा सामान्य बैठक के निर्देश उस निकाय के प्रति जो सदस्यों के ऐसे प्रतिनिधियों से मिलकर बना हो तथा ऐसे प्रतिनिधियों की सामान्य बैठक के निर्देश समझे जायेंगे।

29-(1) प्रत्येक सहकारी समिति का प्रबन्ध इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों के अनुसार संघटित प्रबंध कमेटी में निहित होगा, जो ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगी जो इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों द्वारा प्रदत्त या आरोपित किये जायें।

प्रबन्ध कमेटी

2[(2) (क) प्रत्येक प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल पांच वर्ष होगा और प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल ऐसी कमेटी के कार्यकाल के साथ सहविस्तारी होगा।

(ख) खण्ड (क) के उपबन्ध ऐसी किसी प्रबन्ध कमेटी, जो उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारम्भ के दिनांक को अस्तित्व में है, और ऐसी कमेटी के निर्वाचित सदस्यों पर भी लागू होंगे।

(3) प्रत्येक सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन करने के लिये निर्वाचन, निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशों के अधीन, विहित रीति से प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व पूरा कर लिया जायेगा और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य उस प्रबन्ध कमेटी के स्थान पर जिसका कार्यकाल उपधारा (2) के अधीन समाप्त हो गया है, स्थान ग्रहण करेंगे ;

प्रतिबन्ध यह है कि जहां निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण उसे नियत किये गये दिनांक को निर्वाचन कराया जाना कठिन है, वहां वह निर्वाचन को स्थगित कर सकता है और निर्वाचन के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाहियां सभी प्रकार से नये सिरे से प्रारम्भ की जायेगी।]

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 1977 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 13, 2013 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

[(4) it shall be the duty of the Secretary or the Managing Director of the co-operative society as the case may be, to send to the Election Commission four months before the expiry of the term of the Committee of Management, a requisition for conducting the election and to furnish all such information as may be required by the election commission within such period as may be fixed by it.]¹

² [(4-A) Due to any reason, whatsoever, if members of the Management Committee are not elected or could not get elected before expiry of its tenure then the Management Committee shall cease to exist after expiry of its term notwithstanding anything to the contrary in any other provision of this Act, or the rules made thereunder or the bye-laws of the society.

(4-B) After the Management Committee ceases to exist under sub-section (4-A) an interim Management Committee shall as soon as possible be appointed by the Registrar for the Management of the Co-operative Society in accordance with the provisions of this Act, the rules and the bye-laws of the society. The Registrar shall have power to change the members of the interim Management Committee or appoint a new interim Management Committee in place thereof.

(4-C) The interim Management Committee appointed under sub-section (4-B) shall exercise the powers and perform the functions of the Management Committee under this Act subject to the directions given by the Registrar from time to time.

(4-D) The interim Committee appointed under sub-section (4-B) shall cease to exist after the expiry of six months from the date of its appointment or reconstitution of the Management Committee after election thereof whichever is earlier.]²

¹[(5) A co-operative society may have as many members in its Committee of Management as may be provided in its bye-laws but an Apex society may have its Committee of Management subject to a maximum of fifteen members and every other co-operative society may have its Committee of Management subject to a maximum of thirteen members. Any other committee or sub-committee of the society shall be smaller than its Committee of Management and in no case such committee or sub-committee shall consist of more than seven members ;

Provided that in the Committee of Management of every co-operative society four seats shall be reserved of which one shall be for the person belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, one shall be a person belonging to the Other Backward Classes of Citizens and two shall be for the women.

(6) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, the Committee of Management of every Co-operative Society shall co-opt at least two professional persons having special knowledge or experience in the field of accounting, law, banking,

1. [Subs. by sec. 3 of U.P. Act No. 13 of 2013](#) (Sub sections 5, 6, 7 [omitted by sec. 2\(a\) of U.P. Act No. 30 of 2006](#))

2. [Ins. by sec. 2 of U. P. Act no. 20 of 2018.](#)

[(4) सहकारी समिति के यथास्थिति सचिव या प्रबन्ध निदेशक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति के 4 मास पूर्व निर्वाचन आयोग को निर्वाचन कराने के लिये अध्याचन और ऐसी समस्त सूचना जिसकी निर्वाचन आयोग द्वारा अपेक्षा की जाय, ऐसी अवधि के भीतर जो उसके द्वारा नियत की जाय भेजे]¹

²[(4-क) यदि प्रबन्ध समिति के सदस्य चाहें जिस किसी भी कारण से कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचित नहीं किये जाते हैं या निर्वाचित नहीं किये जा सकें तो इस अधिनियम में किसी अन्य उपबंधों या तद्धीन बनाये गए नियमों या समिति की उपविधियों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी अपनी अवधि के अवसान के पश्चात प्रबन्ध समिति का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा।

(4-ख) उपधारा (4-क) के अधीन प्रबन्ध समिति का अस्तित्व समाप्त होने के पश्चात सहकारी समिति के प्रबन्धन के लिए निबन्धक द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समिति के नियमों और उपविधियों में यथा शक्य शीघ्र एक अन्तरिम प्रबन्ध समिति नियुक्त की जायेगी। अन्तरिम प्रबन्ध समिति के सदस्यों को बदलने या उसके स्थान में एक नयी अन्तरिम प्रबन्ध समिति को नियुक्त करने की शक्ति निबन्धक को होगी।

(4-ग) उपधारा (4-ख) के अधीन नियुक्त अन्तरिम प्रबन्ध समिति समय-समय पर निबन्धक द्वारा दिये गये निर्देशों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधिन प्रबन्ध समिति की शक्तियों का प्रयोग करेगी और कृत्यों का निष्पादन करेगी।

(4-घ) उपधारा (4-ख) के अधीन नियुक्त अन्तरिम समिति अपने नियुक्त होने के दिनांक से छः माह के अवसान के पश्चात या प्रबन्ध समिति के निर्वाचन के पश्चात उसके पुनर्गठन पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जायेगी]²

¹[(5) कोई सहकारी समिति अपनी प्रबन्ध कमेटी में उतने सदस्य रख सकती है, जितने के लिये उसकी उपविधियों में व्यवस्था की गयी हो, परन्तु किसी शीर्ष समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की अधिकतम संख्या सत्रह किसी केन्द्रीय समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की अधिकतम संख्या पन्द्रह तथा प्रत्येक अन्य सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी की अधिकतम संख्या तेरह हो सकती है। समिति की कोई अन्य कमेटी या उप कमेटी अपनी प्रबन्ध कमेटी से छोटी होगी और किसी भी स्थिति में ऐसी कमेटी या उप कमेटी में सात से अधिक सदस्य नहीं होंगे,

प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में चार स्थान आरक्षित होंगे, जिनमें से एक अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिये एक स्थान नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति के लिये तथा दो स्थान महिलाओं के लिये होंगे।

(6) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी, प्रत्येक सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी, राज्य सहकार द्वारा यथानियत लेखा, विधि, बैंकिंग, प्रबन्धन कृषि या ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले कम से]¹

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 13, 2013 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 20, 2018 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

management, agriculture or rural economy as may be stipulated by the State Government. It is not necessary that a co-opted member shall be a member of the General Body of the Co-operative Society ;

Provided that the number of such co-opted members shall not exceed two in addition to the number of members specified in sub-section (5) ;

Provided further that such a co-opted member shall not have the right to vote in any election or in any no confidence motion moved in the Co-operative Society in their capacity as such member or to be eligible to be elected as office bearers of the Committee of Management.

(7) The Committee of Management of every co-operative society may fill a casual vacancy on the Committee of Management by nomination out of the same class of members in respect of which the casual vacancy has arisen, if the term of the office of the Committee of Management is less than half of its original term.]¹

²[(8) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, there shall be at least three professionals with full voting rights on the committee of Uttar Pradesh Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank having special knowledge or experience in the field of accounting, law, banking, management, agriculture or rural economy as stipulated by the Reserve Bank of India. In case such professionals do not get elected; they shall be co-opted by the Committee of Management of the Bank as aforesaid.]

A Special provision for Primary Agricultural Co-operative Credit Societies, Central Co-operative Banks and Apex Bank

³[(29-A.) Notwithstanding anything to the contrary in any other provision of this Act, rules and Bye-laws of the society, the Committee of Management of a Primary Agricultural Co-operative Credit Society or a Central Co-operative Bank or an apex bank shall exercise such powers and perform such duties as may be necessary and expedient for the purpose of carrying out its functions under this Act which shall include,-

(a) the power to,-

- (i) admit members and dispose of applications for shares ;
- (ii) interpret the organizational objectives and set specific goals to be achieved towards those objectives ;
- (iii) prepare annual and supplementary budgets and get the approval of the General Body thereto ;
- (iv) raise and invest funds in accordance with the bye-laws ;
- (v) sanction all expenditure above the prescribed level, and the plan of capital development for the coming year or years ;
- (vi) enforce any debt or demand of the society and institute, defend or compromise legal proceeding for or against the society ;

1. [Subs. by sec. 3 of U.P. Act No. 13, 2013.](#)

2. [Ins. by sec. 5 of U. P. Act no. 47 of 2007.](#)

3. [Ins. by sec. 6 of U. P. Act no. 47 of 2007.](#)

[कम दो वृत्तिक व्यक्ति आमेलित करेगी। यह आवश्यक नहीं है कि आमेलित सदस्य सहकारी समिति के सामान्य निकाय का सदस्य हों ;

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे आमेलित सदस्यों की संख्या, उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या के अतिरिक्त दो से अधिक नहीं होगी ;

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे आमेलित सदस्य प्रबन्ध कमेटी के ऐसे सदस्य अथवा पदाधिकारी के निर्वाचन अथवा अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेने एवं मतदान के अधिकारी नहीं होंगे और ऐसे सदस्य प्रबन्ध कमेटी के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिये अनर्ह होंगे।

(7) प्रत्येक सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी द्वारा प्रबन्ध कमेटी में हुई किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति, उसी वर्ग के सदस्यों में से जिसके सम्बन्ध में आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हुई है, नामनिर्देशन द्वारा की जा सकती है, यदि प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल उसके मौलिक कार्यकाल के आधे से कम हो।¹

2[(8) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी रिजर्व बैंक द्वारा यथानियत लेखा विधि बैंकिंग, प्रबन्धन, कृषि या ग्रामिण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक की कमेटी में पूर्ण मतदान के अधिकारों सहित कम से कम तीन वृत्तिक व्यक्ति होंगे। यदि ऐसे वृत्तिक व्यक्ति निर्वाचित नहीं होते तो ऊपर उल्लिखित के अनुसार उन्हें बैंक की प्रबन्ध कमेटी में सहयोजित किया जायेगा।]

3[29-क —इस अधिनियम नियमावली एवं समिति की उपविधियों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी किसी प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक अथवा किसी शीर्ष बैंक की प्रबन्ध कमेटी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसके कार्यकलापों के क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ आवश्यक और समीचीन हो जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-

प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं शीर्ष बैंक के लिये विशेष उपबन्ध

(क) निम्नलिखित के लिये शक्तियाँ :-

(एक) सदस्य बनाने और अंशों से सम्बन्धित आवेदनों का निस्तारण करने के लिये।

(दो) संगठनात्मक उद्देश्यों की व्याख्या करने के लिये।

(तीन) वार्षिक एवं अनुपूरक बजट तैयार करने एवं उनका सामान्य निकाय से अनुमोदन प्राप्त करने के लिये।

(चार) उपविधियों के अनुसार निधियों की वृद्धि करना एवं उनका विनिधान करने के लिये।

(पाँच) निम्नलिखित स्तर से अधिक समस्त व्ययों और आगामी वर्ष/वर्षों के लिये पूँजी विकास योजना को मंजूर करने के लिये।

(छः) समिति की किसी ऋण या मांग को प्रवर्तित करने और समिति के पक्ष या विपक्ष में विधिक कार्यवाही को संस्थित करने, प्रतिवाद करने या समझौता करने के लिये।

1. उ०प्र० अधिनियम सं० 13, 2013 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 47, 2007 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।

3. उ० प्र० अधिनियम सं० 47, 2007 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया।

¹ [(vii) assess the existing man power resources and future requirements in the context of changes that might have taken to ensure availability of the required resources and consider and remove constraints in the process or progress of manpower planning at least once at the beginning of every year ;

(viii) appoint officers or other staff to conduct the business of the society and define *inter alia* their duties, service conditions, leave concessions and disciplinary matters subject to the provisions of this Act, the rules and the bye-laws ;

(ix) arrange for the education and training of members and employee and review the programmes and progress, relating thereto, at least once at the beginning of every year ;

(x) dispose of applications for loans, fix rate of interest subject to the direction of the Reserve Bank of India and the National Bank for Agriculture and Rural Development and determine securities to be taken for such loans ;

(xi) appoint Sub-Committees, as may be considered necessary ;

(xii) make periodical appraisal of its operation;

(xiii) acquire, hold and dispose of the properties in the prescribed manner ;

(xiv) take loans from any financial institution regulated by the Reserve Bank of India and refinance from National Bank for Agriculture and Rural Development or any other refinancing agency directly or through any financial institution regulated by the Reserve Bank of India and not necessarily form only the federal tier to which it is affiliated, and similarly, placing its deposits with, or making investments in, any regulated financial institution and not necessarily with only the federal tier to which it is affiliated ;

(xv) decide issues relating to affiliation and disaffiliation with any federal structure including entry and exit at any level;

(xvi) decide its area of operation according to the business requirement ;

² [(xvi-A) decide its Internal Control Systems, appointment of auditors and compensation for the audit,]

(xvii) take such other measures or do such other act as may be prescribed or required under this Act, the rules and the Bye-laws; and

(b) the duty of-

(i) observing, in all affairs under the provisions of this Act, the rules and the bye-laws;

(ii) causing—

[1. Ins. by sec. 6 of U.P. Act No. 47 of 2007.](#)

[2. Ins. by sec. 2 of U. P. Act no. 9 of 2011.](#)

1[(सात) ऐसे परिवर्तनों जो अपेक्षित संशोधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये किये गये हों, के संदर्भ में विद्यमान जनशक्ति संसाधनों और भावी अपेक्षाओं का अनुमान करने और प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ पर कम से कम एक बार जनशक्ति योजना की प्रक्रिया या उसकी प्रगति में कठिनाइयों पर विचार करने एवं उनका निराकरण करने के लिये।

(आठ) इस अधिनियम नियमावली एवं उपविधियों के उपबंधों के अधीन समिति का कार्य संचालन करने हेतु अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करने एवं अन्य बातों के साथ-साथ उनके कर्तव्यों सेवा शर्तों, अवकाश सुविधाओं एवं अनुशासनिक मामलों को परिभाषित करने के लिये।

(नौ) सदस्यों एवं कर्मचारियों के लिये शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करने और उससे सम्बन्धित कार्यक्रमों और प्रगति की समीक्षा प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में कम से कम एक बार करने के लिये।

(दस) ऋण के आवेदनों का निस्तारण करने, रिजर्व बैंक एवं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामिण विकास बैंक के निर्देशों के अधीन रहते हुये ब्याज दर निर्धारित करने एवं ऐसे ऋणों के लिये प्रतिभूति अवधारित करने के लिये।

(ग्यारह) ऐसी उप कमेटियों, जिन्हे आवश्यक समझा जाय, की नियुक्ति करने के लिये।

(बारह) उसके कार्य संचालन का सामयिक मूल्यांकन करने के लिये।

(तेरह) विहित रीति से सम्पत्तियों का अर्जन करने, धारित करने एवं निस्तारित करने के लिये।

(चौदह) रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी वित्तीय संस्था के ऋण प्राप्त करने एवं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामिण विकास बैंक अथवा किसी अन्य पुनर्वित्त पोषित करने वाले अभिकरण से सीधे अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी वित्तीय संस्था के माध्यम से न कि आवश्यक रूप से केवल उस परिसंघीय श्रेणीसे जिससे कि वह सम्बद्ध हो पुनर्वित्त पोषित करने के लिये और उसी प्रकार से किसी विनियमित वित्तीय संस्था में न कि आवश्यक रूप से केवल उस परिसंघीय श्रेणी में जिससे वह सम्बद्ध हो, उसके निक्षेपों को रखने या विनिधान करने के लिये।

(पन्द्रह) किसी परसंघीय संरचना की संबद्धता और असम्बद्धता से सम्बन्धित मुद्दों जिसमें किसी भी स्तर पर प्रवेश और निकास सम्मिलित है, का विनिश्चय करने के लिये।

(सोलह) व्यवसाय की अपेक्षा के अनुसार अपने कार्य संचालन क्षेत्र का विनिश्चय करने के लिये।

2[(सोलह-क) अपनी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और लेखा परीक्षा की प्रतिपूर्ति विनिश्चित करने के लिये,]

(सत्रह) ऐसे अन्य उपाय करने या ऐसे अन्य कार्य करने के लिये जो इस अधिनियम या नियमावली या उपविधियों के अधीन विहित किये जाये या अपेक्षित हों, और—

(ख) निम्नलिखित कर्तव्य होंगे—

(एक) इस अधिनियम नियमावली एवं उपविधियों के अधीन समस्त मामलों में संप्रेक्षण करने ;

(दो) निम्नलिखित कार्य करने—]

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 47, 2007 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 9, 2011 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

- ¹[(A) proper receipt and disbursement of moneys of the society and maintenance of the account, assets and liabilities of the society;
(B) preparation of Annual Report of the society for every year;
(C) preparation of Annual Returns prescribed by the Registrar;
(D) preparation of the statement of account required at audit and placement of the same before the auditors;
(E) preparation of all other statement and returns and submission of the same to the Registrar;
(F) maintenance of accounts of the society regularly in proper books ;
(G) maintenance of the register of members up-to-date;
(iii) formulating recommendation in accordance with the guidelines of National Bank, if any, for appropriation of the net profits declared as distributable under the provisions of this Act and the rules and submitting the same to General Body;
(iv) facilitating the inspections, inquiries and audits under this Act and considering the Audit, inspection and Inquiry Reports received from the concerned authority and furnishing compliance thereto in accordance with the provisions of this Act and the rules ;
(v) convening the meetings and special meetings of the General Body in time;
(vi) watching that the loans and advances are utilized for the purposes for which they are meant and also that they are repaid punctually;
(vii) examining and taking prompt action in cases of all arrears and defaults in repayment of loans and advances;
(viii) liaisoning with the members in all matters if the society and ensuring the observance of the co-operative principles;
(ix) making arrangements for holding elections in time; and
(x) performing such other functions as may be entrusted to it by the General Body or required by or under this Act, the rule and the bye-laws.

(C) (i) A member of the Committee of Management shall be disqualified for continuing in the Committee if he is representing a non-credit society on the board of a Central Co-operative Bank or apex bank and the society has committed a default for a period exceeding 90 days.

(ii) A person who is a defaulting member or office-bearer of a defaulting Primary Agricultural Co-operative Credit Society shall not be eligible to be elected to the board of the society or the bank as the case may be, or continue on the Board for more than one year unless the default is cleared.

(D) "A Primary Agricultural Co-operative Credit Society shall abide by all such directions regarding financial norms as may be prescribed by the Registrar in consultation with the National Bank."]¹

1. Ins. by s. 6 of U.P. Act No. 47 of 2007.

1[(क) समिति के धन की समुचित रसीद व वितरण और समिति के लेखों, आस्तियों एवं दायित्वों का रख-रखाव;

(ख) समिति की प्रत्येक वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करना ;

(ग) निबन्धक द्वारा विहित सभी वार्षिक विवरणी को तैयार करना,

(घ) लेखा परीक्षा के लिये अपेक्षित लेखा के विवरण तैयार करना और उसे लेखा परीक्षकों के समक्ष रखा जाना ;

(ङ) अन्य सभी विवरण एवं विवरणियों को तैयार करना और उन्हें निबन्धक को प्रस्तुत करना ;

(च) नियमित रूप से समिति के लेखों का समुचित लेखा पुस्तिकाओं में अनुरक्षण ;

(छ) सदस्यों की पूंजी का अद्यावधिक अनुरक्षण ;

(तीन) इस अधिनियम और नियमावली के उपबंधों के अधीन वितरण योग्य घोषित शुद्ध लाभों के विनियोग हेतु राष्ट्रीय बैंक के दिशा निर्देशों यदि कोई हों के अनुसार संस्तुति करने और उसे सामान्य निकाय के समक्ष प्रस्तुत करने ;

(चार) इस अधिनियम के अधिन निरीक्षण, जांच और लेखा परीक्षा की सुविधा प्रदान करने और सम्बन्धित प्राधिकारी से प्राप्त लेखा-परीक्षा, निरीक्षण और जांच रिपोर्ट पर विचार करने और इस अधिनियम और नियमावली के उपबंधों के अनुसार तत्सम्बन्ध में अनुपालन प्रस्तुत करने ;

(पाँच) सामान्य निकाय की बैठक और विशेष बैठक समय से आयोजित करने ;

(छः) यह देखने कि ऋण और अग्रिम उन प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं जिनके लिये वे तात्पर्यित हैं और यह भी कि उनका प्रतिसंदाय नियमित रूप से किया जा रहा है;

(सात) ऋणों एवं अग्रिमों के प्रतिसंदाय में समस्त बकायों और व्यतिक्रमों के मामलों में परीक्षण करने एवं तुरन्त कार्यवाही करने ;

(आठ) समिति के सभी मामलों में सदस्यों से सम्पर्क बनाये रखने एवं सहकारी सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने ;

(नौ) समय से निर्वाचन कराने की व्यवस्था करने, और—

(दस) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जो उसे सामान्य निकाय द्वारा प्रस्तुत किये जाये या इस अधिनियम, नियमावली और उपविधियों द्वारा या तद्धीन अपेक्षित हों ;

(ग) (एक) प्रबन्ध कमेटी का कोई सदस्य कमेटी में बने रहने के लिये अनर्ह हो जायगा यदि वह किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक या शीर्ष बैंक के बोर्ड में किसी गैर-ऋण समिति का प्रतिनिधित्व कर रहा हो और ऐसी समिति ने 90 दिन से अधिक की अवधि तक व्यतिक्रम किया हो।

(दो) ऐसा व्यक्ति जो व्यतिक्रमी सदस्य हो या किसी व्यतिक्रमी प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति का पदाधिकारी हो यथास्थिति समिति अथवा बैंक के बोर्ड के लिये नियुचित किये जाने हेतु अर्ह नहीं होगा अथवा एक वर्ष से अधिक समय के लिये बोर्ड में नहीं बना रह सकेगा जब तक कि व्यतिक्रम समाप्त न हो जाए।

(घ) प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति राष्ट्रीय बैंक के परामर्श से निबन्धक द्वारा यथाविहित वित्तीय मानदण्डों के सम्बन्ध में समस्त निर्देशों का पालन करेगी।¹

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 47, 2007 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया।

Chairman

30. ¹[(1) Every co-operative society shall have a Chairman and Vice-Chairman elected, nominated or appointed in accordance with provisions of this Act, the rules and the bye-laws.]

(2) The Chairman shall be responsible for the control, supervision and guidance of the affairs and business of the society and shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed on him by this Act, the rules, the bye-laws and the resolutions of the committee of management. When present, he shall, except as otherwise provided in the rules, preside at the meeting of the general body and the committee of management.

(3) The Vice-Chairman shall except as otherwise provided in the rules, preside, in the absence of the Chairman, at the meeting of the general body or the committee of management, and shall exercise such powers and perform such duties as may be delegated to him in writing by the Chairman subject to the bye-laws.

²[(4) In the event of the occurrence of any vacancy in the office of the Chairman by reason of his death, resignation or removal or otherwise, the Vice-Chairman shall perform the duties of the Chairman until the date on which a new Chairman is duly elected, nominated or appointed.]

Motion of non-confidence against Chairman or Vice-Chairman

³[30-A. (1) A motion expressing non-confidence against the Chairman or the Vice-Chairman of a Co-operative Society shall be made and proceeded with in accordance with the procedure as may be prescribed.

(2) When a motion for non-confidence is carried, the Chairman or the Vice-Chairman against whom it is carried shall cease to hold that office forthwith and shall be succeeded by his successor, who shall be elected by another resolution in the same meeting in the manner as may be prescribed.]

The Secretary his emoluments and functions

31. ⁴(1) Except in the case of any apex society there shall be a secretary of every co-operative society, to be appointed and removable by the society subject to the provisions of the rules and regulations framed under section 121 and 122. The emoluments and other conditions of service of the Secretary shall be such as may be prescribed in the bye-laws of the society made in conformity with the rules and regulations made in this behalf.

Provided that where a service for the post of secretaries common to any class of co-operative societies has been created under section 122-A, the recruitment, appointment, removal and other conditions of service of persons appointed to such posts, including persons appointed to such posts before the creation of such service, shall be governed by the provisions of that section and the rules made thereunder.]

1. [Subs. by sec. 4 of U. P. Act no. 1 of 1972.](#)

2. [Ins. by sec. 4 \(ii\) *ibid*.](#)

3. [Ins. by sec. 2 of U. P. Act no. 2 of 1998.](#)

4. [Subs. by sec. 5 of U. P. Act no. 17 of 1977.](#)

¹[30—(1) प्रत्येक सहकारी समिति का एक सभापति और उप-सभापति होगा जो इस अधिनियम नियमों और उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचित, नाम—निर्दिष्ट या नियुक्त किया जायगा।]

सभापति

(2) सभापति समिति के मामलों तथा कार्य के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा पथदर्शन के लिये उत्तरदायी होगा और ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम, नियमों, उपविधियों तथा प्रबन्ध कमेटी के संकल्पों द्वारा प्रदत्त या आरोपित किये जायें। उपस्थित रहने पर, वह नियमों में अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये, सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध कमेटी की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(3) उप सभापति, नियमों में अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये सभापति की अनुपस्थिति में, सामान्य निकाय तथा प्रतिबन्ध कमेटी की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, और ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे उप-विधियों के अधिन रहते हुये, सभापति द्वारा लिखित रूप में प्रतिनिहित किये जायें।

²[(4) सभापति की मृत्यु, पदत्याग या हटाये जाने के कारण अथवा अन्य प्रकार से उसका पद रिक्त होने की दशा में, उप सभापति उस दिनांक तक सभापति के कर्तव्यों का पालन करेगा जब तक कि नया सभापति यथाविधि निर्वाचित, नाम निर्दिष्ट या नियुक्त न हो जाये।]

³[30—क (1) यथा विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी सहकारी समिति के सभापति या उप सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रकट करने का प्रस्ताव किया जा सकता है तथा उस पर कार्यवाही की जा सकती है।

सभापति या उप सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

(2) जब अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकार हो जाये तब सभापति या उप सभापति जिसके विरुद्ध यह स्वीकार किया जाय, तुरन्त उक्त पद से हट जायेंगे और उनका स्थान उनका उत्तराधिकारी लेगा, जो उसी बैठक से दूसरे संकल्प द्वारा ऐसी रीति से जैसी निहित की जाय, निर्वाचित किया जायेगा।]

^{31—4}(1) सिवाय शीर्ष समिति के प्रत्येक सहकारी समिति का एक सचिव होगा जो नियमों और धारा 121 और 122 के अधीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये समिति द्वारा नियुक्त किया जायेगा और हटाया जा सकेगा। सचिव को उपलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी इस निमित्त बनाये गये नियमों और विनियमों के अनुरूप बनाई गयी समिति की उपविधियों में नियत की जायें ;

सचिव, उसकी उपलब्धियाँ और कृत्य

प्रतिबन्ध यह है कि जहां सहकारी समितियों के किसी भी वर्ग के लिये सचिवों के पद के लिये सर्व सामान्य सेवा का सृजन धारा 122—क के अधीन किया गया हो, वहां ऐसे पदों पर भर्ती, नियुक्ति भी सम्मिलित है, को हटाने और उनकी सेवा की अन्य शर्तें उक्त धारा के अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों द्वारा नियन्त्रित होंगी।]

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 1, 1972 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 1, 1972 की धारा 4 (2) द्वारा बढ़ाया गया।

3. उ० प्र० अधिनियम सं० 2, 1998 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

4. उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 1977 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) The Secretary shall be the chief executive officer of the society and subject to such control and supervision of the Chairman and the committee of management as may be provided in the rules or the bye-laws of the society shall—

(a) be responsible for the sound management of the business of the society and its efficient administration ;

(b) carry on the authorized and normal business of the society ;

(c) subject to the provisions of the bye-laws of the society ; operate its accounts and except where the society has a cashier or treasurer, handle and keep in his custody its cash balances ;

(d) sign and authenticate all documents for and on behalf of the society ;

(e) be responsible for the proper maintenance of various books and records of the society and for the correct preparation and timely submission of periodical statement and returns in accordance with this Act, the rules, the bye-laws and the instructions of the Registrar or the State Government ;

(f) convene meetings of the general body, the committee of management and any sub-committee constituted by the committee of management and maintain proper records of such meetings ; and

(g) perform such other duties and exercise such other powers as may be imposed or conferred on him under the rules or the bye-laws of the society.

¹[(h) to determine the powers, duties and responsibilities of the employees of the society including transfer, suspension and initiating of disciplinary proceeding;]

Provided that the provision of this clause shall apply only to the Secretary of Central Society.]¹

(3) A co-operative society may, subject to the provisions of the rules and the bye-laws and the regulations made under ²[section 121, section 122 or section 122-A] appoint, if necessary, one or more person to assist the secretary and to entrust him or them with such powers and duties of the secretary as the society may deem fit.

(4) After a co-operative society has been registered and till such time as its secretary is appointed under sub-section (1) or for six months, whichever is earlier, the functions and duties of the secretary shall be performed by such member of the society as may be provided in the rules and the bye-laws of the society.

**Appointment
of Managing
Director
instead of
Secretary for
Apex
Societies**

³[**31-A.** (1) For every apex society there shall be, instead of a Secretary, a Managing Director who shall be a government servant not below the rank of a class I officer, nominated by the State Government, and his services shall be deemed to be on deputation with the society and his salary and allowances, as determined by the State Government, shall be paid from the funds of the society.

1. Ins. by sec. 3 of U. P. Act no. 20 of 2018.

2. Subs. by sec. 8 (b) of U. P. Act no. 12 of 1976.

3. Ins. by sec. 9 of U. P. Act no. 12 of 1976.

(2) सचिव समिति का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा सभापति तथा प्रबन्ध कमेटी के ऐसे नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुये जिसकी व्यवस्था नियमों या समिति की उपविधियों में की जायें, वह –

(क) समिति के कार्य के सम्यक् प्रबन्ध तथा उसके कुशल प्रशासन के लिये उत्तरदायी होगा ;

(ख) समिति के प्राधिकृत सामान्य कार्य करेगा ;

(ग) समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, उसके लेखों की परिचालन करेगा और उस व्यवस्था को छोड़कर जब समिति का कोई रोकड़िया या कोषाध्यक्ष हो, उसकी रोकड़ बाकी का प्रबन्ध करेगा तथा उसे अपनी अभिरक्षा में रखेगा ;

(घ) समिति की ओर से और उसके लिये सभी लेख्यों पर हस्ताक्षर करेगा और उन्हें प्रमाणित करेगा ;

(ङ) समिति की विभिन्न बहियों और अभिलेखों को उचित रूप से रखने और इस अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों और निबन्धक या राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुसार नियतकालिक विवरण-पत्रों और विवरणियां को शुद्ध रूप से तैयार करने और ठीक समय पर उन्हें प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा ;

(च) सामान्य निकाय, प्रबन्ध कमेटी और प्रबन्ध कमेटी द्वारा संघटित किसी उप-समिति की बैठक बुलायेगा और ऐसी बैठकों के अभिलेख ठीक रखेगा ; और

(छ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो नियमों या समिति की उपविधियों के अधीन उस पर अरोपित या उसे प्रदत्त किये जायें।

¹[(ज) समिति के कर्मचारियों की शक्तियों, कर्तव्य और दायित्वों, जिसमें स्थानान्तरण, निलम्बन और अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित किया जाना भी सम्मिलित है, को अवधारित करना ;

परन्तु इस खण्ड के उपबन्ध केवल केन्द्रीय समिति के सचिव पर लागू होंगे।]

(3) कोई सहकारी समिति, नियमों, अपनी उपविधियों और ²(धारा 121, धारा 122 या धारा 122-क) के अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सचिव की सहायता के लिये, यदि आवश्यक हो, एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है और उसे या उन्हें सचिव के ऐसे अधिकार तथा कर्तव्य सौंप सकती है जो वह (समिति) उचित समझे।

(4) किसी सहकारी समिति के निबद्ध हो जाने के पश्चात् और ऐसे समय तक जब तक कि उपधारा (1) के अधीन उसके सचिव की नियुक्ति न हो जाये, अथवा छः महीने तक, जो भी पहले हो, सचिव के कृत्यों और कर्तव्यों का पालन समिति के ऐसे सदस्य द्वारा किया जायगा जिसकी व्यवस्था नियमों तथा समिति की उपविधियों में की जाये।

3[31-क- (1) प्रत्येक शीष समिति के लिये, सचिव के स्थान पर एक प्रबन्ध-निदेशक होगा जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रथम वर्ग के अधिकारी से अनिम्न पद का सरकारी सेवक होगा, और उसकी सेवायें समिति में प्रति-नियुक्ति पर समझी जायेगी और उसे राज्य सरकार द्वारा अवधारित वेतन और भत्ता समिति के निधि से दिया जायेगा।

शीष समितियों के लिये सचिव के स्थान पर प्रबन्ध-निदेशक की नियुक्ति

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 20, 2018 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 12, 1976 की धारा 8 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 12, 1976 की धारा 9 द्वारा बढ़ाया गया ।

(2) The Managing Director shall be *ex-officio* member of the Committee of Management.

(3) All references in the Act to Secretary shall in relation to an apex society be construed, wherever practicable, as references to the Managing Director.

(4) The Managing Director shall be Chief Executive Officer of the apex society and subject to such control of the Committee of Management and the Chairman, ¹[as may be provided in the rules], he shall have the following duties and responsibilities, namely :—

- (i) to have general control over the administration of the society ;
- (ii) to convene meetings of the Committee of Management and the general body ;
- (iii) to receive all moneys and securities on behalf of the society and to make arrangements for the proper maintenance and custody of cash balances and other properties of the society ;
- (iv) to endorse and transfer promissory notes, Government and other securities and to endorse, sign and negotiate cheques and other negotiable instruments on behalf of the society ;
- (v) to be responsible for the general conduct, supervision and management of the day-to-day business and affairs of the society ;
- (vi) to sign all deposit receipt and operate the accounts of the society with banks ;
- (vii) to sign all bonds and agreements in favour of the society ;
- (viii) to create, subject to provisions contained in the budget of the society, class III and class IV posts for a period of 3 months and to make, as appointing authority, recruitment thereto through the Board as provided in the regulations framed by the State Government in exercise of the powers under sub-section (2) of section 122 ;
- (ix) to determine the powers, the duties and responsibilities of the employees of the society ;
- (x) to institute, conduct defend, compound or abandon any suit or other legal proceeding by or against the society or otherwise concerning the affairs of the society and also to compound and allow time for payment or satisfaction of any claims or demand by or against the society ;
- ²[(xi) subject to the regulations, if any, which may be framed by the Committee of Management to enter into negotiations and sanction contracts up to the value of Rs. 10 lakhs each during the construction phase and up to Rs. 5 lakhs each thereafter and to do all such acts, deeds and things in the name of and on behalf of the society in relation to any of the matters aforesaid for the purposes of the society ;]

1. Subs. by sec. (4a) of U. P. Act no. 20 of 2018.

2. Subs. by sec. 3 of U. P. Act no. 9 of 2011.

(2) प्रबन्ध—निदेशक प्रबन्ध कमेटी का पदेन सदस्य होगा।

(3) किसी शीर्ष समिति के सम्बन्ध में, अधिनियम में सचिव के प्रति समस्त निर्देश, जहां कहीं व्यवहार्य हो, प्रबन्ध—निदेशक के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

(4) प्रबन्ध निदेशक शीर्ष समिति का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और प्रबन्ध कमेटी और सभापति के ऐसे नियंत्रण में रहते हुये, ¹[जैसा नियमों में उपबंधित किया जाय] उसका निम्नलिखित कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा, अर्थात्—

(i) समिति के प्रशासन पर सामान्य नियंत्रण रखना ;

(ii) प्रबन्ध कमेटी और सामान्य निकाय की बैठक बुलाना ;

(iii) समिति की ओर से समस्त धन और प्रतिभूति प्राप्त करना और समिति की रोकड़ बाकी और अन्य सम्पत्तियों के समुचित अनुरक्षण और अभिरक्षा का प्रबन्ध करना ;

(iv) बचत—पत्रों, सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों का पृष्ठांकित और संक्रमित करना और समिति की ओर से चेक और अन्य परकाम्य संलेख का पृष्ठांकन, हस्ताक्षर और परकमण करना ;

(v) समिति के दिनानुदिन कार्य और मामलों के सामान्य संचालन, पर्यवेक्षण और प्रबन्ध के लिये उत्तरदायी होना ;

(vi) समस्त जमा रसीदों पर हस्ताक्षर करना और बैंक में समिति का लेखा चलाना;

(vii) समिति के पक्ष में समस्त बन्ध—पत्रों और अनुबन्धों पर हस्ताक्षर करना ;

(viii) समिति के बजट प्रावधानों के अधीन रहते हुये तीन मास की अवधि के लिये तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों का सृजन करना और नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में बोर्ड के माध्यम से उन पर भर्ती करना जैसा कि धारा 122 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा बनाये गये विनियमों में व्यवस्थित है ;

(ix) समिति के कर्मचारीयों के अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व अवधारित करना ;

(x) समिति द्वारा या उसके विरुद्ध या अन्यथा समिति के मामलों के सम्बन्ध में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित, ससंचालित, प्रतिवादित प्रशमित या परित्यक्त करना और समिति द्वारा या उसके विरुद्ध किसी दावा या मांग का प्रशमन करना और भुगतान या तृप्ति के लिये समय देना ;

²[(xi) ऐसे विनियम यदि कोई हो, जो प्रबन्ध कमेटी द्वारा बनाए जायें के अधीन रहते हुये बातचीत करना और निर्माण कार्य के दौरान 10 लाख रुपये तक की प्रत्येक और उसके पश्चात् 5 लाख रुपये तक की प्रत्येक संविदा को स्वीकृत करना और समिति के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त किसी विषय के संबंध में समिति के नाम से और उसकी ओर से ऐसे समस्त कार्रवाई, कार्य और बातें करना।]

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 20, 2018 की धारा 4(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 9, 2011 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(xii) to delegate all or any of the powers, authorities and discretions vested in him to an employee or employers of any society, subject to the ultimate control and authority being regained by him.] ¹

² [(5) Notwithstanding anything to the contrary in any other provision of this Act or the rules and regulations made thereunder and bye-laws of society the Managing Director shall have power to transfer, suspend and initiate disciplinary proceeding against the employees of the society.]

**Annual
general
meeting**

32. (1) A meeting of the general body of a co-operative society (hereinafter referred to as the annual general meeting) shall be held, once in a co-operative year within such period as may be prescribed, for the purposes of :—

(a) approval of the programme of the activities of the activities of the society prepared by the committee of management for the ensuing co-operative year ;

³[(b) x x x]

(c) consideration of the balance sheet and the annual report for previous co-operative year unless the audit has not been completed within the period specified in the rules;

(d) consideration in the prescribed manner of the audit certificate and the audit report for previous co-operative year unless the audit has not been completed within the prescribed period;

(e) fixation of the maximum liability of the society for the ensuring co-operative year;

(f) disposal of the net profits;

(g) consideration of the budget for the ensuing co-operative year; and

(h) consideration of any other matter as may be brought before it in accordance with the bye-laws.

(2) Notwithstanding anything contained in section 31, it shall be the duty of the secretary, and in the absence of the secretary, of the Chairman of the committee of management, to call the annual general meeting in accordance with the provisions of sub-section (1), failing which the Registrar, or any person duly authorized by him in this behalf, may call the annual general meeting.

**Other general
meeting**

33. (1) The committee of management may, as often as may be necessary for the transaction of business of the co-operative society, call a general meeting of the general body of the society (to be called ordinary general meeting).

1. Ins. by sec. 9 of U. P. Act no. 12 of 1976.

2. Ins. by sec. 4 of U. P. Act no. 20 of 2018.

3. Omitted by sec. 3 of U.P. Act no. 17 of 1994.

(xii) अपना अन्तिम नियंत्रण और प्राधिकार रखते हुये, किसी समिति के किसी कर्मचारी या कर्मचारियों को अपने में निहित सभी या किसी अधिकार, प्राधिकार और विवेकाधिकार प्रत्यायोजित करना।¹

2[(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध या तद्धीन बनाये गए नियमों और विनियमों तथा समिति की उप विधियों में किसी प्रतिकूल बसत के होते हुए भी प्रबन्ध निदेशक को समिति के कर्मचारियों का स्थानान्तरण, निलम्बन और अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित करने की शक्ति होगी।]

32-(1) सहकारी समिति के सामान्य निकाय की एक बैठक (जिसे आगे वार्षिक सामान्य बैठक कहा गया है) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये सहकारी वर्ष में ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय, एक बार होगी :-

वार्षिक सामान्य बैठक

(क) प्रबन्ध कमेटी द्वारा आगामी सहकारी वर्ष के लिये तैयार किये गये समिति के कार्यकलाप के कार्यक्रम का अनुमोदन ;

3[(ख) x x x]

(ग) गत सहकारी वर्ष के रोकड़-पत्र (balance sheet) और वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार, सिवाय उस दशा के जब कि नियमों में निर्दिष्ट अवधि के भीतर लेखा-परीक्षा पूरी न हुई हो;

(घ) गत सहकारी वर्ष के लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन पर नियत रीति से विचार, सिवाय उस दशा के जब नियत अवधि के भीतर लेखा-परीक्षा पूरी न हुई हो;

(ङ) आगामी सहकारी वर्ष के लिए समिति का अधिकतम दायित्व निश्चित करना;

(च) शुद्ध लाभ का निस्तारण;

(छ) आगामी सहकारी वर्ष के बजट पर विचार; और

(ज) ऐसे किसी अन्य विषय पर विचार जो उप-विधियों के अनुसार उनके समक्ष लाया जाय।

(2) धारा 31 में किसी बात के होते हुए भी सचिव का, और सचिव की अनुपस्थिति में प्रबन्धक कमेटी के सभापति का यह कर्तव्य होगा कि वह उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक बुलाये और ऐसा न करने पर निबन्धक, या उसके द्वारा तदर्थ यथाविधि, प्राधिकृत व्यक्ति वार्षिक सामान्य बैठक बुला सकता है।

33-(1) प्रबन्ध कमेटी, सहकारी समिति के कार्य-सम्पादन के लिए जब-जब आवश्यक हो, समिति के सामान्य निकाय की सामान्य बैठक (जिसे साधारण सामान्य बैठक कहा जाय बुला सकती है।

अन्य सामान्य बैठक

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 12, 1976 की धारा 9 द्वारा बढ़ाया गया।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 20, 2018 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।

3. उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 1994 की धारा 3 द्वारा निकाला गया।

(2) The committee of management shall call a general meeting of the general body of the society (to be called extraordinary general meeting) within one month after the receipt of a requisition in writing from the Registrar or from at least one-fifth of the members of the general body of the society. In default of the committee of management to call a meeting, the Registrar or any person duly authorized by him in this behalf shall have the power to call the extraordinary general meeting at such place and time as he may direct.

**Nominees of
the
Government
on the
Committee of
management**

¹[34. (1) Where the State Government has—

(a) subscribed directly to the share capital of a co-operative society under Chapter VI, or

(b) assisted indirectly in the formation or augmentation of the share capital of a co-operative society as provided in Chapter VI; or

(c) given loans or made advances to a co-operative society or guaranteed the repayment of principal and payment of interest or debentures issued by a co-operative society or guaranteed the repayment of principal and payment of interest on loans or advances to a co-operative society ;—

The State Government shall have the right to nominate on the committee of management of such society not more than two persons one of whom shall be a Government servant, so, however, that the Government servant shall not vote at an election of an office-bearer of the society;

²[Provided that where the society is engaged in production of sugar and—

(i) the share capital subscribed to by the State Government is not less than one crore rupees, or

(ii) the share of the State Government in the share capital of the society exceeds fifty per cent of the total share capital of the society, or

(iii) the State Government has given loans or made advances to the society or guaranteed the repayment of the principal or payment of interest on debentures issued by the society or guaranteed the repayment of principal and interest on loans and advances to the society and the amount exceeds fifty per cent in the aggregate of the total amount so borrowed by the society.

The State Government shall also have the right to nominate the Chairman of the Committee of Management, who shall be a Government servant, of such societies and their apex society, namely, the Uttar Pradesh Co-operative Sugar Factories Federation Ltd.]

[1. Subs. by sec. 4 of U.P. Act no. 4 of 1989.](#)

[2. Ins. by sec. 3 of U.P. Act no. 17 of 1995.](#)

(2) प्रबन्ध कमेटी, निबन्धक अथवा समिति के सामान्य निकाय के कम से कम 1/5 सदस्यों का लिखित अध्याचन प्राप्त होने के पश्चात् एक मास के भीतर समिति के सामान्य निकाय की एक सामान्य बैठक (जिसे असाधारण सामान्य बैठक कहा जायगा) बुलायेगी। प्रबन्ध कमेटी के उपर्युक्त बैठक न बुलाने पर निबन्धक अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान तथा समय पर जिस का वह निदेश दे असाधारण बैठक बुलाने का अधिकार होगा।

¹[34—(1) यदि राज्य सरकार ने—

प्रबन्ध कमेटी के लिए सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति

(क) अध्याय छः के अधीन किसी सहकारी समिति की अंशपूँजी में प्रत्यक्ष रूप से अंशदान दिया हो, या

(ख) किसी सहकारी समिति की अंशपूँजी के निर्माण या वृद्धि में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता दी हो, जैसी कि अध्याय छः में व्यवस्था की गयी है, या

(ग) किसी सहकारी समिति को ऋण या अग्रिम दिया हो या किसी सहकारी समिति द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्रों के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिये प्रत्याभूति दी हो या किसी सहकारी समिति को ऋण या अग्रिम के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिये प्रत्याभूति दी हो, तो राज्य सरकार को ऐसी समिति को प्रबन्ध कमेटी में दो से अनधिक व्यक्तियों को नाम-निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा, जिसमें से एक सरकारी सेवक होगा, किन्तु सरकारी सेवक समिति के किसी पदाधिकारी के निर्वाचन में मत नहीं देगा।

²[प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ कोई समिति चीनी उत्पादन में लगी हो, और—

(एक) राज्य सरकार द्वारा अभिदत्त अंशपूँजी एक करोड़ रुपये से कम न हो, या

(दो) समिति की अंशपूँजी में राज्य सरकार का अंश समिति की कुल अंशपूँजी के पचास प्रतिशत से अधिक हो, या

(तीन) राज्य सरकार ने समिति को ऋण या अग्रिम दिया हो या समिति द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्रों के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिये प्रत्याभूति दी हो या समिति को ऋण या अग्रिम के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिये प्रत्याभूति दी हो, जिसकी कुल धनराशि समिति द्वारा इस प्रकार उधार ली गई कुल धनराशि के योग के पचास प्रतिशत से अधिक हो;

यहाँ राज्य सरकार को ऐसी समितियों और उनकी शीर्ष समिति अर्थात् उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड की प्रबन्ध कमेटी का सभापति, जो कि एक सरकारी सेवक होगा नाम-निर्दिष्ट करने का भी अधिकार होगा।]

1. उ०प्र० अधिनियम सं० 4, 1989 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ०प्र० अधिनियम सं० 17, 1995 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।

¹[Provided further that in the case of a Co-operative Bank or the Uttar Pradesh Co-operative Bank the State Government shall nominate not more than one person who shall be a government servant in the committee of management thereof.

Provided also that on the Committee of Management of a Primary Agricultural Co-operative Credit Society, there shall be no nominee of the State Government.]¹

(2) A person nominated under sub-section (1) shall hold office during the pleasure of the State Government.

²[(3) The right of nomination vested in the State Government under this section may be delegated by it to any authority specified by it in that behalf.]

Explanation—For the purpose of this section any guarantee given by the Central Government on the recommendation of the State Government shall be deemed to be a guarantee given by the State Government.]¹

**Supersession
or
suspension of
Committee of
Management**

35. ³[(1) Where, in the opinion of the Registrar, the Committee of Management of any co-operative society persistently makes default or is negligent in the performance of the duties imposed on it by this Act or the rules or the bye-laws of the society or commits any act which is prejudicial to the interest of the society or its members, has failed to conduct the election in accordance with provisions of this Act before the expiry of the term of the Committee of Management or is otherwise not functioning properly, the Registrar after affording the Committee of Management a reasonable opportunity of being heard and obtaining the opinion of the General Body of the society in a general meeting called for the purpose in the manner prescribed may, by order in writing, supersede the Committee of Management ;

²[Provided that where under the prescribed circumstances it is not feasible to convene a general meeting of the General Body of the society, the Registrar may dispense with the requirement of obtaining the opinion of the General Body of the society;]

⁴[Provided further that in the case of Central Co-operative Bank or the Uttar Pradesh co-operative bank, the suspension or supersession of the Committee of Management shall not be made by the Registrar unless the Reserve Bank of India has been consulted ;

1. [Ins. by sec. 7 of U.P. Act no. 47 of 2007.](#)

2. [Ins by sec. 12 of U.P. Act no. 12 of 1990.](#)

3. [Subs. by sec. 4\(a\) of U. P. Act No. 13 of 2013.](#)

4. [Ins. by sec. 8\(a\) of U.P. Act no. 47 of 2007.](#)

¹[अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक या उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक की प्रबन्ध कमेटी में, राज्य सरकार एक से अनधिक ऐसे व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेगी जो सरकारी सेवक होगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति में राज्य सरकार का कोई नामनिर्देशिती नहीं होगा।]¹

(2) उपधारा (1) के अधीन नाम—निर्दिष्ट व्यक्ति सरकार के प्रसाद—पर्यन्त पद धारण करेगा।

²[(3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार में निहित नाम निर्देशन का अधिकार उसके द्वारा किसी ऐसे प्राधिकारी के प्रत्यायोजित किया जा सकता है, जिसे वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।]

स्पष्टीकरण :- इस धारा के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी कोई प्रत्याभूति राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति समझी जायगी।]¹

35-³ [(1) जहाँ निबन्धक की राय में किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी, इस अधिनियम या नियमों अथवा समिति की उपविधियों द्वारा उस पर आरोपित कर्तव्यों के पालन में बराबर चूक करती है अथवा उपेक्षा करती है, अथवा कोई ऐसा कार्य करती है, जो समिति अथवा उसके सदस्यों के हित के प्रतिकूल हो, या प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन कराने में विफल रही हो, या अन्यथा समुचित रीति से कार्य नहीं करती है तो निबन्धक प्रबन्ध कमेटी को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् और विहित रीति से उक्त प्रयोजन के लिये बुलाई गई सामान्य बैठक में समिति के सामान्य निकाय की राय प्राप्त करने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा, प्रबन्ध कमेटी को अवक्रान्त कर सकता है ;

प्रबन्ध कमेटी का
अनुक्रमण व
निलम्बन

[प्रतिबन्ध यह है कि जहां विहित परिस्थितियों के अधीन समिति के सामान्य निकाय की सामान्य बैठक बुलाना सम्भव नहीं है, तो निबन्धक के लिये समिति के सामान्य निकाय की राय लेना आवश्यक नहीं होगा ;]²

⁴[अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक या उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के मामले में प्रबन्ध कमेटी का निलम्बन या अवक्रमण निबन्धक द्वारा तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श न कर लिया गया हो ;

1. उ०प्र० अधिनियम सं० 47, 2007 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया।

2. उ०प्र० अधिनियम सं० 12, 1990 की धारा 12 द्वारा बढ़ाया गया।

3. उ० प्र० अधिनियम सं० 13, 2013 की धारा 4(क) द्वारा प्रतिस्थापित।

4. उ० प्र० अधिनियम सं० 47, 2007 की धारा 8(क) द्वारा बढ़ाया गया।

Provided also that the Committee of Management of the Primary agriculture Co-operative Credit society may be superseded by the Registrar only on any of the following grounds–

- (i) if a society incurs losses for three consecutive years, or
- (ii) if serious financial irregularities or fraud have been committed.
- (iii) if there are judicial directives to this effect or there is perpetual lack of the quorum :

Provided also that Committee of Management of any such co-operative society shall not be superseded or kept under suspension by the Registrar, there is no Government shareholding or loan or financial assistance or any guarantee by the Government.]¹

(2) Where the Registrar, while proceeding to take action under sub-section (1) is of opinion that suspension of the committee of management during the period of proceedings is necessary in the interest of the society, he may suspend the committee of management which shall thereupon cease to function, and make such arrangement as he thinks proper for the management of the affairs of the society till the proceedings are completed ;

Provided that if the committee of management so suspended is not superseded it shall be reinstated and the period during which it has remained suspended shall count towards its term.

²[Provided further that the proceeding under sub-section (1) shall be completed within one year with respect to a society carrying on the business of banking and within six months with respect to a society carrying on business other than banking and if it is not completed within stipulated period, the proceeding initiated under sub-section (1) shall be deemed to have dropped and the Committee of Management, if under suspension, shall stand reinstated.]

³[(3) Where the Registrar has superseded the committee of management under sub-section (1), he may appoint in its place-

- (a) a new committee consisting of one or more members of the society, or
- (b) an administrator or committee of administrators who need not necessarily be members of the society ;

Provided that if the Committee of Management is superseded under sub-section (1), the Committee of Management shall be reconstituted within three months from the date of supersession after holding the election in accordance with the provisions of this Act.]³

(4) The Registrar shall have the power to change the committee or any members thereof or the administrator or administrators appointed under clause (a) or (b) of sub-section (3) at his discretion during the period specified under that sub-section.

1. [Subs. by sec. 4 \(a\) of U.P. act No. 13 of 2013.](#)

2. [Ins. by sec. 4\(b\) of U. P. Act No. 13 of 2013. \(Provision earlier Ins. by U.P. Act No. 17, 1994, and deleted by U.P. Act no. 1 of 1997\)](#)

3. [Subs. by sec. 8\(b\) of U.P. Act no. 47 of 2007.](#)

प्रतिबन्ध यह भी है कि प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति की प्रबन्ध कमेटी को निबन्धक द्वारा केवल निम्नलिखित आधारों पर ही अवक्रमित किया जा सकता है :-

(एक) यदि कोई समिति लगातार तीन वर्षों से हानि उपगत करती हो, या

(दो) यदि गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें या कपट किया गया हो,

(तीन) यदि इस आशय का कोई न्यायिक निर्देश हों अथवा गणपूर्ती की निरन्तर कमी बनी रहें :

प्रतिबन्ध यह भी है कि जहां कोई सरकारी अंशधन (शेयर) धारकता न हो या सरकार द्वारा कोई ऋण या वित्तीय सहायता या कोई गारन्टी न हो तो, निबन्धक द्वारा किसी ऐसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का अवक्रमण या निलम्बन नहीं किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही करते समय निबन्धक की यह राय हो कि कार्यवाही की अवधि में प्रबन्ध कमेटी को निलम्बित करना समिति के हित में आवश्यक है तो वह प्रबन्ध कमेटी को निलम्बित कर सकता है जो तदुपरांत कार्य करना बन्द करदेगी, और कार्यवाही पूरी होने तक समिति के कार्यों के प्रबन्ध के लिये निबन्धक ऐसी व्यवस्था करेगा जो वह उचित समझे ;¹

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस प्रकार निलम्बित प्रबन्ध कमेटी अवकान्त न की जाय तो उसे पुनः स्थगित किया जायेगा और वह अवधि जिसमें वह निलम्बित रही हो उसके कार्यकाल की गणना करने से सम्मिलित की जायेगी।

² [अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि बैंककारी-व्यवसाय करने वाली किसी समिति के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही एक वर्ष के भीतर पूर्ण कर ली जायेगी और बैंकिंग व्यवसाय के भिन्न व्यवसाय करने वाली समिति के सम्बन्ध में छः मास के भीतर पूर्ण कर ली जायेगी, और यदि यह नियत अवधि में पूरी नहीं की जाती है तो उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भ की गयी कार्यवाही छोड़ दी गयी समझी जायेगी और प्रबन्ध कमेटी यदि निलम्बनाधीन हो तो पुनः स्थापित हो जायेगी।]

³ [(3) जहाँ निबन्धक ने उपधारा (1) के अधीन प्रबन्ध कमेटी का अवक्रमण किया हो, वह उसके स्थान पर निम्नवत् नियुक्ति कर सकता है :-

(क) एक नयी कमेटी जिसमें समिति के एक या अधिक सदस्य होंगे, या

(ख) कोई प्रशासक या प्रशासक कमेटी जिसके या जिनके लिए समिति का सदस्य होना आवश्यक नहीं है ;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपधारा (1) के अधीन प्रबन्ध कमेटी का अवक्रमण कर दिया जाय तो अवक्रमण के दिनांक से तीन माह के भीतर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचन कराने के पश्चात् प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन किया जायेगा।³

(4) निबन्धक को उपधारा (3) के खण्ड (क) अथवा (ख) के अधीन नियुक्त कमेटी अथवा उसके किन्हीं सदस्यों या प्रशासक अथवा प्रशासकों को समिति से उस धारा के अधीन निर्दिष्ट अवधि में बदलने का अधिकार होगा।

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 13, 2013 की धारा 4(क) द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 13, 2013 की धारा 4(ख) द्वारा बढ़ाया गया। (प्रतिबन्ध पूर्व में अधिनियम सं० 17, 1994 द्वारा बढ़ाया गया तथा उ० प्र० अधिनियम सं० 1, 1997 द्वारा हटाया गया।)

3. उ० प्र० अधिनियम सं० 47, 2007 की धारा 8(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

(5) The committee, administrator or administrators appointed under sub-section (3) and (4) shall, subject to any directions which the Registrar may from time to time give, have the power to exercise all or any of the functions of the committee of management or of any officer of the society and shall be deemed for all purposes under this Act, the rules and the bye-laws of the society to be the Committee of Management.

¹[(6) Before the expiry of the period specified under sub-section (3), the committee, administrator or administrators appointed under sub-section (3) and (4) shall arrange for the reconstitution of the Committee of Management in accordance with this Act, the rules and the bye-laws of the society to take over the management the co-operative society on the expiry of the said period.

Provided that the committee or an administrator or administrators whose term has expired before the commencement of this proviso shall arrange for re-constitution of the committee of management by]¹ [December 31, 1994]²

³[(7) The provisions ⁴[****]of section 29 shall apply in respect of re-constitution of the Committee of Management under this section.]

⁵[(8) The members of the superseded Committee of Management shall not be entitled to contest the election again for a period of three years from the date of supersession.]

¶[35-A. (1) Without prejudice to other provisions of this Chapter, where for two successive co-operative years (including any period before the commencement of this section—

(a) more than seventy percent of the total dues of any primary society, which is a credit society against its members during any co-operative year, remain unpaid at the end of such year ; or

(b) the number of defaulting members exceeds seventy percent of the total number of indebted members of such society, at the end of any such year,

Then, the Chairman and all members of the Committee of Management of any such society shall, upon an order coming into effect under sub-section (3), vacate their respective offices as such.

(2) The provisions of sub-section (1), as they apply to a primary credit society, shall **mutatis mutandis** apply to a financing bank with the substitution of references to 'seventy percent' by references to 'sixty percent'.

(3) In relation to any society or bank as referred to in sub-section (1) or sub-section (2), the Registrar may make such arrangement as he thinks proper for the management of the affairs of such society or bank, as the thinks fit and the provisions of sub-section (3), (4), (5) and (6) of section 35 shall **mutatis mutandis** apply.]

[1. Subs. by sec. 3 \(b\) of U. P. Act no. 5 of 1983 .](#)

[2. Subs. by sec. 4 of U. P. Act no. 7 of 1994.](#)

[3. Ins. by sec. 3\(c\) of U. P. Act no. 5 of 1983 .](#)

[4. Omitted by sec. 4\(d\) of U. P. Act no. 17 of 1994.](#)

[5. Ins. by sec. 8 \(c\) of U. P. Act no. 47 of 2007.](#)

[6. Ins. by sec. 11 of U. P. Act no. 12 of 1976.](#)

(5) उपधारा (3) और (4) के अधीन नियुक्त कमेटी, प्रशासक या प्रशासकों को किसी निर्देश के अधीन रहते हुये जो निबंधक समय-समय पर दे, प्रबंध कमेटी के या समिति के किसी अधिकारी के समस्त या कोई कृत्य करने का अधिकार होगा और वे इस अधिनियम, नियमों तथा समिति की उपविधियों के अधिन सभी प्रयोजनों के लिये प्रबन्ध कमेटी समझे जायेंगे।

¹ [(6) उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के व्यतीत हो जाने के पूर्व उपधारा (3) और (4) के अधीन नियुक्ति कमेटी या प्रशासक अथवा प्रशासकगण उक्त अवधि के व्यतीत होने पर सहकारी समिति का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी का पुर्नसंगठन करने की व्यवस्था करेंगे ;

प्रतिबन्ध यह है कि कमेटी या प्रशासक या प्रशासकगण जिनका कार्यकाल इस प्रतिबन्धात्मक खण्ड के प्रारम्भ के पूर्व समाप्त हो गया है, प्रबन्ध कमेटी के पुर्नसंगठन की व्यवस्था]¹ 2[31 दिसम्बर, 1994 तक करेंगे।]

³ [(7) धारा 29 ⁴ [* * *] के उपबन्ध इस धारा के अधीन प्रबन्ध कमेटी के पुर्नसंगठन के सम्बन्ध में लागू होंगे।]

[(8) अवक्रमित प्रबन्ध कमेटी का सदस्य अवक्रमण के दिनांक से अगले तीन वर्ष के लिये निर्वाचन में पुनः भाग लेने के लिये अर्ह न होंगे।]⁵

⁶ [35—क (1) इस अध्याय के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां दो लगातार सहकारी वर्षों के लिये (जिसके अन्तर्गत इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व की कोई अवधि भी है) —

(क) किसी प्रारम्भिक समिति का, जो ऋण समिति है, किसी सहकारी वर्ष से अपने सदस्यों के विरुद्ध कुल देयों का सत्तर प्रतिशत से अधिक ऐसे वर्ष के अन्त में अदत्त रह जाय, या

(ख) किसी ऐसे वर्ष के अन्त में बाकीदार सदस्यों की संख्या ऐसी समिति के ऋणी सदस्यों की कुल संख्या सत्तर प्रतिशत से अधिक हो जाय ;

वहां किसी ऐसे समिति की प्रबंध कमेटी के सभापति और सभी सदस्य उपधारा (3) के अधीन प्रभावी होने पर इस रूप में अपना-अपना पद रिक्त कर देंगे ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध, जिस प्रकार वे किसी प्रारम्भिक ऋण समिति पर लागू होते हैं वित्त पोषण बैंक पर आवश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रकार लागू माने जायेंगे मानों "सत्तर प्रतिशत" के निर्देश को "साठ प्रतिशत" के निर्देश द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

(3) किसी समिति या बैंक के संबंध में, जैसा कि उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट है, निबन्धक ऐसी समिति या बैंक के, जिसे वह उपयुक्त समझे, कार्यों के प्रबन्ध के लिये ऐसी व्यवस्था कर सकता है जिसे वह उचित समझे और धारा 35 की उपधारा (3), (4), (5) और (6) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।]

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 5, 1983 की धारा 3 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 7, 1994 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. उ० प्र० अधिनियम सं० 5, 1983 की धारा 3 (ग) द्वारा बढ़ाया गया ।

4. उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 1994 की धारा 4 (घ) द्वारा निकाला गया ।

5. उ० प्र० अधिनियम सं० 47, 2007 की धारा 8(ग) द्वारा बढ़ाया गया ।

6. उ० प्र० अधिनियम सं० 12, 1976 की धारा 11 द्वारा बढ़ाया गया ।

Securing possession of record etc.

36. (1) When the Committee of Management of a co-operative society is suspended or superseded under section 35 or if the society is ordered to be wound up under section 72 and outgoing members of the Committee of Management fail to hand over charge of the records and property of the society to a nominee of the Registrar or the Committee, the administrator or administrators appointed under sub-section (2), (3) and (4) of section 35, or the Liquidator, as the case may be, such nominee of the Registrar or the Committee, the administrator or administrators or the Liquidator may apply to any Magistrate within whose jurisdiction the society functions for securing the records and property of the society.

(2) On receipt of an application under sub-section (1) the Magistrate shall take such action as may be necessary to take possession of the records and property of the society and may authorize any police officer by warrant to take possession of such records and property, and the records and property so seized shall be handed over to the applicant.

Registrar's emergency powers to seize records etc.

37. (1) Where the Registrar is satisfied that the books and records of a co-operative society are likely to be tampered with or the funds and property of a society are likely to be misappropriated or misapplied, the Registrar may issue an order directing a person duly authorized by him in writing to seize and take possession of such books, records, funds and property of the society and the officer of the society responsible for the custody of such books, records, funds and property shall give delivery thereof to the person so authorized.

(2) A person authorized by the Registrar under sub-section (1) may for the purpose of execution of the said order request the officer-in-charge of the nearest police station to give him necessary police help and such police officer shall thereupon give him such help.

Removal of an officer of a co-operative society

38. (1) If in the opinion of the Registrar any officer of a co-operative society has contravened or omitted to comply with any provisions of this Act, the rules or the bye-laws of the society or has forfeited his right to hold office, the Registrar may, without prejudice to any other action that may or can be taken against him, call upon the society to remove within a specified period such officer from the office held by him and where necessary also to disqualify him from holding any office under that society for a period not exceeding three years whereupon officers concerned, pass such orders as it may deem fit.

¹[Provided that on the request of the Reserve Bank of India the competent authority shall remove a director or the secretary/chief executive officer of a Central Co-operative Bank or the Uttar Pradesh Co-operative Bank, who do not fulfill the criteria stipulated by the Reserve Bank of India after giving him an opportunity of being heard.]

[1. Ins. by sec. 9 of U. P. Act no. 47 of 2007.](#)

36—(1) यदि धारा 35 के अधीन किसी सहकारी समिति की प्रबंध कमेटी को निलम्बित अथवा अवकांत किया जाय अथवा यदि धारा 72 के अधिन समिति के समापन का आदेश दिया जाय और प्रबंध कमेटी के बहिर्गामी सदस्य, समिति के अभिलेख तथा सम्पत्ति का प्रभार यथास्थिति निबन्धक के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को अथवा धारा 35 की उपधारा (2), (3) और (4) के अधिन नियुक्ति कमेटी, प्रशासक या प्रशासकों अथवा परिसमापक को न दे तो निबन्धक का उक्त नाम—निर्दिष्ट व्यक्ति, प्रशासक या प्रशासकगण अथवा परिसमापक समिति के अभिलेख तथा सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिये किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त समिति कार्य करती हो, प्रार्थना—पत्र दे सकते हैं ।

अभिलेख आदि कब्जे में लेगा

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट ऐसी कार्यवाही करेगा जो समिति के अभिलेख और संपत्ति को कब्जे में लेने के लिये आवश्यक हो और किसी पुलिस अधिकारी को अधिपत्र द्वारा ऐसे अभिलेखों तथा संपत्ति के कब्जे में लेने के लिये प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार अभिगृहीत अभिलेख तथा संपत्ति प्रार्थी को दे दी जायगी।

37—(1) यदि निबन्धक का समाधान हो जाय कि सहकारी समिति की बहियाँ तथा अभिलेखों में अन्तर्क्षेप किये जाने की सम्भावना है या समिति की निधि और संपत्ति का दुर्विनियोग अथवा दुष्प्रयोग किये जाने की संभावना है तो निबन्धक किसी व्यक्ति को, जो उसके द्वारा लिखित रूप में यथाविधि प्राधिकृत किया हो, आदेश दे सकता है कि वह समिति की ऐसी बहियाँ, अभिलेखों, निधियों तथा संपत्ति का अभिग्रहण करे तथा उन्हें अपने कब्जे में ले ले और समिति का वह या वे अधिकारी जो ऐसी बहियों, अभिलेखों, निधियों तथा सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी हों, उन्हें इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति के सुपुर्द कर देंगे।

अभिलेखों आदि के अभिग्रहण करने के संबंध में निबन्धक के आपातक अधिकार

(2) उपधारा (1) के अधीन निबन्धक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उक्त आदेश का निष्पादन करने के लिये, निकटतम थाने के प्रभारी अधिकारी से आवश्यक पुलिस सहायता देने का अनुरोध कर सकता है और तदुपरान्त ऐसा पुलिस अधिकारी ऐसी सहायता देगा।

38—(1) यदि निबन्धक की राय में सहकारी समिति के किसी अधिकारी ने इस अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन किया है, या उसका पालन नहीं किया है, या पद धारण करने का अपना अधिकार खो दिया है, तो निबन्धक किसी ऐसी अन्य कार्यवाही पर, जो उसके विरुद्ध की जाय या की जा सकती हो प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समिति से ऐसे अधिकारी को निर्दिष्ट अवधि के भीतर, उसके पद से हटाये जाने के लिये, और यदि आवश्यक हो तो उसे उक्त समिति के अधीन तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिये कोई पद धारण करने से अनर्हित भी करने के लिये कह सकता है, जिसके उपरान्त समिति, संबद्ध अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश दे सकती है जो वह उचित समझे।

सहकारी समिति के अधिकार का हटाया जाना

¹[प्रतिबन्ध यह है कि रिजर्व बैंक के अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंक या उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के ऐसे निदेशक या सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त हटा दिया जायेगा जो रिजर्व बैंक के निर्धारित मानदण्ड को पूरा नहीं करते हैं।]

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 47, 2007 की धारा 9 द्वारा बढ़ाया गया ।

(2) On the failure of the society to take action under sub-section (1), the Registrar may after according opportunity of being heard to the officer and for reasons to be recorded, and communicated to the person and society concerned, remove or removed and disqualify for a period not exceeding three years, the officer from holding any office under that society.

(3) An officer removed under sub-section (1) or sub-section (2) shall, with effect from the date of communication of the order, cease to hold that office and if disqualified shall not be eligible to hold any office under that society for the period specified in the order.

CHAPTER -V

Privileges of Co-operative Society

**First charge
of co-
operative
society on
certain assets**

Act V of 1920

Act V of 1908

39. Notwithstanding anything contained in the Provincial Insolvency Act, 1920, or in the Code of Civil Procedure, 1908 or in any other enactment relating to land-tenure for the time being in force, any debt or outstanding demand due to a co-operative society by any member past or present or stranding against the estate of any deceased member, shall subject to any claim of the Central Government or the State Government arising from a loan granted by it before, but not after, the grant of the loan by the society, or in respect of land revenue or any sum recoverable as arrears of land revenue, be a first charge—

(a) if such debt or demand is due in respect of the supply of, or any loan to provide the means for, seed, manure, labour subsistence, fodder for cattle or any other thing incidental to the conduct of agricultural operations, upon the crops and agricultural produce of such member ;

(b) if such debt or demand is due in respect of any loans to provide the means for paying the rent or revenue of the land or for irrigation facilities, upon the land whose rent or revenue has been so paid or as the case may be, on which the irrigation facilities have been provided ;

(c) if such debt or demand is due in respect of supply of, or any loans to provide the means for the purchase of cattle, or other live-stock, or for the purchase, repair or maintenance for agricultural implements, transport equipments or equipment for dairy or for other activities relating to animal husbandry, or for making, repairing or purchasing of farm house or shed for cattle or for other live-stock or for making, repairing or purchasing of warehouse for storage of agricultural produce, then upon the farm-produce of such members and also upon the cattle, live-stock so purchased, or upon the equipments, warehouse, farmhouse or shed so purchased, repaired, maintained or made wholly or partially out of any such loan, and if the borrower is a landholder, then upon his land also, at any time within three years from the date on which the last installment of such loan becomes repayable ;

(d) if such debt or demand is due in respect of the supply of, or any loan for the purchase of, raw material, industrial implements, plant and machinery, workshops, warehouse or business premises upon the raw material or other things so supplied or purchased by such member and in the case of a debt or demand in respect of the supply, or for the purchase of raw materials, also upon the articles manufactured from such raw material ;

(e) if such debt or demand is due in respect of any loan for the purchase or redemption of land, upon the land so purchased or redeemed ;

(2) उपधारा (1) के अधीन समिति द्वारा कार्यवाही न करने पर, निबन्धक उक्त अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे तथा जिनकी संसुचना सम्बद्ध अधिकारी तथा समिति को दी जायगी, हटा सकता है, या हटाने के साथ-साथ उसे तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिये उक्त समिति के अधीन कोई पद धारण करने से अनर्हित कर सकता है।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन हटाया गया कोई अधिकारी आदेश की प्राप्ति के दिनांक से उस पद पर न रहेगा और यदि उसे अनर्हित कर दिया गया हो तो वह आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिये उक्त समिति के अधीन कोई पद धारण करने का पात्र न होगा।

अध्याय—5

सहकारी समितियों के विशेषाधिकार

39—प्राविंशियल इन्सालवेंसी ऐक्ट, 1920 अथवा कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 अथवा तत्समय प्रचलित भौमिक अधिकार विषयक किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुये भी, किसी ऋण या अदत्त मांग का, जो किसी भूतपूर्व अथवा वर्तमान सदस्य द्वारा सहकारी समिति को देय हो अथवा जो किसी मृत सदस्य की सम्पदा के विरुद्ध शेष हो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी ऐसे दावे के अधीन रहते हुये जो समिति द्वारा ऋण दिये जाने के पूर्व, न की उसके पश्चात् उसके (सरकार के) द्वारा दिये गये ऋण से उत्पन्न हो या मालगुजारी के संबंध में हो, अथवा मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने योग्य कोई धनराशी हो, निम्नलिखित पर प्रथम प्रभार होगा —

सहकारी समिति का
कतिपय
परिसम्पत्तियों पर
प्रथम प्रभार

ऐक्ट सं. 5, 1920
ऐक्ट सं. 5, 1908

(क) यदि उक्त ऋण या मांग बीज, खाद, श्रमिक निर्वाह, पशुओं के लिये चारा या अन्य किसी ऐसी वस्तु के जो कृषि संबंधी क्रियाओं के लिये प्रासंगिक हो, संभरण के संबंध में अथवा उनके साधनों की व्यवस्था करने के लिये किन्ही ऋणों के संबंध में देय हो, तो ऐसे सदस्य की फसलों तथा कृषि उपज पर ;

(ख) यदि उक्त ऋण या मांग भूमि का लगान या मालगुजारी के भुगतान के साधनों की अथवा सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये किन्ही ऋणों के संबंध में देय हो तो, यथास्थिती, उस भूमि पर जिसके लगान या मालगुजारी का उक्त रूप से भुगतान किया गया हो, अथवा व्यवस्थित सिंचाई की सुविधाओं पर ;

(ग) यदि उक्त ऋण या मांग पशु अथवा अन्य पशुधन के संभरण या उनके क्रय के साधनों की व्यवस्था करने, या कृषि उपकरणां, परिवहन सज्जा (Transport equipment) या दुग्धशाला अथवा पशुपालन से सम्बद्ध अन्य कार्यकलापों के लिये सज्जा का क्रय, मरम्मत अथवा संधारण करने, या फार्म हाउस या पशु अथवा अन्य पशुधन के लिये ओसारा (शेड) बनाने, मरम्मत या क्रय करने अथवा कृषि उपज के संग्रहार्थ गोदाम बनाने, मरम्मत या क्रय करने के संबंध में देय हो तो किसी ऐसे ऋण से पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से ऐसे सदस्यों की कृषि उपज पर और इस प्रकार क्रय किये गये, मरम्मत किये गये अथवा संधारित या बनाये गये सज्जा, गोदाम, फार्म हाउस या ओसारा पर, और यदि ऋण गृहीता क्षेत्रपति हो तो तब उसकी भूमि पर भी, ऋण की अन्तिम किस्त प्रतिदेय होने के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय ;

(घ) यदि उक्त ऋण या मांग कच्चा सामान, औद्योगिक उपकरणों, संयंत्र और मशीनों, कर्मशालाओं, गोदामों अथवा कारोबार के भुगहादिक सम्भरण के सम्बन्ध में या उनके क्रय के निमित्त ऋण के संबंध में देय हो, तो कच्चा माल या अन्य वस्तुओं पर जिनका इस प्रकार सम्भरण के संबंध में या उसके क्रय के लिये ऋण या मांग की दशा में, उस कच्चे माल से निर्मित वस्तुओं पर ;

(ङ) यदि उक्त ऋण या मांग भूमि के क्रय या विमोचन के प्रयोजनार्थ लिये गये किसी ऋण के संबंध में देय हो तो उस भूमि पर जो इस प्रकार क्रय या विमोचित की गई हो ;

(f) if such debt or demand is due in respect of any loan for the purchase or construction of any house or building or any portion thereof or in respect of the supply of materials for such constructions, upon the house or building or materials so purchased or constructed or supplied ; and

(g) if such debt or demand is due in respect of any loan of Rs. 500 or more for reclaiming or protecting land or for effecting improvement on land or for preparation of land for orchard or plantation or for purchase of cattle, agricultural implements, machinery, upon the land so sought to be reclaimed, protected, improved or prepared or upon the land for the use of which the implements or machinery are sought to be purchased and in case of purchase of cattle, upon any land of the borrower ;

Provided that along with the charge created under this section all other property of the indebted member including any amount payable to him by a society shall be liable to attachment and sale in execution of a decree in favour of the society irrespective of the object of the loan.

Deduction from salary to meet society's claim in certain cases

40. (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, but subject to such conditions, if any, as may from time to time be laid down by the State Government, a member of a co-operative society may execute an agreement in favour of the society providing that his employer shall be competent to deduct from the salary or wages payable to him by the employer such amount as may be specified in the agreement and to pay the amount so deducted to the society in satisfaction of any debt or other demand owing by the member to the society.

(2) Notwithstanding anything in any law for the time being in force, the employer shall, if so required by the co-operative society by requisition in writing and so long as such debt or demand or any part of it remains unpaid, make the deduction in accordance with the agreement executed under sub-section (1) and pay the amounts so deducted to the society within fourteen days from the date of the deduction.

(3) An employer who without sufficient cause fails to make the deduction in terms of sub-section (2), or having made any such deduction fails to pay the amount so deducted to the society within fourteen days from the date of deduction, shall be liable to the society to the extent of the amount which the employer has failed to deduct or to pay, as the case may be.

Charge and set-off in respect of shares of interest of members in the capital of a co-operative society

41. A co-operative society shall have a charge on the share or interest in the capital and on the deposits of a member, a past-member or a deceased member and on any dividend, bonus or profits, payable to a member or a past-member, or the heirs or legal representatives of a deceased member in respect of any debt or outstanding demand owing to the co-operative society and may notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, set off any sums so credited or payable to such member or his heirs or legal representatives towards payment of any such debt or outstanding demand ;

Provided that no financing bank to which a co-operative society is affiliated shall give a charge upon any sum invested in the financing bank as reserve fund by the society if the bank's share in the total amount of loans taken by the society is less than 75 percent or be entitled to set-off any such sum credited or payable to the society towards any debt due from such society.

(च) यदि उक्त ऋण या मांग किसी मकान या भवन अथवा उसके किसी भाग के निर्माणार्थ लिये गये किसी ऋण के संबंध में देय हो, तो उस मकान या भवन या सामग्री पर जो इस प्रकार क्रय, निर्मित या सम्भरित किया गया हो ; और

(छ) यदि उक्त ऋण या मांग भूमि का उद्धार या संरक्षण करने के लिये अथवा भूमि पर सुधार करने के लिये अथवा भूमि तैयार करने या फलोद्यान अथवा वृक्षारोपण के लिये या पशु, कृषि उपकरणों अथवा मशीनों का क्रय के लिये, लिये गये 500 रुपये या उससे अधिक के ऋण के संबंध में देय हो तो उस भूमि पर जिसका उद्धार, संरक्षण, सुधार करना हो या जिसे तैयार करना हो और पशु क्रय करने की दशा में ऋण-ग्रहीता (borrower) की किसी भूमि पर;

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन सृजित प्रभार के साथ-साथ ऋणी सदस्य की सभी अन्य संपत्ति जिसके अन्तर्गत समिति द्वारा उसको देय कोई भी धनराशि है, समिति के पक्ष में किसी डिग्री के निष्पादन में कुर्क की जा सकेगी और बेची जा सकेगी, चाहे ऋण का उद्देश्य कुछ भी रहा हो।

40—(1) तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, किन्तु ऐसी शर्त के अधीन रहते हुये, यदि कोई हों, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायें, सहकारी समिति का कोई भी सदस्य समिति के पक्ष में अनुबंध निष्पादित कर सकता है जिसमें यह व्यवस्थित हो कि उसका सेवायोजक उसके वेतन या मजदूरी में से, जो सेवायोजक द्वारा उसे देय हो उक्त अनुबंध में निर्दिष्ट धनराशि की कटौती करने और समिति के सदस्य द्वारा देय ऋण अथवा अन्य मांग की पूर्ति के लिये समिति को इस प्रकार की गई कटौती की धनराशि देने के लिये सक्षम होगा।

कतिपय दशाओं में समिति के दावे को पूरा करने के लिये वेतन से कटौती

(2) तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी सहकारी समिति के लिखित रूप में ऐसी अपेक्षा करने पर सेवायोजक, उस समय तक जब तक कि उक्त ऋण या मांग अथवा उसका कोई भाग शेष रहे, उपधारा (1) के अधीन निष्पादित अनुबंध के अनुसार उक्त कटौती करेगा और इस प्रकार की गई कटौती की धनराशियों का भुगतान कटौती के दिनांक से चौदह दिन के भीतर समिति को करेगा।

(3) यदि सेवायोजक, बिना पर्याप्त कारण के उपधारा (2) के अनुसार उक्त कटौती न करे अथवा ऐसी कटौती कर लेने के पश्चात् कटौती के दिनांक से चौदह दिन के भीतर समिति को इस प्रकार की गई कटौती की धनराशि का भुगतान न करे तो वह समिति के प्रति उतनी धनराशि का, जितनी कि उसने यथास्थिति, कटौती न की हो अथवा भुगतान न किया हो, देनदार होगा।

41—सहकारी समिति को देय किसी ऋण या अदत्त मांग के संबंध में सहकारी समिति का प्रभार किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा किसी मृत सदस्य के पूंजी के अंश अथवा हित पर और उसके द्वारा जमा की गई धनराशियों पर तथा किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य अथवा किसी मृत सदस्य के दायदों अथवा विधिक प्रतिनिधियों को देय लाभांश, बोनस अथवा लाभों पर होगा और समिति तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी विपरीत बात के होते हुये भी उस सदस्य या उसके दायदों अथवा विधिक प्रतिनिधियों के नाम में या उन्हें देय किन्ही धनराशियों में उक्त किसी ऋण अथवा मांग की धनराशि मुजरा कर सकती है ;

सहकारी समिति की पूंजी में सदस्यों के अंशों या हितों के सम्बन्ध में प्रभार और मुजराई

प्रतिबंध यह है कि किसी ऐसे वित्तपोषक बैंक का जिससे समिति संबद्ध हो, प्रभार उस वित्तपोषक बैंक में सहकारी समिति द्वारा रक्षित निधि (Reserve Fund) के रूप में जमा की गई किसी धनराशि पर न होगा, यदि समिति द्वारा लिये गये ऋण की कुल धनराशि में, बैंक अंश 75 प्रतिशत से कम हो, और न उसे समिति के नाम में जमा या उसे देय किसी ऐसी धनराशि में से ऐसी समिति से प्राप्त कोई ऋण मुजरा करने का हक होगा।

Share of interest not liable to attachment

42. Subject to the provisions of section 41, the share or interest of a member in the capital of a co-operative society shall not be liable to attachment or sale under any decree or order of a court of justice in respect of any debt or liability incurred by such member or past-member and an official assignee or a receiver under any law relating to insolvency shall not be entitled to, or have any claims on, such share or interest.

Exemption from compulsory registration of instruments Act XVI of 1908

43. Nothing in clauses (b) and (c) of sub-section (1) of section 17 of the Indian Registration Act, 1908, shall apply to—

(a) any instrument relating to shares in a co-operative society, notwithstanding that the assets of the society consist in whole or in part of immovable property ; or

(b) any debenture issued by any such society and not creating, declaring, assigning, limiting or extinguishing any right, title or interest to or in immovable property, except in so far as it entitles the holders to the security afforded by a registered instrument whereby the society has mortgaged, conveyed or otherwise transferred the whole or part of its immovable property or any interest therein to trustees upon trust for the benefit of the holder of such debentures ; or

(c) any endorsement upon or transfer of any debenture issued by any such society.

CHAPTER –VI

State Aid To Co-operative Societies

Promotion of Co-operative Movement by Government

44. (1) it shall be the duty of the State Government to encourage and promote the co-operative movement in the State and to take such steps in this direction as may be necessary.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions contained in sub-section (1), the State Government may—

(a) with a view to aid the growth of co-operative societies in general or of any class of co-operative societies, subscribe directly to the share capital of a co-operative society with limited liability with its consent;

(b) subject to any rules made in this behalf, provide money to a State-level co-operative society ¹[X X X] or the purchase of shares in other co-operative societies with limited liability.

[Provided that in case of a Co-operative Bank or a Primary Agriculture Credit Co-operative Society the state Government shall not subscribe more than twenty five percent in the share capital of such society and where the share capital of the State Government is more than twenty five percent, it shall bring down the same to twenty five percent or less and shall convert the rest of its share capital in grant to the society.] ²

(3) The State Government shall be entitled to dividend on its shares in any such co-operative society at the same rate as paid to other share-holder of the society.

Principal State partnership Fund

45. (1) An apex society which is provided with moneys by the State Government under section 44 shall, with such money, establish a Fund to be called the “Principal State Partnership Fund.”

1. Omit. by sec. 12 of U. P. Act no. 12 of 1976.

2. Ins. by sec. 10 of U. P. Act no. 47 of 2007.

42- धारा 41 के उपबंधों के अधीन रहते हुये, समिति की पूंजी में किसी सदस्य का अंश या हित, ऐसे सदस्य या भूतपूर्व सदस्य द्वारा उपगत किसी ऋण या दायित्व के संबंध में किसी न्यायालय की डिग्री या आदेश के अधीन न तो कुर्क हो सकेगा और न बेचा जा सकेगा और ऋणशोभा क्षमता (रिसीवर) ऐसे अंश या हित में किसी दावे का हकदार न होगा और न उस पर उसका कोई दावा होगा।

अंश या हित की
कुर्की न हो सकेगी

43- इन्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908 की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) और (सी) में दी हुई कोई बात निम्नलिखित पर प्रवृत्त न होगी —

संलेखों के अनिवार्य
निबन्धन से मुक्ति

(क) किसी सहकारी समिति में अंशों से संबद्ध कोई संलेख, भले ही समिति की परिसंपत्तियां पूर्णतः अथवा अंशतः अचल संपत्ति के रूप में हों ; या

ऐक्ट संख्या 16,
1908

(ख) ऐसी किसी समिति द्वारा जारी किया गया ऋण-पत्र, जो सिवाय उस मात्रा तक जहां तक कि वह धारी (holder) को ऐसे निबंधित संलेख से प्राप्य सुरक्षा का हकदार बनाता हो जिसके द्वारा समिति ने अपनी संपूर्ण अचल संपत्ति या उसका कोई भाग या उसमें कोई हित पूर्णतः या अंशतः न्यासधारियों को ऐसे ऋण-पत्र धारियों के हितार्थ न्यास के रूप में बंधक या हस्तान्तरित कर दिया हो, या अन्यथा संकगित कर दिया हो अचल संपत्ति में अधिकार, आगम या हित उत्पन्न, धाषित, अभ्यर्पित, सीमित या समाप्त न करता हो ; या

(ग) किसी ऐसी समिति द्वारा जारी किये गये किसी ऋण-पत्र पर कोई पृष्ठांकन या उसका संकगण।

अध्याय-6

सहकारी समितियों को राज्य की सहायता

44-(1) राज्य में सहकारी आन्दोलन को प्रोत्साहन तथा बढ़ावा देना और इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करना राज्य सरकार का कर्तव्य होगा।

सरकार द्वारा
सहकारी आन्दोलन
को बढ़ावा देना

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार—

(क) सामान्य रूप से सहकारी समितियों या किसी भी वर्ग की सहकारी समितियों के विकास में सहायता देने के उद्देश्य से, सीमित दायित्व वाली सहकारी समिति की अंश पूंजी () में उसकी सहमति से सीधे अभिदान कर सकती है ;

(ख) तदर्थ बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुये राज्य स्तर की किसी सहकारी समिति को ¹[X X X] सीमित दायित्व वाली अन्य सहकारी समितियों में अंशों के लिये धन दे सकती है।

[प्रतिबंध यह है कि सहकारी बैंक या प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति के मामलों में राज्य सरकार पच्चीस प्रतिशत से अधिक का अंशदान ऐसी समिति की अंशपूंजी में नहीं करेगी और जहां राज्य सरकार की अंशपूंजी पच्चीस से अधिक है, वहां राज्य सरकार इसे पच्चीस प्रतिशत अथवा कम कर देगी और शेष अंशपूंजी समिति को अनुदान में परिवर्तित कर देगी।]²

(3) राज्य सरकार, किसी ऐसी सहकारी समिति में अपने अंशों पर लाभांश उसी दर से पाने की हकदार होगी जो समिति के अन्य अंशधारियों को देय हो।

45-(1) कोई भी शीर्ष समिति जिसे धारा 44 के अधीन राज्य सरकार द्वारा धन दिया जाय, ऐसे धन से एक निधि की स्थापना करेगी जिसे "प्रमुख राज्य-भागिता-निधि" कहा जायेगा।

प्रमुख राज्य
भागिता-निधि

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 12, 1976 की धारा 12 द्वारा निकाला गया।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 47, 2007 की धारा 10 द्वारा बढ़ाया गया।

(2) An apex society shall utilize the Principal State Partnership Fund for the purpose of—

(a) directly purchasing shares in other co-operative societies with limited liability ;

(b) providing moneys to a co-operative society which includes in its membership other co-operative societies, to enable that society ¹[X X X] to purchase shares in other affiliated co-operative societies with limited liability (hereinafter in this Chapter referred to as primary societies) ;

(c) making payments to the State Government in accordance with the provisions of this Chapter ;

(d) making such other payments as may be permitted by the State Government after the requirements in sub-clauses (a), (b) and (c) have been met in full and for no other purpose.

**Subsidiary
State
Partnership
Fund**

46. (1) A central society which is provided with moneys by an apex society from the Principal State Partnership Fund shall, with such moneys, establish a fund to be called the Subsidiary state Partnership Fund.

(2) A central society shall utilize the Subsidiary state Partnership Fund for the purpose of—

(a) purchasing shares in primary societies ;

(b) making payments to the apex society in accordance with the provisions of this Chapter and for no other purpose.

**Approval of
State
Government
for purchase
of shares**

47. No share shall be purchased in a co-operative society from the moneys in the Principal State Partnership Fund or the Subsidiary State Partnership Fund except with the previous approval in writing of the State Government.

**Liability to
be limited in
respect of
certain
shares**

48. Where any shares are purchased in a co-operative society by—

(a) the State Government; or

(b) an apex society from the Principal State Partnership Fund; or

(c) a central society from the Subsidiary State Partnership Fund, the liability in respect of such shares shall, in the event of the co-operative society being wound up, be limited to the nominal value of the shares.

**Restrictions
on amount of
dividend**

49. An apex society which has purchased shares in other cooperative societies from the moneys in the Principal State Partnership Fund and a central society which has purchased shares in primary societies from the moneys in the Subsidiary State Partnership Fund shall be entitled only to such dividend on the said shares as if declared by the society concerned and is payable to other share-holders of that society.

1. Omit. by sec. 13 of U. P. Act no. 12 of 1976.

(2) शीर्ष समिति "प्रमुख राज्य-भुगिता-निधि" का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये ही प्रयोग करेगी, किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं—

(क) सीमित दायित्व वाली अन्य सहकारी समितियों के अंशों का सीधा क्रय ;

(ख) किसी सहकारी समिति को जिसके अर्न्तगत उसकी सदस्यता में अन्य सहकारी समितियां भी हैं धन देना जिससे कि वह समिति सीमित ¹[X X X] दायित्व वाली अन्य सम्बद्ध सहकारी समितियों के (जिन्हे आगे इस अध्याय में प्रारम्भिक समितियां कहा गया है) अंश कम कर सके ,

(ग) इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार राज्य सरकार को भुगतान करना ;

(घ) ऐसे अन्य भुगतान करना जिन्हे राज्य सरकार उपखण्ड (क), (ख) तथा (ग) में उल्लिखित अपेक्षाओं के पूर्णतः पूरा होने के पश्चात् अनुज्ञात करे।

46—(1) कोई केन्द्रीय समिति जिसे शीर्ष समिति प्रमुख राज्य भागिता निधि से धन दे, ऐसे धन से एक निधि की स्थापना करेगी जिसे "सहायक राज्य भागिता-निधि" कहा जायगा।

सहायक राज्य
भागिता निधि

(2) केन्द्रीय समिति, सहायक राज्य-भागिता-निधि को निम्नलिखित प्रयोजन के लिये ही प्रयुक्त करेगी, किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं —

(क) प्रारम्भिक समितियों में अंशों का क्रय ;

(ख) इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार शीर्ष समिति को भुगतान करना।

47—(1) प्रमुख राज्य-भागिता-निधि या सहायक राज्य-भागिता-निधि के धन से, किसी सहकारी समिति में कोई अंश राज्य सरकार के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना क्रय नहीं किया जायगा।

अंशों के क्रय के
लिये राज्य सरकार
का अनुमोदन

48—यदि किसी सहकारी समिति में,—

(क) राज्य सरकार द्वारा; या

(ख) प्रमुख राज्य-भागिता-निधि से शीर्ष समिति द्वारा; या

(ग) सहायक राज्य-भागिता-निधि से केन्द्रीय समिति द्वारा अंश क्रय किये जाये, तो सहकारी समिति के समापित हो जाने की दशा में, ऐसे अंशों के संबंध में दायित्व अंशों के अंकित मूल्य (nominal value) तक सीमित रहेगा।

कतिपय अंशों के
संबंध में दायित्व का
सीमित होना

49—शीर्ष समिति जिसने प्रमुख राज्य-भागिता-निधि के धन से अन्य सहकारी समितियों में अंश क्रय किये हों तथा केन्द्रीय समिति जिसने सहायक राज्य-भागिता-निधि के धन से प्रारम्भिक समितियों में अंश क्रय किये हों, उक्त अंश पर केवल ऐसे लाभांश की हकदार होंगी जो सम्बद्ध समिति द्वारा घोषित किया जाये और जो उस समिति के अन्य अंशधारियों को देय हों।

लाभांश की धनराशि
पर निर्बंधन

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 12, 1976 की धारा 13 द्वारा निकाला गया।

**Indemnity of
apex and
central
societies**

50. (1) If a co-operative society in which shares are purchased from the Principal State Partnership Fund is wound up or is dissolved, the State Government shall not have any claim against an apex society which purchased the shares in respect of any loss arising from such purchase, but the State Government shall be entitled to any moneys received in connection with such shares by the apex society in winding up proceedings or on dissolution, as the case may be.

(2) If a co-operative society in which shares are purchased from the Subsidiary State Partnership Funds is wound up or is dissolved, neither the State Government nor the apex society shall have any claim against the central society which purchased the shares in respect of any loss arising from such purchase; but the apex society shall be entitled to any moneys received in connection with such shares by the central society in winding up proceedings or on dissolution as the case may be, and such moneys shall be credited to the Principal State Partnership Fund.

**Disposal of
share capital
and
dividends
etc.**

51. (1) All moneys received by an apex society in respect of shares of other co-operative societies purchased from the moneys in the Principal State Partnership Fund on redemption of such shares, or by way of dividends or otherwise shall be credited to that Fund.

(2) All moneys received by a central society in respect of shares of primary societies purchased from the money in the Subsidiary State Partnership Fund on redemption of such shares or by way of dividends or otherwise, shall in the first instance be credited to that Fund and then transferred to the apex society which shall credit them to the Principal State Partnership Fund.

(3) All moneys and dividends referred to in sub-sections (1) and (2) shall, notwithstanding that the shares stand in the name of the apex society or the central society, as the case may be, paid to the State Government.

(4) Save as provided in sub-section (3) the State Government shall not be entitled to any other return on the moneys provided by it to an apex society under section 44.

**Disposal of
Principal
State
Partnership
Fund and
Subsidiary
State
Partnership
Fund on
winding up of
an apex or a
central
society**

52. (1) If an apex society which has established a Principal State Partnership Fund is wound up or is dissolved, all moneys to the credit of, or payable to, that Fund shall be paid to the State Government.

(2) If a central society which has established a Subsidiary State Partnership Fund is wound up or is dissolved, all moneys to the credit of, or payable to, that Fund shall be paid and credited to the Principal State Partnership Fund from which it received moneys under clause (b) of sub-section (2) of section 45.

**Principal
State
Partnership
fund and
Subsidiary
State
Partnership
Fund not to
form part of
the assets**

53. Any amount to the credit of a Principal State Partnership Fund or a Subsidiary State Partnership Fund shall not form part of the assets of the apex society or the central society, as the case may be.

50—(1) यदि कोई सहकारी समिति, जिसमें अंश प्रमुख राज्य-भागिता निधि से क्रय किये जायें, समापित या विघटित हो जाए, तो राज्य सरकार का उस शीर्ष समिति पर जिसने अंश क्रय किये हो ऐसे क्रय से होने वाली हानि के संबंध में कोई दावा ग्राह्य नहीं होगा, परन्तु राज्य सरकार, यथास्थिति समापन की कार्यवाही में अथवा विघटन पर शीर्ष समिति द्वारा ऐसे अंशों के सम्बन्ध में प्राप्त किसी भी धन की हकदार होगी।

शीर्ष तथा केन्द्रीय समितियों की क्षतिपूर्ति

(2) यदि कोई सहकारी समिति, जिसमें अंश सहायक राज्य-भागिता-निधि से क्रय किये जायें, समापित या विघटित हो जाय तो, न तो राज्य सरकार का और न शीर्ष समिति का, उस केन्द्रीय समिति के विरुद्ध जिसने अंश क्रय किये हों, ऐसे क्रय से होने वाली हानि के संबंध में कोई दावा ग्राह्य होगा, किन्तु शीर्ष समिति, यथास्थिति, समापन की कार्यवाही में अथवा विघटन पर, केन्द्रीय समिति द्वारा ऐसे अंशों के सम्बन्ध में प्राप्त किसी भी धनराशि की हकदार होगी, और ऐसा धन प्रमुख राज्य-भागिता-निधि में जमा कर दिया जायगा।

51—(1) किसी शीर्ष समिति द्वारा अन्य सहकारी समितियों के प्रमुख राज्य-भागिता-निधि से क्रय किये गये अंशों के संबंध में, ऐसे अंशों के विमोचन पर अथवा लाभांश पर या अन्य किसी रूप में प्राप्त समस्त धन उक्त निधि में जमा कर दिया जायेगा।

अंश पूंजी और लाभांश आदि का निस्तारण

(2) किसी केन्द्रीय समिति द्वारा प्रारम्भिक समिति के सहायक राज्य-भागिता-निधि से क्रय किये गये अंशों के सम्बन्ध में, ऐसे अंशों के विमोचन पर अथवा लाभांश या अन्य किसी रूप में प्राप्त समस्त धन प्रथमतः उक्त निधि में जमा किया जायगा और तत्पश्चात् उसे शीर्ष समिति को संक्रमित कर दिया जायेगा, जो उसे प्रमुख राज्य-भागिता निधि में जमा कर देगी।

(3) उपधारा (1) तथा (2) में निर्दिष्ट समस्त धन और लाभांशों का भुगतान इस बात के होते हुए भी कि अंश यथास्थिति, शीर्ष समिति या केन्द्रीय समिति के नाम में है, राज्य सरकार को किया जायगा।

(4) उपधारा (3) में की गयी व्यवस्था के अतिरिक्त, राज्य सरकार अपने द्वारा धारा 44 के अधीन शीर्ष समिति को दिये गये धन पर किसी अन्य लाभ की हकदार न होगी।

52—(1) यदि कोई शीर्ष समिति जिसने प्रमुख राज्य-भागिता-निधि स्थापित की हो, समापित या विघटित हो जाय, तो उक्त निधि के नाम में जमा या उक्त निधि को देय समस्त धन का भुगतान राज्य सरकार को किया जायगा।

शीर्ष या केन्द्रीय समिति के समापन पर प्रमुख राज्य-भागिता तथा राज्य-भागिता निधि का निस्तारण

(2) यदि कोई केन्द्रीय समिति जिसने सहायक राज्य-भागिता-निधि स्थापित की हो, समापित या विघटित हो जाय, तो उक्त निधि के नाम में जमा या उक्त निधि को देय समस्त धन का भुगतान उस प्रमुख राज्य-भागिता-निधि को किया जायगा तथा उसके नाम में जमा किया जायगा जिससे कि उसने धारा 45 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधिन धन प्राप्त किया हो।

53—प्रमुख राज्य-भागिता-निधि या सहायक राज्य-भागिता-निधि के नाम में जमा कोई धनराशि यथास्थिति, शीर्ष समिति या केन्द्रीय समिति की परिसम्पत्तियों का भाग न होगी।

प्रमुख राज्य-भागिता-निधि तथा सहायक राज्य-भागिता निधि परिसम्पत्तियों के भाग न होंगे

Terms and conditions for providing moneys

54. Subject to the foregoing provisions of this Chapter—

(a) the State Government may enter into an agreement with an Apex society setting out the terms and conditions on which it shall provide moneys to the apex society for the purpose specified in section 45 ;

(b) an apex society may, with the previous approval of the State Government, enter into an agreement with a central society, setting out the terms and conditions on which it shall provide moneys to that society from the Principal State Partnership Fund for the purpose specified in clause (a) of sub-section (2) of section 46.

Other forms of State-aid to cooperative societies

55. Subject to the rules made in this behalf, the State Government may—

(a) give loans or make advances to co-operative societies ;

(b) guarantee the repayment of principal and payment of interest on debentures issued by a co-operative society ;

(c) guarantee the repayment of principal and payment of interest on loans and advances to a co-operative society ; and

(d) give financial assistance in any other form including subsidies, to a co-operative society.

Provisions of this Chapter to override other laws

56. The provisions of this Chapter shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force.

CHAPTER VII

Properties and Funds of Co-operative Societies

Fund not to be divided

57. Except as otherwise specifically provided in this Act, no part of the funds other than the net profits of a co-operative society shall be paid by way of bonus or dividend or otherwise distributed among its members ;

Provided that a member may be paid remuneration on such scale as may be laid down in the bye-laws for any services rendered by him to the co-operative society.

Disposal of net profits

58. ¹[(1) the net profit of the Co-operative Society in a co-operative year shall be computed after deducting the following from its gross profit in that year—

(a) interest that is overdue ;

(b) managerial expenses ;

(c) contributions to the provident fund or gratuity fund of the employees ;

(d) interest on loans and deposits ;

(e) audit fee ;

(f) working expenses which include repairs rents, taxes and depreciation of property ;

1. Subs. by sec. 5 of U. P. Act no. 17 of 1994.

54—इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन रहते हुये—**निबन्धनों और शर्तों का उल्लेख**

(क) राज्य सरकार शीर्ष समिति के साथ एक अनुबन्ध कर सकती है जिसमें उन निबन्धनों और शर्तों का उल्लेख होगा जिन पर वह धारा 45 में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये शीर्ष समिति को धन देगी ;

(ख) कोई भी शीर्ष समिति, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से केन्द्रीय समिति के साथ एक अनुबन्ध कर सकती है जिसमें उन निबन्धनों और शर्तों का उल्लेख होगा जिन पर वह प्रमुख राज्य-भागिता-निधि से धारा 46 की उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये उक्त समिति को धन देगी।

55—तदर्थ बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुये राज्य सरकार—**सहकारी समितियों को राज्य की सहायता देने की अन्य रीतियां**

(क) सहकारी समितियों को ऋण या अग्रिम (एडवान्स) दे सकती है ;

(ख) सहकारी समिति द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्रों के मूलधन के प्रतिदान एवं ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूति (गारन्टी) दे सकती है ;

(ग) किसी सहकारी समिति को दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूति दे सकती हो ; और

(घ) किसी सहकारी समिति को किसी भी अन्य रीति से, जिसमें राज्य सहायताएं भी सम्मिलित हैं, वित्तीय सहायता दे सकती है।

56—तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी असंगत बात के होते हुये भी इस अध्याय के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

इस अध्याय के उपबन्ध अन्य विधियों की अभिभूत करेंगे**अध्याय-7****सहकारी समितियों की सम्पत्ति और निधियां**

57—इस अधिनियम में विशेष रूप से की गयी अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुये शुद्ध लाभ के अतिरिक्त सहकारी समिति की निधियों के किसी भाग का, सदस्यों में बोनस या लाभांश के रूप में या अन्यथा वितरण नहीं किया जायगा ;

निधियों का विभाजन नहीं होगा

प्रतिबन्ध यह है कि किसी सदस्य को उसकी ऐसी सेवाओं के लिये जो उसने सहकारी समिति के लिये की हों उपविधियों में दिये गये मान के अनुसार पारिश्रमिक दिया जा सकता है।

58—¹[(1)] किसी सहकारिता वर्ष में किसी सहकारी समिति का शुद्ध लाभ उस वर्ष में उसके सकल लाभ से निम्नलिखित को घटाने के पश्चात् संगणित किया जाएगा—

शुद्ध लाभ का निस्तारण

(क) ब्याज जो अतिशोध्य है ;

(ख) प्रबन्धकीय व्यय ;

(ग) कर्मचारियों के निधि या उपदान निधि के लिए अंशदान ;

(घ) ऋण और जमा पर ब्याज ;

(ङ) लेखा परीक्षा फीस ;

(च) चालू व्यय जिसमें, मरम्मत, किराया, कर और सम्पत्ति का ;

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 1994 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

(g) contribution to the fund created for writing off unadjusted bad debts and losses ;

Provided that a co-operative society may add to the net profit of a year, the interest which accrued in the previous year but which was recovered in the year.] ¹

(1-A) A co-operative society shall distribute the nit profits of a year as computed under sub-section (1), including the nit profits brought forward from the previous years in the following manner—

(a) an amount not less than twenty-five percent shall be transferred to a fund called the reserved fund ;

(b) not less than such amount as may be prescribed, shall be credited to a co-operative education fund to be established in the manner prescribed, and this shall be applicable to such co-operative societies also which incur loss in the year ;

²[Provided that the provisions of this clause shall not apply to a Primary Agriculture Credit Co-operative Society, a Central Co-operative Bank or the Apex Bank.]

(c) an amount that may be prescribed, shall be credited to the research and development fund created in the apex society of the concerned class of co-operative societies and which shall be maintained for the purpose of research and development in the prescribed manner ;]

³ [(d) an amount not exceeding twenty percent as may be prescribed shall be transferred to a fund called the Equity Redemption Fund to be established and utilized in the manner prescribed by such co-operative society which has the subscription of the State Government in its share capitals ;

Provided that the aggregate amount transferred by a co-operative society to such fund shall not exceed the amount subscribed by the State Government in the share capital of that co-operative society.]

(2) Subject to such conditions as may be prescribed, the balance of the net profits may be utilized for all or any of the following purposes, namely—

(a) payment of dividend to members on their paid-up share capital at a rate ⁴[not exceeding twenty percent] ;

(b) payment of bonus to members on the amount or volume of business done by them with the society to the extent and in the manner specified in the rules or the bye-laws ;

(c) constitution of, or contribution to ⁵[X X X] building fund, rural improvement fund or any other fund as may be specified in the rules or the bye-laws ;

[1. Subs. by sec. 5 of U.P. Act No. 17 of 1994.](#)

[2. Ins. by sec. 10 of U. P. Act No. 47 of 2007.](#)

[3. Ins. by sec. 2\(a\) of U. P. Act No. 25 of 1994.](#)

[4. Subs. by sec. 2\(b\) of U. P. Act No. 25 of 1994.](#)

[5. Omit. by sec. 5\(d\) of U.P. Act No. 17 of 1994.](#)

(छ) असमायोजित अशोध्य ऋणों और हानियों को बट्टे खाते में डालने के लिए सृजित निधि के लिए अंशदान ;

प्रतिबन्ध यह है कि सहकारी समिति पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्रोद्भूत ब्याज, जिसे उस वर्ष में वसूल किया गया है, वर्ष के शुद्ध लाभ से जोड़ सकती है]¹ ;

(1-क) सहकारी समिति उपधारा (1) के अधिन यथा संगणित किसी वर्ष के शुद्ध लाभ को, जिसमें पूर्व वर्षों का अग्रणीत शुद्ध लाभ सम्मिलित है, निम्नलिखित रीति से वितरित करेगी —

(क) ऐसी धनराशि जो 25 प्रतिशत से कम न हो एक निधि में संकलित की जाएगी जिसे रक्षित निधि कहा जाएगा ;

(ख) विहित रीति से स्थापित की जाने वाली सहकारी शिक्षा निधि में कम से कम इतनी धनराशि जो विहित की जाय जमा की जायेगी और यह ऐसी सहकारी समितियों पर भी लागू होगा जिनमें वर्ष में हानि उपगत हो ;

²[प्रतिबन्ध यह है कि प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति, केन्द्रीय बैंक एवं शीर्ष बैंक के सम्बन्ध में इस खण्ड के उपबन्ध लागू नहीं होंगे]]

(ग) ऐसी धनराशि जो विहित की जाय, सहकारी समितियों के सम्बन्धित वर्ग की शीर्ष समिति में सृजित शोध और विकास निधि में जमा की जायेगी और जिसे शोध और विकास के प्रयोजन के लिये विहित रीति में अनुरक्षित किया जायेगा]]

³ [(घ) ऐसी सहकारी समिति द्वारा जिसकी अंशपूँजी में राज्य सरकार का अभिदान हो बीस प्रतिशत से धनराशि जो विहित की जाय, एक निधि में, जिसे साधारण अंशपूँजी मोचन निधि कहा जायेगा और जिसकी स्थापना और उपयोग विहित प्रक्रिया में किया जायेगा, संक्रमित करेगी ;

प्रतिबन्ध यह है कि किसी सहकारी समिति द्वारा ऐसी निधि में संक्रमित धनराशि का कुल योग उस सहकारी समिति की अंशपूँजी में राज्य सरकार द्वारा अभिदत्त धनराशि से अधिक नहीं होगा]]

(2) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जाये, शुद्ध लाभ का शेष निम्नलिखित सभी या किसी प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया जा सकता है, अर्थात्—

(क) सदस्यों को उनकी दत्त अंश पूँजी पर [बीस प्रतिशत अनधिक]⁴ दर से लभांश का भुगतान ;

(ख) सदस्यों को व्यापार की, जो उन्होंने समिति के लाभ किया हो, राशि या मात्रा पर, उस सीमा तक और उस रीति से, जो नियमों या उपविधियों में निर्दिष्ट हों, बोनस का भुगतान ;

(ग) ⁵[X X X] भवन निधि, ग्राम सुधार निधि या किसी अन्य का, जो नियमों या उपविधियों में निर्दिष्ट की जाये संघटन या उसमें अंशदान ;

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 1994 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 47, 2007 की धारा 10 द्वारा बढ़ाया गया ।

3. उ० प्र० अधिनियम सं० 25, 1994 की धारा 2(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

4. उ० प्र० अधिनियम सं० 25, 1994 की धारा 2(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

5. उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 1994 की धारा 5(ख) द्वारा (शब्द अशोध्य ऋण निधि) निकाला गया ।

**Act VI of
1890**

(d) donation of amount not exceeding 5 percent for any charitable purpose as defined in section 2 of Charitable Endowments Act, 1890.

¹[Provided that no amount shall be donated to any organization, established for any charitable purpose, which has an object, whether directly or indirectly, to further the interest of any political party or a religious faith.]

²(e) [X X X]

²(f) [X X X]

(3) Subject to the provisions of any rules made in this behalf, the registrar may on the request of a co-operative society, exempt the society from contributing towards any of the funds or lower the percentage of contribution to such funds as mentioned in sub-section (1) and (2) or enhance the percentage of dividend mentioned in clause (a) of sub-section (2).

**Investment
of funds**

59. Subject to the provisions of the rules a co-operative society may invest or deposit its funds—

**Act II of
1982.**

(a) in any of securities specified in section 20 of the Indian Trust Act, 1882 ; or

(b) in the shares or debentures of any other co-operative society ;
or

(c) with any bank approved for this purpose by the Registrar ; or

(d) in any other mode as may be prescribed.

³[Provided that in the case of a Co-operative Credit society, the committee of management shall be competent to invest its surplus and other funds in any financial institution regulated by Reserve Bank in the interest of the society.]

**Restriction
of borrow in**

60. A co-operative society shall receive deposits and loans only to such extent and under such conditions as may be prescribed or as may be specified in the bye-laws.

⁴[Provided that a Primary Agriculture Credit Co-operative Society shall receive deposits only from its ordinary members admitted under section-17 of this Act and no other person shall be allowed to make deposit in a Primary Agriculture Credit Co-operative Society.]

**Restrictions
on loan**

61. (1) A co-operative society shall not make a loan to any person other than a member ;

Provided that with the general or special sanction of the Registrar a co-operative society may make loans to another co-operative society.

1. Ins. by sec. 2 (b) (ii) of U. P. Act no. 25 of 1994.
2. Omit. by sec. 5(d) (ii) of U. P. Act no. 17 of 1994.
3. Ins. by sec. 12 of U. P. Act no. 47 of 2007.
4. Ins. by sec. 13 of U. P. Act no. 47 of 2007.

(घ) चेरिटेबुल इन्डाउमेन्ट एक्ट, 1890 की धारा 2 में यथा परिभाषित किसी (charitable purpose) पूर्ण प्रयोजन के लिये 5 प्रतिशत से अधिक धनराशियों का दान ;

अधिनियम सं, 6,
1890

¹[प्रतिबन्ध यह है कि किसी पूर्व प्रयोजन के लिये स्थापित किसी ऐसी संस्था को, जिसका उद्देश्य किसी राजनैतिक दल या किसी धार्मिक आस्था के हित को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अग्रसर करना हो, कोई धनराशि संदत्त नहीं की जायेगी।]

²(ङ) [X X X]

²(च) [X X X]

(3) तदर्थ बनाये गये किन्ही नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये निबन्धक किसी सरकारी समिति के अनुरोध पर, किसी निधि में अंशदान करने से छूट दे सकता है या ऐसी निधि में अंशदान के प्रतिशत को कम करता है, जैसा कि उपधारा (1) और (2) में उल्लिखित है या उपधारा (2) के उपखण्ड (क) में उल्लिखित लाभांश के प्रतिशत को बढ़ा सकता है।

59—नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सहकारी समिति अपनी निधियों को निम्नलिखित में विनियोजित या जमा कर सकती है—

निधियों का
विनियोजन

(क) इंडियन ट्रस्ट ऐक्ट, 1882 की धारा 20 में निर्दिष्ट किसी प्रतिभूति में ; या

ऐक्ट सं, 2, 1882

(ख) किसी अन्य सहकारी समिति के अंश या प्रतिभूति में ; या

(ग) इस प्रयोजन के लिये निबन्धक द्वारा अनुमोदित किसी बैंक में ; या

(घ) किसी अन्य प्रकार से जो नियत किया जाय।

³[प्रतिबन्ध यह है कि सहकारी ऋण समिति के मामले में प्रबन्ध कमेटी अपने अधिशेष एवं अन्य निधियों को समिति के हित में रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी वित्तीय संस्थान में विनियोजित करने के लिए सक्षम होगी।]

60—सहकारी समिति निक्षेपों और ऋणों को केवल उसी सीमा तक और उन्हीं शर्तों के अधीन लेगी जो नियत की जायें या जो उपविधियों में निर्दिष्ट की जायें।

उधार लेने पर
निर्बन्धन

⁴[प्रतिबन्ध यह है कि प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति इस अधिनियम की धारा 17 के अधीन बनाये गये अपने साधारण सदस्यों से ही निक्षेप स्वीकार करेगी तथा ऐसे सदस्य से भिन्न किसी व्यक्ति को प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति में निक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।]

61—(1) सहकारी समिति सदस्य से भिन्न किसी व्यक्ति को ऋण नहीं देगी ;

ऋणों पर निर्बन्धन

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक की सामान्य या विशेष स्वीकृत से सहकारी समिति किसी अन्य सहकारी समिति को ऋण दे सकती है।

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 25, 1994 की धारा 2(ख) (ii) द्वारा बढ़ाया गया।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 1994 की धारा 5(ख) (ii) द्वारा निकाला गया।

3. उ० प्र० अधिनियम सं० 47, 2007 की धारा 12 द्वारा बढ़ाया गया।

4. उ० प्र० अधिनियम सं० 47, 2007 की धारा 13 द्वारा बढ़ाया गया।

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) a co-operative society may make a loan to a depositor on the security of his deposit.

(3) The state Government may by a notification in the Gazette generally or specially prohibit or restrict the lending of money on mortgage of immovable property by a co-operative society.

**Restrictions
on other
transactions
with non-
members**

62. Save as provided in sections 60 and 61 the transactions of a co-operative society, including making of deposits of its funds, with persons other than members shall be subject to such restrictions, if any, as may be prescribed.

**Contributory
Provident
Fund**

63. (1) A co-operative society having such number or class of employees as may be prescribed, shall establish a contributory provident fund for the benefit of such employees to which shall be credited all contributions made by the employees and the society in accordance with the bye-laws of the society.

(2) A contributory provident fund, established by a co-operative society under sub-section (1) shall not—

(a) be used in the business of the society ;

(b) form part of the assets of the society ;

(c) be liable to attachment or be subject to any other process of any court or other authority ; and

(d) be subject to a charge or liable to be set off towards payment of any debt or outstanding demand owing to a co-operative society under section 41.

CHAPTER-VIII

Audit, Inquiry, Inspection and Surcharge

Audit

64. (1) The Registrar, or any other person appointed by the state Government, shall audit or cause to be audited by a person authorized by him by general or special order in writing and possessing such qualifications as may be specified by the State Government in this behalf, accounts of every co-operative society, ¹[within six months of the close of the financial year to which such accounts relate.]

²[Provided that the audit of a Co-operative Bank shall be conducted by the Chartered Accountants from the panel approved by the National Bank Chartered Accountants shall be appointed by the concerned bank from the approved panel. The fees of Chartered Accountants shall be determined and paid by the concerned bank.]

Explanation— For the appointment of Chartered Accountants the panel approved by the National Bank shall be accepted by the]

¹. Subs. by sec. 5 (a) of U. P. Act no. 13 of 2013.

². Subs. by sec. 4 of U. P. Act no. 9 of 2011. (Proviso inserted by sec. 14 of U.P. Act No. 47, 2007)

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, सहकारी समिति किसी निक्षेपक को उसके निक्षेप की प्रतिभूति पर ऋण दे सकती है।

(3) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, किसी सहकारी समिति द्वारा अचल सम्पत्ति के बन्धक पर ऋण देने का सामान्यतः या विशेषतः प्रतिषेध कर सकता है या निर्बन्धित कर सकती है।

62-धारा 60 और 61 में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त, किसी सहकारी समिति के सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों के लाभ व्यवहार, जिनमें उसकी निधियों को जमा करना भी सम्मिलित है, ऐसे निर्बन्धनों के, यदि कोई हो, अधीन रहेंगे जो नियत किये जायें।

सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों के साथ अन्य व्यवहारों पर निर्बन्धन

63-(1) जिस सहकारी समिति के पास ऐसी संख्या में या ऐसे वर्ग के कर्मचारी हो, जो नियत किये जाये वह ऐसे कर्मचारियों के लाभ के लिये एक अंशदायी भविष्य निधि स्थापित करेगी, जिसमें समिति की उप-विधियों के अनुसार कर्मचारियों और समिति द्वारा किये गये सभी अंशदान जमा किये जायेंगे।

अंशदाई भविष्य निधि

(2) उपधारा (1) के अधिन किसी सहकारी समिति द्वारा स्थापित अंशदायी भविष्य निधि—

(क) समिति के कारोबार के लिये प्रयोग में नहीं लायी जायेंगी ;

(ख) समिति की परिसम्पत्तियों का भाग नहीं होगी ;

(ग) न कूर्क की जा सकेगी और न किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी की किसी अन्य आदेशिका के अधीन होगी ; और

(घ) धारा 41 के अधीन सहकारी समिति को देय किसी ऋण या अदत्त मांग का भुगतान करने के लिये प्रभार या मुजराई के अधीन न होगी।

अध्याय—8

लेखा परीक्षा, जांच, निरीक्षण और निर्धारण

64-(1) निबन्धक अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति प्रत्येक सहकारी समिति के लेखों की लेखा परीक्षा ¹[उस वित्तीय वर्ष की, जिससे लेख सम्बन्धित है, की समाप्ति के छः मास के भीतर] करेगा या ऐसे व्यक्ति द्वारा करायेगा जिसे उसने तदर्थ लिखित सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया हो जो ऐसी अर्हतायें रखता हो जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट की जायें।

लेखा परीक्षा

²[प्रतिबन्ध यह है कि किसी सहकारी बैंक की लेखा परीक्षा राष्ट्रीय बैंक द्वारा अनुमोदित पैनल के चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा की जायेगी। चार्टर्ड एकाउण्टेंटों की नियुक्ति अनुमोदित पैनल में से संबंधित बैंक द्वारा की जाएगी। चार्टर्ड एकाउण्टेंटों की फीस, सम्बन्धित बैंक द्वारा अवधारित और संदत्त की जाएगी।

स्पष्टीकरण:—चार्टर्ड एकाउण्टेंटों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय बैंक द्वारा अनुमोदित पैनल को सम्बन्धित बैंक की प्रबन्ध कमेटी द्वारा स्वीकार किया जाएगा और²

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 13, 2013 की धारा 5(क) द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 9, 2011 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित। (उ० प्र० अधिनियम सं० 47, 2007 की धारा 14 द्वारा बढ़ाया गया)।

Committee of Management of the concerned bank and thereafter the Chartered Accountants shall be appointed by the Chief Executive Officer/secretary of the bank.]¹

(2) The audit under sub-section (1) shall include an examination of overdue debts, if any, the verification of the cash balance and securities, and a valuation of the assets and liabilities of the society.

(3) The Registrar, or any other person appointed by the State Government under sub-section (1) or any other person authorized by him or the Registrar, as the case may be, shall at all times, have access to all the books, accounts, documents, papers, securities, cash and other properties belonging to, or in the custody of, the society and may summon any person in possession of, or responsible for the custody of, any such books, accounts documents, papers, securities, cash or other properties, to produce the same at the headquarters of the society or branch thereof.

(4) Every person who is or has at any time been an officer or employee of a society and every member and past-member of the society, shall furnish such information in regard to the transactions and working of the society as the Registrar or any other person appointed by the State Government under sub-section (1) or any person authorized by him or the Registrar, as the case may be, may require.

²[(5) Where the Reserve Bank requests for the special audit of a co-operative bank it shall be conducted and the report of such special audit shall be submitted to the Reserve Bank within the time stipulated in such request.]

³[(6) The audit report of accounts of every Apex Co-operative Society shall be laid before the State Legislature.]

**Inquiry by
the Registrar**

65. (1) The Registrar may, of his own accord, himself, or by a person authorized by him by order in writing, hold an inquiry into the constitution, working and financial condition of a co-operative society.

(2) An inquiry of the nature referred to in sub-section (1) shall be held by the Registrar or by a person authorized by him in writing in this behalf on the application of—

(a) a co-operative society to which the society concerned is affiliated ;

(b) not less than one-third of the total members of the society ;

(c) a majority of the members of the committee of management of the society.

(3) The Registrar, or the person authorized by him under sub-section (1) shall for the purposes of any inquiry under this section, have the following powers, namely—

1. *Subs. by sec. 4 of U. P. Act no. 9 of 2011.* (Proviso *inserted by sec. 14 of U.P. Act No. 47, 2007*)

2. *Ins. by sec. 14(b) of U. P. Act no. 47 of 2007.*

3. *Ins. by sec. 5(b) of U. P. Act no. 13 of 2013.*

तत्पश्चात् चार्टर्ड एकाउन्टेंटों की नियुक्ति बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी/सचिव द्वारा की जाएगी।¹

(2) उपधारा (1) के अधीन लेखा परीक्षा में वीतकाल (over-due) ऋणों का, यदि कोई हो, परीक्षण, रोकड़ बाकी और प्रतिभूतियों का सत्यापन और समिति की परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों का मूल्यांकन भी सम्मिलित होगा।

(3) निबन्धक या उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति अथवा यथास्थिति, उसके या निबन्धक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, सभी समयों पर, समिति की या समिति की अभिरक्षा में रखी गई सभी बहियों, लेखों, लेख्यों, पत्रादि, प्रतिभूतियों, नकदी और संपत्ति को देख सकेगा और वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके अधिकार में ऐसी कोई बहियां, लेखें, लेख्य, पत्रादि, प्रतिभूतियां, नकदी या अन्य सम्पत्तियां हों या जो इनके लिये उत्तरदाई हो, समिति के मुख्यालय में या उसकी किसी शाखा में प्रस्तुत करने के निमित्त आहूत कर सकता है।

(4) प्रत्येक व्यक्ति जो समिति का अधिकारी या कर्मचारी हो या किसी समय रहा हो और समिति का प्रत्येक सदस्य या भूतपूर्व सदस्य समिति के व्यवहारों और कार्य संचालन के सम्बन्ध में ऐसी सूचना देगा जिसकी निबन्धक या उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति अथवा, यथास्थिति, उसके या निबन्धक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अपेक्षा करे।

2[(5) जहां रिजर्व बैंक किसी सहकारी बैंक की विशेष लेखापरीक्षा के लिए अनुरोध करे तो इसे कराया जाएगा एवं विशेष लेखा परीक्षा की रिपोर्ट रिजर्व बैंक को उसके द्वारा ऐसे अनुरोध में निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध करायी जाएगी।]²

3[(6) प्रत्येक शीर्ष सहकारी समिति के लेखों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।]

65—(1) निबन्धक स्वतः या उसके लिखित आदेश द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति किसी सहकारी समिति के संगठन, कार्य संचालन और वित्तीय दशा की जांच कर सकता है। **निबन्धक द्वारा जांच**

(2) उपधारा (1) में अभिदिष्ट प्रकार की जांच निबन्धक द्वारा अथवा उसके द्वारा तदर्थ लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के प्रार्थना पत्र पर की जायेगी—

- (क) सहकारी समिति जिससे संबंधित समिति सम्बद्ध (affiliated) हो ;
- (ख) समिति के कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्य ;
- (ग) समिति की प्रबंध कमेटी के अधिकांश सदस्य।

(3) निबन्धक या उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को इस धारा के अधीन जांच के प्रयोजनों के लिये निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे; अर्थात्—

1. उ०प्र० अधिनियम सं० 9, 2011 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित। (उ०प्र० अधिनियम सं० 47, 2007 की धारा 14 द्वारा बढ़ाया गया)।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 47, 2007 की धारा 14(ख) द्वारा बढ़ाया गया।

3. उ० प्र० अधिनियम सं० 13, 2013 की धारा 5 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।

(a) he shall, at all times have access to the books, accounts, documents, securities, cash and other properties belonging to or in the custody of the society and may summon any person in possession of, or responsible for, the custody of any such books, accounts, documents, securities, cash or other properties, to produce the same at any place at the headquarters of the society or any branch thereof ;

(b) he may summon any person who he has reason to believe, has knowledge of any affairs of the society to appear before him at any place at the headquarters of the society or any branch thereof and may examine such person on oath ;

(c) he may, notwithstanding any rule or bye-law specifying the period of notice for a general meeting of the society require the officers of the society to call a general meeting at such time and place at the headquarters of the society or any branch thereof and to determine such matters as may be directed by him, and where the officers of the society refuse or fail to call such a meeting, he shall have power to call it himself ; and

(d) he may in the manner and for the purpose mentioned in clause (c) require to be called or himself call, a meeting of the committee of management.

(4) Any meeting called under clause (c) or clause (d) of sub-section (3) shall have the powers of the general meeting or meeting of the committee of management, as the case may be, under the bye-laws of the society and its proceedings shall be regulated by such bye-laws.

(5) When an inquiry is made under this section, the Registrar shall communicate the result of the inquiry to the society and, in the case of inquiry on an application under clause (a) of sub-section (2), also to the applicant co-operative society.

**Inspection
books and
property of a
co-operative
society**

66. (1) The Registrar may of his own motion, or on the application of a creditor of a co-operative society, inspect or direct any person authorized by him by order in writing in this behalf, to inspect books, cash and other property of the society ;

Provided that no such inspection shall be made on the application of a creditor unless the applicant satisfies the Registrar that a debt is still due to him and that he has demanded payment thereof and has not received satisfaction within a reasonable time.

(2) The Registrar shall communicate the results of any such inspection :—

(a) where the inspection is made of his own motion, to the society and

(b) where the inspection is made on the application of a creditor, to the creditor and the society.

**Costs of
inquiry**

67. Where an inquiry is held under section 65, or an inspection is made under section 66 on the application of a creditor, the Registrar may apportion the cost, or such part of the costs as he may deem fit,

(क) वह सभी समयों पर समिति की, या समिति की अभिरक्षा में, रखी गई, सभी बहियों, लेखों, लेख्यों, पत्रादि नकदी और अन्य संपत्ति को देख सकेगा और ऐसे व्यक्ति को, जिसके अधिकार में ऐसी कोई बहियां, लेखे, लेख्य, पत्रादि, प्रतिभूतियां, नकदी या अन्य संपत्ति हो या जो उनके लिये उत्तरदायी हो उन्हें प्रस्तुत करने के लिये समिति के मुख्यालय में या उसकी किसी शाखा में किसी भी स्थान पर आहूत कर सकता है ;

(ख) वह, ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके सम्बन्ध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसे समिति के किसी मामले का ज्ञान है, समिति के मुख्यालयों में या उसकी किसी शाखा में किसी भी स्थान पर उपस्थित होने के लिये आहूत कर सकता है और शपथ पर उसका बयान ले सकता है ;

(ग) वह, ऐसे किसी नियम या उपविधि के होते हुये भी जिसमें समिति की सामान्य बैठक के लिये नोटिस की अवधि निर्दिष्ट की गई हो, समिति के अधिकारियों से समिति के मुख्यालय में या उसकी किसी शाखा में ऐसे समय और स्थान पर और ऐसे विषयों का निर्णय करने के लिये, जिनका वह निर्देश दे, सामान्य बैठक बुलाने की अपेक्षा कर सकता है, और यदि समिति के अधिकारी ऐसी बैठक बुलाने से इन्कार करे या न बुलाये तो उसे स्वयं ऐसी बैठक बुलाने का अधिकार होगा ; और

(घ) वह उक्त रीति से और खण्ड (ग) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये प्रबन्ध कमेटी की बैठक बुलाने की अपेक्षा कर सकता है या स्वयं उसे बुला सकता है ;

(4) उपधारा (3) के खंड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन बुलाई गई किसी बैठक को समिति का उपविधियां के अधीन, यथास्थिति, सामान्य बैठक या प्रबन्ध कमेटी की बैठक के अधिकार होंगे और उसकी कार्यवाही उन्हीं उपविधियों द्वारा विनियमित होंगी ।

(5) जब इस धारा के अधीन कोई जांच की गयी तो निबन्धक जांच का परिणाम समिति को संसुचित करेगा और उस दशा में जब उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रार्थना-पत्र देने पर जांच हुई हो तो प्रार्थना-पत्र देने वाली सहकारी समिति को भी जांच का परिणाम संसुचित करेगा ।

66-(1) निबन्धक स्वतः या किसी सहकारी समिति के ऋणदाता के प्रार्थना-पत्र पर, समिति की बहियों नकदी तथा अन्य सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकता है या ऐसे व्यक्ति को उनके निरीक्षण करने का निदेश दे सकता है जिसे उसने लिखित आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया हो ;

सहकारी समिति की
बहियों और सम्पत्ति
का निरीक्षण

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई निरीक्षण किसी ऋणदाता के प्रार्थना-पत्र पर तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि प्रार्थी निबन्धक का यह समाधान न कर दे कि ऋण उसे तत्समय प्रतिदेय है, और यह कि उसने भुगतान की मांग की है और उचित समय के भीतर वह अदा नहीं की गयी है ।

(2) निबन्धक किसी ऐसे निरीक्षण या परिणाम निम्नलिखित को संसुचित करेगा:-

(क) जब वह स्वतः निरीक्षण करे तो समिति को, और

(ख) जब किसी ऋणदाता के प्रार्थना-पत्र पर निरीक्षण करे तो ऋणदाता और समिति को ।

67-यदि धारा 65 के अधीन जांच की जाय, अथवा ऋणदाता के प्रार्थना-पत्र पर जांच का व्यय धारा 66 के अधीन निरीक्षण किया जाय, तो निबन्धक व्यय का अथवा व्यय के उतने भाग का,

between the co-operative society to which the society concerned is affiliated, the society, the members or creditor demanding an inquiry or inspection and the officers or former officers of the society ;

Provided that—

(a) no order for such apportionment shall be made unless the society or the person south to be made liable to pay the costs thereunder has been afforded a reasonable opportunity of being heard ;

(b) the Registrar shall state in writing the grounds on which the costs are apportioned.

Surcharge

68. (1) If in the course of an audit, inquiry, inspection or the winding up of a co-operative society it is found that any person, who is or was entrusted with the organization or management of such society or who is or has at any time been an officer or an employee of the society, has made or caused to be made any payment contrary to this Act, the rules or the bye-laws or has caused any deficiency in the assets of the society by breach of trust or willful negligence or has misappropriated or fraudulently retained any money or other property belonging to such society, the Registrar may of his own motion or on the application of the committee, liquidator or any creditor, inquire himself or direct any person authorized by him by an order in writing in this behalf to inquire into the conduct of such person ;

Provided that no such inquiry shall be commenced after the expiry of twelve years from the date of any act or omission referred to in this sub-section.

(2) Where an inquiry is made under sub-section (1), the Registrar may, after affording the person concerned a reasonable opportunity of being heard, make an order of surcharge requiring him to restore the property or repay the money or any part thereof, with interest at such rate, or to pay contribution and costs or compensation to such an extent as the Registrar may consider just and equitable.

(3) Where an order of surcharge has been passed against any person under sub-section (2) for having caused any deficiency in the assets of the society by breach of trust or willful negligence, or for having misappropriated or fraudulently retained any money or other property belonging to such society, such person shall, subject to the result of appeal, if any, filed against such order, be disqualified from continuing in or being elected or appointed to an office in any co-operative society for a period of five years from the date of the order of surcharge.

**Registrar's
power to
order
remedying of
defects**

69. If as a result of audit held under section 64 or an inquiry under section 65, or an inspection under section 66, the Registrar is of opinion that the society is not working on sound lines, or its management is defective he may, without prejudice to any other action under this Act, make an order directing the society or its officers to take such action not inconsistent with this Act, the rules and the bye-laws as may be specified in the order to remedy the defects within the time specified therein.

जो वह उचित समझे, सहकारी समिति, जिससे सम्बंधित समिति सम्बद्ध हो, समिति सदस्य अथवा ऋणदाता जो जांच अथवा निरीक्षण की मांग करे और समिति के अधिकारियों अथवा भुतपूर्व अधिकारियों के बीच विभाजन कर सकता है ;

प्रतिबन्ध यह है कि –

(क) ऐसे विभाजन के लिये कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि समिति अथवा उस व्यक्ति को, जिसे उस आदेश में व्यय का देनदार ठहराया जा रहा हो, सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया गया हो ;

(ख) निबन्धक उन कारणों को लिखित रूप में व्यक्त करेगा जिनके आधार पर व्यय का विभाजन किया जायगा।

68–(1) यदि किसी सहकारी समिति की लेखा परीक्षा, जांच, निरीक्षण अथवा समापन करते समय यह पता चले कि किसी व्यक्ति ने जिसे इन समितियों के संघटन या प्रबंध का कार्य सौंपा गया है या सौंपा गया था अथवा जो समिति के किसी समय अधिकारी या कर्मचारी रहे हों कोई भुगतान इस अधिनियम, नियमों अथवा उपविधियों के प्रतिकूल किया है या कराया है या विश्वासघात करके अथवा जानबूझ कर उपेक्षा करके समिति की परिसम्पत्तियों को हानि पहुंचाया है या उक्त समिति के किसी धन या अन्य सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया है या उसे कपटपूर्वक रोक रखा है तो निबन्धक स्वतः अथवा कमेटी, परिसमापक या किसी ऋणदाता के प्रार्थना करने पर उक्त व्यक्ति के आचरण की स्वयं जांच कर सकता है अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे उसने लिखित आदेश द्वारा तदर्थ अधिकृत किया हो, उसकी जांच करने का निर्देश दे सकता है ;

अधिभार

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में अभिदिष्ट किसी भी कार्य अथवा कार्य-लोप के दिनांक से बारह वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् ऐसी कोई जांच आरम्भ न की जायगी।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन जांच की जाय तो निबन्धक सम्बंधित व्यक्ति को सुनवाई कर समुचित अवसर देने के पश्चात्, अधिभार का आदेश दे सकता है जिसमें वह उससे, सम्पत्ति को प्रत्यावर्तित करने अथवा उक्त धन अथवा उसके किसी भाग का प्रतिदान उस दर से ब्याज सहित करने अथवा उस मात्रा तक अंशदान और व्यय या प्रतिकर का भुगतान करने, जिसे निबन्धक न्यायपूर्ण और सामयिक समझे, की अपेक्षा कर सकता है ।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध विश्वासघात करके अथवा जानबूझ कर उपेक्षा करके समिति की परिसंपत्तियों को हानि पहुंचाने या उक्त समिति के किसी धन या अन्य संपत्ति का दुर्विनियोग या उसे कपटपूर्वक रोक रखने के लिये अधिभार का आदेश दिया गया हो तो, ऐसा व्यक्ति, ऐसे आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील के यदि कोई हो, परिणाम के अधीन रहते हुये अधिभार के आदेश के दिनांक से पांच वर्ष के लिये किसी सहकारी समिति में किसी पद पर बने रहने या निर्वाचित अथवा नियुक्त किये जाने के लिये अनर्ह होगा।

69–यदि धारा 64 के अधीन की गयी लेखा परीक्षा अथवा धारा 65 के अधीन की गयी जांच अथवा धारा 66 के अधीन किये गये निरीक्षण के परिणामस्वरूप निबन्धक की यह राय हो कि समिति सुस्थित रूप में कार्य नहीं कर रही है अथवा उसका प्रबंध त्रुटिपूर्ण है तो वह, इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा आदेश दे सकता है जिससे वह समिति अथवा उसके अधिकारियों को आदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर त्रुटियों को दूर करने के लिये ऐसी कार्यवाही करने का निर्देश दे, जो इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों से असंगत न हो और जो उक्त आदेश में निर्दिष्ट की जाय।

त्रुटि सुधार का
आदेश देने का
निबन्धक का
अधिकार

CHAPTER-IX

Settlement of Disputes

**Disputes
which may be
referred to
arbitration**

70. (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, if any dispute relating to the constitution, management or the business of a co-operative society other than a dispute regarding disciplinary action taken against a paid servant of a society arises—

(a) among members, past members and persons claiming through members, past members and deceased members, or

(b) between a member, past member or any person claiming through a member, past member or deceased member, and the society, its committee of management [hereinafter in this chapter referred to as the committee] or any officer, agent or employee or the society, including any past officer, agent or employee, or

(c) between the society or its committee and any past committee, any officer, agent or employee or any past officer, past agent or past employee or the nominee, heir or legal representative of any deceased officer, deceased agent or deceased employee of the society or

(d) between a co-operative society and any other co-operative society or societies,

such dispute shall be referred to the Registrar for action in accordance with the provisions of this Act and the rules and no court shall have jurisdiction to entertain any suit or other proceeding in respect of any such dispute ;

¹ [Provided that a dispute relating to an election under the provisions of this Act or rules made thereunder shall not be referred to the Registrar until after the declaration of the result of such election.]

(2) For the purposes of sub-section (1), the following shall be deemed to be included in disputes relating to the constitution, management or the business of a co-operative society, namely—

(a) claims for amounts due when a demand for payment is made and is either refused or not complied with whether such claims are admitted or not by the opposite party ;

(b) a claim by a society against the principal debtor where the society has recovered from the surety any amount in respect of any debt or demand due to it from the principal debtor as a result of the default of the principal debtor, whether such debt or demand is admitted or not;

(c) a claim by a society for any loss caused to it by a member, officer, agent, or employee including past or deceased member, officer, agent or employee, whether individually or collectively and whether such loss be admitted or not ; and

[1. Ins. by sec. 6 of U. P. Act no. 17 of 1977.](#)

अध्याय-9

विवादों का निपटारा

70-(1) तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, यदि सहकारी समिति के संगठन, प्रबन्ध अथवा कार्य के सम्बन्ध में, समिति के वेतन भोगी कर्मचारी के विरुद्ध की गयी अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बन्ध विवाद से भिन्न कोई विवाद—

विवाद जो मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजे जा सकते हैं

(क) सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों मृत सदस्यों के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच, अथवा

(ख) किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति, और समिति, उसकी प्रबन्ध कमेटी जिने आगे इस अध्याय में कमेटी अभिदिष्ट किया गया है, अथवा समिति के अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी जिनके अन्तर्गत भूतपूर्व अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी भी है, के बीच अथवा

(ग) समिति अथवा उसकी कमेटी और समिति की किसी भूतपूर्व कमेटी, या किसी अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी या किसी भूतपूर्व अधिकारी, भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति, या उसके दायद अथवा विधिक प्रतिनिधि के बीच, अथवा

(घ) किसी सहकारी समिति और किसी अन्य सहकारी समिति अथवा समितियों के बीच उत्पन्न हो,

तो वह इस अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही के लिये निबन्धक को अभिदिष्ट किया जायेगा और किसी ऐसे विवाद के संबंध में किसी न्यायालय को कोई वाद अथवा अन्य कार्यवाही ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त न होगा।

¹[प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन किसी निर्वाचन से सम्बन्धित कोई विवाद निबन्धक को तब तक निर्दिष्ट नहीं किया जायगा जब तक ऐसे निर्वाचन का परिणाम घोषित न कर दिया जाय।]

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए समिति के संघटन, प्रबन्ध अथवा कार्य के संबंध में विवादों में निम्नलिखित सम्मिलित समझे जायेंगे, अर्थात् —

(क) देय धनराशि के लिये दावे, जब भुगतान की मांग की जाय और यह या तो अस्वीकृत कर दी जाय अथवा उसका अनुपालन न किया जाय, चाहे ऐसे दावे विरोधी पक्ष द्वारा स्वीकार किये गये हों अथवा न किये गये हों ;

(ख) प्रतिभू द्वारा मुख्य ऋणी के विरुद्ध दावा, जब समिति ने ऐसे ऋण या मांग के संबंध में जो उसे मुख्य ऋणी द्वारा देय हो, कोई धनराशी मुख्य ऋणी की चूक के फलस्वरूप प्रतिभू से वसूल कर ली हो, चाहे ऐसा ऋण या मांग स्वीकार की गयी हो अथवा नहीं ;

(ग) समिति द्वारा किसी ऐसी हानि के लिए दावा जो उसे किसी सदस्य, अधिकारी, अभिकर्ता अथवा कर्मचारी से पहुंची हो, जिसके अन्तर्गत भूतपूर्व या मृत सदस्य, अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी भी है, चाहे वह हानि व्यक्तिगत रूप से पहुंचायी गयी हो या सामुहिक रूप से और चाहे ऐसी हानि स्वीकार की गयी हो या नहीं ; तथा

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 1977 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया।

(d) all matters relating to the objects of the society mentioned in the bye-laws as also those relating to the election of office-bearers.

(3) If any question arises whether a dispute referred to the Registrar under this section is a dispute relating to the constitution, management or the business of a co-operative society, the decision thereon of the Registrar shall be final and shall not be called in question in any court.

**Reference of
dispute to
arbitration**

71. On receipt of a reference under sub-section (1) of section 70, the Registrar may, subject to the provisions of the rules, if any—

(a) decide the dispute himself ; or

(b) refer it for decision to an arbitrator appointed by him; or

(c) refer it, if the parties so request in writing, for decision to a board of arbitrators consisting of three persons to be appointed in the prescribed manner.

(2) The Registrar may, for reasons to be recorded withdraw any reference made under clause (b) or (c) or sub-section (1) and refer it to another arbitrator or board of arbitrators or decide it himself.

(3) The Registrar, the arbitrator or the board of arbitrators, to whom a dispute is referred for decision under this section may, pending the decision of the dispute make such interlocutory orders including attachment of property as he or they may deem necessary in the interest of justice.

(4) The decision given by the Registrar, the arbitrator or the board of arbitrators under this section shall hereinafter be termed as award.

(5) The procedure to be followed by the Registrar, the arbitrator or the board of arbitrators in deciding a dispute and making an award under this section shall be as may be prescribed.

**Powers of
creditor
society
against
debtor
society and
its members**

[¹71-A. (1) If a co-operative society is unable to pay its debts (hereinafter in this section referred to as the debtor-society) by reason of its members defaulting in the payment of the moneys due to another co-operative society (hereinafter in this section referred to as the creditor-society), and the Committee of Management of the debtor-society omits or neglects to take necessary steps for recovery of money due from its members, the creditor-society may, notwithstanding anything in this Act, direct the said committee by a notice in writing to proceed against the defaulting members in accordance with the provisions of [section 70, section 91, section 92 or section 95-A]² as the case may be.

(2) If the Committee of Management of the debtor-society fails to comply with the notice referred to in sub-section (1) within a period of thirty days from the date of service of such notice, the creditor-society may itself proceed against such defaulting members in accordance with

1. *Ins. by sec. 14 of U. P. Act no. 12 of 1976.*

2. *Subs. by sec. 6 of U.P. Act No. 17 of 1994 (for s. 70 or s. 92)*

(घ) उपविधियों में उल्लिखित समिति के उद्देश्यों से सम्बद्ध सभी विषय और पदाधिकारियों (office-bearers) के निर्वाचन से सम्बद्ध विषय भी।

(3) यदि यह प्रश्न उठे कि धारा के अधीन निबन्धक को अभिदिष्ट कोई विवाद, सहकारी समिति के संघटन, प्रबन्ध अथवा कार्य के संबंध में विवाद है या नहीं तो उस पर निबन्धक का निर्णय अंतिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

71—(1) धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन अभिदेश प्राप्त होने पर निबन्धक नियमों, यदि कोई हों, के उपबन्धों के अधीन रहते हुये—

मध्यस्थ को विवाद का अभिदेश

(क) विवाद का स्वयं निर्णय कर सकता है ; अथवा

(ख) उसे निर्णय के लिये अपने द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को अभिदिष्ट कर सकता है; अथवा

(ग) यदि पक्ष लिखित रूप में अनुरोध करें तो उसे निर्णय के लिये ऐसे मध्यस्थ मंडल को अभिदिष्ट कर सकता है जिसमें तीन सदस्य होंगे जो नियत रीति से नियुक्त किये जायेंगे।

(2) निबन्धक उपधारा (1) के खंड (ख) या (ग) के अधिन किये गये अभिदेश को उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, वापस ले सकता है और उसे दुसरे मध्यस्थ या मध्यस्थ मंडल को अभिदिष्ट कर सकता है अथवा उस पर स्वयं निर्णय दे सकता है।

(3) निबन्धक अथवा मध्यस्थ या मध्यस्थ मंडल जिसे इस धारा के अधीन कोई विवाद निर्णय के लिये अभिदिष्ट किया गया हो, विवाद के निर्णय होने तक न्याय हित में ऐसे विवादकालीन आदेश (interlocutory order) जिनके अन्तर्गत सम्पत्ति की कुर्की भी है, दे सकता है जो वह आवश्यक समझे।

(4) इस धारा के अधीन निबन्धक, मध्यस्थ अथवा मध्यस्थ मंडल द्वारा दिया गया निर्णय, आगे अभिनिर्णय कहा जायगा।

(5) इस धारा के अधीन किसी विवाद का निर्णय करने और अभिनिर्णय देने में निबन्धक, मध्यस्थ या मध्यस्थ मंडल द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जो नियत की जाय।

1[71-क] (1) यदि कोई सहकारी समिति (जिसे आगे इस धारा में ऋणी समिति कहा गया है) अपने ऋण का भुगतान किसी अन्य सहकारी समिति को (जिसे आगे इस धारा में ऋणदाता समिति कहा गया है) इस कारण करने में असमर्थ है कि उसके सदस्यों ने धन का भुगतान करने में चूक किया है और ऋणी समिति की प्रबन्ध कमेटी ने अपने सदस्यों से प्राप्त धन की वसूली के लिये आवश्यक कार्यवाही करने में लोप या उपेक्षा बरती है तो इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, ऋणदाता समिति लिखित नोटिस द्वारा उक्त कमेटी को चूक करने वाले सदस्यों के विरुद्ध **2[धारा 70, धारा 92 या धारा 95 क]** के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश दे सकती है।

ऋणदाता समिति का ऋणी समिति और उसके सदस्यों के विरुद्ध अधिकार

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस का अनुपालन उस नोटिस की तामील के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर ऋणी समिति की प्रबन्ध कमेटी नहीं कराती है, तो चूक करने वाले ऐसे सदस्यों के विरुद्ध ऋणदाता समिति स्वयं

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 12, 1976 की धारा 14 द्वारा बढ़ाई गई।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 1994 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

the provisions of ¹[section 70, section 91, section 92 or section 95-A] as the case may be, as if they were members of the creditor-society and in that event the provisions of this Act and the rules made thereunder and the bye-laws of the debtor-society shall so apply as if all references to the debtor-society and its Committee of Management and officers in the said provisions were references to the creditor-society and its Committee of Management and officers.

(3) Where the creditor-society has in respect of any money due from the debtor-society, obtained an award or order referred to in section 92 against the debtor-society, the creditor-society may proceed to recover such money in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder, either from the assets of the debtor-society or from the members thereof to the extent of the debts due from them to the debtor-society, or from both.]

CHAPTER –X

Winding Up and Dissolution of Co-operative Societies

Winding up of co-operative societies

72. (1) If the Registrar, after an enquiry has been held under section 65, or an inspection has been made under section 66 or on receipt of an application made by not less than three-fourth of the members of a co-operative society, is of the opinion that the society ought to be wound up, he may pass an order directing it to be wound up.

(2) The Registrar may of his own motion and after giving such notice as may be prescribed pass an order directing the winding up of a co-operative society—

(a) where the registration of the co-operative society was obtained by fraud or mistake ; or

(b) where the member of ordinary members has been reduced to less than such minimum as provided in section 6 for the registration of such society ; or

(c) where the co-operative society has not commenced working within a reasonable time or has ceased to function ; or

(d) where the co-operative society is no longer fulfilling its objects or complying with the requirements of clause (d) of sub-section (1) of section 7.

Liquidator

73. (1) Where the Registrar has made an order under section 72 for the winding up of a co-operative society, he may appoint a person to be a liquidator for the purpose and, if necessary, fix his remuneration.

(2) A liquidator shall on appointment, take into his custody or under his control all the property, effects and actionable claims to which the society is or appears to be entitled and shall take such steps as he may deem necessary or expedient, to prevent loss or deterioration of, or

1. [Subs. by sec. 6 of U. P. Act no. 17 of 1994.](#)

1[यथास्थिति धारा 70, धारा 91, धारा 92 या धारा 95—क] के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही कर सकती है मानो वह ऋणदाता समिति के सदस्य हों और उस दशा में इस अधिनियम और इसके अधीन बने नियम और ऋणी समिति की उप विधियों के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानों उक्त उपबन्धों में ऋणी समिति और उसकी प्रबन्ध कमेटी और अधिकारियों के प्रति निर्देश ऋणदाता समिति और उसके प्रबन्ध कमेटी और अधिकारियों के प्राप्त निर्देश हों।

(3) जहां ऋणदाता समिति ने ऋणी समिति द्वारा देय किसी धन के सम्बन्ध में ऋणी समिति के विरुद्ध धारा 92 में निर्दिष्ट अभिनिर्णय या आदेश प्राप्त कर लिया है, वहां ऋणदाता समिति इस अधिनियम के ओर इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार या तो ऋणी समिति की परिसम्पत्तियों से, या उसके सदस्यों से ऋणी समिति को उनसे प्राप्य ऋण की मात्रा तक या दोनों से ऐसे धन की वसूली के लिये कार्यवाही कर सकती है।]

अध्याय—10

सहकारी समितियों का समापन और विघटन

72—(1) यदि धारा 65 के अधीन जांच हो जाने अथवा धारा 66 के अधीन निरीक्षण के लिये जाने के पश्चात अथवा सहकारी समिति के कम से कम तीन चौथाई सदस्यों द्वारा दिये गये प्रार्थना—पत्र के प्राप्त होने पर, निबन्धक की राय हो कि समिति का समापन हो जाना चाहिये, तो वह उसके समापन कर दिये जाने का आदेश दे सकता है।

सहकारी समितियों
का समापन

(2) निबन्धक स्वतः तथा ऐसा नोटिस देने के पश्चात जो नियत किया जाय निम्नलिखित दशाओं में सहकारी समिति को समापित कर देने का आदेश दे सकता है —

(क) यदि सहकारी समिति का निबन्धन कपट या भूल से प्राप्त किया गया हो ; अथवा

(ख) यदि साधारण सदस्यों की संख्या उस न्यूनतम संख्या से भी कम हो गयी हो, जो धारा 6 द्वारा ऐसी समिति के निबन्धन के लिये व्यवस्थित है ; अथवा

(ग) यदि सहकारी समिति ने समुचित समय के भीतर कार्य करना आरम्भ न किया हो अथवा कार्य करना बन्द कर दिया हो ; अथवा

(घ) यदि सहकारी समिति अपना उद्देश्य पूरा न कर रही हो या धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (घ) की अपेक्षाओं की पूर्ति न कर रही हो।

73—(1) यदि निबन्धक ने धारा 72 के अधीन सहकारी समिति के समापन का आदेश दिया हो, तो वह इस प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को परिसमापक नियुक्त कर सकता है, और यदि आवश्यक हो, तो उसका पारिश्रमिक निश्चित कर सकता है।

परिसमापक

(2) नियुक्त होने पर, परिसमापक ऐसी सभी सम्पत्ति, सामान और अभियोज्य दावों (actionable claim's) को जिनकी समिति हकदार हो या प्रतीत हो, अपनी अभिरक्षा में अथवा अपने नियंत्रण में ले लेगा और ऐसी सम्पत्ति, सामान और दावों की हानि या ह्रास और क्षति रोकने के लिये ऐसी कार्यवाही करेगा जो वह आवश्यक या इष्टकर समझे।

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 1994 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

damage to, such property, effects and claims. The liquidator shall keep full accounts of all such property, effects and actionable claims and be responsible for their safe custody.

(3) Where an appeal is preferred under section 98 against an order of winding up of a co-operative society passed under section 72, the further winding up proceedings shall be stayed by the liquidator until the order is confirmed in appeal ;

Provided that the liquidator shall continue to have custody or control of the property, effects and actionable claims mentioned in sub-section (2) and have authority to take the steps referred to in that sub-section.

(4) Where an order winding up a co-operative society is set aside in appeal, the property, effects and actionable claims of the society shall re-vest in the society.

Power of liquidator

74. (1) Subject to any rules made in this behalf the whole of the assets of a co-operative society in respect of which an order for winding up has been passed, shall vest in the liquidator appointed under section 73 from the date on which the order takes effect and the liquidator shall have power to realize such assets by sale or otherwise.

(2) Such liquidator shall also have power, subject to the control of the Registrar—

(a) to institute and defend suits and other legal proceedings on behalf of the co-operative society by the name of his office ;

(b) to determine from time to time the contribution (including debts and other dues) to be made or remaining to be made by the members or past members or by the estates or nominees, heirs or legal representatives or deceased members or by any officer or past officer, to the assets of the society, after giving to the person or persons concerned an opportunity to answer the claim ;

(c) to fix the time, which will not be less than thirty days in any case, within which the creditors shall prove their debts and claims or be included for the benefit of any distribution made before their debts or claims are proved, and to give notice of such time in the manner prescribed ;

(d) to investigate all claims against the co-operative society and subject to the provisions of this Act, to decide questions of priority, arising between claimants ;

(e) to pay claims against the co-operative society including interest up to the date of winding up according to their respective priorities, if any, in full or rate ably, as the assets of the society may permit, the surplus, if any remaining after payment of the claims being applied in payment of interest from the date of such order of winding up at a rate fixed by him but not exceeding the contract rate in any case ;

(f) to determine by what person and in what proportion the costs of the winding up are to be borne ;

परिसमापक ऐसी सभी सम्पत्ति, सामान और अभियोज्य दावों का पूरा लेखा रखेगा और अनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा।

(3) यदि धारा 72 के अधीन सहकारी समिति का परिसमापन करने के आदेश के विरुद्ध धारा 98 के अधीन अपील की गयी हो तो परिसमापक परिसमापन संबंधी आगे की कार्यवाही तब तक के लिये रोक देगा जब तक कि उक्त आदेश की अपील में पुष्टि न हो जाय ;

प्रतिबन्ध यह है कि परिसमापक उपधारा (2) में उल्लिखित सम्पत्ति, सामान और अभियोज्य दावों को अपनी अभिरक्षा अथवा नियंत्रण में रखे रहेगा और उसका उक्त उपधारा में अभिदिष्ट कार्यवाही करने का प्राधिकार बना रहेगा।

(4) यदि सहकारी समिति के समापन का आदेश अपील में रद्द कर दिया जाय तो समिति की सम्पत्ति, सामान और अभियोज्य दावे समिति में पुर्निहित हो जायेंगे।

74—(1) तदर्थ बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी सहकारी समिति की, जिसके संबंध में समापन का आदेश दिया गया हो, सम्पूर्ण परिसम्पत्तियां धारा 73 के अधीन नियुक्त परिसमापक में उस दिनांक से निहित हो जायेंगी जिस दिनांक को उक्त आदेश प्रभावी हो और परिसमापक को ऐसी परिसम्पत्तियों को बेंचकर या अन्य प्रकार से, वसूल करने का अधिकार होगा।

परिसमापक के अधिकार

(2) ऐसे परिसमापक को, निबन्धक के नियन्त्रण के अधीन रहते हुये यह भी अधिकार होगा कि वह—

(क) अपने पद के नाम से सहकारी समिति की ओर से वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों को संस्थित करे और उनका परिवाद करे ;

(ख) सम्बद्ध व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को दावे का उत्तर देने का अवसर देने के पश्चात् समय-समय पर उस अंशदान की, जिसके अन्तर्गत ऋण तथा अन्य देय भी है, अवधारित करे जो सदस्यों अथवा भूतपूर्व सदस्यों द्वारा अथवा मृत सदस्यों की संपदाओं से या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों या उनके दायदों अथवा विधिक प्रतिनिधियों द्वारा अथवा अधिकारियों अथवा भूतपूर्व अधिकारियों द्वारा समिति की परिसम्पत्तियों में दिया जाना हो अथवा दिया जाना शेष हो ;

(ग) उस समय को निश्चित करे, जो किसी भी दशा में तीस दिन से कम न होगा, जिसके भीतर ऋणदाता अपने ऋणों और दावों को प्रमाणित करेंगे अथवा इन ऋणों या दावों के प्रमाणित होने के पूर्व किये गये किसी वितरण के लाभ में सम्मिलित किये जायेंगे और ऐसे समय का नोटिस नियत रीति से दे ;

(घ) सहकारी समिति के विरुद्ध सभी दावों की जांच करे और दावेदारों के बीच उठने वाले पूर्वता के प्रश्नों का इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये निर्णय करे;

(ङ) सहकारी समिति के विरुद्ध सभी दावों की भुगतान उनकी परस्परिक पूर्वता यदि कोई हो, के क्रमानुसार समापन के दिनांक तक के ब्याज सहित पूरा-पूरा अथवा अनुपातः जैसा कि समिति की परिसम्पत्तियों के अनुसार संभव हो, करे, और यदि दावों के भुगतान के पश्चात् कोई अतिरिक्त धनराशि बचे तो उसे उक्त आदेश के दिनांक के तथा उसके (परिसमापक के) द्वारा नियत दर से, जो किसी भी दशा में संविदा की दर से अधिक न होगी, ब्याज के भुगतान में लगाया जायगा ;

(च) यह अवधारित करे कि किन व्यक्तियों द्वारा और किस अनुपात में परिसमापन के व्यय वहन किये जायेंगे ;

(g) to give such directions in regard to the collection and distribution of the assets of the society as may appear to him to be necessary for winding up the affairs of the society ;

(h) to get disputes covered by Chapter IX referred to arbitration and to represent the society in any arbitration proceeding to which the society is a party ;

(i) to carry on the business of the society so far as may be necessary for the beneficial winding up of the same ;

(j) to make any compromise or arrangement with creditors or persons claiming to be creditors or having or alleging to have any claim, present or future, whereby the society may be rendered liable ; and

(k) to compromise all calls or liabilities to calls and debts and liabilities capable of resulting in debts, and all claims present or future, certain or contingent, subsisting or supposed to subsist between the society and a contributory or alleged contributory or other debtor or person apprehending liability of the co-operative society and all questions in any way relating to or affecting the assets or the winding up of the society, on such terms as may be agreed and take any security for the discharge of any such call, liability, debt or claim and give a complete discharge in respect thereof.

(3) When the affairs of a co-operative society have been wound up, the liquidator shall make a report to Registrar and deposit the records of the society in such place as the Registrar may direct.

(4) Any sum ordered under sub-section (2) to be recovered as contribution (including debts and other dues) to the assets of the society or as costs of winding up may be recovered in the same manner as arrears of land revenue on requisition being made in this behalf to the Collector by the Registrar on a request by the liquidator for recovery.

(5) Any debt or claim not proved within the time fixed for it under clause (c) of sub-section (2) shall, subject to the power of the liquidator to allow it to be proved beyond that time in case of sufficient cause being shown, be deemed to be discharged.

Bar of suit in winding up and dissolution matters

75. Save in so far as is expressly provided in this Act, no civil court shall take cognizance of any matter connected with the winding up or dissolution of a co-operative society under this Act and when a winding order has been made, no suit or legal proceedings shall lie or be proceeded with against the society except by leave of the Registrar and subject to such terms as he may impose.

Cancellation of registration of a co-operative society

76. Where in respect of a co-operative society which has been ordered to be wound up under section 72, the Registrar is of opinion that it is not necessary to appoint a liquidator, or where the affairs of a co-operative society in respect of which a liquidator has been appointed under section 73 have been wound up, the Registrar shall make an order cancelling the registration of the society and the society shall be deemed to be dissolved and shall cease to exist as a corporate body from the date of such order of cancellation.

(छ) समिति की परिसम्पत्तियों के संग्रह और वितरण के संबंध में ऐसे निदेश दे जो उसे समिति के कार्यों के समापन के लिये आवश्यक प्रतीत हों ;

(ज) अध्याय 9 के अन्तर्गत आने वाले विवादों को मध्यस्थ निर्णय के लिये अभिदिष्ट कराये तथा मध्यस्थ निर्णय की किसी भी कार्यवाही में, जिसमें समिति एक पक्ष हों, समिति का प्रतिनिधित्व करे ;

(झ) समिति के लाभप्रद समापन के लिये जहां तक आवश्यक हो, समिति के कार्य का संचालन करे ;

(ञ) ऋणदाता अथवा ऐसे व्यक्तियों के साथ जो ऋणदाता होने का दावा करें अथवा जिनका कोई दावा हो अथवा जो यह अभिकथन करें कि उनके, दावे हैं, चाहे वह वर्तमान हो अथवा भावी, जिसके द्वारा समिति देनदार ठहराई जा सके, कोई समझौता अथवा प्रबंध करें; और

(ट) सभी आहूतियां (calls) अथवा आहुति और ऋणों के दायित्वों तथा ऐसे दायित्वों के संबंध में जो परिणामतः ऋण में परिवर्तित हो सकते हों तथा वर्तमान अथवा भावी निश्चित घटनाक्षेप सभी दावों के संबंध में, जो समिति तथा अंशदायी अथवा अभिकथित अंशदायी या अन्य ऋणी के अथवा ऐसे व्यक्ति के जो अपने उपर सहकारी समिति का दायित्व आने की आशंका करता हो, मध्य विद्यमान हो या विद्यमान माने जाते हों, तथा ऐसे सभी प्रश्नों के संबंध में जो किसी भी रूप में परिसम्पत्तियों से या समिति के समान से संबंधित हो अथवा उन पर प्रभाव डालते हों, ऐसी शर्तों पर जो तय हो जायें, समझौता करे और उक्त आहुति, दायित्व, ऋण या दावे के उन्मोचन के लिये कोई प्रतिभूति लें और उसके सम्बन्ध में पूर्ण उन्मुक्ति दे ।

(3) जब किसी सहकारी समिति के कार्य समापित कर दिये गये हों, तो परिसमापक इसका प्रतिवेदन निबंधक को देगा और समिति के अभिलेखों को ऐसे स्थान पर जहां निबंधक निर्देश दे, जमा करेगा ।

(4) ऐसी धनराशि जिसके उपधारा (2) के अधीन समिति की परिसम्पत्तियों के लिये अंशदान (जिसके अन्तर्गत ऋण तथा अन्य देय धनराशियां भी हैं) या समापन के व्यय के रूप में वसूल किये जाने का आदेश दिया गया हों, वसूली के लिये परिसमापक की प्रार्थना पर निबंधक द्वारा कलेक्टर से तदर्थ अभियाचन किये जाने पर, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है ।

(5) कोई ऋण या दावा जो उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन नियत समय के भीतर प्रमाणित न किया गया हो, परिसमापक के इस अधिकार को वापिस न करते हुये कि वह पर्याप्त कारण बताये जाने पर उपर्युक्त समय के बाद भी उसे प्रमाणित करने की अनुज्ञा दे दे, उन्मोचित समझा जायेगा ।

75—इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये कोई दीवानी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी सहकारी समिति के समापन या विघटन में संबंधित किसी मामले का संज्ञान नहीं करेगा और यदि समापन का कोई आदेश दे दिया गया हो तो समिति के विरुद्ध निबंधक की अनुमति के बिना अथवा उसके द्वारा आरोपित शर्तों के अनुसरण से अन्यथा कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

समापन और
विघटन के मामलों
में वाद पर रोक

76—यदि किसी ऐसी सहकारी समिति के संबंध में जिसे धारा 72 के अधीन समापित करने का आदेश दिया गया हो, निबंधक की राय हो कि कोई परिसमापक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है या यदि किसी ऐसी सहकारी समिति को जिसके लिये कोई परिसमापक धारा 73 के अधीन नियुक्त किया गया हो, कार्य समापित कर दिये हों, तो निबंधक समिति के निबंधन को रद्द करने का आदेश देगा और उस आदेश के दिनांक से समिति विघटित की गई समझी जायेगी और वह निगमित निकाय के रूप में विद्यमान न रहेगी ।

सहकारी समिति के
निबंधन का रद्द
किया जाना

CHAPTER XI

Co-operative Farming Societies

Registration of co-operative farming societies

77. (1) Where any ten or more persons—

(a) holding **bhumidhari or sirdari** rights in land in a circle, and desiring to pool it ; or

(b) intending together to obtain, in the name of the society land in a circle, by purchase, lease or otherwise ;

form a society with the object of jointly using such land for any purpose connected with agriculture, horticulture, sericulture or animal husbandry which includes piggery, pisciculture and poultry farming or for the development of any cottage industry subsidiary to any such purpose along with such purpose, such society (to be hereinafter called a “co-operative farming society”) may, if it conforms to the requirements of section 7, and if the bulk of the operations on such land relating to the aforesaid purposes are to be performed by members of the society, be registered under this Act as a farming co-operative society ;

Provided that the Registrar may, having regard to the circumstances of any particular case, grant an exemption from the requirement of the land being in one circle and in the case of such exemption, any reference to a circle hereinafter shall be deemed to be reference to the circle in which land held by the members or desired to be obtained lies.

(2) The Registrar shall cause a copy of registration certificate and such other documents as may be prescribed, to be forwarded to the Collector for such action, if any, as may be prescribed.

Certain requirements of registration

78. An application for registration of farming society shall be accompanied by—

(a) extracts from the record of rights showing the total area with the recorded numbers of all the fields which will be contributed to the society ;

(b) in the case of society covered by clause (b) of sub-section (1) of section 77, only a description of the land intended to be obtained and the manner of obtaining it and the plans for developing and using the same ;

(c) such other documents and particulars, as may be prescribed.

Consequences of registration

79. (1) When a co-operative farming society is registered under section 77, all land in the circle held by a member, whether as **bhumidhar** or **sirdar**, other than land in possession of his **asami**, till such time as it is so held by the **asami**, shall be deemed to have passed into the possession, control and management of the co-operative farming society, which shall thereupon hold such land in accordance with the provisions of this Chapter and may use the same for any of the purposes mentioned in sub-section (1) of section 77 ;

Provided that nothing in this sub-section shall apply to any land on which a farmhouse has been built or to such land, not

अध्याय—11

सहकारी कृषि समितियां

77—(1) यदि दस अथवा अधिक व्यक्ति जो—

सहकारी कृषि
समितियों का
निबंधन

(क) किसी मण्डल (सर्किल) की भूमि में भूमिधरी अथवा सीरदारी के अधिकार धारण करते हों और भूमि का समुच्चय करना चाहते हों ; अथवा

(ख) मिलकर समिति के नाम से किसी मंडल में क्रय द्वारा पट्टे पर या अन्य प्रकार से भूमि प्राप्त करने के अभिलाषी हों ;

कृषि, उद्यानकरण, रेशम कीड़े पालने अथवा पशुपालन जिसके अन्तर्गत सुअर पालन, मत्स्य संवर्द्धन तथा कुक्कुट पालन भी है, से सम्बन्धित किसी प्रयोजन के लिये अथवा ऐसे प्रयोजन के साथ-साथ उक्त प्रयोजन में किसी कुटिर उद्योग के विकास के लिये ऐसी भूमि का संयुक्त रूप से उपयोग करने के उद्देश्य से समिति बनाते हैं, तो ऐसी समिति (जिसे आगे "सहकारी कृषि समिति" कहा गया है) यदि वह धारा 7 की अपेक्षाओं के अनुरूप हो और यदि उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये ऐसी भूमि पर अधिकांश क्रियायें समिति के सदस्यों द्वारा की जानी हों तो, इस अधिनियम के अधीन एक सहकारी कृषि समिति के रूप में निबंधित की जा सकती है ;

प्रतिबंध यह है कि निबंधक किसी विशेष मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर, भूमि के एक ही मण्डल में होने की अपेक्षा से मुक्त कर सकता है और ऐसी मुक्ति की दशा में यहां आगे मंडल का अभिदेश उन मंडलों का अभिदेश समझा जायेगा जिनमें सदस्यों द्वारा धुत या प्राप्त किये जाने के लिये वांछित भूमि स्थित हो ।

(2) निबंधक, निबंधक प्रमाण-पत्र की एक प्रतिलिपि और ऐसे अन्य लेख्य जो नियत किये जायें, कलेक्टर को ऐसी कार्यवाही के लिये, यदि कोई हो, भिजवायेगा जो नियत की जाय ।

78—कृषि समिति के निबंधन के लिये प्रार्थना-पत्र के साथ निम्नलिखित होंगे:—

निबन्धन की
कतिपय अपेक्षाएं

(क) अधिकार-अभिलेख के उद्धरण जिसमें उन सभी खेतों की, जो समिति को अंशदान के रूप में दिये जायेंगे, अभिलिखित संख्यायें तथा कुल क्षेत्रफल दिया हो ;

(ख) धारा 77 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अन्तर्गत आने वाली समिति की दशा में, केवल उस भूमि का वर्णन जिसे प्राप्त करना अभिप्रेत हो तथा उसे प्राप्त करने की रीति और उसके उपयोग तथा विकास करने की योजनायें ;

(ग) ऐसे अन्य लेख्य तथा विवरण, जो नियत किये जायें ।

79—(1) जब कोई सहकारी कृषि समिति धारा 77 के अधीन निबंधित हो तो मंडल की उस समस्त भूमि के संबंध में जिसे कोई सदस्य चाहे भूमिधर के रूप में या सीरदार के रूप में धारण किये हो, सिवाय उसके आसामी के कब्जे की भूमि के और वह भी उस समय तक जब तक वह आगामी उसे इस प्रकार धारण कियें रहे, यह समझा जायगा कि वह सहकारी कृषि समिति के कब्जे, नियन्त्रण तथा प्रबन्ध में चली गई है और तदुपरान्त वह समिति उस भूमि को इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार धारित करेगी और धारा 77 की उपधारा (1) में उल्लिखित किन्ही भी प्रयोजनों के लिये उसका उपयोग कर सकती है ;

निबन्धन के परिणाम

प्रतिबंध यह है कि इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसी भूमि पर लागू न होगी जिस पर प्रक्षेत्र-गृह (farm house) बनाया गया हो और न प्रक्षेत्र-गृह से संलग्न ऐसी

exceeding one half of an acre in area, appurtenant to the farmhouse as the member, at the time of applying for membership of the society, opts to reserve for his personal cultivation ;

Provided further that where a member of a co-operative farming society has only a share in a joint holding his share in that holding shall not, unless all the co-sharers of that holding are members of society, be deemed to pass into the possession, control and management of the society, unless he gets his share partitioned or he is in separate possession of a part of that holding ;

Provided also that nothing in this section shall be construed to mean that the interest of the **bhumidhar** or the **sirdar** in the land contributed by him to the co-operative farming society has, except as provided in section 82, ceased to vest in him.

Explanation— For the purposes of this section, “land” shall not include grove land, or land held and used by the **bhumidhar** or **sirdar** for purposes connected with horticulture, sericulture or animal husbandry which include piggery, pisciculture and poultry farming, or for the development of any cottage industry subsidiary to any such purpose, but shall include such land as is held by the **bhumidhar** or **sirdar** for any of the aforesaid purposes if it is also one of the purposes of the society.

(2) No member of a co-operative farming society shall, except as provided in sub-section (3), be entitled to make any disposition of any land contributed by him to the society.

(3) Every member of the co-operative farming society who is bhumidhar of any land contributed by him to the co-operative farming society may, subject to the provisions contained in section 169 of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, make a testamentary disposition of such land and, with the permission of the co-operative farming society, any other disposition.

(4) Every member of a co-operative farming society shall be entitled to such rights and privileges, be subject to such obligations and liabilities and be bound to discharge such duties as may be conferred or imposed upon him by or under this Act.

(5) All cases, local rates, rent or land revenue payable by a member of a co-operative farming society, in respect of the land held by the society under sub-section (1) may, as from the date of registration of the society, be recovered from it. Any amount so paid by the society on behalf of a member shall be recoverable by it from that member.

**U. P. Act I of
1951**

(6) The provisions of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, shall in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, continue to govern land and the holder thereof.

**Lunacy of
member**

80. If a member of a co-operative farming society becomes a lunatic, he may continue to be a member through his curator who may act in his behalf as if he were the member himself.

भूमि पर लागू होगी जिसका क्षेत्रफल आधे ऐकड़ से अधिक न हो और जिसे सदस्य समिति की सदस्यता के लिये प्रार्थना-पत्र देते समय, अपनी निजी जोत के लिये सुरक्षित रखने की इच्छा प्रकट करे ;

प्रतिबंध यह भी हैं कि यदि सहकारी कृषि समिति के सदस्य का संयुक्त जोत में केवल अंश हो तो उक्त जोत में उसके अंश के संबंध में जज तक कि उक्त जोत के सदस्य सहांशी (co-sharer) ऐसी समिति के सदस्य न हों, यह नहीं समझा जायगा कि सह समिति के कब्जे, नियंत्रण तथा प्रबंध में चला गया है, जब तक कि वह अपने अंश का बटवारा न करा ले अथवा जब तक उक्त जोत के भाग पर उसका पृथक कब्जा न हो जाब।

प्रतिबंध यह भी है कि इस धारा में दी गयी किसी बात से यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि किसी भूमिधर अथवा सीरदार का उस भूमि में, जो उसने सहकारी कृषि समिति को अंशदान के रूप में दी हो, हित, धारा 82 में की गई व्यवस्था को छोड़ कर, निहित नहीं रह गया है।

स्पष्टीकरण—(1) इस धारा के प्रयोजन के लिये भूमि के अन्तर्गत बाग-भूमि, अथवा वह भूमि न होगी जो किसी भूमिधर या, सीरदार द्वारा धारित हो तथा जिसका उपयोग उद्यानकरण, रेशम के कीड़े पालने अथवा पशुपालन, जिसके अन्तर्गत सुअर पालन, मत्स्य संबर्द्धन तथा कुक्कुट पालन भी है, से सम्बन्धित किसी भी प्रयोजन के लिये अथवा ऐसे प्रयोजनों में सहायक किसी कुटीर उद्योग के विकास के लिये किया जाता हो, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी भूमि होगी जिसे भूमिधर अथवा सीरदार पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी के भी लिये धारण किये हो, यदि वह प्रयोजन समिति के प्रयोजन में से भी एक भी हों।

(2) सहकारी कृषि समिति का कोई सदस्य, सिवाय उस भाग के जिसकी व्यवस्था उपधारा (3) में की गई है, अपने द्वारा समिति को अंशदान के रूप में दी गई भूमि का कोई निस्तारण (disposition) करने का हकदार न होगा।

(3) सहकारी कृषि समिति का प्रत्येक सदस्य जो इस सहकारी कृषि समिति को अपने द्वारा अंशदान के रूप में दी गई भूमि का भूमिधर हो, 1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 169 में दिये गये उपबंधों के अधीन रहते हुये ऐसी भूमि का वसीयत द्वारा निस्तारण कर सकता है तथा सहकारी कृषि समिति की अनुज्ञा से उसका अन्य प्रकार से भी निस्तारण कर सकता है।

(4) सहकारी कृषि समिति का प्रत्येक सदस्य ऐसे अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का हकदार होगा, ऐसे आभारों तथा दायित्वों के अधीन रहेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिये बाध्य होगा जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन दिये जायें या उस पर आरोपित किये जायें।

(5) सहकारी कृषि समिति के निबंधित हो जाने के दिनांक से, उपधारा (1) के अधीन समिति द्वारा धारित भूमि के संबंध में, समिति के किसी सदस्य द्वारा देय समस्त अववाव, स्थानीय कर, लगान या मालगुजारी, उससे (समिति से) वसूल किये जा सकते हैं। समिति द्वारा सदस्य की ओर से इस प्रकार भुगतान की गई किसी धनराशि की वसूली वह उक्त सदस्य से करेगी।

(6) 1950 ई० के उत्तर प्रदेश विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के उपबंध जहां तक वे इस अधिनियम उपबंध के उपबंधों से असंगत न हों, भूमि तथा उसके धारक (holder) पर प्रवृत्त रहेंगे।

1951 ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1

80—यदि सहकारी कृषि समिति का कोई सदस्य पागल हो जाये, तो वह अपने अभिभावक (curator) के माध्यम से सदस्य बना रह सकता है, जो उसकी ओर से इस प्रकार कार्य कर सकता है मानों वह स्वयं सदस्य हो।

सदस्य का पागल हो जाना

**Admission of
new members**

81. (1) Any person who is a resident of the circle where a co-operative farming society has been formed or who intends to settle down in the circle or who cultivates land therein, may be admitted as a member thereof, upon such terms and conditions as may be laid down in the bye-laws of the society.

(2) A minor or a lunatic holding land in the circle as a bhumidhar or sirdar, may through his legal guardian or curator, as the case may be, be admitted as a member of a co-operative farming society in that circle and in such a case, the guardian or the curator may act on behalf of the minor or the lunatic as if he were the member himself.

(3) Where a person is **admitted** as a **member of the society** on the condition of his contributing land to the society, any land held by him in the circle as a **bhumidhar** or **sirdar**, shall stand transferred to the possession, control and management of the society and the provision of section 79 shall apply to him.

**Effect of
cessation of
membership**

82. (1) Subject to the other provisions of this Act and the rules and the bye-laws where a member who contributed land to the co-operative farming society ceases to be a member, he shall be given back the land contributed by him, or, in the interests of compactness of the land left with the society or of the land being returned to the member, any other land of equivalent value belonging to the society or any other member whose written consent to such exchange has been obtained ;

Provided that the society shall be entitled to re-imburse itself from such member the cost of any improvement or operations effected by the society, benefiting, or contributing to or helping in production from, the land to be returned ;

Provided further that if the land to be returned is subject to a mortgage made by the society under the provisions of section 86, the society shall, before returning the land to the outgoing member, secure redemption of the land from such mortgage and the mortgagee shall release such land from the mortgage on payment of proportionate amount of the mortgage money by the society notwithstanding anything to the contrary contained in the Transfer of Property Act, 1882 ;

**Act IV of
1882**

Provided also that the mutual consent of the society and the outgoing member such cash compensation as may be determined in the prescribed manner, be paid by the society in lieu of the land to such member.

(2) Any land received back under sub-section (1) by the outgoing member, shall be held by him in the same right in which the land contributed by him to the society was held immediately before the cessation of his membership of the society, and the society or any other member, as the case may be, shall have the same rights in the land, if any, retained in exchange of the land given to the outgoing member under sub-section (1), as it or he had in the land so given anything to the contrary contained in section 161 of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, notwithstanding.

81—(1) कोई व्यक्ति, जो उस मंडल का, जिसमें सहकारी कृषि समिति बताई गई हो, निवासी हो या जो उसमें बसने का विचार करता हो या उसमें खेती करता हो ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन उस समिति का सदस्य बनाया जा सकता है जो समिति की उपविधियों में निर्धारित हो।

नये सदस्य का प्रवेश

(2) कोई अवयस्क अथवा पागल जो भूमिधर या सीरदार के रूप में मंडल में भूमि धारण करता हो, यथास्थिति, अपने विधिक संरक्षक अथवा अभिभावक (curator) के माध्यम से उस मंडल में किसी सहकारी कृषि समिति का सदस्य बनाया जा सकता है और ऐसी दशा में संरक्षक या अभिभावक, अवयस्क या पागल की ओर से इस प्रकार कार्य कर सकता है मानों वह स्वयं सदस्य हो।

(3) यदि कोई व्यक्ति इस शर्त पर सदस्य बनाया जाय कि वह अंशदान के रूप में समिति को भूमि देगा, तो भूमिधर या सीरदार के रूप में, मंडल में उसके द्वारा धारित भूमि समिति के कब्जे, नियंत्रण और प्रबन्ध में संक्रमित हो जायगी और धारा 79 के उपबंध उस पर प्रवृत्त होंगे।

82—(1) इस अधिनियम तथा नियमों और उपविधियों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुये, यदि कोई सदस्य जिसने सहकारी कृषि समिति को अंशदान के रूप में भूमि दी हो, सदस्य न रह जाय, तो उसके द्वारा अंशदान के रूप में दी गई भूमि उसे लौटा दी जायेगी, अथवा समिति के पास शेष रहने वाली अथवा सदस्य को लौटाई जाने वाली भूमि की सघनता (compactness) बनाये रखने की दृष्टि से उसे समान मूल्य की कोई अन्य भूमि दे दी जायेगी जो समिति की या किसी अन्य सदस्य की हो जिसकी लिखित सम्मति ऐसे विनियम के लिये प्राप्त कर ली गई हो ;

सदस्यता समाप्त होने का प्रभाव

प्रतिबंध यह है कि समिति ऐसे सदस्य से भूमि में अपने द्वारा किये गये उन सुधार या क्रियाओं के व्यय की प्रतिपूर्ति कराने की हकदार होगी जिनसे उत्पादन में लाभ या वृद्धि हो, अथवा जो उत्पादन में सहायक हो ;

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि लौटाई जाने वाली भूमि धारा 86 के उपबंधों के अधीन समिति द्वारा रखे गये बंधक के अधीन हो तो समिति, बहिर्गामी सदस्य को भूमि लौटाने के पूर्व ऐसे बंधक से भूमि का मोचन प्राप्त कर लेगी और बंधक कर्ता समिति द्वारा बंधक धन की अनुपातिक धनराशि का भुगतान करने पर भूमि को बंधक से छोड़ देगा, भले ही संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) में कोई प्रतिकूल बात दी हो ;

प्रतिबंध यह भी है कि समिति और वहिर्गामी सदस्य की पारस्परिक सम्मति से समिति ऐसे सदस्य को भूमि के बदले, नियत रीति से अवधारित किया गया नकद प्रतिकर देगी ।

अधिनियम सं० 4,
1882

(2) उपधारा (1) के अधीन वहिर्गामी सदस्य को वापस मिली भूमि को वह उसी अधिकार से धारित करेगा जिससे वह समिति को अंशदान के रूप में दी गई भूमि समिति की सदस्यता समाप्त होने के ठीक पूर्व धारित करता था, और यथास्थिति, समिति या किसी अन्य सदस्य को उपधारा (1) के अधीन वहिर्गामी सदस्य को दी गई भूमि के विनियम में रखी गयी भूमि में वही अधिकार यदि कोई हों, प्राप्त होंगे जो इस प्रकार दी गई भूमि में समिति या सदस्य के थे, भले ही 1950 ई के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 161 में कोई प्रतिकूल बात दी हो।

(3) No member shall, on the cessation of his membership, be entitled to claim any part of the land or other property acquired in any manner by the co-operative farming society, but nothing herein shall affect his right to get the value of any share to which he may be entitled under this Act.

Heirs entitled to become members of the co-operative farming society U. P. Act I 1951

83. When a member whose land is held by a co-operative farming society, dies, his heirs under the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, in respect of such land, shall become members of the society and if any such heir is a minor or a lunatic his legal guardian or curator if he as the case may be, shall act in his behalf as were a member himself.

Consolidation of the land held by the co-operative farming society

84. (1) It shall be the duty of every co-operative farming society to take steps for the consolidation of the land held by it.

(2) A co-operative farming society may make an application containing such particulars as may be prescribed to the Assistant Collector incharge of the sub-division for consolidation of the land held by it.

(3) The Assistant Collector shall, unless for reasons to be recorded he considers it inexpedient, pass an order for the consolidation of the land and may, for such purpose, direct exchange of land within the circle.

(4) In directing exchange of the land, the Assistant Collector shall, as far as possible, order land to be given in exchange approximately equal in value to the land taken in exchange ; and, where there is a difference in the value, he shall direct payment of compensation in cash.

(5) When exchange of land is directed under sub-section (3), the co-operative farming society, its members and the persons whose land is exchanged, shall have the same rights in the land received in exchange as they had in the land given in exchange.

(6) An appeal shall lie to the Commissioner, from every order of the Assistant Collector under this section.

Distribution of profit

85. (1) A co-operative farming society shall carry at least one-twentieth of its net profits to a fund called the reserve fund.

(2) A co-operative farming society may out of its net profits pay to such extent and in such manner as may be prescribed, bonus to its members in respect of their land and labour contributions made to the society.

(3) The provisions of sections 58, in so far as they are not inconsistent with sub-sections (1) and (2), shall also apply to the utilization of the net profits of a co-operative farming society.

Power of a co-operative farming society to raise loan on the mortgage of land held by it

86. Subject to such conditions as may be prescribed, a co-operative farming society may for the purpose of raising a loan from the State Government or any co-operative society, mortgage without possession any land held by it in its own name and after obtaining an authorization in writing from the members concerned, the land

(3) यदि कोई सदस्य, अपनी सदस्यता समाप्त होने पर, सहकारी कृषि समिति द्वारा किसी भी रीति से अर्जित भूमि पर या अन्य सम्पत्ति के किसी भाग के लिये दावा करने का हकदार न होगा, किन्तु इसमें दी गई किसी बात से किसी ऐसे अंश का मूल्य पाने के उसके अधिकार पर प्रभाव न पड़ेगा जिसे पाने का हकदार वह इस अधिनियम के अधीन हों।

83—यदि किसी सदस्य की, जिसकी भूमि सहकारी कृषि समिति द्वारा धारित हो मृत्यु हो जाय, तो 1950 के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अधीन उसके दायद ऐसी भूमि के संबंध में समिति के सदस्य हो जायेंगे और यदि कोई दायद अवयस्क या पागल हो, तो यथास्थिति, उसका विधिक संरक्षक अथवा अभिभावक उसकी ओर से इस प्रकार कार्य करेगा मानो वह स्वयं सदस्य हों।

दायद सहकारी कृषि समिति के सदस्य होने के हकदार होंगे

1951 ई0 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1

सहकारी कृषि समिति द्वारा धारित भूमि की चकबन्दी

84—(1) प्रत्येक सहकारी कृषि समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने द्वारा धारित भूमि की चकबन्दी के लिये कार्यवाही करे।

(2) सहकारी कृषि समिति परगना के प्रभारी सहायक कलेक्टर को अपने द्वारा धारित भूमि की चकबन्दी के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकती है जिसमें ऐसे विवरण दिये जायेंगे जो नियत किये जायें।

(3) सहायक कलेक्टर, केवल उस दशा को छोड़कर जब वह ऐसा करना इष्टकर न समझे जिसके कारणों को वह अभिलिखित करेगा, भूमि की चकबन्दी के लिये आदेश देगा। एतदर्थ वह मंडल के भीतर भूमि के विनिमय का निर्देश भी दे सकता है।

(4) भूमि के विनिमय का निर्देश देते समय सहायक कलेक्टर, जहां तक सम्भव हो विनिमय में उतनी भूमि दिये जाने का आदेश देगा जिसका मूल्य विनिमय में ली गई भूमि के मूल्य के लगभग बराबर हो और यदि मूल्य में कोई अन्तर हो, तो वह प्रतिकर के नकद भुगतान किये जाने का भी निर्देश देगा।

(5) जब उपधारा (3) के अधीन भूमि के विनिमय का निर्देश दिया गया हो तो सहकारी कृषि समिति उनके सदस्यों और उन व्यक्तियों को, जिनकी भूमि का विनिमय हुआ हो, विनिमय में मिली भूमि में वही अधिकार प्राप्त होंगे, जो उन्हें विनिमय में दी गई भूमि में प्राप्त थे।

(6) सहायक कलेक्टर द्वारा इस धारा के अधीन दिये गये प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील आयुक्त के समक्ष की जा सकेगी।

85—(1) सहकारी कृषि समिति अपने शुद्ध लाभों का कम से कम 1/20 भाग एक निधि में जमा करेगी जो रक्षित निधि कहलायेगी।

लाभ का वितरण

(2) सहकारी कृषि समिति, अपने शुद्ध लाभों में से अपने सदस्यों को उनके द्वारा समिति को अंशदत्त भूमि तथा श्रम के संबंध में ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति से बोनस दे सकती है जो नियत की जाय।

(3) धारा 58 के उपबंध, जहां तक वे उपधारा (1) और (2) से असंगत न हों, सहकारी कृषि समिति के शुद्ध लाभों के उपयोग पर भी लागू होंगे।

86—ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जायें, सहकारी कृषि समिति राज्य सरकार या किसी सहकारी समिति से ऋण लेने के प्रयोजन के लिये अपने द्वारा अपने नाम से धारित किसी भूमि को, बिना कब्जा दिये हुये और, संबद्ध सदस्यों से लिखित प्राधिकार प्राप्त करने के पश्चात् धारा 79 की उपधारा (1) के अधीन अपने

सहकारी कृषि समिति का अपने द्वारा धारित भूमि के बन्धक पर ऋण लेने का अधिकार

contributed by its members under sub-section (1) of section 79, anything to the contrary contained in the Transfer of Property Act, 1882, or any other law for the time being in force notwithstanding.

**Concessions
and facilities
for co-operative
farming
societies**

87. Without prejudice to any other concession admissible to co-operative societies in general under this Act, the co-operative farming societies shall be entitled to such other concessions, facilities and priorities as may be prescribed and there may, amongst others, include the following ;

- (a) reduction in land revenue ;
- (b) reduction in irrigation charges, taxes by local bodies and sales tax on the purchase of diesel oil, petrol and mobil oil for agricultural purpose ;
- (c) priority in the great of taqavi ;
- (d) priority in the construction of irrigation and other projects by the State Government ;
- (e) priority in the supply of water for irrigation, seeds, manures, fertilisers and other articles necessary for farm production ;
- (f) priority in the marketing of farm produce.

**Power to make
rules**

88. (1) In addition to rules framed under section 130, the State Government may make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Chapter.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for :—

- (a) the grounds on which a co-operative farming society may grant permission to a **bhumidhar** member for disposition of his land under section 79 ;
- (b) the principles on which and the manner in which cost and compensation shall be determined or re-imbursed or paid under section 82;
- (c) the forms in which applications and appeals, shall be filed under section 84 and the amount of court-fee, if any, to be paid on applications and memorandum of appeal ;
- (d) the principles and procedure to be followed in the consolidation of holding, in directing exchange of land and in payment of compensation under section 84 ;
- (e) satisfaction of the claim of an outgoing or past member as respects land, funds agricultural stocks, and implements contributed by him to the co-operative farming society ;
- (f) the contribution by members of property other than land and its evaluation and adjustment ;
- (g) principles governing remuneration to be paid to members working on the farm of a co-operative farming society ;
- (h) any other matter which is to be or may be prescribed under this chapter.

सदस्यों द्वारा अंशदान के रूप में दी गई भूमि को बंधक रख सकती है, भले ही ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट 1882 या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई प्रतिकूल बात दी हो।

87—इस अधिनियम के अधीन सहकारी समितियों को सामान्य रूप से मिलने वाली अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सहकारी कृषि समितियां ऐसी अन्य रियायतें, सुविधायें तथा पूर्वतायें पाने की हकदार होंगी, जो नियत की जायें और इनके अन्तर्गत अन्य रियायतों, सुविधाओं तथा पूर्वताओं के साथ-साथ निम्नलिखित हो सकती है:—

सहकारी कृषि समिति के लिये रियायतें और सुविधायें

- (क) मालगुजारी में कमी ;
- (ख) सिंचाई कर, स्थानीय निकायों द्वारा लगाये गये कर तथा कृषि प्रयोजनों के लिये डीजल आयल, पेट्रोल तथा मोबिलआयल के क्रय पर बिक्री-कर में कमी,
- (ग) तकावी देने में पूर्वता ;
- (घ) राज्य सरकार द्वारा सिंचाई तथा अन्य परियोजनाओं के निर्माण के सम्बन्ध में पूर्वता ;
- (ङ) सिंचाई के जल संभरण और बीज, खाद, उर्वरक तथा कृषि उत्पादन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के संभरण करने में पुर्वता ;
- (च) कृषि के क्रय-विक्रय (मार्केटिंग) में पूर्वता।

88—(1) धारा 130 के अधीन बनाये गये नियमों के अतिरिक्त, राज्य सरकार इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिये नियम बना सकती है।

नियम बनाने का अधिकार

(2) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालें बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है —

(क) ऐसे आधार, जिस पर सहकारी कृषि समिति किसी भूमिधर सदस्य को धारा 79 के अधीन उसकी भूमि का निस्तारण (disposition) करने की अनुज्ञा कर सकती हो;

(ख) ये सिद्धान्त जिन पर तथा वह रीति जिसके अनुसार धारा 82 के अधीन व्यय तथा प्रतिकर का अवधारण किया जायगा या उसकी प्रतिपूर्ति की जायेगी अथवा उसका भुगतान किया जायेगा ;

(ग) वे प्रपत्र जिनमे धारा 84 के अधीन प्रार्थना-पत्र तथा अपील प्रस्तुत की जायेगी और प्रार्थना-पत्र तथा अपील के ज्ञापन-पत्र पर दिये जाने वाले न्यायालय शुल्क, यदि कोई हो, की धनराशि ;

(घ) वे सिद्धान्त तथा प्रक्रिया जिनका अनुसरण धारा 84 के अधीन जोतों की चकबन्दी करने, भूमि के विनिमय (exchange) का निर्देश देने और प्रतिकर भुगतान करने में किया जायेगा ;

(ङ) वहिर्गामी अथवा भूतपूर्व सदस्य की भूमि, निधियों, कृषि के काम आने वाले पशुओं और उपकरणों (implements) के विषय में दावों को चुकता करना, जिनका अंशदान उसने सहकारी कृषि समिति को किया है ;

(च) सदस्यों द्वारा भूमि से भिन्न सम्पत्ति का अंशदान या उसका मूल्यांकन और समायोजन (adjustment) ;

(छ) सहकारी कृषि समिति के फार्म पर काम करने वाले सदस्यों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक को निर्धारित किये जाने के सिद्धान्त ;

(ज) कोई अन्य विषय जो इस अध्याय के अधीन नियत किये जाने हों तथा नियत किये जा सकें।

[The Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965]

**Definitions U. P.
Act No. 1 of
1951**

89. Words and expressions used in the preceding sections and not defined in this Act but defined in U. P. Zamindari Abolition and Land reforms Act, 1950, shall have the meanings assigned to them in that Act.

**Provisions of
chapter to
prevail over
other law**

90. The provisions of this Chapter shall take effect notwithstanding anything to the contrary in this Act or any other enactment for the time being in force.

¹[CHAPTER-XI-A

Insured Co-operative Banks

**Interpretations
Act No. 47 of
1961**

90-A. In this Chapter 'insured co-operative bank' means a co-operative bank insured under the Deposit Insurance Corporation Act, 1961, hereinafter in this Chapter referred to as the said Act.

**Special
provisions
applicable to
insured co-
operative banks**

90-B. Notwithstanding anything contained in this Act, the following provisions shall apply to every insured co-operative bank, namely :—

(i) an order sanctioning a scheme or resolution for the amalgamation or merger or division or winding up an insured co-operative bank may be made by the Registrar only with previous sanction in writing of the Reserve Bank ;

(ii) an order for the winding up of an insured co-operative bank shall be made under the provisions of this Act if so required by the Reserve Bank in the circumstances referred to in the section 13-D of the said Act ;

(iii) if the Reserve Bank is of opinion that it is necessary so to do in the public interest or for preventing the affairs of an insured co-operative bank being conducted in a manner detrimental to the interest of the depositors or for securing the proper management of such co-operative bank, it may require the Registrar to pass an order for supersession of the Committee of Management or other managing body (by whatever name called) of such co-operative bank and to appoint an administrator therefor for such period or periods not exceeding five years in the aggregate as may, from time to time, be specified the Reserve Bank and the Registrar shall pass an order accordingly and the remaining provisions of sections 35 and 36 shall apply in relation to such an order as if it were an order made under section 35, but the requirements of that section to afford the Committee of Management an opportunity of being heard and to obtain the opinion of the general body of the society shall not be applicable ;

(iv) in the event of the Chairman and members of the Committee of Management of an insured co-operative bank vacating their respective offices under sub-section (1) or sub-section (2) of section 35-A, the Reserve Bank may require the Registrar to make such arrangement as it thinks proper for the management of the affairs of such bank and the Registrar shall pass an order accordingly, and the remaining provisions of section 35-A shall apply in

1. Ins. by sec. 5 of U.P. Act no. 40, 1976.

89—पूर्वगामी धाराओं में प्रयुक्त ऐसे शब्दों तथा पदों के, जिनकी परिभाषा इस अधिनियम नहीं की गई है, किन्तु 1950 के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में दी गई है, वही अर्थ होंगे जो इस अधिनियम में दिये गये हों।

परिभाषाएँ 1951 का
उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 1

90—इस अधिनियम अपना तत्समय प्रचलित किसी अन्य अधिनियमिति में किसी विपरीत बात के होते हुये भी इस अध्याय के उपबंध प्रभावी होंगे।

अन्य विधि की अपेक्षा
अध्याय के उपबंधों
का अभिभावी होना

¹[अध्याय—11-क

बीमाकृत सहकारी बैंक

90—क—इस अध्याय में “बीमाकृत सहकारी बैंक” का तात्पर्य डिपाजिट इन्श्योरेंस कारपोरेशन ऐक्ट, 1961, जिसे आये इस अध्याय में उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन किसी बीमा कृत सहकारी बैंक से है।

निर्वाचन ऐक्ट संख्या
47, 1961

90—ख—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, निम्नलिखित उपबंध प्रत्येक बीमाकृत सहकारी बैंक पर लागू होंगे, अर्थात् : —

बीमाकृत सहकारी
बैंकों पर लागू होने
वाले विशेष उपबंध

(एक) किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के समामेलन या विलयन या विभाजन या समापन की योजना या संकल्प को स्वीकृत करने वाला कोई आदेश निबंधक द्वारा रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व स्वीकृति मात्र से ही दिया जा सकता है।

(दो) किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के समापन का आदेश उक्त अधिनियम की धारा 13—डी में निर्दिष्ट परिस्थितियों में रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी अपेक्षा किये जाने पर इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दिया जायगा।

(तीन) यदि रिजर्व बैंक की यह राय हो कि लोकहित में या किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के कार्य-कलाप की ऐसी रीति से जो निक्षेपकों के हित के विरुद्ध हो, स चालान रोकने के लिये या ऐसी सहकारी बैंक के समुचित प्रबंध को सुनिश्चित करने के लिये ऐसा करना आवश्यक है, तो वह निबंधक से कुल मिलाकर पांच वर्ष से अनधिक उतनी अवधि के लिये, जितनी रिजर्व बैंक के द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे सहकारी बैंक के प्रबंध कमेटी या अन्य प्रबंध निकाय के (चाहे वह किसी भी नाम से पूकारा जाय) अवक्रमण का और उसके लिये प्रशासक की नियुक्ति का आदेश देने की अपेक्षा कर सकता है और निबंधक तदनुसार आदेश देगा और धारा 35 तथा 36 के शेष उपबंध ऐसे आदेश के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे मानों आदेश धारा 35 के अधीन दिये गये हों, किन्तु प्रबंध कमेटी को सुनवाई का अवसर देने और समिति के सामान्य निकाय की राय प्राप्त करने की उस धाराओं की अपेक्षा लागू नहीं होगी।

(चार) किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के प्रबंध कमेटी के सभापति या सदस्यों द्वारा धारा 35—क की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपना-अपना पद रिक्त करने की दशा में रिजर्व बैंक निबंधक से ऐसे बैंक के कार्य-कलाप का प्रबंध करने के लिये ऐसी व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सकता है जैसी वह उचित समझे और निबंधक

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 40, 1976 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।

in relation to such an order as if it were an order made under that section.

(v) an order sanctioning a scheme of or the resolution for amalgamation or merger or the division or winding up of an insured co-operative bank or of the supersession of the Committee of Management or other managing bodies (by whatever name called) of such bank and the appointment of an administrator thereof made with the previous sanction in writing or on the requisition of the Reserve Bank shall not be called in question in any manner ; and

(vi) the liquidator or the insured co-operative bank or the transferee bank, as the case may be, shall be under an obligation to repay to the Deposit Insurance Corporation the sums mentioned in section 21 of the said Act in the circumstances and to the extent and in the manner referred to in that section.]¹

²[**90-C.** The provisions of section 90-B shall be applicable to all the banks whether Insured or not and if advised by the Reserve Bank for the supersession of its Committee of management or its winding up or liquidation and appointment of liquidator the Registrar shall execute it within one month.]

CHAPTER XII

Execution of Awards and Orders

Enforcement of charge

91. Notwithstanding anything contained in Chapter IX or any other law for the time being in force but without prejudice to any other mode of recovery provided in this Act, the Registrar or any other gazetted officer subordinate to him and authorized by him in this behalf may on the application of a co-operative society and on being satisfied of the existence of the debt or outstanding demand, make an order directing the payment of such debt or outstanding demands due to the society by any member or past or deceased member, by sale of the property or any interest therein, which is subject to a charge under section 39 ;

Provided that no order shall be made under this section, unless the member, past member or the nominee, heir or legal representative of the deceased member, has been served with a notice of the application and has failed to pay the debtor outstanding demand within one month from the date service.

Execution of certain orders and awards

92. Every award made under section 71 and capable of execution in the manner provided below and every order so capable of execution made by the Registrar under section 67 or sub-section (2) of section 68 or under section 91, or by the liquidator under section 74 or by an appellate authority on appeal under section 97 or 98 or on review

1. [*Ins. by sec. 5 of U. P. Act no. 40 of 1976 and shall be deemed to have been inserted w. e. f. August 28, 1976.*](#)

2. [*Ins. by sec. 15 of U. P. Act no. 47 of 2007.*](#)

तदनुसार आदेश देगा, और धारा 35—क के शेष उपबंध ऐसे आदेश के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होगा मानों आदेश उस धारा के अधीन दिया गया हो ।

(पांच) किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के समामेलन या विलयन या विभाजन या समापन की योजना या संकल्प को स्वीकृत करने वाले या रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व स्वीकृति से या अपेक्षा पर ऐसे बैंक के प्रबंध कमेटी या अन्य प्रबंध निकाय (चाहे वह किसी नाम से पुकारा जाय) के अवक्रमण तथा उसके प्रशासक की नियुक्ति के आदेश पर किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं की जायेगी ।

(छः) यथा स्थिति, परिसमापक या बीमाकृत सहकारी बैंक या अन्तरिती बैंक उक्त अधिनियम की धारा 21 में उल्लिखित धनराशि डिपॉजिट इन्श्योरेन्स कारपोरेशन को उक्त धारा में निर्दिष्ट परिस्थितियों में और सीमा तक और रीति से प्रतिसंदाय करने के लिये बाध्य होगा ।]¹

²[90—ग— धारा 90—ख के प्रावधान सभी बैंकों, चाहे वह बीमाकृत हों अथवा नहीं, पर लागू होंगे और यदि रिजर्व बैंक द्वारा इसकी प्रबन्ध कमेटी के अधिक्रमण या इसके परिसमापन या समापन के लिए और समापक की नियुक्ति के लिए परामर्श दिया जाय तो निबन्धक एक माह के भीतर इसे निष्पादित करेगा ।]

अध्याय—12

अभिनिर्णयों तथा आदेशों का निष्पादन

91—अध्याय 9 में अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी परन्तु इस अधिनियम में व्यवस्थित वसूली की किसी अनय रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निबन्धक अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत उसका अधीनस्थ कोई राजपत्रित अधिकारी, सहकारी समिति के प्रार्थना—पत्र पर और ऋण अथवा शेष भाग के अस्तित्व के सम्बन्ध में समाधान हो जाने पर, आदेश दे सकता है कि किसी सदस्य अथवा भूतपूर्व अथवा मृत सदस्य द्वारा समिति को देय किसी भी ऋण अथवा शेष मांग का भुगतान ऐसी संपत्ति को अथवा उसमें किसी ऐसे हित की जो धारा 39 के अन्तर्गत प्रभार के अधीन हो, बेच कर दिया जाय ;

प्रतिबंध यह है कि इस धारा के अधीन तब तक कोई आदेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा मृत सदस्य के नाम—निर्दिष्ट व्यक्ति, दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि पर प्रार्थना—पत्र का नोटिस तामील न कर दिया गया हो और उसने नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से एक मास के भीतर ऋण अथवा शेष मांग का भुगतान न दिया हो ।

92—धारा 71 के अधीन दिया गया प्रत्येक अभिनिर्णय जो नीचे दी गई रीति से निष्पादन योग्य हो और धारा 67 या 68 की उपधारा (2) अथवा 91 के अधीन निबन्धक द्वारा या धारा 74 के अधीन परिसमापक द्वारा अथवा धारा 97 या 98 के अधीन अपील पर अथवा धारा 99 के अधीन पुनर्विलोकन पर या धारा 100 के अधीन विवादकालीन (interlocutory)

प्रभार का प्रवर्तन

कतिपय आदेशों तथा अभिनिर्णयों का निष्पादन

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 40, 1976 की धारा 5 द्वारा बढ़ाई गई और 28 अगस्त, 1976 से बढ़ायी गयी समझी जायगी ।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 47, 2007 की धारा 15 द्वारा बढ़ायी गयी ।

under section 99 or as an interlocutory order under section 100 [or a certificate for recovery issued under section 95-A]¹ shall, if not carried out, be executed—

(a) in the manner provided by law for the time being in force for the recovery of arrears of land revenue ;

Provided that an application for the recovery of any such sum is made to the Collector and accompanied by a certificate signed by the Registrar or any person authorized by him in this behalf ;

Provided further that such application is made within 12 years from the date fixed for payment in the order or award and if no such date is fixed, from the date of the order or award, as the case may be ; or

(b) by the Registrar or any other person subordinate to him and empowered by him in his behalf, by attachment and sale or sale without attachment of any property of the person or the co-operative society against whom the order or award has been made ; or

(c) by the civil court having jurisdiction over the matter as if the order or award were the decree of that court.

**Appointment
of Amins and
other staff**

92-A. (1) There shall be appointed such number of Amins and other staff as may be determined by the State Government from time to time, for collection of an amount due to a Co-operative Society or for execution of a process issued in the proceedings of execution of an award, order or certificate for recovery under clause (a) or clause (b) of section 92.

(2) The State Government may by rules regulate the recruitment and conditions of service of Amins and other staff.

**Co-operative
Collection
Fund**

92-B. (1) There shall be established a fund, to be called the Co-operative Collection Fund to which the following amounts shall be credited, namely :—

(a) all costs of collection recovered on an amount due to a Co-operative Collection Society ;

(b) all costs of execution recovered on an award, order or certificate for recovery under clause (a) or clause (b) of section 92 ;

(c) such other amounts as the State Government may direct.

(2) The fund established under sub-section (1) shall be utilized for meeting out all expenses relating to collection of dues in the manner as may be prescribed by rules to be framed by the State Government. The expenses relating to collection of dues shall also include payment of commission, salary, leave encashment at the time of retirement, if any, gratuity, other allowances, loans and advances, due interest on Provident Fund and pension to Amins and other staff appointed under section 92-A.] ²

[1. Subs. by sec. 7 of U. P. Act no. 17 of 1994.](#)

[2. Ins. by sec. 2 of U. P. Act no. 8 of 2003.](#)

आदेश स्वरूप अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिये गये इस प्रकार के निष्पादन योग्य [या धारा 95-क के अधीन जारी की गई किसी वसूली के लिए प्रमाण-पत्र]¹ का निष्पादन, यदि उसका पालन न किया गया हो -

(क) मालगुजारी के बकाया की वसूली के लिये तत्समय प्रचलित विधि द्वारा व्यवस्थित रीति से किया जायगा।

प्रतिबंध यह है कि किसी भी ऐसी धनराशि की वसूली के लिये प्रार्थना-पत्र कलेक्टर को दिया जायगा और उसके साथ निबंधक द्वारा अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर कृत एक प्रमाण-पत्र भी रहेगा ;

प्रतिबंध यह भी है कि ऐसा प्रार्थना-पत्र आदेश या अभिनिर्णय में भुगतान के लिये निश्चित दिनांक से और यदि ऐसा कोई दिनांक निश्चित न हो तो, यथास्थिति, आदेश या अभिनिर्णय के दिनांक से 12 वर्ष के भीतर दिया जायगा ; अथवा

(ख) निबंधक या उसके अधीनस्थ किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे उसने तदर्थ अधिकृत किया जो उस व्यक्ति या सहकारी समिति की जिसके विरुद्ध आदेश या अभिनिर्णय दिया गया हो किसी सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा अथवा बिना कुर्की के विक्रय द्वारा किया जायगा ; अथवा

(ग) उस मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले दीवानी न्यायालय द्वारा इस प्रकार दिया जायगा, मानों ऐसा आदेश या अभिनिर्णय उसी न्यायालय की डीग्री हो।

2[92-क] (1) किसी सहकारी समिति को देय किसी धनराशि की वसूली के लिये या धारा 92 के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन किसी अभिनिर्णय, आदेश या वसूली के लिये प्रमाण-पत्र के निष्पादन की कार्यवाही में निर्गत किसी आदेशिका के निष्पादन के लिये उतनी संख्या में अमीन और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जायगी जितनी समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय।

अमीन और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति

(2) किसी सहकारी समिति को देय किसी धनराशि की प्राप्ति की वसूली का समस्त व्यय ;

92-ख (1) एक निधि स्थापित की जायगी, जिसे "सहकारी संग्रह निधि" कहा जायगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :-

सहकारी संग्रह निधि

(क) किसी सहकारी समिति को देय किसी धनराशि की प्राप्ति की वसूली का समस्त व्यय ;

(ख) धारा 92 के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन किसी अभिनिर्णय, आदेश या वसूली के लिये प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के निष्पादन का समस्त व्यय ;

(ग) ऐसी अन्य धनराशि जिसे राज्य सरकार निर्देश दे।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित निधि का उपयोग, देयों की वसूली से सम्बन्धित समस्त व्ययों को पूरा करने के लिये राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा यथाविहित रीति में किया जायगा। देयों की वसूली से सम्बन्धित व्ययों में, धारा 92-क के अधीन नियुक्त अमीनों और अन्य कर्मचारियों को भुगतान किये जाने वाले कमीशन, वेतन, सेवानिवृत्ति के समय अवकाश-नकदीकरण, यदि कोई हो, उपदान, अन्य भत्ते, ऋण और अग्रिम, भविष्य निधि पर देय ब्याज और, पेंशन भी, सम्मिलित होंगे।²

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 1994 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 8, 2003 की धारा 2 द्वारा बढ़ायी गयी।

Registrar or person empowered by him to be a civil court for certain purposes
Act XXXVI of 1963

93. The Registrar or any person empowered by him in this behalf shall be deemed, when exercising any powers under this Act for the recovery of any amount by the attachment and sale or by sale without attachment of any property or when passing any orders on any application made to him for such recovery, or for taking steps in aid of such recovery, to be civil court for the purposes of Article 136 of the Schedule to the Indian Limitation Act, 1963.

Attachment of property before award or order

94. If the Registrar is satisfied on application, report, inquiry or otherwise that any person, with intent to delay or obstruct the enforcement of any order, decision or award that may be made against him under the provisions of this Act, is about to dispose of, or remove from the jurisdiction of the Registrar, the arbitrator, the board of arbitrators or the liquidator, as the case may be, the whole or any part of his property, he may, unless adequate security is furnished, direct the attachment of the said property, and such attachment shall have the same effect as made by a competent civil court.

Recover of sums due to Government

95. (1) All sums due from a co-operative society or from an officer or member or past member of a co-operative society as such to the State Government or the Central Government, including any costs awarded to any such Government under any provisions of this Act, may, on certificate issued by the Registrar in this behalf, be recovered in the same manner as arrears of land revenue.

(2) Sums due from a society to the State Government or the Central Government and recoverable under sub-section (1) may be recovered, firstly, from the property of the society ; secondly, in the case of a society the liability of the members of which is limited, from the members, past members or the estates of deceased members, subject to the limit of their liability ; and thirdly, in the case of other societies from the members, past members, or the estate of deceased member ;

Provided that the liability of past members and the estates of deceased members shall in all cases be subject to the provisions of section 25.

Special provision for recovery of certain dues of agricultural society

¹**[95-A.** (1) The registrar may, on an application made by a society referred to in section 34 or an agricultural credit society for the recovery of arrears of any loan advanced by it or any installment thereof to any member and on its furnishing a statement of accounts in respect of such loan and after making such inquiries, if any, as he thinks fit, issue a certificate for recovery of the amounts due.

(2) A certificate issued by the Registrar under sub-section (1) shall be final and conclusive proof of the dues which shall be ²[executable under section 92.] ²

1. Ins. by sec. 15 of U. P. Act no. 12 of 1976.

2. Subs. by sec. 8 of U. P. Act no. 17 of 1994.

93-निबंधक अथवा उसके द्वारा तदर्थ अधिकृत कोई व्यक्ति किसी समिति की कुर्की और विक्रय द्वारा अथवा बिना कुर्की के विक्रय द्वारा किसी धनराशि की वसूली के लिये इस अधिनियम के अधीन किन्हीं प्राधिकारों का प्रयोग करते समय अथवा ऐसी वसूली के लिये या ऐसी वसूली करने के सहायक उपय अपनाने के लिये दिये गये किसी प्रार्थना-पत्र पर कोई आदेश देते समय इन्डियन लिमिटेड ऐक्ट, 1963 की अनुसूचि के अनुच्छेद 136 के प्रयोजनों के लिये दीवानी न्यायालय समझा जायगा।

कतिपय प्रयोजनों के लिये निबंधक या उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति दिवानी न्यायालय होगा ऐक्ट संख्या 36, 1963

94-यदि निबंधक का किसी प्रार्थना-पत्र, प्रतिवेदन या जांच के आधार पर या अन्यथा यह समाधान हो जाये कि कोई व्यक्ति किसी आदेश, निर्णय, या अभिनिर्णय के जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके विरुद्ध दिया जाय, प्रवर्तन में विलम्ब करने या बाधा डालने के विचार से सथास्थिति, निबंधक मध्यस्थ, मध्यस्थ मंडल, अथवा परिसमापक के क्षेत्राधिकार से अपनी संपूर्ण संपत्ति अथवा उसका कोई भाग हटाने वाला है, तो वह जब तक कि पर्याप्त प्रतिभूति न दी जाय, उक्त संपत्ति की कुर्की का निर्देश दे सकता है, और ऐसी कुर्की का वैसा ही प्रभाव होगा, मानें वह सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा की गई हो।

सरकार को देय धनराशियों की वसूली

95-(1) सहकारी समिति से अथवा सहकारी समिति के किसी अधिकारी या सदस्य या भूतपूर्व सदस्य से राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को देय समस्त धनराशियां, जिनके अन्तर्गत इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन किसी ऐसी सरकार को दिलाये गये व्यय भी है, निबंधक द्वारा तदर्थ जारी किये गये प्रमाण-पत्र पर मालगुजारी के बकाया की भांति वसूल की जा सकती है।

सरकार को देय धनराशियों की वसूली

(2) किसी समिति द्वारा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को देय तथा उपधारा (1) के अधीन वसूल की जाने योग्य धनराशियां प्रथमतः, समिति की संपत्ति से, द्वितीयतः ऐसी समिति की दशा में जिसके सदस्यों का दायित्व सीमित हो, सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों अथवा मृत सदस्यों की सम्पदाओं से उनके दायित्व की सीमा के अधीन रहते हुए और तृतीयतः अन्य समितियों की दशा में, सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों अथवा मृत सदस्यों की सम्पदाओं से वसूल की जा सकती है ;

प्रतिबंध यह है कि भूतपूर्व सदस्यों का दायित्व तथा मृत सदस्यों की सम्पदायें सभी दशाओं में धारा 25 के उपबंधों के अधीन रहेगी।

1[95-क] (1) निबंधक, धारा 34 में निर्दिष्ट समिति या कृषि ऋण समिति द्वारा किसी सदस्य को दिये गये किसी ऋण या उसकी किसी किश्त की बकाया की वसूली के लिये प्रार्थना-पत्र देने पर और ऐसे ऋण के संबंध में लेखा विवरण प्रस्तुत करने पर और ऐसी जांच, यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात देय धनराशि की वसूली के लिये प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है।

कृषि समिति के देयों की वसूली के लिये विशेष उपबंध

(2) उपधारा (1) के अधीन निबंधक द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र अंतिम और देयों का निश्चायक सबूत होगा, जिसे ²“धारा 92 के अधीन निष्पादित” किया जा सकेगा।

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 12, 1976 की धारा 15 द्वारा बढ़ायी गयी।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 1994 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

CHAPTER –XIII

Appeal and Review

Co-operative Tribunal

96. (1) The State Government may constitute a tribunal or tribunals, each to be called Co-operative Tribunal, to exercise the functions conferred on the tribunal under this Chapter and where more than one tribunal is constituted, the State Government may fix, by order in writing, the area within which or the class of cases over which each tribunal shall exercise jurisdiction.

(2) A Tribunal shall consist of ¹[* * *] three persons possessing such qualifications as may be prescribed.

(3) Where the tribunal consists of three members, an two members shall form the quorum for the disposal of its business ;

Provided that in the event of a difference of opinion between them the matter, over which there is a difference of opinion, shall be placed before the third member and the opinion with which the third member agrees, shall be deemed to be the opinion of the Tribunal. Where a matter is heard by all the three members of the Tribunal and there is a difference of opinion, the majority opinion shall prevail.

(4) Any vacancy in the membership of the tribunal shall be filled by the State Government.

(5) The procedure for holding the meeting and disposal of business by a Tribunal shall be such an may be prescribed.

Appeals against awards of Registrar

97. (1) Any person aggrieved by any award of the Registrar made under clause (a) of sub-section (1), or sub-section (2) of section 71 may, within thirty days after the date on which the award is communicated to such person, appeal to the Tribunal.

(2) The Tribunal after hearing an appeal under this section may pass such order as it may deem just.

The awards orders and decisions Appeal against

98. (1) An appeal against—

(a) an order of the Registrar made under sub-section (2) of section 7 refusing to register a co-operative society ;

²[(b) an order of the Registrar under sub-section (3) of section 12 refusing to register, or under sub-section (2) of section 14 registering, an amendment in the bye-laws of a co-operative society ;]²

(c) a decision of co-operative society refusing to admit any person as a member of the society under sub-section (2) of section 26 or expelling any member of the society under sub-section (1) of section 27 ³[or an order passed under sub-section (1) of section 38 for removal of an officer from the office held by him or to disqualify him from holding any office]³;

(d) an order of the Registrar under sub-section (2) of section 27 expelling or removing a member or under sub-section (2) of section 38 removing or disqualifying any officer of a co-operative society;

1. Omit. by sec. 9 of U. P. Act no. 17 of 1994. (one person or)

2. Subs. by sec. 6 of U.P. Act no. 1 of 1972.

3. Ins. by sec. 10 of U. P. Act no. 17 of 1994.

अध्याय-13

अपील तथा पुनर्विलोकन

96-(1) राज्य सरकार, इस अध्याय के अधीन न्यायाधिकरण को प्रदान किये गये कर्त्यों के संपादन के लिये न्यायाधिकरण या न्यायाधिकरणों का संघटन कर सकती है, जिसमें से प्रत्येक सहकारी न्यायाधिकरण कहलायेगा, और यदि एक से अधिक न्यायाधिकरण संघटित किये जायें, तो राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा ऐसा क्षेत्र जिसके भीतर अथवा ऐसे मामले का वर्ग जिसके उपर प्रत्येक न्यायाधिकरण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा, निश्चित कर सकती है।

सहकारी
न्यायाधिकरण

(2) न्यायाधिकरण में ऐसी अर्हतायें रखने वाले, जो नियत की जाये, [X X X]¹ तीन व्यक्ति होंगे।

(3) यदि न्यायाधिकरण में तीन सदस्य हों, तो उसके कार्य निस्तारण के लिये किन्हीं दो सदस्यों से गणपूर्ति होगी ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उनमें मतभेद होने की दशा में उस मामले को जिस पर मतभेद हो, तीसरे सदस्य के समक्ष रखा जायेगा और उस मामले पर जिय मत से वह सहमत होगा वही मत न्यायाधिकरण का मत समझा जायेगा। यदि किसी मामले की न्यायाधिकरण के सभी तीन सदस्यों द्वारा सुनवाई की जाय और मतभेद हो तो बहुमत अभिभावी होगा।

(4) न्यायाधिकरण के किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति राज्य सरकार करेगी।

(5) न्यायाधिकरण द्वारा बैठक बुलाने तथा कार्य-निस्तारण करने की प्रक्रिया वही होगी, जो नियत की जाये।

97-(1) निबंधक द्वारा धारा 71 की उपधारा (1) के खंड (क) अथवा उपधारा (2) के अधीन दिये गये किसी अभिनिर्णय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, उस दिनांक से जब वह अभिनिर्णय उस व्यक्ति को संसुचित किया गया हो, तीस दिन के भीतर न्यायाधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है।

निबंधक के
अभिनिर्णय के
विरुद्ध अपील

(2) इस धारा के अधीन अपील सुनने के पश्चात् न्यायाधिकरण ऐसा आदेश दे सकता है जो वह न्यायपूर्ण समझे।

98-(1) निम्नलिखित के विरुद्ध कोई अपील उस आदेश, निर्णय या अभिनिर्णय के जिसके विरुद्ध अपील की जानी हो, संसुचित किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर, सुब्ब पक्ष द्वारा उपधारा (2) में उल्लिखित प्राधिकारियों को नियत रीति से की जा सकती है:-

अन्य अभिनिर्णयों
आदेशों तथा
निर्णयों के विरुद्ध
अपील

(क) धारा 7 की उपधारा (2) के अपील निबंधक द्वारा दिया गया ऐसा कोई आदेश, जिसमें किसी सहकारी समिति को निबंधित करने से इन्कार किया गया हो ;

² [(ख) निबंधक का कोई ऐसा आदेश, जिसमें किसी सहकारी समिति की उपविधियों में किसी संशोधन की धारा 12 की उपधारा (3) अधीन निबद्ध करने से इन्कार किया गया हो, अथवा धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन निबद्ध किया गया हो ;]

(ग) किसी सहकारी समिति का कोई निर्णय, जिसमें धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को समिति का सदस्य बनाने से इन्कार किया गया हो अथवा धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन समिति के किसी सदस्य को निकाला गया हो ³[या धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन, किसी अधिकारी को उसके पद से हटाने के लिए या कोई पदधारण करने से अनर्हित करने के लिए किया गया कोई आदेश]³ ;

(घ) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन किसी सदस्य को निकालने या हटाने अथवा धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन सहकारी समिति के किसी अधिकारी को हटाने या अनर्हित करने का निबंधक का कोई आदेश ;

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 1994 की धारा 9 द्वारा निकाला गया। (शब्द एक या)

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 1, 1972 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 1994 की धारा 10 द्वारा बढ़ाया गया।

(e) an order of the Registrar superseding the Committee of management of a co-operative society under section 35 ;

(f) an order made by the Registrar under section 67 apportioning the cost of an inquiry held under section 65 or an inspection made under section 66 ;

(g) an order of surcharge made by the Registrar under section 68;

(h) an award made by an arbitrator or board of arbitrators under sub-section (1) or sub-section (2) of section 71 ;

(i) an order made by the Registrar under section 72 directing the winding up of a co-operative society ;

(j) any order made by the liquidator of a co-operative society in exercise of the powers conferred on him by clauses (b) and (g) of section 74 ;

**Act no. 5 of
1908**

(k) any order made by the Registrar on a question arising between the parties to proceeding under clause (b) of section 92 and of the nature referred to section 47 of the Code of Civil Procedure, 1908 ;

(l) an order for attachment of any property made by the Registrar under section 94 ;

(m) an order of the Registrar under section 125 directing amalgamation or merger, or under section 126 directing division ;

(n) an order passed by the Registrar under section 128 annulling any resolution or canceling any order ; may within thirty days of the communication of the order, decision or award to be appealed against, be preferred by the aggrieved party to the authorities mentioned in sub-section (2) in the manner prescribed ;

(2) An appeal under ¹[clause (c), (d), (e), (f), (g), (k) and (l)] of sub-section (1) shall be preferred to the Tribunal, and an appeal under clauses ²[clauses (a), (b), (h), (i), (j), (m) and (n)] of the said sub-section shall be preferred—

(a) if the decision or the order was made by the Registrar, to the State Government ; or

(b) if the decision or order or award was made by any other person or authority, to the Registrar.

³ [(c) if the order or award was made on a dispute relating to an election, to the Tribunal.]

(3) Notwithstanding anything contained in clause (b) of sub-section (2) the State Government may by notification in the **Gazette**, direct that appeals against awards mentioned in clause (h) of sub-section (1) shall, in respect of such cases or class of cases, as may be specified in the said notification lie to the Tribunal, and thereupon any person aggrieved by such award, may appeal to the Tribunal.

1. *Subs. by sec. 10 (b) of U. P. Act no. 17 of 1994.* (for d, f, g, k, l)

2. *Ins. by sec. 10(b) of U.P. Act no. 17 of 1994.* (for a, b, c, e, h, I, j, m, n)

3. *Ins. by sec. 10(b) of U. P. Act no. 17 of 1994.*

(ड) धारा 35 के अधीन किसी सहकारी समिति की प्रबंध कमेटी को आवकांत करने का निबंधक का आदेश ;

(च) धारा 65 के अधीन की गई किसी जांच अथवा धारा 66 के अधीन किये गये किसी निरीक्षण के व्ययों को विभाजित करने का धारा 67 के अधीन निबंधक द्वारा दिया गया कोई आदेश ,

(छ) धारा 68 के अधीन निबंधक द्वारा दिया गया अधिभार का कोई आदेश ;

(ज) धारा 71 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी मध्यस्थ या मध्यस्थ मंडल द्वारा किया गया कोई अभिनिर्णय ;

(झ) धारा 72 के अधीन निबंधक द्वारा दिया गया कोई आदेश जिसमें किसी सहकारी समिति के समापन (winding up) का निर्देश दिया गया हो ;

(ञ) धारा 74 के खंड (ख) तथा (छ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके सहकारी समिति के परिसमापक द्वारा दिया गया कोई आदेश ;

(ट) धारा 92 के खंड (ख) के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में पक्षों के मध्य उत्पन्न होने वाले किसी ऐसे प्रश्न पर, जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 की धारा 47 में निर्दिष्ट प्रकार का हो, निबंधक द्वारा दिया गया कोई आदेश ;

ऐक्ट संख्या 5,
1908

(ठ) धारा 94 के अधीन निबंधक द्वारा किसी सम्पत्ति की कुर्की के लिये दिया गया आदेश ;

(ड) निबंधक का धारा 125 के अधीन कोई आदेश जिसमें समामेलन () या विलयन का निर्देश दिया गया हो या धारा 126 के अधीन कोई आदेश जिनमें विभाजन का निर्देश दिया गया हो ;

(ढ) धारा 128 के अधीन निबंधक द्वारा किसी संकल्प को रद्द करने या किसी आदेश को निरस्त करने के लिये दिया गया आदेश ।

(2) उपधारा (1) के 1[खंड (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ट) और (ठ)] के अधीन अपील न्यायाधिकरण को प्रस्तुत की जायेगी, और उक्त उपधारा के 2[खंड (क), (ख), (ज), (झ), (ञ), (ड) और (ढ)] के अधीन अपील निम्नलिखित को प्रस्तुत की जायेगी —

(क) यदि निर्णय या आदेश निबंधक द्वारा दिया गया हो तो राज्य सरकार को ;
अथवा

(ख) यदि निर्णय, आदेश या अभिनिर्णय किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो तो निबंधक को ।

3[(ग) यदि आदेश या अभिनिर्णय किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में विवाद पर दिया गया हो तो न्यायाधिकरण को ।]

(3) उपधारा (2) के खंड (ख) में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा, यह निर्देश दे सकती है कि उपधारा (1) के खंड (ज) में उल्लिखित अभिनिर्णय के विरुद्ध अपील ऐसे मामलों अथवा मामलों के वर्ग के संबंध में, जो उक्त विज्ञप्ति में उल्लिखित किये जाये, न्यायाधिकरण को की जायेगी और तदुपरान्त ऐसे अभिनिर्णय से क्षब्ध कोई व्यक्ति न्यायाधिकरण की अपील कर सकता है ।

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 1994 की धारा 10(ख) द्वारा प्रतिस्थापित । (ध, च, छ, ट, ठ के स्थान पर)

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 1994 की धारा 10(ख) द्वारा बढ़ाया गया । (क, ख, ग, ङ, ज, झ, च, के स्थान पर)

3. उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 1994 की धारा 10 द्वारा बढ़ाया गया ।

(4) The appellate authority after hearing an appeal under this section may pass such orders as it may deem fit.

Review of order of appellate authority

99. (1) The appellate authority under section 97 or section 98, as the case may be, may on the application of any party, review its order in any case and pass in reference thereto such order as it thinks fit ;

Provided that no such application shall be entertained unless the appellate authority is satisfied that there has been a discovery of new and important matter or evidence which, after exercise of due diligence was not within the knowledge of the applicant or could not be produced by him at the time when the order was made or that there has been some mistake or error apparent on the face of the record or for any other sufficient reason ;

Provided further that no such order shall be made under this sub-section unless notice has been given to all interested parties and they have been afforded a reasonable opportunity of being heard.

(2) An application for review under sub-section (1) by any party shall be made within thirty days from the date of communication of the order of the appellate authority sought to be reviewed.

Interim orders

100. Where an appeal is preferred under section 97 or section 98, the appellate authority may, in order to present the ends of justice being defeated, make such interlocutory orders pending the decision of the appeal as it may deem fit.

Transfer of appeals

101. (1) The State Government may, on the application of any party and after affording an opportunity to the other party of being heard, transfer an appeal filed under section 97 from one Tribunal to another Tribunal.

(2) The State Government may transfer to itself an appeal filed under section 98 pending before the Registrar of Co-operative Societies appointed under sub-section (1) of section 3 and dispose it off.

(3) The Registrar of Co-operative Societies appointed under sub-section (1) of section 3 may transfer an appeal pending before one officer exercising the powers of Registrar under sub-section (2) of section 3 to any other officer exercising similar powers or transfer an appeal pending before any such officer to himself and dispose it off.

Finality of orders and decisions

102. Every award made under section 71 and every order of the nature referred to in sub-section (1) of section 98 where no appeal has been preferred against such award or order under section 97 or section 98, as the case may be, and every decision in appeal under the said section, shall, subject to section 99, be final and binding on the parties concerned and shall not be questioned in any court.

CHAPTER -XIV

Offences and Penalties

Offence and penalties under the Act

103. (1) It shall be an offence under this Act, if—

(i) a committee of management of a co-operative society or a member or an officer thereof fails without reasonable cause to submit

(4) अपीलीय प्राधिकारी इस धारा के अधीन अपील सुनने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।

99—(1) यथास्थिति, धारा 97 अथवा धारा 98 के अधीन, अपीलीय प्राधिकारी किसी पक्ष के प्रार्थना-पत्र पर, किसी भी मामले में अपने आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है और उसके संबंध में ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे ;

अपीलीय अधिकारी
के आदेश का
पुनर्विलोकन

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायगा जब तक अपीलीय प्राधिकारी का यह समाधान न हो जाय कि किसी ऐसे नवीन तथा महत्वपूर्ण तथा या साक्ष्य का पता लगा है, जो कि उचित अध्यवसाय के पश्चात् भी प्रार्थी की जानकारी में नहीं था, अथवा वह उसे उस समय प्रस्तुत नहीं कर सकता था जब अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश दिया गया था अथवा यह समाधान न हो जाय कि ऐसी कोई गलती या त्रुटि हुई है जो अभिलेख में प्रत्यक्ष है अथवा यह कि कोई अन्य पर्याप्त कारण विद्यमान है।

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस उपधारा के अधीन उस समय तक कोई ऐसा आदेश नहीं दिया जायगा जब तक कि समस्त हितबद्ध पक्षों को नोटिस न दे दिया गया हो और उन्हें सुनवाई के लिये समुचित अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

(2) किसी पक्ष द्वारा उपधारा (1) के अधीन पुनर्विलोकन के लिये कोई प्रार्थना-पत्र अपीलीय प्राधिकारी के उस आदेश के, जिसका पुनर्विलोकन अवांछित हो संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर दिया जायगा।

100—यदि अपील धारा 97 अथवा धारा 98 के अधीन की गई हो, तो अपीलीय प्राधिकारी, न्याय की रक्षा के लिये, अपील का निर्णय होने तक के लिये ऐसे विवादकालीन आदेश दे सकता है, जो वह उचित समझे।

अंतरिम आदेश

101—(1) राज्य सरकार किसी पक्ष के प्रार्थना-पत्र पर और दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् धारा 97 के अधीन प्रस्तुत अपील को एक न्यायाधिकरण से किसी अन्य न्यायाधिकरण को संक्रमित कर सकती है।

अपीलो का संक्रमण

(2) राज्य सरकार, धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सहकारी समितियों के निबंधक के समक्ष विचाराधीन धारा 98 के अधीन कोई अपील अपने को संक्रमित कर सकती है और उसे निस्तारित कर सकती है।

(3) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सहकारी समितियों का निबंधक कोई अपील धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निबंधक के अधिकारों का प्रयोग करने वाले एक अधिकारी से तत्सदृश अधिकारों का प्रयोग करने वाले किसी अन्य अधिकारी को संक्रमित कर सकता है, अथवा ऐसे किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कोई अपील स्वयं अपने को संक्रमित कर सकता है और निस्तारित कर सकता है।

102—धारा 71 के अधीन दिया गया प्रत्येक अभिनिर्णय और धारा 98 की उपधारा (1) में अभिदिष्ट प्रकार का आदेश जब, यथास्थिति धारा 97 या 98 के अधीन ऐसे अभिनिर्णय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील न की गई हो तथा धारा 99 के अपील रहते हुये, उक्त धारा के अधीन अपील में दिया गया प्रत्येक निर्णय अन्तिम तथा सम्बद्ध पक्षों पर बंधनकारी होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

आदेश और निर्णयों
का अन्तिम होना

अध्याय—14

अपराध और शास्तियां

103—(1) इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा, यदि —

(1) किसी सहकारी समिति की प्रबंध कमेटी या उसका कोई सदस्य या अधिकारी निबंधक या निबंधक द्वारा तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जो राज्य

अधिनियम के
अधीन अपराध और
शास्तियां

any return, report or information required under the provisions of this Act by the Registrar or by a person of a rank not below that specified the State Government duly authorized by the Registrar in this behalf, or willfully makes a false return or furnishes false information or fails to maintain proper accounts ; or

(ii) an officer, employee or a member of a co-operative society fraudulently destroys, mutilates, alters, falsifies or abets the destruction, mutilation alteration, or falsification of any books, papers, or securities, or makes or abets the making of any false entry in any register, book of account or document belonging to the society or

(iii) the committee of management of a co-operative society, or an officer in possession of the books, records or property of the society refuses or fails without reasonable cause to hand over the custody of such books, records and property belonging the society to a person lawfully entitled to receive the same under this Act, the rules or the bye-laws ; or

(iv) the committee of management of a co-operative society or an officer fails, without reasonable cause, to establish a Contributory Provident Fund for its employees as required by section 63 ; or

(v) any officer of a co-operative society fails to maintain such accounts and registers as may be prescribed ; or

(vi) an officer or a member of co-operative society who is in possession of information, books and records, fails without reasonable cause to furnish such information or produce books and papers or give assistance to the person appointed by the State Government under sub-section (1) of section 64, or any person authorized by him to conduct audit, or to the Registrar or a person authorized or appointed by the Registrar under sections 64, 65, 66, 73 or 123 ; or

(vii) an employer, without sufficient cause, fails to pay to a co-operative society the amount deducted by him under sub-section (2) of section 40 within a period of 14 days from the date on which such deduction is made ; or

(viii) an officer or member of a co-operative society or any person does any act or omission declared by the rules to be an offence.

(2) (a) Whoever commits an-offence under clause (i), (iv), (v), ¹[X X X] (vii) or (viii) of sub-section (1) shall on conviction be liable to be punished with fine which may extend to ²[two thousand]² rupees.

³[provided that, any person who does an act in relation to elections which has been made an offence under the rules, shall be punishable with imprisonment for such term not exceeding two years, or with fine not exceeding rupees five thousand as may be provided in the rules, or with both.] ³

1. *Omit. by sec. 16 (i) of U. P. Act no. 12 of 1976.*

2. *Subs. by sec. 6 of U.P. Act no. 4 of 1989*

3. *Ins. by sec. 11 of U. P. Act no. 17 of 1994.*

सरकार द्वारा निर्दिष्ट पद से नीचे के पद का न हो, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उचित कारण के बिना अपेक्षित कोई विवरणी प्रतिवेदन या सूचना प्रस्तुत न करे या जानबूझ कर मिथ्या विवरणी तैयार करे या मिथ्या सूचना दे या समुचित लेखे न रखे ; या

(2) किसी सहकारी समिति का कोई अधिकारी, कर्मचारी या सदस्य सहकारी समिति की बहियों, पत्रादि या प्रतिभुतियों को कपटपूर्ण ढंग से नष्ट करे, विकृत करे, उनमें परिवर्तन करे, कूटकरण (falsify) करे या उनके नाश, विकृत, परिवर्तन, कूट-करण के लिये अभिप्रेरित करे या किसी समिति के रजिस्टर, लेखा-बही या लेख्य में कोई मिथ्या प्रविष्टि करे या करने के लिये अभिप्रेरित करे ; या

(3) किसी सहकारी समिति की प्रबंध कमेटी या कोई अधिकारी जिसके कब्जे में समिति की बहियां, अभिलेख या संपत्ति हो, समिति की ऐसी बहियों और अभिलेखों और संपत्ति की अभिरक्षा ऐसे व्यक्ति को सौंपने से इन्कार करे या उचित कारण के बिना न सौंपे जो इस अधिनियम, नियम या उपविधियों के अधीन उन्हें लेने के लिये विधितः हकदार हो; या

(4) किसी सहकारी समिति की प्रबंध कमेटी या कोई अधिकारी उचित कारण के बिना अपने कर्मचारियों के लिये धारा 63 के अधीन अपेक्षित अंशदायी भविष्य निधि की स्थापना न करें ; या

(5) सहकारी समिति का कोई अधिकारी ऐसे लेखे और रजिस्टर न रखे जो नियम किये जाये ; या

(6) सहकारी समिति का कोई ऐसा अधिकारी या सदस्य जिसके कब्जे में सूचना, बहियां और अभिलेख हों, लेखा परीक्षा के लिये धारा 64 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को, अथवा निबंधक या धारा 64, 65, 66, 73 या 123 के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत व्यक्तियों को उचित कारण के बिना उक्त सूचना न दे या बहियों और पत्रादि प्रस्तुत न करें या सहायता न दे ; या

(7) कोई भी पर्याप्त कारण के बिना किसी सहकारी समिति को, धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन अपने द्वारा कटौती की गई धनराशि का उस दिनांक से जब वह कटौती की गई हो 14 दिन की अवधि के भीतर भुगतान न करे ; या

(8) किसी सहकारी समिति का कोई अधिकारी या सदस्य या कोई अन्य व्यक्ति ऐसा कार्य या कार्यलोप करे जो नियमों द्वारा अपराध घोषित किया गया हो।

(2) (क) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के खंड 1, 4, 5, ¹[X], 7 या 8 के अधीन अपराध करे उसे सिद्ध दोष ठहराये जाने पर अर्थदंड दिया जायगा जो ²[दो हजार]² रुपये तक हो सकता है।

³[प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति, जो निर्वाचन के सम्बन्ध में ऐसा कार्य करता है जो नियमों के अधीन अपराध हो, वह नियमों में यथा उपबन्धित दो वर्ष से अनधिक कारावास से या पांच हजार रुपये से अनधिक के अर्थदण्ड से, या दोनों से दण्डनीय होगा।]³

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 12, 1976 की धारा 16 (i) द्वारा निकाला गया।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 1989 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 1994 की धारा 11 द्वारा बढ़ाया गया।

¹[(b) Whoever commits an offence under clause (ii), clause (iii), or clause (vi) of sub-section (1) shall on conviction be liable to be punished with imprisonment of either description which may extend to two years and shall also be liable to fine which may extend to three thousand rupees ;

(c) Every offence referred to in clause (b) shall be cognizable and bailable.]

**Penalty for
contravention
of section 8 or
section 106**

104. Any person contravening the provisions of sub-section (2) of section 8 or of section 106 shall be punishable with fine which may extend to ²[two thousand five hundred rupees]² and in the case of continuing offence with further fine of ²[fifty rupees] for each day on which the offence is continued after conviction therefor.

**Compound of
offences**

³**104-A.** (1) The Registrar may, either before or after the institution of the prosecution, compound any offence punishable under this Act on realization of such amount of composition fee as he thinks fit, and where such offence is punishable with fine only then such composition fee shall not exceed the maximum amount of fine fixed for the offence.

(2) Where the offence is so compounded—

(a) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution for such offence and shall, if in custody, be set at liberty ;

(b) after the institution of the prosecution, the composition shall amount to acquittal of the accused.]³

**Cognizance of
offence**

105. (1) No court, inferior to that of a stipendiary magistrate of the first class shall try any offence under this Act.

(2) No prosecution shall be instituted under this Act without the previous sanction of the Registrar and such sanction shall not be given without affording to the person sought to be prosecuted an opportunity to present his case.

CHAPTER-XV

Miscellaneous and Transitional Provisions

**Prohibition
against the use
of word “सहकारी”
or “co-
operative”**

106. No person other than a co-operative society shall trade or carry on business under any name or title of which the word “सहकारी” or its equivalent in English, “co-operative” forms part ;

Provided that nothing in this section shall apply to the use by any person or his successor –in interest of any name or title under which he carried on business at the date on which the Co-operative Societies Act, 1912, had come into operation.

1. Subs. by sec. 11 of U.P. Act no. 12, 1976.

2. Subs. by sec. 5 of U.P. Act no. 9, 2011.

3. Ins. by sec. 7 of U. P. Act no. 17 of 1977.

1[(ख) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के खंड (2), खंड (3) या खंड (6) के अधीन अपराध करता है, दोषसिद्ध पर किसी प्रकार के कारावास के दंड का भागी होगा जो दो वर्ष तक हो सकता है और अर्थदंड का भी भागी होगा जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है ;

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक अपराध संज्ञेय और जमानतीय होगा]¹

104—कोई व्यक्ति जो धारा 8 की उपधारा (2) या धारा 106 के उपबन्धों का उल्लंघन करे, अर्थदंड से दंडनीय होगा **2**[दो हजार पांच सौ रुपये] तक हो सकता है और अपराध जारी रहने की दशा में अतिरिक्त अर्थदंड से दंडनीय होगा जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसमें दोषसिद्ध के पश्चात् अपराध जारी रक्खा जाय, [पचास रुपये]² होगा।

धारा 8 अथवा धारा 106 के उल्लंघन के लिये शास्ति

3 [104-क] (1)निबंधक, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का शमन, अभियोग संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् प्रशमन शुल्क की ऐसी धनराशि वसूल करने के पश्चात् कर सकता है जैसी वह उचित समझे, और यदि वह अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय हो तो प्रशमन शुल्क उस अपराध के लिये निर्धारित अधिकतम जुर्माने की धनराशि से अधिक नहीं होगी।

अपराधों का शमन

(2) जहां अपराध का इस प्रकार शमन —

(क) अभियोग संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी को ऐसे अपराध के लिये अभियोजित नहीं किया जायगा और यदि अभिरक्षा में हो तो उसे मुक्त कर दिया जायगा ;

(ख) अभियोग संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, वहां ऐसे शमन का प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा।]

105—(1) प्रथम श्रेणी के वृत्तिग्राही (stipendiary) मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की सुनवाई नहीं करेगा।

अपराध संज्ञान

(2) निबंधक की पूर्व स्वीकृति क बिना इस अधिनियम के अधीन कोई अभियोजन (prosecution) संस्थित नहीं किया जायगा और ऐसी स्वीकृति उस व्यक्ति को जिसे अभियोजित करना हो अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना नहीं दी जायगी।

अध्याय—15

विविध तथा संक्रमणकालीन उपबंध

106—सहकारी समिति से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसे किसी नाम से जिसमें शब्द “सहकारी” या उसका अंग्रेजी पर्याय “कोऑपरेटिव” हो, व्यापार या कारोबार नहीं करेगा ;

शब्द “सहकारी या कोऑपरेटिव” का प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध

प्रतिबंध यह है कि इस धारा की कोई बात किसी व्यक्ति या उसकें हित के उत्तराधिकारी द्वारा ऐसा कोई नाम प्रयुक्त किये जाने पर प्रवृत्त नहीं होगी जिससे उसने उस दिनांक को व्यापार किया हो जबकि कोऑपरेटिव सोसाईटीज ऐक्ट, 1912 प्रवर्तित हुआ था।

1. उ०प्र० अधिनियम सं० 12, 1976 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 9, 2011 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 1977 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया।

¹[106-A. Prohibition of use of certain words by a society other than a bank— No Co-operative Society other than a Co-operative Society other than a Co-operative Bank and the Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Bank shall use the word “Bank”, “Banker” and “Banking” in its name.] ¹

Address of co-operative society

107. (1) Every co-operative society shall have an address registered in the prescribed manner and all notices and communications to the society may be sent at such address. The society shall sent to the Registrar notice of any change of such address within thirty days of the change.

²(2) Every co-operative society shall, at every office or place where it carries on business, display its name and address of its registered office along with the words “registered under the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965” in legible character at a conspicuous place and shall also mention the same—

(a) in all notices and other publications authorized by it ;

(b) in all business contracts, business letters, order for goods, invoices, statements of accounts, receipts and letters of credits ; and

(c) in all bills of exchange, promissory notes, endorsements, cheques and orders for money it signs or that are signed on its behalf.] ²

Copies of Act etc. to be open for inspection

³[108. Every Co-operative Society shall keep a copy of this Act, the rules made thereunder, its bye-laws last audited annual balance sheet, profit and loss account and minutes of the general meetings open to inspection free of charge at the registered address of the society.] ³

Powers of civil court to Tribunals, arbitrators others in certain matters

109. (1) While deciding a dispute, making inquiry or inspection, hearing an appeal or investigating any claim, the Registrar, the arbitrator, the board of arbitrators, the Tribunal or the liquidator shall have all the powers of a Civil procedure, 1908, in respect of the following matters namely—

Act V of 1908

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath ;

(b) requiring the discovery and production of any document ;

(c) proof of facts by affidavits ; and

(d) issuing commissions for examination of witnesses.

(2) An affidavit to be filed under sub-section (1) may be sworn before the Registrar, the arbitrator, the board of arbitrators, the Tribunal or the liquidator, as the case may be, or before an officer appointed in this behalf by the Registrar or the Tribunal.

Exemption from Indian Limitation Act, 1963

110. Notwithstanding any provision in the Indian Limitation Act, 1963, the period of limitation for the institution of a suit to recover any sum including interest thereon due to a co-operative

[1. Ins. by sec. 16 of U. P. Act no. 47 of 2007.](#)

[2. Renumbered and Ins. by sec. 3 of U. P. Act no. 25 of 1994.](#)

[3. Subs. by sec. 4 of U. P. Act no. 25 of 1994.](#)

[106-क बैंक से भिन्न अन्य सहकारी समिति द्वारा कतिपय शब्दों का प्रयोग

करने का प्रतिषेध— किसी सहकारी बैंक एवं उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक से भिन्न कोई सहकारी समिति अपने नाम में “बैंक”, “बैंकर” एवं “बैंकिंग” शब्द का प्रयोग नहीं करेगी।¹

107—प्रत्येक सहकारी समिति का नियत रीति से निबंधित एक पता होगा और सभी नोटिस और पत्र समिति को इस पते पर भेजे जा सकेंगे। समिति अपने पते में किसी परिवर्तन का नोटिस ऐसे परिवर्तन के तीस दिन के भीतर निबंधक को भेजेगी।

सहकारी समिति का पता

2[(2) प्रत्येक सहकारी समिति अपने प्रत्येक कामलिय या स्थान पर, जहां वह कोई कारोबार करती हो, अपना नाम और अपने निबन्धित कार्यालय का पता “उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधिन निबन्धित” शब्द के साथ सुपाठ्य अक्षरों में किसी सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगी और उनका उल्लेख निम्नलिखित में भी करेगी :—

(क) समस्त सूचनाओं और उसके द्वारा प्राधिकृत प्रकाशनों में ;

(ख) समस्त कारोबार संविदाओं, कारोबार सम्बन्धी पत्रों, माल के लिए आदेशों में, जिन्हें वह हस्ताक्षरित करे, या जो उसकी ओर से हस्ताक्षरित किए जाएं।

(ग) समस्त विनिमय पत्रों, वचन पत्रों, पृष्ठांकनों, चेकों और धन के लिए आदेशों में, जिन्हें वह हस्ताक्षरित करे, या जो उसकी ओर से हस्ताक्षरित किए जाएं।²

3[108—प्रत्येक सहकारी समिति इस अधिनियम, तदधीन बनाये गये नियमों, अपनी उपविधियों, अन्तिम संपरीक्षित वार्षिक तुलन पत्र, लाभ और हानि का लेखा और साधारण अधिवेशनों की कार्यवाही की एक प्रति सभी उचित समयों पर निःशुल्क निरीक्षण के लिए समिति के निबन्धित पते पर उपलब्ध रखेगी।³

अधिनियम आदि की प्रतियों का निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखा जाना

109—किसी विवाद का निर्णय, किसी जांच या निरीक्षण, अपील की सुनवाई या किसी दावे की छानबीन करते समय निबंधक, मध्यस्थ, मध्यस्थ मंडल, न्यायाधिकरण अथवा परिसमापक को निम्नलिखित विषय में वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 के अधीन किसी विवाद पर विचार करते समय दीवानी न्यायालय को प्राप्त होते हैं, अर्थात् —

कतिपय मामलों में न्यायाधिकरणों, मध्यस्थों आदि को दीवानी न्यायालय के अधिकार ऐक्ट संख्या 5, 1908

(क) किसी लेख्य को बुलाना और उसे उपस्थित होने के लिये बाध्य करना तथा शपथ पर उसका बयान लेना ;

(ख) किसी लेख्य को प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ—पत्रों द्वारा तथ्यों की सिद्धि ; और

(घ) साक्षियों के बयान लेने के लिये कमीशन निकालना ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ—पत्र पर शपथ—यथास्थिति, निबंधक, मध्यस्थ, और मध्यस्थ मंडल न्यायाधिकरण या परिसमापक के समक्ष, अथवा निबंधक या न्यायाधिकरण द्वारा तदर्थ नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष ली जा सकती है।

110—इन्डियन लिमिटेड ऐक्ट, 1963 में किसी उपबंध के होते हुये भी, सहकारी समिति के किसी सदस्य द्वारा समिति को देय किसी धनराशि की जिसके

इन्डियन लिमिटेड ऐक्ट 1963 से छूट

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 47, 2007 की धारा 16 द्वारा बढ़ाया गया।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 25, 1994 की धारा 3 द्वारा पुनःसंख्याकित व बढ़ाया गया।

3. उ० प्र० अधिनियम सं० 25, 1994 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

Act 36 of 1963	society by a member thereof, shall be computed from the date on which such member dies or ceases to be a member of the society.
Bar of jurisdiction of court	<p>111. Save as expressly provided in this Act, no civil or revenue court shall have any jurisdiction in respect of :—</p> <p>(a) the registration of a co-operative society or its bye-laws or of an amendment of a bye-laws ;</p> <p>(b) the supersession or suspension of a committee of management ;</p> <p>(c) any dispute required under section 70 to be referred to the Registrar ; and</p> <p>(d) any other order or award made under this Act.</p>
Power to exempt society from conditions of registration	<p>112. Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may, by special order in each case and subject to such conditions, if any, as it may impose, exempt any co-operative society from any of the requirements of this Act as to registration.</p>
Filling of returns	<p>¹113. (1) Every Co-operative society shall file returns within six months of the close of every financial year to the Registrar or any officer authorized by him including the following matters, namely :—</p> <p>(a) annual report of its activities ;</p> <p>(b) its audited statement of accounts ;</p> <p>(c) the plan of disposal of surplus, as approved by the General Body of the Co-operative Society ;</p> <p>(d) list of amendment to the bye-laws of the Co-operative Society, if any.</p> <p>(e) declaration regarding date of holding of its General Body meeting and conduct the election when due, and</p> <p>(f) any other information as required by the Registrar.</p> <p>(2) Every co-operative society shall be covered by the right to information Act, 2005.]¹</p>
Register of members	<p>114. Any register or list of member or shares kept by any co-operative society shall be prima facie evidence of any of the following particulars entered therein—</p> <p>(a) the date on which the name of any person was entered in such register or list as a member ;</p> <p>(b) the date on which any such person ceased to be a member.</p>
Proof of the entries in books of co-operative societies	<p>115. (1) A copy of any entry in a book of a co-operative society regularly kept in the course of its business shall, if certified in such manner as may be prescribed, be received in any suit or legal proceeding as prima facie evidence of the matters, transactions and accounts therein recorded in the same manner and to the same extent as the original entry itself is admissible.</p>

¹ *Ins. by sec. 6 of U. P. Act no. 13 of 2013 (earlier [deleted by sec. 12 of U.P. Act no. 17, 1994](#))*

अन्तर्गत उस पर ब्याज भी है, वसूली के लिये वादो को संस्थित करने के निमित्त अवधि की गणना उस दिनांक से की जायेगी जिस दिनांक को समिति के सदस्य की मृत्यु हो जाय या वह सदस्य न रह जाय।

ऐक्ट सं 36, 1963

111—इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी दीवानी या राजस्व न्यायालय को निम्नलिखित के संबंध में कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त न होगा :—

न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर रोक

(क) किसी सहकारी समिति का या उसकी उपविधियों या उपविधि के किसी संशोधन का निबंधन ;

(ख) किसी प्रबंध कमेटी का अवक्रमण अथवा निलंबन ;

(ग) धारा 70 के अधीन निबंधक को अभिदिष्ट किये जाने के लिये अपेक्षित कोई विवाद;

(घ) इस अधिनियम के अधीन दिया गया कोई आदेश या अभिनिर्णय ;

112—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुये, जिन्हें वह आरोपित करे, किसी सहकारी समिति को इस अधिनियम की निबंधन विषयक किसी भी अपेक्षा से छूट दे सकती है।

निबन्धन की शर्तों से समितियों को छूट देने का अधिकार

113—(1) प्रत्येक सहकारी समिति, निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करते हुये प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः मास के भीतर, निबंधक को या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को विवरणी (रिटर्न) प्रस्तुत करेगी, अर्थात् :—

विवरणीयों का दाखिल किया जाना

(क) अपने क्रिया कलापों की वार्षिक रिपोर्ट ;

(ख) अपने लेखों का लेखा परीक्षित विवरण,

(ग) सहकारी समिति के सामान्य निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अधिशेष के निस्तारण की योजना,

(घ) समिति की उपविधियों के संशोधनों की सूची, यदि कोई हो,

(ङ) अपने सामान्य निकाय की बैठक के दिनांक और निर्वाचन का आयोजन जब होना है, कि घोषणा और,

(च) निबन्धक द्वारा यथा अपेक्षित कोई अन्य सूचना।

(2) प्रत्येक सहकारी समिति, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से आच्छादित होगी।¹

114—सदस्यों या अंशों का कोई रजिस्टर या सूची, जो किसी सहकारी समिति द्वारा रक्खी जाय, उसमें प्रवृत्त निम्नलिखित विषयों की प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगी —

सदस्यों का रजिस्टर

(क) दिनांक जब उस रजिस्टर या सूची में किसी व्यक्ति का नाम सदस्य के रूप में प्रविष्टि किया गया हों ;

(ख) दिनांक जब ऐसा कोई व्यक्ति सदस्य नहीं रह गया हो ;

115—(1) किसी सहकारी समिति की बही में जो उसके कार्य—संपादन के संबंध में नियमित रूप से रखी जाती हो, किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि, यदि वह उस रीति से प्रमाणीत की गई हो, जो नियत की जाय, किसी वाद या विधिक कार्यवाही में उसमें अभिलिखित विषयों, व्यवहारों और लेख्यों के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार तथा उसी सीमा तक ग्रहण की जायगी जिस प्रकार और जिस सीमा तक मूल प्रविष्टि ग्राह्य (admissible) होगी।

सहकारी समितियों की बहियों में प्रविष्टियों की सिद्धि

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 13, 2013 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया। (पूर्व में उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 1994 की धारा 12 द्वारा निकाला गया।)

(2) A co-operative society may grant copies of any document obtained and kept by it in the course of its business or of any entries in such document; and any copy granted shall, when certified in such manner as may be prescribed, be admissible in evidence for any purpose in the same manner and to the same extent as the original document, or the entries therein, as the case may be, are admissible.

(3) No officer of a co-operative society and no officer in whose office the books of a co-operative society are deposited after its winding up shall, in any legal proceedings to which the society or the liquidator is not a part, be compelled to produce any of the society's books or documents, the contents of which can be proved under this section, or to appear as a witness to prove the matters, transactions and accounts therein recorded, except under order of the court, Tribunal, the Registrar or the arbitrator made for special cause.

Pass-Book to members

¹[**115-A.** (1) A Co-operative Society which gives loans to its members or a co-operative society or a class of co-operative societies, as may be notified by the State Government shall provide to each member pass-book which shall contain the details of transaction with the member, such as, the date of the transaction, the amount of loan advanced, the rate of interest, the repayments made by the member, the amount of the principal and interest due and such other particulars as may be prescribed. The entries of the pass-book shall be up to dated from time to time and shall be countersigned by such officer of the co-operative society as may be authorized by it in this behalf and for this purpose such member shall present the pass-book to such officer who shall issue a receipt there of if the pass book is required to be detained for making entries therein.

(2) The entries in the pass-book duly made shall until the contrary is proved, be *prima facie* evidence of the transaction of the co-operative society with the member.]

Service of notice under the Act

116. Except where otherwise provided by or under this Act, every notice or order issued or made under this Act may be served on any person by properly addressing to the last known place of residence or business of such person and posting by registered post, a letter containing the notice or order, and unless the contrary is proved, such service shall be deemed to have been effected at the time at which the letter would be delivered in the ordinary course.

Notice necessary in suite

117. No suit shall be instituted against a co-operative society or any of its officers in respect of any act relating to the constitution, management or the business of the society until the expiration of two months next after notice in writing has been delivered to the Registrar, or left at his office, stating the cause of action, the name, description and place of residence of the plaintiff and the relief which he claims ; and the plaint shall contain a statement that such notice has been so delivered or left.

[1. Ins. by sec. 5 of U. P. Act no. 25 of 1994.](#)

(2) कोई सहकारी समिति किसी ऐसे लेख्य की प्रतिलिपियां जो उसने अपने कार्य-सम्पादन के संबंध में प्राप्त किया और रक्खा हो, या उस लेख्य की किन्हीं प्रविष्टियों की प्रतिलिपियां दे सकती है और दी गई कोई प्रतिलिपि, जो ऐसी रीति से प्रमाणित की गई हो, जो नियत की जाय, किसी भी प्रयोजन के लिये उसी प्रकार और उसी सीमा तक साक्ष्य में ग्राह्य होगी जिस प्रकार और जिस सीमा तक, यथास्थिति, मूल लेख्य या उसकी प्रविष्टियां ग्राह्य होती।

(3) सहकारी समिति के किसी अधिकारी को और ऐसे अधिकारी को, जिसके कार्यालय में समापन के पश्चात किसी सहकारी समिति की बहियां जमा हों, किसी ऐसी विधिक कार्यवाही में जिसमें उक्त सहकारी समिति या परिसमापक एक पक्ष न हो, समिति की बहियों का लेख्य, जिनकी अन्तर्वस्तु को इस धारा के अनुसार सिद्ध किया जा सके, प्रस्तुत करने, या उसमें अभिलिखित विषयों, व्यवहारों और लेखों को सिद्ध करने के लिये साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिये बाध्य नहीं किया जायगा, सिवाय उस दशा के जब किसी विशेष, कारण से न्यायालय, न्यायाधिकरण, निबंधक या मध्यस्थ ने तदर्थ आदेश दिया हो।

1[115-क- (1) कोई सहकारी समिति, जो अपने सदस्यों को ऋण देती है या कोई सहकारी समिति या सहकारी समितियों का कोई वर्ग जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायें, अपने प्रत्येक सदस्य को एक पास-बुक उपलब्ध कराएंगी, जिससे सदस्य के साथ हुए संव्यवहारों का ब्योरा जैसे कि संव्यवहार का दिनांक, दिये गये ऋण की धनराशि, ब्याज की दर, सदस्य द्वारा की गई अदायगियां, शोध्य मूलधन और ब्याज की धराशि और ऐसी अन्य विशिष्टियां जैसी कि नियत की जायें, अन्तर्विष्ट होंगी। पास-बुक की प्रविष्टियां समय-समय पर अद्यावधिक को जायेंगी और सहकारी समिति के ऐसे अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जायेंगी जिसे वह इसे निमित प्राधिकृत करे और इस प्रयोजन के लिये ऐसा सदस्य ऐसे अधिकारी को पासबुक प्रस्तुत करेगा, जो यदि पासबुक की प्रविष्टियां करने के लिए रोकना अपेक्षित हो तो उसकी एक रसीद निर्गत करेगा।

सदस्यों को
पास-बुक

(2) पास-बुक में सम्यक् रूप से की गई प्रविष्टियां, जब तक कि प्रतिकूल साबित न हो जाय, सदस्य के साथ सहकारी समिति के संव्यवहार की प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगी।¹

116- सिवाय उस दशा के जब इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा व्यवस्था की गई हो, इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया प्रत्येक नोटिस या दिया गया प्रत्येक आदेश किसी व्यक्ति पर उसके अन्तिम ज्ञात निवास या कारोबार के स्थान का ठीक से पता लिख कर और रजिस्ट्री डाक द्वारा ऐसा पत्र भेज कर, जिसमें नोटिस या आदेश हो, तामील किया जा सकता है और जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध न हो जाय वह तामील उस समय की हुई समझी जायगी जब पत्र सामान्य कम में उसके पास पहुंच जाता।

अधिनियम के
अधीन नोटिस की
तामील

117- समिति के संघटन, प्रबंध या कारोबार से संबंधित किसी कार्य के संबंध में सहकारी समिति या उसके किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जायगा जब तक कि निबंधक को ऐसा लिखित नोटिस जिसमें वाद तब तक संस्थित नहीं किया जायगा जब तक कि निबंधक को ऐसा लिखित नोटिस जिसमें वाद करण, वादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान और उसके द्वारा अभियाचित अनुतोष दिया हो, दिये जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात् दो मास व्यतीत न हो गये हों, और वाद पत्र में इस बात का प्रकथन भी होगा कि ऐसा नोटिस इस प्रकार दे दिया या कार्यालय में छोड़ दिया गया है।

वादों के लिये
नोटिस का होना
आवश्यक

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 25, 1994 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।

Control of expenditure on litigation in certain cases

1[117-A. No expenditure from the funds of a society shall be incurred without prior sanction in writing of the Registrar for the purposes of defraying the cost of any proceedings filed or instituted in any court by any officer or Committee of Management of the Registrar or the State Government under section 29, section 34, section 35 or section 35-A.]

Acts of co-operative societies not to be invalidated by certain defects

118. No act of a co-operative society or any committee of management or of any officer of a co-operative society shall be deemed to be invalid by reason only of the existence of any defect in the constitution of such society or committee or in the appointment or election of such an officer or on the ground that such officer was disqualified for such appointment or election.

Indemnity U. P. Act no. XVI of 1964

119. No suit, prosecution, or other legal proceeding shall lie against the trustee appointed under the U. P. Co-operative Land Development Banks Act, 1964, the Registrar or any person subordinate to him or acting on his authority, a liquidator, an arbitrator, the board of arbitrators, the Tribunal or any member thereof in respect of anything in good faith done or purporting to have been done under this Act.

Qualifications, for appointment as secretary manager, etc. of co-operative societies

120. (1) No person shall be appointed by a co-operative society as secretary, manager, accountant or as any other officer to be paid or remunerated by the society unless he possesses such qualifications and furnishes such security, if any, as may be specified by the Registrar from time to time in respect of any co-operative society or class of societies.

(2) Any person appointed in contravention of the provisions contained in sub-section (1) shall be liable to removal from his office by the Registrar.

Power of Registrar to determine terms of employment of society

121. (1) The Registrar may, from time to time, frame regulations to regulate the emoluments and other conditions of service including the disciplinary control of employee in a co-operative society or a class of co-operative societies and any society to which such terms are applicable shall comply with those regulations and with any orders of the Registrar issued to secure such compliance.

(2) The regulations framed under sub-section (1) shall be published in the **Gazette** and take effect from the date of such publication.

Authority to control employees of co-operative societies

122. (1) The State Government may constitute an authority or authorities, or a class of co-operative societies and may require such authority or authorities to frame regulations regarding recruitment, emoluments, terms and conditions of service including disciplinary control of such employees and, subject to the provisions contained in section 70, settlement of disputes between an employee of a co-operative society and the society.

[1. Ins. by sec. 17 of U. P. Act no. 12 of 1976.](#)

117-क- धारा 29, धारा 34, धारा 35 या धारा 35-क के अधीन निबंधक या राज्य सरकार के द्वारा जो आदेश दिया जाय या जो आदेश दिया जाना भावित हो उसके विरुद्ध समिति या किसी अधिकारी या उसकी प्रबंध कमेटी द्वारा किसी न्यायालय में दायर की गई या संस्थित किन्ही कार्यवाहियों का खर्च देने के प्रयोजनार्थ समिति की निधि से कोई व्यय निबंधक की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायगा।]

कतिपय मामलों में मुकदमों पर होने वाले व्यय का नियंत्रण

118- किसी सहकारी समिति या किसी प्रबन्ध कमेटी या किसी सहकारी समिति के अधिकारी का कोई कार्य केवल इस कारण अमान्य नहीं समझा जायगा कि समिति या कमेटी के संघटन में, या किसी अधिकारी की नियुक्ति या उसके निर्वाचन में कोई त्रुटि हो गई है, या इस आधार पर कि उक्त अधिकारी ऐसी नियुक्ति या निर्वाचन के लिये अनर्हित था।

कतिपय त्रुटियों के कारण सहकारी समितियों के कार्य अमान्य नहीं किये जायेंगे

119- कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1964 के अधीन नियुक्त, न्यासी, निबंधक या उसके अधीनस्थ या उसके प्राधिकार से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति, परिसमापक, मध्यस्थ, मध्यस्थ-मंडल, न्यायाधिकरण या उसके किसी सदस्य के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के संबंध में नहीं की जा सकेगी जो सद्भावना से इस अधिनियम के अधीन किया गया हो या किया गया भावित हो।

प्रमुक्ति

उ० प्र० अधिनियम सं० 16, 1964

120-(1) कोई सहकारी समिति किसी व्यक्ति को सचिव, प्रबंधक, लेखाकार या किसी ऐसे अधिकारी के रूप में, जिसे समिति द्वारा वेतन या पारिश्रमिक दिया जाना हो, तब तक नियुक्त न करेगी, जब तक कि उसमें ऐसी अर्हतायें न हों, और ऐसी प्रतिभूति, यदि कोई हो, न दे दे जो निबंधक किसी सहकारी समिति या समितियों के किसी वर्ग के संबंध में समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

सहकारी समितियों के सचिव, प्रबंधक आदि के रूप में नियुक्ति के लिये अर्हतायें

(2) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करके नियुक्त किया गया हो, निबंधक द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा।

121-(1) निबंधक किसी सहकारी समिति या सहकारी समितियों के वर्ग के कर्मचारियों की उपलब्धियों और सेवाओं की अन्य शर्तों को, जिनके अन्तर्गत ऐसे कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण भी है, विनियमित करने के लिये समय-समय पर विनियमन बना सकता है और समिति, जिस पर ये शर्तें प्रवृत्त होती हों, उन विनियमों का तथा निबंधक के ऐसे आदेशों का जो उनका पालन सुनिश्चित करने के लिये दिये जायें, पालन करेगी।

निबंधक का समितियों में सेवायोजन की शर्तें अवधारित करने का अधिकार

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम गजट में प्रकाशित किये जायेंगे और प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे।

122-(1) राज्य सरकार ऐसी रीति से जो नियत की जाय, सहकारी समितियों, या सहकारी समितियों के वर्ग के कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण तथा अनुशासनिक नियंत्रण के लिये प्राधिकारी या प्राधिकारियों का संघटन कर, सकती है और ऐसे प्राधिकारी या प्राधिकारियों से इस बात की अपेक्षा कर सकती है कि वह या वे ऐसे कर्मचारियों की भर्ती उपलब्धियों और सेवाओं की शर्तों के सम्बन्ध में, जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक नियंत्रण भी है, और धारा 70 के उपबंधों के अधीन रहते हुये, सहकारी समिति के कर्मचारी तथा समिति के बीच विवादों के निपटारे के संबंध में, विनियम बनायें।

सहकारी समिति के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने वाला प्राधिकारी

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 12, 1976 की धारा 17 द्वारा बढ़ाया गया।

(2) The regulations framed under sub-section (1) shall be subject to the approval of the State Government and shall, after such approval, be published in the *Gazette* and take effect from the date of such publication and shall supersede any regulations made under section 121.

**Centralization
of certain
services**

¹**122-A.** (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may by rules provide for the creation of one or more services of such employees of such co-operative societies or class of co-operative societies as the State Government may think fit, common to such co-operative societies and prescribe the method of recruitment, appointment, removal and other conditions of service of persons appointed to any such service.

(2) When any such service is created, all employees of such societies existing on the date of creation of such service on the posts included in such service, shall be deemed to have been provisionally absorbed in the service with effect from the date of creation of such service ;

Provided that any such employee may, by notice in writing to the prescribed authority within the prescribed period, intimate his option of not becoming a member of such service, and in that event his services in the society shall stand determined with effect from the date of such notice and he shall be entitled to compensation from the society which shall be—

(a) in the case of a permanent employee, a sum equivalent to his salary (including all allowances) for a period of three months or for the remaining period of his service, whichever is less.

(b) in the case of a temporary employee a sum equivalent to his salary (including all allowances) for a period of one month or for the remaining period of his service, whichever is less.

(3) An employee provisionally absorbed under sub-section (2) may be absorbed finally in the service if found suitable after screening in accordance with the instructions issued by the Registrar ; and the services of any such employee as is not found suitable for absorption in the service shall stand determined with effect from the date of issue of orders in that behalf by the prescribed authority and until such authority is prescribed, by the officer specified by the Registrar in that behalf in such instructions and he shall be entitled to compensation as laid down in clause (a) or clause (b) of sub-section (2) according as he was a permanent or a temporary employee.]

**Constitution or
recognition of
co-operative
federal
authority to
supervise
working of co-
operative
societies**

123. (1) The State Government may constitute or recognize one or more co-operative federal authorities, in such manner as may be prescribed and subject to such conditions as the State Government may impose, for the supervision of co-operative societies or a class of co-operative societies may grant loans or subsidies to such authority or authorities in the manner prescribed.

[1. Ins. by sec. 8 of U.P. Act no. 17 of 1977.](#)

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम, राज्य सरकार के अनुमोदनाधीन होंगे और ऐसे अनुमोदन के पश्चात् गजट में प्रकाशित किये जायेंगे तथा प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे और धारा 121 के अधीन बनाये गये किन्हीं विनियमों का अतिक्रमण करेंगे।

¹[122—क (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते भी, राज्य सरकार ऐसी सहकारी समितियों या सहकारी समितियों के वर्ग के ऐसे कर्मचारियों की, जिसे राज्य सरकार उचित समझे, ऐसी सहकारी समितियों के लिये सर्वमान्य एक या अधिक सेवाओं के सृजन के लिये नियमों द्वारा उपबंध कर सकती है और किसी ऐसी सेवा में भर्ती, नियुक्ति और उसमें नियुक्त व्यक्तियों को हटाने की प्रमाणी और उनकी सेवा की अन्य शर्तों को नियत कर सकती है।

कतिपय सेवाओं का
केन्द्रीयकरण

(2) जब कोई ऐसी सेवा सृजित की जाय, तब ऐसी सेवा में सम्मिलित पदों पर ऐसी सेवा के सृजन के दिनांक को ऐसी समितियों के सभी कर्मचारियों को ऐसी सेवा के सृजन के दिनांक से सेवा में अस्थाई रूप से आमेलित समझा जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा कर्मचारी नियत अवधि के भीतर नियत प्राधिकारी को लिखित नोटिस द्वारा ऐसी सेवा का सदस्य न होने के अपने विकल्प की सूचना दे सकता है और उस दशा में समिति में उसकी सेवायें ऐसी नोटिस के दिनांक से समाप्त हो जायेगी और वह समिति से ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा, जो —

(क) किसी स्थाई कर्मचारी की दशा में, उसके तीन मास के या सेवा की शेष अवधि के, जो भी कम हो, वेतन (जिसमें सभी भत्ते भी सम्मिलित हैं) के बराबर होगा ;

(ख) किसी अस्थाई कर्मचारी की दशा में, उसके एक मास के या सेवा की शेष अवधि के, जो भी कम हो, वेतन (जिसके अन्तर्गत सभी भत्ते भी सम्मिलित हैं) के बराबर होगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन अस्थाई रूप से आमेलित कर्मचारी सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किया जा सकता है, यदि वह निबन्धक द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार अन्वीक्षणों के पश्चात् उपर्युक्त पाया जाय और किसी ऐसे कर्मचारी की सेवायें जिसे सेवा में आमेलन के लिये उपर्युक्त न पाया जाय, विहित प्राधिकारी द्वारा, और जब तक ऐसा प्राधिकारी विहित न किया जाय निबन्धक के ऐसे अनुदेशों में इस निमित्त विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा इस निमित्त आदेश जारी करने के दिनांक से समाप्त हो जायेंगी और वह उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्धारित प्रतिकर का, स्थायी या अस्थायी कर्मचारी होने के अनुसार, हकदार होगा।]

123—(1) राज्य सरकार, सहकारी समितियों या सहकारी समितियों के वर्ग के पर्यवेक्षण के लिए एक या अधिक सहकारी संघ प्राधिकारियों को, ऐसी रीति से जो नियत की जाय और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार आरोपित करे, संघटित कर सकती है, अथवा उसे या उन्हें मान्यता दे सकती है तथा ऐसे प्राधिकारी या प्राधिकारियों को नियत रीति से ऋण अथवा राज्य सहायता दे सकती है।

सहकारी समितियों
के कार्य संचालन
का पर्यवेक्षण करने
के लिये सहकारी
संघ प्राधिकारी का
संघटन या उसे
मान्यता देना

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 17, 1977 की धारा 8 द्वारा बढ़ाया गया।

(2) The State Government may, by general or special order, require a co-operative society or a class of co-operative societies to make contribution of such a sum every year as may be fixed by the Registrar towards the full or partial recoupment of expenditure incurred or likely to be incurred in respect of supervision of societies by the feral authority or authorities mentioned in sub-section (1).

(3) A co-operative society to which sub-section (2) is applicable shall pay to such authority or authorities within such time as may be fixed by the Registrar, the contribution as may be fixed under that sub-section, and if it fails to make such payment within such time, the amount shall be recovered as arrears of land revenue on a requisition made by the authority or authorities through the Registrar to the Collector if the district in which the registered office of the defaulting co-operative society is situate.

(4) Any officer or officers of the federal authority or authorities mentioned in sub-section (1) may be authorized by the Registrar by general or special order in writing to conduct inspection of a co-operative society or class of co-operative societies, the supervision of which has been entrusted to the federal authority or authorities under sub-section (1), provided that such officer or officers shall work under the general guidance, superintendence and control of the Registrar in exercise of such powers and report the result of inspection to the Registrar.

**Functions of
apex society**

¹[**123-A.** An apex society may, for servicing its constituents and in accordance with its bye-laws, perform the following functions, namely:—

(a) to take measures for the observance of co-operative principles;

(b) to promote and organize co-operative societies and for this purpose frame model bye-laws, issue guide lines for making regulations sand policies for consideration ;

(c) to provide co-operative training, education and information and promote co-operative principles ;

(d) to undertake research and evaluation and assist in preparation of perspective development plans of member co-operative societies ;

(e) to promote harmonious relations amongst member co-operative societies ;

(f) to represent the interest of member co-operative societies and to make efforts for policies and legislation favorable to co-operative societies ;

(g) to undertake business services on behalf of its members ;

(h) to provide co-operation and management of development services to member co-operative societies including participation in board meetings where such member societies are invited ;]

1. Ins. by sec. 6 of U. P. Act no. 25 of 1994.

(2) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, सहकारी समिति या सहकारी समितियों के वर्ग से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह उपधारा (1) में उल्लिखित संघ प्राधिकारी या प्राधिकारियों द्वारा समितियों के पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में किये गये या किये जाने वाले संभाव्य व्यय की पूर्ण अथवा आंशिक प्रतिपूर्ति (re-couplement) करने के लिये प्रत्येक वर्ष ऐसी धनराशि का अंशदान करे जो निबंधक द्वारा निश्चित की जाय।

(3) सहकारी समिति, जिस पर उपधारा (2) प्रवृत्त हो, ऐसे प्राधिकारियों या प्राधिकारियों को ऐसे समय के भीतर, जो निबंधक द्वारा निश्चित किया जाय, ऐसे अंशदान का भुगतान करेगी, जो उक्त उपधारा के अधीन निश्चित किया जाय, और यदि वह उक्त समय के भीतर उक्त भुगतान न करे, तो वह धनराशि प्राधिकारी या प्राधिकारियों द्वारा निबंधक के माध्यम से उस जिले के, जिसमें बाकीदार सहकारी समिति का निबद्ध कार्यालय स्थित हो, कलेक्टर को अधियाचन करने पर मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जायगा।

(4) उपधारा (1) में उल्लिखित संघ प्राधिकारी या प्राधिकारियों का कोई अधिकारी या अधिकारीगण निबंधक द्वारा सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा ऐसी सहकारी समिति या सहकारी समितियों के वर्ग का निरीक्षण करने के लिये प्राधिकृत किया जा सकता है या किये जा सकते हैं जिसका या जिनका पर्यवेक्षण उपधारा (1) के अधीन संघ प्राधिकारी या प्राधिकारियों को सौंपा गया हो, किन्तु प्रतिबंध यह है कि ऐसा अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारी, ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने में निबंधक के सामान्य पथ-प्रदर्शन, अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन काम करेंगे और निरीक्षण के परिणाम की सूचना निबंधक को देंगे।

1[123-क- कोई शीर्ष समिति, अपने संघटकों की सेवा के लिए और अपनी उपविधियों के अनुसार, निम्नलिखित कृत्यों का पालन कर सकेगी, अर्थात् :-

शीर्ष समिति के कृत्य

(क) सहकारी सिद्धान्तों के पालन के लिए उपाय करना,

(ख) सहकारी समितियों को सम्प्रवर्तित और संगठित करना और इस प्रयोजन के लिए आदेश उपविधियां बनाना, विनियम बनाने के लिए मार्ग-दर्शक सिद्धान्त और विचारण के लिए नीतियां बनाना,

(ग) सहकारिता सम्बन्धी प्रशिक्षण, शिक्षण और सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना और सहकारी सिद्धान्तों का प्रचार करना,

(घ) अनुसन्धान और मूल्यांकन करना और सदस्य सहकारी समितियों की भावी विकास योजनाओं को तैयार करने में सहायता करना,

(ङ) सदस्य सहकारी समितियों के बीच सामन्जस्यपूर्ण सम्बन्ध विकसित करना,

(च) सदस्य सहकारी समितियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना और सहकारी समितियों के अनुकूल नीतियों और विधायन के लिए प्रयास करना,

(छ) अपने सदस्यों की ओर से कारोबारी सेवाएं हाथ में लेना,

(ज) बोर्ड के अधिवेशनों में जिनमें सदस्य सहकारी समितियां आमंत्रित की जाती हैं, भाग लेने के साथ ही सदस्य सहकारी समितियों को सहयोग और प्रबन्धकीय विकास सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करना,

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 25, 1994 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया।

- (i) to assist member co-operative societies in regular conduct of general meetings ;
- (j) to evolve code of conduct for its members ;
- (k) to evolve viability norms for its members ;
- (i) to provide legal aid and advice to its members ;
- (m) to provide any other service in the interest of its members.]¹

**Registrar and other officers to be public servants
Act XLV of 1860**

124. The Registrar or any person appointed, or authorized to conduct audit under section 64 or to hold inquiry under section 65 or to make inspection under section 66, or authorized under section 123 to conduct inspection, an arbitrator or a member of the board of arbitrators to whom any dispute is referred under section 71, or a member of the Tribunal or a liquidator, or any person authorized by the Registrar under section 93 to make attachment and sale ²[or any officer of the Co-operative Society] shall be deemed to be public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Powers of Registrar to direct amalgamation or merger of co-operative societies

125. (1) Where in the opinion of the Registrar amalgamation or merger of two or more co-operative societies is necessary or desirable for increasing their strength or usefulness, he may, notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, after consulting the financing bank, if any, to which the societies are indebted, call upon such societies by order in writing to amalgamate or merge, within such time as may be specified by him, into one society, and thereupon the societies shall take all such steps as may be necessary for that purpose in accordance with the provisions of section 15.

(2) On the failure of the societies to amalgamate or merge in accordance with the order passed under sub-section (1) the Registrar may ³[X X X] by order in writing direct amalgamation or merger of the societies into the society.

(3) The direction of the Registrar under sub-section (2) shall be deemed to be a preliminary resolution of the societies concerned for the purpose of sub-section (2) and (3) of section 15, and the Registrar shall take such further steps as required by that section.

(4) After the expiry of ⁴[thirty days from the date of receipt of the copy of the preliminary resolution under clause (a) of sub-section (2) of section 15 or as the case may be, from the date of its publication in a newspapers under clause (b) of that sub-section] the Registrar shall, from the funds of the societies concerned, repay, subject to the provision of section 41, the share capital of all the members, and satisfy the claims of all creditors, who have given notice under clause (i) and clause (ii) respectively of sub-section (3) of section 15 and thereafter declare the amalgamation or merger, as the case may be, of the societies and in the case of amalgamation, register the new society so formed and its bye-laws.

1. Ins. by sec. 6 of U.P. Act no. 25 of 1994.

2. Ins. by sec. 5 of U.P. Act no. 12 of 1990.

3. Omit. by sec. 19 (a) of U. P. Act no. 12 of 1976.

4. Subs. by sec. 19 (b) *ibid*.

(झ) सदस्य सहकारी समितियों के साधारण अधिवेशनों के नियमित संचालन में सहायता करना,

(ट) अपने सदस्यों के लिए आचार संहिता विकसित करना,

(ठ) अपने सदस्यों के लिए सक्षमता के मापदण्ड विकसित करना,

(ड) अपने सदस्यों को विधिक सहायता और सलाह उपलब्ध करना,

(ढ) अपने सदस्यों के हित में कोई अन्य सेवा उपलब्ध करना।¹

124—निबन्धक, अथवा कोई व्यक्ति जो धारा 64 के अधीन लेखा परीक्षण करने के लिये या धारा 65 के अधीन जांच करने के लिये या धारा 66 के अधीन निरीक्षण करने के लिये प्राधिकृत हो या जो निरीक्षण करने के लिये धारा 123 के अधीन प्राधिकृत हो, मध्यस्थ या मध्यस्थ-मण्डल का सदस्य जिसे धारा 71 के अधीन कोई विवाद अभिदिष्ट किया जाय, अथवा न्यायाधिकरण का कोई सदस्य या परिसमापक या कोई व्यक्ति जो कुर्की और विक्रय के लिये धारा 93 के अधीन निबंधक द्वारा प्राधिकृत हो ²[या सहकारी समिति का कोई अधिकारी] इन्डियन पेनल कोड की धारा 21 के अर्थ में लोकसेवक (Public Servant) समझे जायेंगे।

निबन्धक तथा अधिकारी लोकसेवक होंगे ऐक्ट संख्या 45, 1860

125—(1) यदि निबंधक की राय हो कि दो या अधिक सहकारी समितियों का सम्मेलन या विलयन उसकी शक्ति या उपयोगिता बढ़ाने के लिए आवश्यक या वांछनीय है तो वह, इस अधिनियम में किसी विपरीत बात के होते हुये भी, उस वित्त पोषण बैंक से, यदि कोई हो, परामर्श करने के पश्चात् जिसकी उक्त समितियां ऋणी है, ऐसी समितियों को एक ही समिति में ऐसे समय के भीतर जिसे वह निर्दिष्ट करे, सम्मेलित या विलीन होने का लिखित आदेश दे सकता है और तदुपरान्त समितियां ऐसी समस्त कार्यवाहियां करेंगी जो धारा 15 के उपबंधों के अनुसार उस प्रयोजन के लिये आवश्यक हो।

सहकारी समितियों का सम्मेलन या विलयन का निर्देश देने का निबन्धक का प्राधिकार

(2) उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार समितियों के सम्मेलन या विलीन होने पर निबन्धक, [X X X]³ लिखित आदेश द्वारा समितियों को एक समिति में सम्मेलित या विलीन होने के निर्देश दे सकता है।

(3) उपधारा (2) के अधीन निबन्धक का निदेश धारा 15 की उपधारा (2) तथा (3) के प्रयोजनों के लिये सम्बद्ध समितियों का प्रारम्भिक संकल्प समझा जायगा और निबन्धक अंशपूजी का प्रतिदान करेगा जो इस धारा द्वारा अपेक्षित हो।

(4) ⁴[धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से या यथास्थिति उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन किसी समाचार-पत्र में उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन] व्यतीत होने के पश्चात् निबंधक, सम्बद्ध समितियों की निधियों से धारा 41 के उपबन्ध के अधीनप रहते हुये, समस्त सदस्यों की अंश पूजी का प्रतिदान करेगा और ऐसे समस्त ऋणदाताओं के दावों को चुकता करेगा, जिन्होंने धारा 15 की उपधारा (3) के क्रमशः खण्ड (1) और (2) के अधीन नोटिस दिया हो और तदुपरान्त समितियों के, यथास्थिति, सम्मेलन या विलयन की घोषण करेगा तथा सम्मेलन की दशा में इस प्रकार बनी नयी समिति तथा उसकी उपविधियों को निबंधित करेगा।

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 25, 1994 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 12, 1990 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।

3. उ० प्र० अधिनियम सं० 12, 1976 की धारा 19 (क) द्वारा निकाले गये।

4. उपर्युक्त की धारा 19 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

(5) A declaration of merger or registration of the new society under sub-section (4) shall be deemed to be a merger or registration under section 15 and the provisions of sub-section (7) of that section shall apply to it.

Special provision in respect of co-operative sugar mills

[125-A]¹ (1) (a) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act or the rules made thereunder or the bye-laws of the societies concerned of in any other law for the time being in force, where a Co-operative Sugar Mill in which Majority of shares are held by the State Government, and the State Government is satisfied that neither the Sugar Mill is being run as sound business nor there is any chance of it being run as sound business, it may recommends the Registrar to transfer such Co-operative Sugar Mill to any other society, company, firm or body and on the receipt of the recommendation of the State Government, the Registrar shall after consulting the financing Bank or Financing Institution, if any, to which such sugar mill is indebted, call up the committee concerned by notice in writing containing such particulars as may be prescribed and within such time as may be specified in the notice to transfer its assets or its assets and liabilities in whole or part to any other society or a company or a firm or a body, whether incorporated or not, on such terms and conditions as may be formulated in the manner prescribed, and on such transfer the society formed for such sugar mill under this Act shall stand dissolved.

(b) If, when the time specified in the notice referred to in clause (a), the society fails to comply with the direction of the Registrar, he shall after giving an opportunity in the manner prescribed, the committee of such society and the creations thereof to make their representation, if any, by order notified in the *Gazette*, take such action as he deems fit in the manner, including the issue of a direction to the society to transfer its assets or its assets and liabilities, in whole or in part in the manner referred to in clause (a).

Provided that in the case of Mill Societies where the State Government's share capital is more than 50 per cent, it will not be mandatory for the registration to get a resolution passed from the general body of the society to act as per the provions in clause (a) and (b).

(2) It shall be competent for the State Government to make rules and to give such directions as it may deem fit to the Registrar, for the purposes of this section

Explanation– For the purposes of the section 'Company' means a company as defined in the Companies Act, 1956.

1. *Ins. by sec. 2 of U.P. Act no. 10, 2003* and *Subs. by sec. 2 of U.P. Act no. 29, 2007.*

(5) उपधारा (4) के अधीन सभी समितियों का निबंधन, धारा 16 के अधीन निबंधन समझा जायेगा और उस धारा की उपधारा (7) के उपबन्ध उन पर प्रवृत्त होंगे ।

[125क-(1)]¹ (क) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध यह उसके अधीन बनाये गये नियम या सम्बन्धित समिति की उप विधि या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी जहाँ ऐसी सहकारी चीनी मिल, जिसमें अधिकांश अंशपूँजी राज्य सरकार द्वारा धृत है और राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि न तो चीनी मिल सुव्यवसिति व्यवसाय (साउण्ड विजनेस) कर रही है और न ही ऐसा करने की सम्भावना है यहाँ वह ऐसी सहकारी चीनी मिल को किसी अन्य समिति, कम्पनी फर्म या निकाय को अंतरित करने के लिये निबंधक को संस्तुत कर सकती है और राज्य सरकारी संस्तुति प्राप्त होने पर निबंधक, वित्त पोषक बैंक या वित्त पोषक संस्था, यदि कोई हो, जिसकी वह चीनी मिल ऋणी हो, से परामर्श करते के पश्चात् सम्बन्धित समिति को लिखित नोटिस द्वारा, जिसमें ऐसे विवरण उल्लिखित होंगे, जैसे विहित किये जायें और ऐसी अवधि के भीतर जैसा नोटिस से विनिर्दिष्ट हो, उसकी आस्तियों या उसकी आस्तियों और दायित्वों का पूर्णतः या अंशतः किसी अन्य समिति या कम्पनी या फर्म या निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, ऐसे निबन्धन और शर्तों, जैसी विहित रीति से निर्धारित की जाय, को अन्तरण की अपेक्षा करेगा और ऐसे अन्तरण पर चीनी मिल के लिये इस अधिनियम के अधीन बनायी गई समिति भंग हो जायेगी ।

सहकारी चीनी
मिलों के सम्बन्ध में
विशेष प्राविधान

(ख) यदि खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर समिति, निबन्धक द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहती है तो वह ऐसी समिति की कमेटी तथा उसके ऋणदाताओं को गजट में अधिसूचित आदेश द्वारा प्रत्यावेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिये विहित रीति से अवसर प्रदान करने के पश्चात् खण्ड (क) में निर्दिष्ट रीति से समिति के पूर्णतः या अंशतः आस्तियों या आस्तियों और दायित्वों के अन्तरण के लिये निदेश जारी करने सहित मामले में ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जैसी वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी मिल समितियों के मामले में, जहाँ राज्य सरकार की 50 प्रतिशत से अधिक अंशपूँजी है यहाँ निबन्धक के लिये, उक्त खण्ड (क) एवं (ख) के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही हेतु समिति के सामान्य निकाय से प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य नहीं होगा ।

(2) इस धारा के प्रयोजन के लिये राज्य सरकार नियम बनाने, और निबन्धक को ऐसे निदेश, जैसे वह उचित समझे, देने के लिये सक्षम होगी ।

स्पष्टीकरण :- इस धारा के प्रयोजन के लिये 'कम्पनी' का तात्पर्य, कम्पनी अधिनियम, 1956 में यथापरिभाषित कम्पनी से है ।

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 10, 2003 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया एवं उ0प्र0 अधिनियम सं0 29, 2007 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

Power of registrar to direct division of co-operative society in to two or more co-operative societies

126. (1) Where in the opinion of the Registrar it is essential in public interest or in the interest of the co-operative movement or desirable for the purpose of securing better management of a co-operative society, that any co-operative society should be divided to form two or more societies, he may, notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, after consulting the financing bank, if any, to which the society is indebted, call upon such society by order in writing to divide itself in to two or more societies with such constitutions, assets, liabilities, rights, duties and obligations as may be specified in the order and thereupon in the society shall take all such steps as may be necessary for that purpose in accordance with the provisions of section 16.

(2) on the failure of the society to divide itself in accordance with the order passed under sub-section (1), the Registrar ¹[X X X] may, by order in writing direct division of the society into two or more societies.

(3) The direction of the Registrar under sub-section (2) shall be deemed to be a preliminary resolution of the society concerned for the purpose of section 16, and the Registrar shall take such further steps as are required by that section.

(4) After the expiry of ²[thirty days from the date of receipt of the copy of the preliminary resolution under clause (a) of sub-section (2) of section 15 or, as the case may be, from the date of its publication in a newspaper under clause (b) of that sub-section] the Registrar shall, from the funds of the society concerned repay, subject to provision of section 41, the share capital of all the members, and satisfy the claims of all the creditors who have given notice under clause (i) and clause (ii) respectively of sub-section (3) of section 16, and thereafter register the new societies and the bye-laws thereof. On such registration, the registration of the old society shall be deemed to have been cancelled.

(5) The registration of the new societies under sub-section (4) shall be deemed to be registration under section 16 and the provisions of sub-section (7) of that section shall apply to them.

Writing off of non-recoverable assets

127. A co-operative society may, with the previous approval of the Registrar, write off such of the assets as are bad and cannot be recovered.

Registrar's power to annul resolution of co-operative society or cancel order passed by an officer of a co-operative society in certain cases

128. The Registrar may—

- (i) annul any resolution passed by the committee of management, or the general body of any co-operative society ; or
- (ii) cancel any order passed by an officer of a co-operative society;

1. *Omit. by sec. 20 (a) of U. P. Act no. 12 of 1976.*

2. *Subs. by sec. 20 (b) ibid.*

126—(1) यदि निबंधक की राय यह हो कि लोकहित में या सहकारिता आन्दोलन के हित में यह आवश्यक है या सहकारी समिति के अच्छे प्रबंध को सुनिश्चित करने के लिये यह वांछनीय है कि दो या अधिक समितियां बनाई जाने के लिये किसी सहकारी समिति का विभाजन किया जाना चाहिये तो वह, इस अधिनियम में किसी विपरीत बात के होते हुये भी, उस वित्तपोषण बैंक से, यदि कोई हो, परामर्श करने के पश्चात्, जिसकी उक्त समिति ऋणी है, ऐसी समिति को दो या अधिक समितियों में ऐसे संघटनों, परिसम्पत्तियों, दायित्वों, अधिकारों, कर्तव्यों और आभारों के साथ, जो आदेश में निर्दिष्ट किये जायें विभाजित होने का लिखित आदेश दे सकता है, और तदुपरान्त उक्त समिति ऐसी समस्त कार्यवाहियां करेगी जो धारा 16 के उपबंधों के अनुसार उस प्रयोजन के लिये आवश्यक हो ।

किसी सहकारी समिति को दो या अधिक सहकारी समितियों में विभाजित करने का निर्देश देने का निबन्धक का अधिकार

(2) उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार समिति का विभाजन न होने पर निबन्धक [X X X]¹ लिखित आदेश द्वारा समिति को दो या अधिक समितियों में विभाजित होने का निर्देश दे सकता है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन निबन्धक का निदेश, धारा 16 के लिये सम्बद्ध समिति का प्रारम्भिक संकल्प समझा जायेगा, और निबंधक ऐसी अतिरिक्त कार्यवाहियां करेगा जो उस धारा द्वारा अपेक्षित हों ।

(4)² धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से या यथास्थिति उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन किसी समाचार-पत्र में उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन] व्यतीत हो जाने के पश्चात् निबंधक, सम्बद्ध समिति की निधियों से धारा 41 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, समस्त सदस्यों की अंश पुंजी का प्रतिदान करेगा और ऐसे समस्त ऋणदाताओं के दावों को चुकता करेगा, जिन्होंने धारा 16 की उपधारा (3) के क्रमशः खण्ड (1) और (2) के अधीन नोटिस दिया हो और तदुपरान्त नई समितियों तथा उनकी उपविधियों निबंधित करेगा। इस प्रकार निबन्धन हो जाने पर पुरानी समिति का निबंधन रद्द किया गया समझा जायगा ।

(5) उपधारा (4) के अधीन सभी समितियों का निबंधन, धारा 16 के अधीन निबंधन समझा जायेगा और उस धारा की उपधारा (7) के उपबन्ध उन पर प्रवृत्त होंगे ।

127—सहकारी समिति निबंधक के पूर्व अनुमोदन से, ऐसी परिसम्पत्तियों को वट्टेखाते डाल सकती है जो अशोध्य हों और वसूल न की जा सकती हों ।

वसूल न की जाने वाली परिसम्पत्तियों को बट्टे खाते डाला जाना

128—निबंधक

(1) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी या उसके सामान्य निकाय द्वारा पारित किसी संकल्प को निष्प्रभाव (annul) कर सकता है ; या

(2) सहकारी समिति के किसी अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश को रद्द कर सकता है ;

सहकारी समिति के संकल्प को निष्प्रभाव करने या सहकारी समिति के किसी अधिकारों के आदेश को रद्द करने का निबंधक का अधिकार

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 12, 1976 की धारा 20 (क) द्वारा निकाले गये ।

2. उपर्युक्त की धारा 20 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

If he is of the opinion that the resolution or the order, as the case may be, is not covered by the objects of the society, or is in contravention of the provisions of this Act, the rules or the bye-laws of the society, whereupon every such resolution or order shall become void and inoperative and be deleted from the records of the society.

¹[Provided that, the Registrar shall, before making any order, require the Committee of management, general bod or officer of the co-operative society to reconsider the resolution, or as the case may be the order, within such period as he may fix but which shall not be less than fifteen days, and if he deems fit may stay the operation of that resolution or the order during such period.]

**Registrar's
power to permit
a co-operative
society to
function as a
Land
Development
Bank**

129. It shall be competent for the Registrar to permit any co-operative society carrying on the business of banking to function as a Land Development Bank under such terms and conditions and for such period as he may deem fit. Thereupon the provisions of any law relating to Co-operative Land Development Banks for the time being in force in Uttar Pradesh shall also be applicable to such co-operative society.

**Power to make
rules**

130. (1) The State Government may ²[* * *] make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the power under sub-section (1), the rules to be made under this section may provide for all or any of the following matters ;

(i) the applicant to whom, and the manner in which, the order refusing the registration of a co-operative society may be communicated by the Registrar under sub-section (2) of section 7 ;

(ii) the matters in respect of which a co-operative society shall or may make bye-laws ;

(iii) the procedure and condition for charge in the form and extent of the liability of a co-operative society ;

(iv) the procedure to be followed for amendment of bye-laws by a co-operative society ;

(v) constitution of committees of management ;

(vi) the provision for a second or casting vote by the Chairman of a general meeting of the committee of management of a co-operative society;

(vii) the appointment by a co-operative society of one or more of its members to represent and vote on its behalf at a meeting of another co-operative society of which it is member ;

(viii) rights and liabilities of ordinary members and the proportion of members who are individuals and other members in the constitution of the general body or the committee of management of a co-operative society having other co-operative societies also in its membership ;

1. Ins. by sec. 13 of U. P. Act no. 17 of 1994.

2. Omit. by sec. 9 (a) of U. P. Act no. 17 of 1977.

यदि उसकी यह राय हो कि, यथास्थिति, संकल्प या आदेश समिति के उद्देश्यों के अन्तर्गत नहीं है या अधिनियम, नियमों अथवा समिति की उपविधियों के उपबंधों के प्रतिकूल है, तदुपरान्त प्रत्येक संकल्प या आदेश शुन्य (void) तथा अप्रवर्ती (inoperative) हो जायगा और समिति के अभिलेखों से निकाल दिया जायगा।

¹[प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक, कोई आदेश करने के पूर्व सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी, सामान्य निकाय या अधिकारी से, ऐसी अवधि जो वह निश्चित करे किन्तु जो पन्द्रह दिन से कम न होगी, के भीतर, यथास्थिति, प्रस्ताव पर, या आदेश पर पुनर्विचार किए जाने की अपेक्षा करेगा, और यदि यह ठीक समझे तो वह ऐसी अवधि के दौरान उस प्रस्ताव या उस आदेश के प्रवर्तन को स्थगित कर सकता है।]

129—निबन्धक, बैंकिंग, का कार्य करने वाली किसी सहकारी समिति को ऐसी शर्तों और निबन्धों के अधीन तथा ऐसी अवधि के लिए, जो वह उचित समझे, भूमि विकास बैंक के रूप में कार्य करने के लिये अनुज्ञा देने के निमित्त सक्षम होगा। तदुपरान्त उत्तर प्रदेश सहकारी समिति पर प्रवृत्त होंगे।

किसी सहकारी समिति को भूमि-विकास बैंक के रूप में कार्य करने के लिये अनुज्ञा देने का निबन्धक का अधिकार

130—(1) राज्य सरकार, ²[X X X] इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

नियम बनाने का अधिकार

(2) विशेषतया और उपधारा (1) के अधीन अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा के अधीन बनाये जाने वाले नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है —

(1) प्रार्थी जिसको, और रीति जिसके अनुसार, सहकारी समिति को निबन्धित करने से इन्कार करने का आदेश निबन्धक द्वारा धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन सूचित किया जाय ;

(2) विषय जिनके सम्बन्ध में सहकारी समिति उपविधियां बनायेगी या बना सकती है;

(3) सहकारी समिति के दायित्व के स्वरूप तथा मात्रा में परिवर्तन की प्रक्रिया तथा शर्तें ;

(4) सहकारी समिति द्वारा उपविधियों के संशोधन के लिये अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(5) प्रबन्ध कमेटियों का संघटन ;

(6) सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी की सामान्य बैठक के सभापति द्वारा द्वितीय या निर्णायक मत दिये जाने की व्यवस्था ;

(7) सहकारी समिति द्वारा, ऐसी दूसरी सहकारी समिति की बैठक में, जिसकी वह सदस्य हो, उसका प्रतिनिधित्व करने तथा उसकी ओर से मत देने के लिये एक या अधिक सदस्यों की नियुक्ति ;

(8) साधारण सदस्यों के अधिकार और दायित्व तथा किसी ऐसी सहकारी समिति के, जिसमें अन्य सहकारी समितियां भी उसकी सदस्य हों, सामान्य निकाय या प्रबंध कमेटी के संघटन में ऐसे सदस्यों का जो व्यक्ति विशेष हो ओर अन्य सदस्यों का अनुपात;

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 1994 की धारा 13 द्वारा बढ़ाया गया।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 1977 की धारा 9 (क) द्वारा निकाले गये।

(ix) the exercise of the right of vote where a share is held jointly by more than one person ;

(x) the procedure for the nomination by a member of a person to whom the share or interest of such member on his death may be transferred or the value thereof may be paid ;

(xi) the mode in which the value of the share of a deceased or past member shall be ascertained and its payment ;

¹(xii) the election of the members and Chairman and Vice-Chairman of the Committee of Management of a co-operative society including delimitation of constituencies, reservation of seats for women and members belonging to weaker sections, settlement of election disputes, and levy of fees in respect of any such matter ;

(xii-A) the nomination of women and members belonging to weaker sections in the committee of management of a co-operative society ;]¹

(xiii) the calling of a general meeting or a meeting of the committee of the management of a co-operative society and the quorum and procedure at such meetings ;

(xiv) the remuneration payable to a committee or administrator or administrators appointed in place of a committee of management superseded or suspended by the Registrar ;

(xv) the qualifications or disqualifications for membership of committee of management of a co-operative society ;

(xvi) the restrictions against officers of a co-operative society being interested in contracts with the society ;

(xvii) the matters connected with the direct and indirect partnership of the State Government in co-operative societies ;

(xviii) determination of distributable profits out of net profits for purposes of payment of dividend and bonus, and allocation to funds of a society ;

(xix) the establishment and control of Co-operative Education Fund, payment to be made other Fund by a co-operative society out of its net profits and the mode of investment of the Fund and its disposal ;

(xx) the mode and conditions of investment of funds of a co-operative society and of establishment and investment of Contributory Provident Fund ;

(xxi) the objects of reserve and other funds of a co-operative society, their utilization and mode of investment ;

(xxii) the mode of disposal of reserve fund and surplus funds of a co-operative society on its winding up ;

(xxiii) the extent and conditions subject to which a co-operative society may receive deposits and take loans ;

1. Subs. by sec. 9 (b) of U.P. Act no. 17, 1977.

(9) यदि अंश से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से भारित हो तो मतदान का अधिकार ;

(10) किसी सदस्य द्वारा उस व्यक्ति के नाम-निर्देशन की प्रक्रिया जिसे ऐसे सदस्य की मृत्यु होने पर उसका अंश या हित संक्रमित किया जा सके या उसके मूल्य का भुगतान किया जा सके ;

(11) रीति जिसके अनुसार मृत या भूतपूर्व सदस्य के अंश का मूल्य सुनिश्चित किया जायेगा और उसका भुगतान ;

¹[(12) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों और सभापति और उप सभापति का निर्वाचन, जिसमें निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन, महिलाओं और निर्बल वर्ग के सदस्यों के लिये आरक्षण, निर्वाचन विवादों का निपटारा और ऐसे विषयों के सम्बन्ध में शुल्क का उद्ग्रहण भी सम्मिलित है ;

(12-क) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में महिलाओं और निर्बल वर्ग के सदस्यों का नाम-निर्देशन ;]

(13) सहकारी समिति की सामान्य बैठक या प्रबन्ध कमेटी की बैठक बुलाना और एसी बैठकों की गणपूर्ती तथा प्रक्रिया ;

(14) कमेटी को या निबन्धक द्वारा अवकान्त या निलम्बित प्रबन्ध कमेटी के स्थान पर नियुक्त प्रशासकों को देय परिश्रमिक ;

(15) सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिये अर्हतायें या अनर्हतायें;

(16) सहकारी समिति के अधिकारियों का समिति के साथ संविदा में हितबद्ध होने पर निर्बन्धन ;

(17) सहकारी समितियों में राज्य सरकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागिता से सम्बद्ध विषय ;

(18) लाभांश और बोनस के भुगतान के प्रयोजनार्थ शुद्ध लाभ मेंसे बांटने योग्य लाभ का अवधारण तथा समिति की निधियों का प्रदर्शन ;

(19) सहकारी विकास निधि की स्थापना तथा नियंत्रण, सहकारी समिति द्वारा अपने शुद्ध लाभ (netprofit) से निधि में किया जाने वाला भुगतान और निधि के विनियोजन तथा उसके निस्तारण की रीति ;

(20) सहकारी समिति की निधियों के विनियोजन की और अंशदायी भविष्य निधि की स्थापना तथा उसके विनियोजन की रीति तथा शर्तें ;

(21) सहकारी समिति की रक्षित तथा अन्य निधियों का उद्देश्य, उनका उपयोग और उनके विनियोजन की रीति ;

(22) सहकारी समिति के समापित होने पर उसकी रक्षित निधि तथा अतिरेक निधि (surplus fund) के निस्तारण की रीति ;

(23) सीमा तथा शर्तों जिनके अधीन रहते हुये सहकारी समिति निक्षेप (deposit) और ऋण प्राप्त कर सकती है ;

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 17, 1977 की धारा 9 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

(xxiv) the restrictions on transactions by a co-operative society with non-members ;

(xxv) the restrictions on grant of loans by a co-operative society ;

(xxvi) the form and standards of fluid resources to be maintained by co-operative societies accepting deposits and granting cash credits ;

(xxvii) conducting of audit and levy of audit fees on co-operative societies ;

(xxviii) procedure to be followed in various proceedings under this Act including proceedings before the Registrar, an arbitrator or board of arbitrators or before Tribunals or other authorities in entertaining and disposing of appeals and reviews ;

(xxix) the fees and expenses that may be charged in proceedings under this Act ;

(xxx) the conditions subject to which assets of a co-operative society shall vest in a liquidator and the procedure to be adopted in winding up of a co-operative society ;

(xxxi) the procedure for recovery of amounts due or payable to a co-operative society ;

(xxxii) the mode of making attachment before judgment and the procedure for sale of property in proceedings under this Act ;

(xxxiii) the qualifications of members of the Tribunal ;

(xxxiv) the manner of registering the address of a co-operative society ;

(xxxv) the account books and registers to be kept by a co-operative society and power of Registrar to direct the account books and registers to be written up ;

(xxxvi) the manner of certification of copies of entries in the books and of document kept by a co-operative society in the course of business ;

(xxxvii) the statements, reports and returns to be furnished by co-operative societies to the Registrar ;

(xxxviii) restrictions on persons appearing as legal practioners in proceedings under this Act ;

(xxxix) inspection of documents and levy of fees for granting certified copies thereof ;

(xl) the maximum rate of interest to be charged by a Central Bank from the co-operative societies ;

(xli) the levy of supervision fees to be realized from the co-operative societies ;

(xlii) duties and functions of honorary organizers and honorary managers and payments of allowances and honorarium to them and to the office hearers, delegates and other members of co-operative societies;

(24) सहकारी समिति द्वारा असदस्यों (non-members) के साथ व्यवहार करने पर निर्बन्धन ;

(25) सहकारी समिति द्वारा ऋण देने पर निर्बन्धन ;

(26) निक्षेप प्राप्त करने तथा नकद उधार देने वाली सहकारी समितियों द्वारा अनरक्षित किये जाने वाले अस्थिर साधनों (fluid resoureces) का स्वरूप तथा मानक;

(27) लेखा परीक्षा का संचालन तथा सहकारी समितियों पर लेखा परीक्षा शुल्क का उद्ग्रहण ;

(28) इस अधिनियम के अधीन विभिन्न कार्यवाहियों में, जिनके अन्तर्गत निबंधक, मध्यस्थ मंडल के समक्ष अथवा न्यायाधिकरणों या अन्य प्राधिकारियों के समक्ष अपील और पुनर्विलोकन ग्रहण करने तथा उनका निस्तारण करने की कार्यवाहियां हैं, अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(29) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में लिये जाने वाले शुल्क तथा व्यय ;

(30) शर्त जिनके अधीन रहते हुये सहकारी समिति की परिसम्पत्तियां परिसमापक में निहित होंगी तथा सहकारी समिति के समापन में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया ;

(31) सहकारी समिति को प्राप्य या देय धनराशि की वसूली की प्रक्रिया ;

(32) निर्णय के पूर्व कूकी करने की रीति और इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में सम्पत्ति के विक्रय की प्रक्रिया ;

(33) न्यायाधिकरण के सदस्यों की अर्हताये ;

(34) सहकारी समिति का पता निबन्धित करने की रीति ;

(35) सहकारी समिति द्वारा रखी जाने वाली लेखा बहियों तथा रजिस्टर और लेखा बहियों तथा रजिस्ट्रों में यथाविधि प्रविष्टियां किये जाने के लिये निर्देश देने का निबन्धक का अधिकार ;

(36) कार्य के दौरान में सहकारी समिति द्वारा रखी गयी बहियों में कि गयी प्रविष्टियों की और लेखों की प्रतिलिपियों के प्रमाणीकरण की रीति ;

(37) सहकारी समितियों द्वारा निबन्धक को प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण-पत्र, प्रतिवेदन और विवरणियां ;

(38) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में वकील के रूप में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों पर निर्बन्धन ;

(39) लख्यों का निरीक्षण और उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियां देने के लिये शुल्क का उद्ग्रहण ;

(40) केन्द्रीय बैंक द्वारा सहकारी समितियों से लिये जाने वाले ब्याज की अधिकतम दर ;

(41) सहकारी समितियों से वसूल किये जाने वाले पर्यवेक्षण शुल्कों का उद्ग्रहण;

(42) अर्वातनिक आयोजकों तथा प्रबन्धकों के कर्तव्यों तथा कृत्य और उनको तथा सहकारी समितियों के पदाधिकारियों, प्रतिनिधियों और अन्य सदस्यों को भत्ते तथा मानदेय का भुगतान ;

(xliii) method of communicating or publishing any order, decision or award required to be communicated or published under the Act or the rules ; and

(xliv) any other matter which may be or is required to be prescribed.

1 [3. * * *]

Provisions in regard to existing societies and their bye-laws Act X of 1904

Act II of 1912

131. (1) Any co-operative society existing on the date coming into force of this Act and registered under the Co-operative Credit Societies Act, 1904, or the Co-operative Societies Act, 1912, or under any other law relating to co-operative societies in force in the State of Uttar Pradesh shall be deemed to be registered under this Act, and its bye-laws shall so far as the same are not inconsistent with the express provisions of this Act ²[or the rules made thereunder] continue in force until altered or rescinded according to the provisions of this Act ³[and the rules made thereunder.]

(2) Any co-operative society to which sub-section (1) applies and which conforms to the requirements of section 77 shall be deemed to be a co-operative farming society for the purposes of Chapter XI.

(3) Every co-operative society covered by sub-section (1) shall, within a period of one year from the date of coming into force of this Act, delete or amend such bye-laws as are inconsistent with the provisions of this Act and the rules and shall make such further bye-laws as may be necessary having regard to the provisions of this Act and the rules.

(4) In default of action on the part of any co-operative society as required by sub-section (3), the Registrar may make necessary amendment including deletions and additions in the bye-laws of the society.

(5) Every co-operative society shall within a period of one year from the date of coming into force of this Act or such further period as the Registrar may, for reasons to be recorded in writing, allow for any co-operative society adjust its membership according to the classification of members under this Act ;

Provided that any existing member who cannot be adjusted into one or the other kinds of memberships shall be deemed on the expiry of the period of one year or the extended period, if any, to have withdrawn from the membership of the society with the same rights and liabilities attached as if he had withdrawn from membership before the coming into force of this Act.

(6) Where a co-operative society fails to adjust membership as specified in sub-section (5), the Registrar may make the adjustment and direct as to whom, if any, of the existing members shall be deemed to have withdrawn their membership under the provisions of sub-section (5).

1. Omit. by sec. 9 (c) of U. P. Act no. 17 of 1977.

2. Ins. by sec. 10 (i) *ibid.*

3. Ins. by sec. 10 (ii) *ibid.*

(43) अधिनियम अथवा नियमों के अधीन संसूचित या प्रकाशित किये जाने के लिये अपेक्षित किसी आदेश, निर्णय या अभिनिर्णय को संसूचित या प्रकाशित करने की रीति ; और

(44) कोई अन्य विषय जो नियत किया जाये अथवा जो नियत किये जाने के लिये अपेक्षित हो।

¹[3. x x x x]

131—(1) प्रत्येक ऐसी सहकारी समिति के सम्बन्ध में, जो इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक को वर्तमान हो तथा जो कोआपरेटिव क्रेडिट सेसाइटीज ऐक्ट, 1904 या कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1912 अथवा उत्तर प्रदेश राज्य में प्रचलित सहकारी समिति विषयक किसी अन्य विधि के अधीन निबन्धित हो, यह समझा जायेगा कि वह इस अधिनियम के अधीन निबन्धित है तथा उसकी उपविधियां जहां तक वे इस अधिनियम ²[या इसके अधीन बनाये गये नियमों]² के व्यक्त उपबंधों से असंगत न हों, तब तक प्रचलित रहेगी जब तक कि उन्हें ³[इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार]³ परिवर्तित या विखंडित न कर दिया जाय।

वर्तमान समितियों तथा उनकी उपविधियों के संबंध में उपबन्ध ऐक्ट संख्या 10, 1904

ऐक्ट संख्या 2, 1912

(2) कोई सहकारी समिति जिस पर उपधारा (1) प्रवृत्त होती है और जो धारा 77 की अपेक्षाओं के अनुसार हो, अध्याय 11 के प्रयोजनों के लिये सहकारी कृषि समिति समझी जायेगी।

(3) उपधारा (1) के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक सहकारी समिति, इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर उन उपविधियों की, जो इस अधिनियम और नियमों के उपबंधों को ध्यान में रखकर ऐसी और उपविधियों बनायेगी, जो आवश्यक हों।

(4) किसी सहकारी समिति की ओर से उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित कार्य न किये जाने पर, निबन्धक समिति की उपविधियों में आवश्यक संशोधन कर सकता है, जिसके अन्तर्गत उसमें से उपविधियों का निकाला जाना और उसमें उपविधियों का बढ़ाया जाना भी है।

(5) प्रत्येक सहकारी समिति इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अनुज्ञा निबन्धक, कारणों को अभिलिखित करके, किसी सहकारी समिति या सहकारी समिति के किसी वर्ग को दे, अपनी सदस्यता का समायोजन इस अधिनियम के अधीन सदस्यों के वर्गीकरण के अनुसार करेगी ;

प्रतिबंध यह है कि ऐसे वर्तमान सदस्य के संबंध में जिसका समायोजन, किसी प्रकार की सदस्यता में नहीं किया जा सकता एक वर्ग की अवधि या बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई हो, के व्यतीत होने पर यह समझा जायेगा कि उस समिति की, सदस्यता छोड़ दी और उसे वही अधिकार तथा दायित्व होंगे मानो उसने इस अधिनियम के प्रचलित होने के पूर्व सदस्यता छोड़ दी हो।

(6) यदि सहकारी समिति उपधारा (5) में निर्दिष्ट सदस्यता का समायोजन करने में चूक करे तो निबन्धक समायोजन कर सकता है और यह निर्देश दे सकता है कि वर्तमान सदस्यों में से किन सदस्यों के संबंध में, यदि कोई हो, यह समझा जायेगा कि उसने उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन अपनी सदस्यता छोड़ दी है।

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 1977 की धारा 9 (ग) द्वारा निकाले गये।

2. उपर्युक्त की धारा 10 (एक) द्वारा अंतर्विष्ट (बढ़ाया गया)।

3. उपर्युक्त की धारा 10 (दो) द्वारा अंतर्विष्ट (बढ़ाया गया)।

(7) Every co-operative society shall within one year of the coming into force of this Act constitute its committee of management in accordance with the provisions of this Act and the rules and in default thereof the Registrar shall in the manner prescribed constitute the committee of management.

(8) Notwithstanding anything in this Act no act or proceeding of a co-operative society or its committee of management shall be invalid or questioned in court merely on the ground that up to the time of adjustment of membership or reconstitution of the committee of management in accordance with the provisions of this section the membership of the society or the constitution of its committee of management was inconsistent with the provisions of this Act or the rules.

Other provisions in regard to existing societies Act No. II of 1912

132. (1) Any suit, other proceeding, inquiry or inspection instituted or commenced under the Co-operative societies Act, 1912, shall so far as may be, deemed to have been instituted or commenced under this Act and may be continued accordingly.

Act No. II of 1912

(2) Any power, function or duty required to be exercised, performed or discharged under this Act by an authority different from the authority provided for that purpose under the Co-operative Societies Act, 1912, shall until such authority is constituted or appointed under this Act, continue to be exercised, performed or discharged by the authority hitherto exercising, performing or discharging the power, function or duty and the Registrar shall have the power to take measures in the manner prescribed for the early constitution or appointment of the authority under this Act.

Power to remove difficulties

133. ¹[(1) The State Government may from time to time, by notification make such incidental and consequential order as may appear to it to be necessary or desirable for the removal of any difficulty in any matter relating to elections under the provisions of this Act or rules made thereunder.]

(2) An order, made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, before both the Houses of the State Legislature.

Repeals, amendment and construction of enactments U. P. Act No. II of 1904

134. (1) The Co-operative Societies Act, 1912, as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh is hereby repealed and the provision of section 6 and 24 of the U. P. General Clauses Act, 1904, shall apply to the repeal of the Co-operative Societies Act, 1912, as if it were an Uttar Pradesh Act.

U. P. Act No. X of 1904

(2) All references to the Co-operative Societies Act, 1912, occurring in any enactment made by any authority in India and for the time being in force in the State of Uttar Pradesh shall in its application to the said State, be construed as reference to the relevant provisions of this Act.

U. P. Act No. I of 1951

(3) Sections 295 to 318 of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, are hereby repealed.

1. Subs. by sec. 11 of U. P. Act no. 17 of 1977.

(7) प्रत्येक सहकारी समिति इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर इस अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार अपनी प्रबंध कमेटी संघटित करेगी और उसके ऐसा न करने पर निबंधक नियत रीति से कमेटी संघटित करेगी।

(8) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, सहकारी समिति या उसकी प्रबंध कमेटी का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अवैध न होगी अथवा उस पर न्यायालय में अपत्ति न की जायगी कि इस धारा के उपबंधों के अनुसार सदस्यता के समायोजन या प्रबंध कमेटी के पुनः संघटन के समय तक, समिति की सदस्यता या उसकी प्रबंध कमेटी का संघटन इस अधिनियम, नियमों के उपबंधों से असंगत था।

132—(1) कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1912 के अधीन संस्थित या प्रारम्भ किये गये किसी वाद, अन्य कार्यवाही, जांच या निरीक्षण के सम्बन्ध में, जहां तक संभव हो, यह समझा जायगा कि इस अधिनियम के अधीन संस्थित या प्रारम्भ किया गया है और उसे तदनुसार जारी रखा जा सकता है।

वर्तमान समितियों के संबंध में अन्य उपबंध

ऐक्ट संख्या 2, 1912

(2) जिसे ऐसा अधिकार, कर्तव्य या कर्तव्य का प्रयोग, संपादन या निर्वहन इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो जो कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1912 के अधीन उस प्रयोजन के लिये व्यवस्थित प्राधिकारी से भिन्न हो, उस समय तक, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन उक्त प्राधिकारी का संघटन या उसकी नियुक्ति न हो, जाये ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाता रहेगा जो जब तक उक्त अधिकार, कृत्य या कर्तव्यों का प्रयोग, संपादन अथवा निर्वहन करता रहा हो और निबंधक को इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी के शीघ्र संघटन या नियुक्ति के लिये नियत रीति से कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

ऐक्ट सं 2, 1912

133¹—(1) राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक आदेश दे सकती है जिसे वह इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन निर्वाचन से संबंधित किसी मामले में किसी कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक या वांछनीय समझे।¹

कठिनाइयों के निवारण करने का अधिकार

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया आदेश यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।

134—(1) उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1912 एतद्वारा निरस्त किया जाता है तथा यू0 पी0 जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1904 की धारा 6 तथा 24 के उपबन्ध कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट 1912 के निरसन पर उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो वह उत्तर प्रदेश का कोई अधिनियम हो।

निरसन संशोधन तथा अधिनियमों का अन्वय लगान उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1912

(2) कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1912 के प्रति समस्त अभिदेश जो किसी ऐसी अधिनियमिति में आये हों जिसे भारत के किसी प्राधिकारी ने बनाया हो और जो तत्समय उत्तर प्रदेश राज्य में प्रचलित हो, उक्त राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में इस अधिनियम के संगत उपबंधों के अभिदेश समझे जायेंगे।

यू0 पी0 ऐक्ट सं0 10, 1904

(3) 1950 ई0 के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 295 से 318 तक निरस्त की जाती है।

1951 ई0 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 17, 1977 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित।

U. P. Act No. I of 1951 (4) All references to co-operative farms contained in the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, shall be construed as references to co-operative farming societies registered or deemed to be registered under this Act.

U. P. Act XXIV of 1953 (5) The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953, is hereby amended in the manner specified herein—

Provision to be amended	Amendment
Sub-section (2) of section 28	<p>(1) For the existing clause (n) the following shall be substituted—</p> <p>“(n) the constitution, operation, management, supervision and audit of councils and control of their staff and finances and conditions relating to the recognition of the U. P. Cane Unions Federation and Cane-growers Co-operative Societies for the purposes of this Act.”</p> <p>(2) For the existing sub-clause (i) of clause (r) the following shall be substituted—</p> <p>“(i) regarding the business of the cane Growers,</p> <p>Co-operative Societies between the society and the factory or between a cane-grower and factory;”</p>

Certain Acts to apply to co-operative societies U. P. Act XIV of 1947
U. P. Act XXVIII of 1947

135. The provision contained in the Industrial Disputes Act, 1947 and the U. P. Industrial Disputes Act, 1947 shall not apply to Co-operative Societies.

(4) 1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में दिये गये सहकारी फार्मों से समस्त अभिदेश, इस अधिनियम के अधीन निबधित अथवा निबधित समझे गये सहकारी कृषि समितियों के अभिदेश समझे जायेंगे ।

1951 ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1

(5) उत्तर प्रदेश (गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 एतव् द्वारा निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाता है —

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1953 ई०

संशोधन उपबन्ध	संशोधन
धारा 28 की उपधारा (2)	<p>(1) वर्तमान खण्ड (ढ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये—</p> <p>"(ढ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये परिषदों का संगठन, संचालन, प्रबन्ध पर्यवेक्षण तथा लेखा परीक्षा तथा उनके कर्मचारियों एवं वित्तीय व्यवस्था (finances) पर नियंत्रण और यू० पी० केन यूनियन फेडरेशन तथा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों की मान्यता के संबंध में शर्तें ।"</p> <p>(2) खण्ड (द) के वर्तमान उप-खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय —</p> <p>"(1) जो गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति के कार्य के विषय में संस्था या गन्ना उत्पादक और फैक्टरी के बीच में हो ।"</p>

135—इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, 1947 और यू० पी० इंडस्ट्रियल ऐक्ट, 1947 के उपबन्ध सहकारी समितियों पर लागू न होंगे ।

कतिपय अधिनियमों का सहकारी समितियों पर लागू न होना
ऐक्ट संख्या 14,
1947 यू० पी० ऐक्ट संख्या 28, 1947

